इंडियन
रेलवे
फाईनेंस
कार्पोरेशन
लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को
प्राप्त करने की दिशा में

भविष्य की ओर अग्रसर

वर्ष 2020–21 की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय सूची

1 कार्पोरेट अवलोकन

कॉर्पोरेट जानकारी	02
निदेशक मंडल का प्रोफाइल	03
अध्यक्ष का संदेश	06
हमारे बारे में	08
हमारा अब तक का सफर	10
केंद्रित दृष्टिकोण आश्चर्यजनक ताकत	12
हमारी व्यापार रणनीतियाँ	14
हमारे प्रकार्य	16
वित्तीय विशिष्टताएं	20
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल	22

2 वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठक	23

3 वैधानिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	35
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	44
कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट	50
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	68

4 वित्तीय विवरण

तुलन पत्र	100
लाभ और हानि का विवरण	101
नकदी प्रवाह का विवरण	102
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	103
वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ	105
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	214
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	234

कंपनी की और अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए
http://irfc.nic.in/ पर लॉगऑन करें

भविष्योन्मुखी कथन

इस रिपोर्ट की कुछ सूचनाओं में भविष्योन्मुखी कथन शामिल हो सकते हैं। हमने इन भविष्योन्मुखी कथनों को हमारे वर्तमान विश्वासों,अपेक्षाओं और इरादों के आधार पर तथ्यों, कार्यों और घटनाओं पर आधारित किया है जो भविष्य में घटित होंगी या हो सकती हैं। ऐसे कथनों को सामान्य रूप से भविष्योन्मुखी शब्दों जैसे 'विश्वास', 'योजना', 'पूर्वानुमान लगाएँ', 'जारी रखें', 'अनुमान', आशा', 'हो सकता है', 'अवश्य' या अन्य समान शब्दों से पहचाना जा सकता है। भविष्योन्मुखी कथनों में भविष्योन्मुखी कथन के आधार पर मान्यताओं या आधार का विवरण शामिल हो सकता है। हमने इन धारणाओं या आधारों को साफ नीयत/अच्छे विश्वास के साथ चुना है, और हमें विश्वास हैं कि ये सभी भौतिक मामलों में यथोचित हैं। हालांकि, हम आपको सावधान करते हैं कि भविष्योन्मुखी कथन और कल्पित तथ्य या आधार लगभग हमेशा वास्तविक परिणामों से भिन्न होते हैं, और भविष्योन्मुखी कथनों एवं कल्पित तथ्यों या आधारों द्वारा निहित परिणामों और वास्तविक परिणामों के बीच का अंतर परिस्थितियों के आधार पर तात्विक हो सकता है।

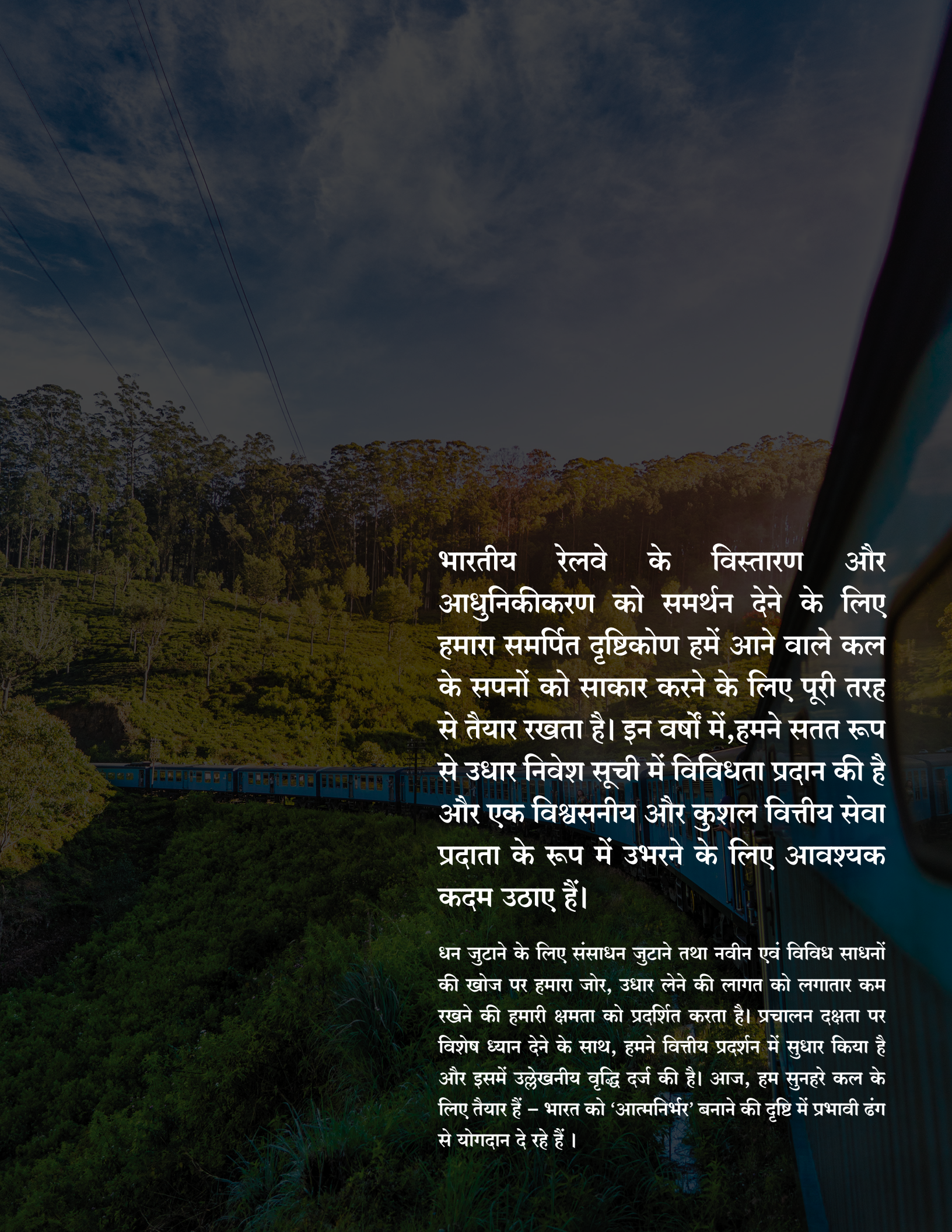

भारतीय रेलवे के विस्तारण और आधुनिकीकरण को समर्थन देने के लिए हमारा समर्पित दृष्टिकोण हमें आने वाले कल के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रखता है। इन वर्षों में,हमने सतत रूप से उधार निवेश सूची में विविधता प्रदान की है और एक विश्वसनीय और कुशल वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में उभरने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

धन जुटाने के लिए संसाधन जुटाने तथा नवीन एवं विविध साधनों की खोज पर हमारा जोर, उधार लेने की लागत को लगातार कम रखने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रचालन दक्षता पर विशेष ध्यान देने के साथ, हमने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार किया है और इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। आज, हम सुनहरे कल के लिए तैयार हैं – भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने की दृष्टि में प्रभावी ढंग से योगदान दे रहे हैं ।

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल*

श्री अमिताभ बैनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुश्री शैली वर्मा
निदेशक (वित्त)

श्री बलदेव पुरुषार्थ
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री भास्कर चोराड़िया
सरकार द्वारा नामित निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री संजीव जैन

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्री विजय बाबूलाल शिरोडे

पंजीकृत कार्यालय

कमरा सं. 1316 - 1349, तीसरी मंजिल, होटल दि अशोक, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

कॉर्पोरेट पहचान संख्या

L65910DL1986GOI026363

निम्नलिखित पर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बीएसई लिमिटेड

स्क्रिप कोड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड - आईआरएफसी

बीएसई - 543257

आईएसआईएन

INE053F01010

डिपॉजिटरी

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (भारत) लिमिटेड/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

आंतरिक लेखाकार

मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय स्टेट बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट

इक्विटी शेयर
मैसर्स बीटल वित्तीय एवं कंप्यूटर सेवाएँ (पी) लिमिटेड तीसरी मंजिल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग केंद्र के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली- 110062

ईमेल आईडी: irfc@beetalfinancial.com
फोन नंबर: 91-11-2996 1281-83
वेबसाइट: www.beetalfinancial.com

बांड
मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32 । वित्तीय जिला नानकरामगुडा । सेरिलिंगमपल्ली मंडल । हैदराबाद - 500032 । भारत

फोन नंबर : +91 040 6716 1598
टोल फ्री नंबर: 1800-345-4001
ईमेल आईडी: brahma.k@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

वेबसाइट

www.irfc.nic.in

ईमेल आईडी

investors@irfc.nic.in

*13 अगस्त , 2021 के अनुसार

निदेशक मंडल का प्रोफाइल*

श्री अमिताभ बैनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुश्री शैली वर्मा
निदेशक (वित्त)

श्री बलदेव पुरुषार्थ
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री भास्कर चोराड़िया
सरकार द्वारा नामित निदेशक

*13 अगस्त , 2021 के अनुसार

श्री अमिताभ बैनर्जी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03315975

श्री अमिताभ बैनर्जी को 12 अक्टूबर, 2019 को आईआरएफसी बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 21 मई, 2020 को आईआरएफसी बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। वे वर्ष 1988 सिविल सेवा परीक्षा बैच के आईआरएएस कैडर से संबंधित हैं। वे वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के फेलो सदस्य हैं। वे अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) में रैंक धारक (अखिल भारतीय वरीयता सूची में 13वां स्थान) थे। वे 5 वर्षों (1980 - 1985) के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति (एनटीएस) के प्राप्तकर्ता रहे थे।

प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वे अक्टूबर 2013 से कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसीएल) के निदेशक वित्त, पद पर कार्यरत थे। इससे पूर्व वे हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) में 3 वर्षों के लिए (सितंबर 2010 से अक्टूबर 2013 तक) निदेशक वित्त के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) में महाप्रबंधक (वित्त) की क्षमता में 5 वर्षों से अधिक समय तक काम किया, इसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण (जेआईसीए से आईडीए ऋण), खातों का संकलन व अंतिम रूप देना और बजटीय अनुमान तैयार करना आदि भी संभाल रहे थे। वे विभिन्न मध्यम आकार के मेट्रो के विश्व निकाय में डीएमआरसी के नामित प्रतिनिधि थे, जिन्हें 'नोवा' नाम दिया गया था। यह दुनिया की 15 प्रमुख मेट्रो रेल कंपनियों का एक संघ था।

उन्होंने वर्ष 1989 से 2003 तक रेल मंत्रालय के वित्त विभाग में कई प्रभागों का कार्यभार संभाला है, जैसे गेज परिवर्तन, नई लाइनें बिछाने, ट्रैक दोहरीकरण, रेलवे पुलों के निर्माण आदि जैसी प्रमुख परियोजनाओं को संभाला है। उन्होंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में लगभग 2 वर्षों (2003 से 2005) के लिए रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक की हैसियत में, सीएजी के तत्वावधान में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए मानक लेखांकन के निर्माण में शामिल एक स्वायत्त निकाय - "सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड" - में भी काम किया है।

सुश्री शैली वर्मा

निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07935630

सुश्री शैली वर्मा हमारी कंपनी की निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया की एक फ़ेलो सदस्या भी हैं। उन्हें विद्युत क्षेत्र वित्तयन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। हमारी कंपनी के बोर्ड में अपनी नियुक्ति से पहले, हाल ही में, उन्होंने पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में, विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है।

श्री बलदेव पुरुषार्थ

सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन: 07570116

श्री बलदेव पुरुषार्थ को 3 जून, 2020 को आईआरएफसी बोर्ड में शामिल किया गया है। वे वर्ष 2002 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने पंजाब के जालंधर में सचिव, लोकपाल और संभागीय आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने पंजाब सरकार और भारत सरकार में विभिन्न क्षेत्रों और सचिवालय पदों पर भी कार्य किया। इन पदों में, उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव; निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब; निदेशक, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, पंजाब, आयुक्त, एनआरआई, पंजाब और विशेष सचिव, व्यय, पंजाब के पद संभाले।

वह बोर्ड ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग्स लिमिटेड और नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री बलदेव पुरुषार्थ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है।

श्री भास्कर चोराड़िया

सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन: 08975719

श्री भास्कर चोराड़िया, भारतीय रेल वित्त निगम के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नामित, एक भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी हैं, जो दिनांक 28.10.2020 से रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक वित्त (बजट) का कार्यभार संभालते हैं। इस कार्यभार से पहले, उन्होंने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर सितंबर 2017 से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, भारत सरकार (जीओआई) के निदेशक के रूप में काम किया है। उन्होंने भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के लिए विपणन, क्षमता निर्माण और ग्राहक संबंधों का नेतृत्व किया है। उन्होंने नए निगमित जेम एसपीवी के मानव संसाधन और वित्त कार्यक्षेत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उन्होंने 1996 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, भारत (पूर्ववर्ती रुड़की विश्वविद्यालय) से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 2000 में भारत सरकार की सेवा में शामिल हुए।

रेलवे अधिकारी के रूप में अपने करियर में उन्हें क्षेत्रीय रेलवे अर्थात पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण और उत्तर रेलवे के लेखा और वित्त विभागों और रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव है। उन्होंने रेलवे डिवीजनों, कार्यशालाओं और मुख्यालयों में काम किया है। रेलवे बोर्ड में रहते हुए उन्होंने बजट निदेशालय में रेल बजट की तैयारी और प्रस्तुति और उसके निष्पादन से संबंधित कार्य किए हैं। रेलवे बोर्ड में भंडार वित्त में निदेशक के रूप में वे भारतीय रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम, एम एंड पी कार्यक्रम की तैयारी में शामिल थे।

उन्होंने आरएससी/वडोदरा, एनआईएफएम/फरीदाबाद, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले/यूएसए आदि जैसे संस्थानों में भारत और विदेशों में प्रबंधन, लोक प्रशासन, निविदा, सार्वजनिक नीति आदि पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

श्री संजीव जैन

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री विजय बाबूलाल शिरोडे

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अध्यक्ष का संदेश

कंपनी घरेलू और विदेशी दोनों वित्तीय बाजारों से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाना जारी रख रही है और इसने उधार लेने की लागत को कम रखने में मदद की है।

प्रिय शेयरधारकों,

पिछला वित्तीय वर्ष आने वाले कई दशकों तक एक विशेष वर्ष के रूप में याद किया जाता रहेगा, जिसने मानव जाति को बुरी तरह से प्रभावित किया है और हमारे जीवन के तौर-तरीकों को बदल दिया है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफ़सी) को भी एक चुनौतीपूर्ण कारोबारी वातावरण का सामना करना पड़ा है। वित्त वर्ष 2020 में कोविड-19 के तेजी से फैलने और उसके बाद वित्त वर्ष 2021 में दूसरी लहर आने के कारण, आर्थिक अस्थिरता जारी रही। ऐसी कठिनाइयों के बीच, हमारे लोगों ने व्यक्तित्व की जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया है और मुझे उनके धैर्य, समर्पण और दृढ़ लगन पर बेहद गर्व है। इसलिए, हम इस वर्ष को पीछे मुड़कर देखेंगे, इसके द्वारा पेश की गई चुनौतियों के लिए नहीं, बल्कि उन उपायों और समाधानों के लिए जिन्हें हमने इससे निपटने के लिए अपनाए हैं।

आर्थिक समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुज़री है, जिसका मुख्य कारण विनाशकारी कोविड-19 महामारी है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021 में 7.3% का आर्थिक संकुचन हुआ है। जैसा कि लॉकडाउन और सामाजिक दूरी प्रोटोकॉल दुनिया भर में लागू किए जा रहे हैं, व्यवसाय प्रचालन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ और उद्योगों में विनिर्माण उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई। नुकसान की भरपाई करने के लिए, सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने सहायक मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय उपायों के रूप में अपना समर्थन बढाया, जिससे वसूली को प्रोत्साहित करने में मदद मिली और व्यवसायों के लिए अति आवश्यक तरलता सुरक्षा प्रदान की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल थे:

क) भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढावा देने और निर्यात बढाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रु तक की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

ख) 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को संपार्श्विक मुक्त और 100% गारंटीकृत ऋण प्रदान करके तरलता सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)

ग) रेपो दरों में कमी

घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधे खाता हस्तांतरण के माध्यम से मौद्रिक सहायता।

इन पहलों ने वित्त वर्ष 2020-21 में संतुलित आर्थिक विकास को बढावा देने में मदद की है, जिससे महामारी के बाद रिकवरी में मदद मिली है।

प्रचालनीय विशेषताएँ

आईआरएफसी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सर्वकालिक उच्च राजस्व और मुनाफे के साथ एक शानदार प्रदर्शन की सूचना दी। वित्त वर्ष 2021 के लिए शुद्ध लाभ 4,416.13 करोड़ रु था, जो पिछले वित्त वर्ष के 3,192.09 करोड़ रु की तुलना में 38.34% की वृद्धि के साथ था। प्रचालनों से कुल राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 17.51% की वृद्धि हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 13,421.01 करोड़ रु की तुलना में 15,770.47 करोड़ रु थी। कंपनी ने 1,372.19 करोड़ रु का अंतरिम लाभांश घोषित किया जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएटी का 31.07% है।

कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू उधार कार्यक्रम को क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा क्रमशः "क्रिसिल एएए/स्थिर", "[आईसीआरए] एएए

(स्थिर)" और "केयर एएए [ट्रिपल ए]" की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई। तीन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों – स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, फिच और मूडीज – ने क्रमशः "बीबीबी– स्टेबल आउटलुक के साथ", "बीबीबी– नेगेटिव आउटलुक के साथ" और "बीएए 3 विद नेगेटिव आउटलुक" रेटिंग से सम्मानित किया है।

आईआरएफसी ने वार्षिक संवितरण में उल्लेखनीय 51% विकास दर्ज किया है, जो वित्तीय वर्ष 20 में 70,471.96 करोड़ रु से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 के लिए 1,04,369 करोड़ रु दर्ज हुआ है। वित्तीय वर्ष 21 के लिए एयूएम 3,60,079 करोड़ रु है जिसमें वर्ष दर वर्ष 35.29% की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2021 में आईआरएफ़सी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 420.46% पर मजबूत बना हुआ है। वर्ष 2020–21 के लिए रेल मंत्रालय का कुल पूंजीगत परिव्यय (पूंजीगत व्यय) 1,55,161 करोड़ रु था, जिसमें से आईआरएफसी का संवितरण 1,04,369 करोड़ रु पर महत्वपूर्ण था, जो वर्ष 2020–21 के लिए कुल पूंजी परिव्यय का 67.43% है।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों को अत्यधिक महत्व देती है और इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करती है। वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर बजट में आंकी गई राशि 61.23 करोड़ रु थी, जिसके संबंध में 61.28 करोड़ रु के कुल परिव्यय के साथ कंपनी ने कुल 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके लिए कंपनी ने 41.51 करोड़ रु की राशि वितरित की। प्रधानमंत्री केयर्स फंड में कुल 30 करोड़ रु का योगदान दिया गया है।

इक्विटी शेयर 29 जनवरी, 2021 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध हुए। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स–आईपीओ) को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और क्यूआईबी द्वारा 3.8 गुना, गैर–संस्थागत निवेशकों द्वारा 2.7 गुना और खुदरा निवेशकों द्वारा 3.7 गुना अत्यभिदत्त किया गया, जिससे इश्यू साइज का 3.5 गुना समग्र अभिदान हुआ। यह पहली बार है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने किसी निर्गम में एंकर निवेशकों को आवंटन प्रदान किया है। कंपनी के वर्तमान बाजार पूंजीकरण के आधार पर, यह 31 मार्च 2021 को शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों की सूची में दर्ज है।

कंपनी घरेलू और विदेशी वित्तीय बाजारों दोनों से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाना जारी रख रही है और इससे उधार लेने की लागत को कम रखने में मदद कर रही है।

भारतीय रेलवे सेक्टर

भारतीय रेलवे भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है, जो भारत के अधिकांश रेल परिवहन का मालिक है और उसको प्रचालित करता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय रेलवे के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। हाल ही में, रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार ने 'रेल–कनेक्टिविटी और क्षमता संवर्धित परियोजनाओं के लिए भागीदारी मॉडल' को मंजूरी दी है, जिससे रेलवे के कुछ निश्चित खंडों को निजी स्वामित्व की अनुमति मिली है। सरकार ने दो प्रमुख पहलों की घोषणा की है– निजी प्रचालकों द्वारा यात्री ट्रेनों का प्रचालन और देश भर में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। भारतीय रेलवे के अनुसार, इन परियोजनाओं में अगले पांच वर्षों में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है।

रेल बुनियादी ढांचे को बढावा देने और भारतीय रेलवे नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, भारतीय रेलवे ने देश भर में, विभिन्न अंचलों में, 56 परियोजनाओं की पहचान की है, जिन्हें वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 तक पूरा किया जाना है। केंद्रीय बजट 2021–22 के तहत, सरकार ने 1,10,054.64 करोड़ रु रेल मंत्रालय को आवंटित किए हैं। भारतीय निर्माताओं, को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत, अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाले देश के पहले हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर के विकास का समर्थन करने के लिए क्षमता निर्माण करने का आग्रह किया जा रहा है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के हिस्से के रूप में, भारतीय रेलवे को 2030 तक रसद लागत को कम करने के लिए भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की उम्मीद है और राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के विज़न 2024 के भाग के अनुसार, वर्ष 2024 तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है।

मुझे विश्वास है कि आईआरएफसी टीम किसी भी आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहेगी और भारतीय रेलवे को उसके भविष्य के प्रयासों में पर्याप्त रूप से समर्थन देना जारी रखेगी। अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों की हमारी टीम द्वारा प्रदर्शित सरलता और विशेषज्ञता मुझे हमारे भविष्य के बारे में अत्यधिक आशावादी होने का अत्यधिक विश्वास दिलाती है।

मैं इन कठिन परिस्थितियों के दौरान साहस और समर्पण के बेजोड़ प्रदर्शन के लिए अपने कर्मचारियों की सराहना करता हूँ। अल्पकालिक अनिश्चितताओं से परे जाते हुए, हम आगामी अवसरों को भुनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हाल ही में देखे गए बाजार में सुधार से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, ऋण देने वाली संस्थाओं और भारत सरकार को हमारी क्षमताओं में उनके अटूट विश्वास, समर्थन और विश्वास के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

सादर,

हस्ताक्षरित/–

(श्री अमिताभ बैनर्जी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03315975

हमारे बारे में

भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) रेल मंत्रालय (रेल मंत्रालय) के अधीन भारत सरकार के उद्यम के रूप में भारतीय रेलवे की समर्पित बाजार उधार शाखा है।

कंपनी रेलवे के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने के साथ-साथ चल स्टॉक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का वित्तपोषण करती है। आईआरएफसी का प्राथमिक उद्देश्य बाजार से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर उधार के माध्यम से भारतीय रेलवे के 'अतिरिक्त बजटीय संसाधनों' (ईबीआर) को पूरा करना है।

आईआरएफसी क्षमता वृद्धि कार्यों और रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से भारतीय रेलवे के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण का लगातार समर्थन कर रहा है। हम रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल), इरकॉन, रेलटेल आदि सहित रेलवे क्षेत्र में अन्य संस्थाओं के लिए एक विश्वसनीय ऋणदाता भी हैं । आईआरएफसी भारतीय रेलवे के प्रयासों का वर्ष दर वर्ष पर्याप्त समर्थन करने के लिए लगातार उधार पोर्टफोलियो में विविधता ला रहा है।

दृष्टि

रेल मंत्रालय के साथ अपने सहजीवी संबंधों को बनाए रखते हुए रेल परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण और प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी बनना।

ध्येय

यह सुनिश्चित करते हुए कि निगम अपने प्रचालन से इष्टतम लाभ कमाता है, रेलवे योजना वित्त को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए आईआरएफसी को देश में अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक बनाना।

वित्त वर्ष 2020-21 की मुख्य बातें

प्रचालनों से **1,57,704.72**
मिलियन रु का राजस्व

शून्य
सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और कर देयता

420.46%
सीआरएआर

359,134 मिलियन रु
निवल मूल्य

9x
शुद्ध गियरिंग अनुपात

उद्देश्य

ध्येय को प्राप्त करने में, निगम के उद्देश्य निम्न हैं:

- रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से बाजार उधार के माध्यम से संसाधन जुटाना।
- कंपनी के उधार लेने की लागत को कम करने हेतु धन जुटाने के लिए नवीन और विविध साधनों के उपयोग का पता लगाना।
- रेल मंत्रालय द्वारा उपयोग के लिए चल स्टॉक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए समय पर वित्त पोषण प्रदान करना।
- कंपनी के व्यावसायिक लाभ, रेल मंत्रालय के बड़े आकार और विविध गतिविधियों का फायदा उठाने के लिए कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धी लागत पर अनुकूलित पेशेवर सेवाएं प्रदान करना।
- भविष्य के विकास और लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीपीएसई और अन्य संस्थाओं के वित्तपोषण की संभावना का पता लगाना।
- उपयुक्त समय और इष्टतम लागत के साथ जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पादनों और अन्य उभरते उत्पादों का विवेकपूर्ण उपयोग करना।
- निवेशकों, उधारदाताओं और अन्य वित्तीय मध्यस्थों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा के लिए प्रयास करना और उनकी शिकायतों/समस्याओं का त्वरित निवारण करना।
- संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण और अन्य मानव संसाधन साधनों के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के बीच व्यवसायिकता बढ़ाना।

रेटिंग्स

क्रिसिल एएए	।	क्रिसिल ए1+
आईसीआरए एएए	।	आईसीआरए ए1+
केयर एएए	।	केयर ए1+

हमारा अब तक का सफर

12 दिसंबर, 1986 को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित, भारतीय रेल वित्त निगम एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत है।

पिछले 35 वर्षों में, हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों को कुशलतापूर्वक पूरा किया है।

आइए जनवरी, 2021 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई पी ओ) से पहले कंपनी की उपलब्धियों और प्रमुख घटनाओं पर एक नज़र डालें।

1988

- घरेलू पूंजी बाजार से फंड जुटाना शुरू किया
- भारतीय रेलवे द्वारा चल स्टॉक परिसंपत्तियों की खरीद का वित्तपोषण
- वित्त मंत्रालय की ओर से जापान के आयात निर्यात बैंक से ऋण लिया गया

1991

- कंपनी ने भारत सरकार को लाभांश घोषित किया

1993

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित

1996

- अपतटीय बाजार में 70 मिलियन अमरीकी डालर के फ्लोटिंग रेट नोट जारी किए गए
- डीप डिस्काउंट बांड का सार्वजनिक रूप से जारी करना

1998

- एक एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत
- कॉरपोरेशन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक से 15 वर्षों की अवधि के लिए सावधि ऋण जुटाया
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को 15 वर्षों के कार्यकाल के लिए सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-संचयी, कर योग्य बांड जारी किए गए

1999

- सुरक्षित, प्रतिदेय गैर-संचयी, अलग से हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल भाग (एसटीआरपीपी) में कर योग्य बांड जारी किए गए

2003

- 75 मिलियन अमरीकी डालर - सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण के माध्यम से जुटाया गया

2006

- घरेलू पूंजी बाजार में फ्लोटिंग रेट बांड जारी किए गए

2008

- आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-एनडी-एएफसी के रूप में वर्गीकृत

2010

- 25 वर्षों के कार्यकाल के लिए सुरक्षित,प्रतिदेय गैर-संचयी, कर योग्य बांड जारी किए गए
- आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में वर्गीकृत

2011

- अपतटीय बाजार में यूरो-डॉलर बांड (विनियमन एस) जारी किए गए
- कोलंबस की अमेरिकन फैमिली लाइफ एश्योरेंस कंपनी से 15 वर्ष की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा सावधि ऋण लिया गया

2012

- एक अंतर कूपन दर पर कर-मुक्त बांड के सार्वजनिक रूप से जारी करने के माध्यम से धन जुटाया
- दिनांक 27 जुलाई 2012 को, हमने रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण और बुनियादी ढांचे की संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया

2016

- 95,000 मिलियन रु कर मुक्त बांड के माध्यम से जुटाए गए
- एलआईसी से संस्थागत वित्तयन के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के कारोबार की शुरुआत

2018

- दिनांक 8 अगस्त, 2017 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचित किया कि हमारी कंपनी द्वारा जारी किए गए तीन वर्षों के बाद प्रतिदेय/रिडीम करने योग्य किसी भी बांड को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत "दीर्घकालिक निर्दिष्ट संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
- 250 मिलियन अमरीकी डालर - बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड, मिजुहो बैंक लिमिटेड और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (सिंगापुर शाखा) द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए सिंडिकेटेड ऋण स्वीकृत किया गया
- 500 मिलियन अमरीकी डालर - हमारी कंपनी द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए असुरक्षित निश्चित दर विनियमन एस ग्रीन बांड जारी किए गए

2019

- 2 बिलियन अमरीकी डालर - यूरो मीडियम टर्म नोट (ईएमटीएन) प्रोग्राम की स्थापना की गई थी
- 500 मिलियन अमरीकी डालर - ईएमटीएन फॉर्मेट में रेग एस मूल्य के बांड जारी किए गए

2020

- एमसीए ने कंपनी को इंड एएस 01 के पैरा 11 को लागू करने, इंड एएस 8 के साथ पठित इंड एएस को पहली बार अपनाने, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियां में परिवर्तन की सलाह दी
- तदनुसार, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 को भारतीय लेखा मानक में अंतरण की तिथि होने के कारण, प्रतिधारित आय को जमा करके 64,431.40 मिलियन रु की आस्थगित कर देयता को उलट दिया।

2021

- आईआरएफसी ने अपना पहला आईपीओ बनाया और 29 जनवरी 2021 को एनएसई और बीएसई दोनों में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया गया
- रेल मंत्रालय को अपने विकासात्मक व्यय को पूरा करने के लिए संचयी वित्त पोषण 4.44 लाख करोड़ रु तक पहुंचा
- रेल मंत्रालय को अब तक का उच्चतम संवितरण 1,04,369 करोड़ रु
- 4.075 बिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि जुटाई, जो किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक ईसीबी है

केंद्रित दृष्टिकोण आश्चर्यजनक ताकत

आईआरएफसी ने भारतीय रेलवे के प्रचालन के आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रयासों का सतत रूप से समर्थन किया है। हम भारत में रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहे हैं। इन वर्षों में, हमने अपने हितधारकों की अहमियत बढ़ाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों पर भरोसा किया है।

भारतीय रेलवे का रणनीतिक रूप से वित्तयन विकास

हमें भारतीय रेलवे की समर्पित बाजार उधार शाखा के रूप में शामिल किया गया था और भारतीय रेलवे के प्रचालनों के वित्तपोषण में एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। हमारा मानना है कि भारतीय रेलवे की व्यापक विस्तार योजनाओं में महत्वपूर्ण वित्त पोषण शामिल होगा और हम इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

2,85,610.85 मिलियन रु
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तपोषित चल स्टॉक परिसंपत्तियों का मूल्य

7,34,588.61 मिलियन रु
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तपोषित परियोजना परिसंपत्तियों का मूल्य

हमारी वित्तीय गतिविधियां भारतीय रेलवे के लिए भारत के केंद्रीय बजट के नियोजित पूंजी परिव्यय के अनुसार रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती हैं। हम वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर योग्य और कर-मुक्त बांड जारी करने, बैंकों / वित्तीय संस्थानों से पूंजीगत लाभ बांड अवधि ऋण, बाहय वाणिज्यिक उधार, आंतरिक उपार्जन, परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण और पट्टा वित्तपोषण सहित विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ निधियों का उपयोग अन्य रेलवे पीएसयू संस्थाओं के ऋण वित्तपोषण के लिए भी किया जाता है।

वृद्धिशील उधार की प्रतिस्पर्धी लागत

6.51%
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वृद्धिशील उधारी की लागत

10,43,689.64 मिलियन रु
वित्त वर्ष 2020-21 में जुटाई गई राशि

हमारी वित्त पोषण आवश्यकताओं को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसमें हम विभिन्न परिपक्वताओं और मुद्राओं के बाजार उधार के माध्यम से रोलिंग स्टॉक परिसंपतियों और परियोजना परिसंपतियों के अधिग्रहण को निधि देते हैं। सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण, प्रतिस्पर्धी दरों पर अपतटीय बाजार में बॉन्ड/नोट जारी करने के रूप में बाहरी वाणिज्यिक उधार लेने की हमारी सहज क्षमता, घरेलू स्रोतों से उपलब्ध फंड की पूरक होती हैं। हमारी मजबूत क्रेडिट रेटिंग, वित्त पोषण के विविध स्रोतों और रेल मंत्रालय के साथ रणनीतिक संबंधों के आधार पर, हम उधार लेने की लागत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इक्विटी निवेश के लाभ ने हमें सतत विकास हासिल करने में काफी मदद की है। कंपनी बैंकों और वित्तीय संस्थानों, पेंशन फंड, भविष्य निधि ट्रस्ट, बीमा कंपनियों, सॉवरेन फंड, कॉरपोरेट्स, जनता (उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, खुदरा निवेशकों और अनिवासी निवेशकों सहित), ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड से भी फंड जुटाती है।

सतत वित्तीय निष्पादन और लागत प्लस मॉडल

13.34%
वर्ष 2020-21 के लिए शुद्ध मूल्य पर वापसी

1.39x
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज राशि/ कवरेज अनुपात

1.43%
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन

आईआरएफसी ने वित्त पोषण और लाभप्रदता की मुख्य मेट्रिक्स में निरंतर वृद्धि प्रदर्शित की है। रेल मंत्रालय के साथ लागत-प्लस आधारित मानक पट्टा अनुबंध/स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आईआरएफसी के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित वृद्धिशील उधार की भारित औसत लागत पर मार्जिन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। आमतौर पर, विदेशी मुद्रा हेजिंग और/या हानि (और लाभ, यदि कोई हो) के साथ-साथ ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के लिए किसी भी हेजिंग लागत के संबंध में हमारे द्वारा किए गए खर्चों में वृद्धिशील उधार की भारित औसत लागत को प्रभावित करती है। साथ ही, हम अन्य रेलवे पीएसयू संस्थाओं के वित्तपोषण के लिए लागत-प्लस मूल्य निर्धारण मॉडल का पालन करते हैं, जो आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक मार्जिन प्रदान करता है। इसके अलावा, हम मानते हैं कि हमारी कम ओवरहेड और प्रशासनिक लागत और उच्च परिचालन दक्षता के परिणामस्वरूप लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

मजबूत परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन

आईआरएफसी एक सक्रिय परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन रणनीति के माध्यम से नकदी प्रवाह का प्रबंधन करता है। यह परिसंपत्ति–देयता बेमेल को कम करने में मदद करता है। लंबी अवधि के उधार को आईआरएफसी द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियों के लंबे कार्यकाल के साथ जोड़ा जाता है। यह न केवल तरलता का प्रबंधन करने में मदद करता है, बल्कि भारतीय रेलवे की बढ़ती मांगों को भी पूरा करता है। पर्याप्त फंडिंग रिजर्व सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी प्रचालनीय और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन रखती है।

इसके अलावा, यदि कंपनी मानक पट्टा समझौते के तहत अपर्याप्त नकदी प्रवाह के कारण बांडों को भुनाने या सावधि ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने में विफल रहती है, तो रेल मंत्रालय को बांड या सावधि ऋण की परिपक्वता से पहले बुलेट भुगतान के माध्यम से इस तरह की कमी के लिए धन प्रदान करना चाहिए। इस तरह के भुगतान संबंधित मानक पट्टा समझौतों के तहत देय बाद के पट्टा किराया/लीज रेंटल में समायोजित किए जाते हैं।

अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन और प्रतिबद्ध टीम

हमारे गहन ज्ञान और हमारे वरिष्ठ प्रबंधन के अनुभव ने हमें प्रचालनीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अपनी व्यावसायिक योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है। यह हमारे प्रबंधन की ताकत और हमारे लोगों की दृढ़ता है जिसने हमें इतने वर्षों से व्यवसाय के विकास को बनाए रखने की अनुमति दी है।

प्रसिद्ध सरकारी एजेंसियों, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में उनके व्यापक कार्य अनुभव के कारण, हमारी वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यकारी टीम कॉर्पोरेट ऋण और संरचित वित्त और कानून की बारीकियों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए योग्य है।

कम जोखिम वाला व्यापार मॉडल

कुल एयूएम

46%
चल स्टॉक परिसंपतियों के संबंध में मुख्य रूप से प्राप्य पट्टे का

2%
अन्य रेलवे पीएसयू संस्थाओं को ऋण का

52%
परियोजना परिसंपतियों को पट्टे पर देने के एवज में अग्रिमों का

रेल मंत्रालय के साथ आईआरएफसी का अनूठा संबंध कंपनी को कम जोखिम वाला प्रोफाइल रखने में सक्षम बनाता है। आम तौर पर, ब्याज दर में उतार–चढ़ाव के लिए किसी भी हेजिंग लागत के साथ कंपनी द्वारा किए गए किसी भी विदेशी मुद्रा व्यय को वृद्धिशील उधार की भारित औसत लागत के साथ जोड़ा जाता है। यह आईआरएफसी को पट्टे की अवधि के दौरान अपने मार्जिन को सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप चल स्टॉक परिसंपत्तियों के नुकसान से संबंधित जोखिमों की क्षतिपूर्ति रेल मंत्रालय द्वारा की जाती है।

हालांकि, ऐतिहासिक रूप से, आईआरएफसी ने कभी भी रेल मंत्रालय से इस प्रकार के वित्त पोषण का सहारा नहीं लिया है, तरलता जोखिम कम से कम है क्योंकि रेल मंत्रालय परिपक्वता पर जारी किए गए बांडों के मोचन या सावधि ऋण सुविधाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धन की कमी को कवर करता है। रेल मंत्रालय ने मानक पट्टा समझौते के तहत अपने भुगतान दायित्वों में कभी चूक नहीं की है। इसके अलावा, आईआरएफसी को लीज भुगतान भारत के केंद्रीय बजट द्वारा प्रस्तावित वार्षिक रेल बजट द्वारा कवर किया जाता है और आईआरएफसी को अर्ध–वार्षिक रूप से अग्रिम भुगतान किया जाता है।

ब्याज दर और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने के लिए, आईआरएफसी ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग व्यवस्था करता है, जो विशेष रूप से जो बाहरी वाणिज्यिक उधार से उत्पन्न होता है। हेजिंग की लागत को आमतौर पर वृद्धिशील उधार की भारित औसत लागत में शामिल किया जाता है, जो रेल मंत्रालय द्वारा देय पट्टा किराया में शामिल होता है ।

हमारी व्यापार रणनीतियाँ

आईआरएफसी में, हम व्यवहार्य और टिकाऊ प्रचालनों का समर्थन करने के लिए, वित्त पोषण की लागत को कम रखने का प्रयास करते हैं। प्रचालनों के दायरे और फंडिंग की मात्रा को और बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ, हमने भारतीय रेलवे के विकास में लगातार योगदान दिया है।

हमारी कुछ प्रमुख व्यावसायिक रणनीतियों में शामिल हैं:

उधार पोर्टफोलियो का विविधीकरण

रेल मंत्रालय से प्रतिभूतिकृत प्राप्तियों और अभिनव संरचनाओं के साथ, कर मुक्त बांड के सार्वजनिक रूप से जारी करने तथा कर मुक्त एवं कर योग्य बांड के निजी स्थानन के माध्यम से और सिंडिकेटेड ऋण, बांड और नोट्स सहित बाह्य वाणिज्यिक उधारी से, हमने अपने पोर्टफोलियो में विविधताएँ प्रदान की हैं।

हम वित्तीय साधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से और 'ग्रीन बॉन्ड' और 'मध्य अवधि के नोट' जारी करने के माध्यम से नए बाजारों और निवेशकों की पहचान करके अपने उधार पोर्टफोलियो में विविधता लाना जारी रखते हैं।

हमारी विविधीकरण रणनीति के हिस्से के रूप में, हम लागत प्रभावी दरों पर अतिरिक्त फंडिंग विकल्पों का पता लगाना जारी रखते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी भारतीय रुपया मूल्यवर्ग के बांड शामिल हैं।

हम प्रभुत्व धन निधि/सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के साथ-साथ विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से भी फंडिंग हासिल करते हैं। हमारा मानना है कि एक विविध उधार पोर्टफोलियो हमें कम लागत पर अधिक धन जुटाने में सक्षम बनाता है।

हमारे वित्तपोषण पोर्टफोलियो का विस्तारण

चूंकि हमारा प्राथमिक प्रकार्य रेल मंत्रालय (रेल मंत्रालय) के लिए धन प्राप्त करना है, हम भारतीय रेलवे की चल स्टॉक परिसंपत्तियों की आवश्यकता के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो का भी विस्तार कर रहे हैं और अपनी उधार गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। हम मुख्य रूप से उन परियोजनाओं को लक्षित कर रहे हैं जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क के विंसकुलन/ भीड़भाड़ कम करने और विस्तारण के लिए प्रासंगिक हैं। इसमें भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए अन्य रेल मंत्रालय संस्थाओं द्वारा ली गई परिसम्पतियाँ भी शामिल हैं।

हम राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों, जो पूरे भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में लगे हुए हैं, के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए मौद्रिक संसाधन प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय के प्राथमिक वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं।

हमारे इरादे :

- रेल मंत्रालय के अधीन संस्थाओं की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें गारंटी का विस्तारण और अल्पकालिक उधार प्रदान करना शामिल है
- भारतीय रेलवे की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना और रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करना
- रेलवे सेक्टर में अग्र एवं पश्च लिंकेज को शामिल करने के लिए हमारे वित्तयन पोर्टफोलियो में विविधता लाना

परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना

हमारा मजबूत एएलएम ढांचा तरलता और ब्याज दरों से संबंधित जोखिमों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करता है। ऐसा परिसंपत्तियों, देनदारियों, प्राप्तियों और ऋण–सेवा दायित्वों की दीर्घकालिक तरलता प्रोफ़ाइल के आवधिक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न समयावधियों में आवधिक आधार पर इस तरह के संरचित विश्लेषण का उपयोग, उधारी के समय, मात्रा और परिपक्वता प्रोफ़ाइल के बारे में समग्र निर्णय लेने और कार्यकाल के संदर्भ में और अचल या अस्थायी ब्याज के संदर्भ में परिसम्पतियों और देनदारियों के मिश्रण के निर्माण के लिए किया जाता है।

परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन में सुधार के उपाय:

- पारंपरिक परिसंपत्ति और देयता अंतर विश्लेषण
- ब्याज दर संवेदनशील अंतर विवरण
- ऋण–सेवा दायित्वों का प्रक्षेपण
- ब्याज दर पूर्वानुमान और स्प्रेड को ध्यान में रखना
- निधियों की आंतरिक लागत की समीक्षा करना
- रेल मंत्रालय की अनुमानित वित्त पोषण आवश्यकता का आकलन
- अनुमानित ऋण संवितरण का प्रसंस्करण
- तरलता की स्थिति और फंडिंग रणनीतियों का विश्लेषण

हम दीर्घकालिक पुनर्भुगतान शेड्यूल के साथ फंडिंग स्रोतों का पता लगाने और उन्हें रोलिंग स्टॉक परिसंपतियों और परियोजना परिसंपतियों की पट्टा शर्तों के साथ मिलान करने पर भी ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, जिन्हें कि हम फंड करते हैं।

सलाहकार–परामर्श सेवाएं और सिंडिकेशन गतिविधियां उद्यम

हमारी कंपनी को भारतीय रेलवे के लिए धन उगाहने और वित्तपोषण गतिविधियों में महत्वपूर्ण उद्योग अनुभव है। हमारा मानना है कि इसका उपयोग वित्तीय संरचना सलाहकार और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

हम भारतीय रेलवे से संबंधित अन्य संस्थाओं की भी निम्नलिखित रूप से मदद कर सकते हैं:

- फंडिंग सहायता पेश करना
- पूंजी,अधिग्रहण वित्त और इक्विटी पूंजी तक दीर्घकालिक पहुंच के लिए रणनीतिक सलाह देना
- अनुकूलित वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए एक एनबीएफसी और बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में हमारे अनुभव का लाभ उठाना

रेल मंत्रालय के लिए वित्त पोषण के प्राथमिक स्रोत के रूप में, आईआरएफसी के पास सिंडिकेशन गतिविधियों में उद्यम प्रदान करने की क्षमता है। रेलवे, एक पूंजी गहन उद्योग होने के नाते, हम ऋण सिंडीकेशन में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं। एक सिंडिकेट ऋणदाता के रूप में, हमें अक्सर रेलवे परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र के हमारे गहन ज्ञान और विस्तृत वित्तीय अनुभव के साथ, हम भारतीय रेलवे और अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए एक सिंडिकेट व्यवस्थापक होने के लिए आश्वस्त हैं।

हमारे प्रकार्य

आईआरएफसी भारतीय रेलवे की समर्पित बाजार उधार शाखा है। हमारा प्राथमिक व्यवसाय चल स्टॉक संपत्तियों को वित्तीय पट्टे पर देना है, जिसमें इंजन, कोच, वैगन, ट्रक, फ्लैट, विद्युत बहुकार्य इकाई, कंटेनर, क्रेन, सभी प्रकार की ट्रॉलियाँ और रोलिंग स्टॉक घटकों की अन्य वस्तुओं के लिए विद्युत एवं गैरविद्युत दोनों तरह के वाहन, भारत सरकार की रेलवे अवसंरचना परिसंपत्तियों और राष्ट्रीय परियोजनाओं को पट्टे पर देना और रेल मंत्रालय, भारत सरकार (रेल मंत्रालय) के अधीन अन्य संस्थाओं को उधार देना आदि शामिल है।

तदनुसार हमारे प्रकार्यों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं :-

पट्टा प्रचालन

ऋण प्रचालन

उधार प्रचालन

पट्टा प्रचालन

आईआरएफसी भारतीय रेलवे की चल स्टॉक परिसंपत्तियों और परियोजना परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए एक पट्टा मॉडल का पालन करती है।

चल स्टॉक परिसंपतियों का वित्तपोषण

पट्टे की अवधि आम तौर पर 30 वर्षों के लिए होती है, जिसमें 15 वर्ष की प्राथमिक अवधि और उसके बाद 15 वर्ष की द्वितीयक अवधि शामिल होती है। पट्टे के हिस्से के रूप में, मूल घटक और ब्याज की वसूली प्राथमिक पट्टा अवधि के दौरान की जाती है और पट्टे के अंत में, परिसम्पतियों को मामूली कीमत पर रेल मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

कंपनी रेल मंत्रालय के साथ लागत प्लस पट्टा व्यवस्था अपनाती है जो आईआरएफसी के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन सुनिश्चित करती है। रेल मंत्रालय छमाही आधार पर कंपनी को पट्टा किराया भुगतान करता है और पट्टा मूल्य निर्धारण में मूलधन अदायगी और ब्याज भुगतान दोनों शामिल हैं।

मानक पट्टा समझौता: आईआरएफसी प्रति वर्ष रेल मंत्रालय के साथ एक मानक पट्टा समझौता करता है। पट्टा किराया में आईआरएफसी द्वारा रेल मंत्रालय को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में पट्टे पर ली गई चल स्टॉक परिसंपतियों का मूल्य, वृद्धिशील उधार की भारित औसत लागत के साथ-साथ एक निश्चित मार्जिन, सभी मानक पट्टा समझौता की शर्तों के अनुसार शामिल होता हैं।

अग्रिम पट्टा किराया: आईआरएफसी द्वारा ऋण चुकाने में आने वाली कठिनाइयों के मामले में, रेल मंत्रालय द्वारा पट्टा किराया के अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था है। आईआरएफसी ने आज तक रेल मंत्रालय से ऐसी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है ।

मार्जिन: वित्त वर्ष 2021 में, आईआरएफसी वृद्धिशील उधारी की भारित औसत लागत पर 40 बीपीएस के मार्जिन के लिए हकदार था।

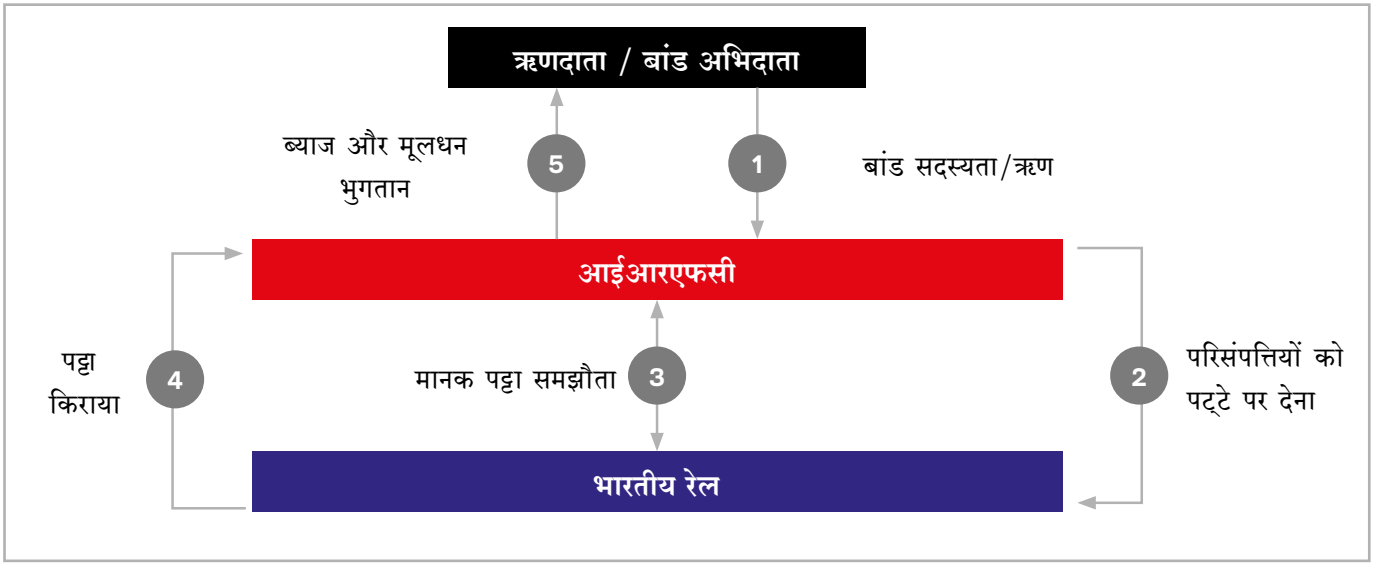

कम-जोखिम, लागत-प्लस व्यवसाय मॉडल

7.11% वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय को लागत	0.40% पट्टा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वृद्धिशील आरएसए (चल स्टॉक परिसंपत्तियाँ) पर मार्जिन

परियोजना परिसंपत्तियों का वित्तपोषण

मानक पट्टा समझौता: आईआरएफसी ने रेल मंत्रालय के साथ परियोजना परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन और विकास एजेंसी समझौता किया है। हालांकि, आईआरएफसी को रेल मंत्रालय के साथ पट्टा करार निष्पादित करना अभी बाकी है।

मार्जिन: वित्त वर्ष 2021 में, आईआरएफसी वृद्धिशील उधारी की भारित औसत लागत पर 35 बीपीएस के मार्जिन के लिए हकदार था।

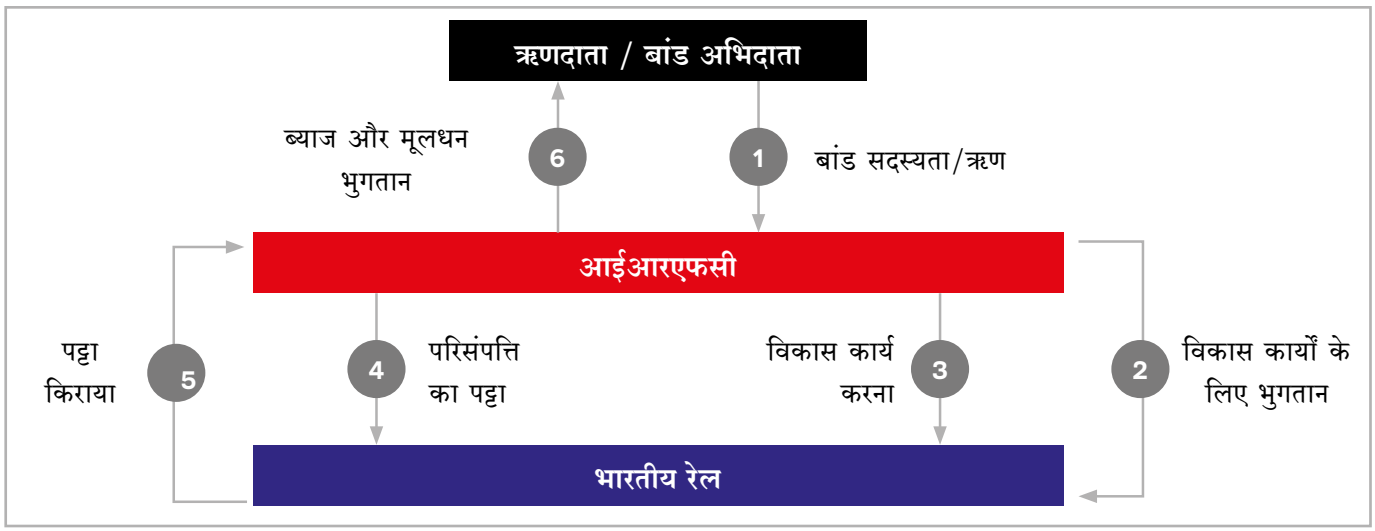

ऋण प्रचालन

आईआरएफसी की ऋण संबंधी गतिविधियों में भी उपस्थिति है और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, भारतीय रेलटेल कॉर्पोरेशन और पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी रेलवे क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को धन उपलब्ध कराया है।

प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ (एयूएम) वृद्धि

आईआरएफसी ने वित्त वर्ष 2019-21 के दौरान एयूएम में 32.6% तक का मजबूत सीएजीआर देखा है, जिससे भारतीय रेलवे द्वारा 3.8 ट्रिलियन रु का बढ़िया पूंजी परिव्यय प्राप्त किया गया है। ऐतिहासिक रूप से, रेलवे के बुनियादी ढांचे के पूंजी परिव्यय का 30-40% आईआरएफसी मार्ग के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।

36,00,790 मिलियन रु
कुल एयूएम

32.6%
पिछले 3 वर्षों में एयूएम सीएजीआर

उधार प्रचालन

आईआरएफसी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है और बाजार से न्यूनतम संभव दरों का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। कंपनी कर योग्य और कर-मुक्त बांड जारी करने, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण, वाणिज्यिक पत्र, बाहरी वाणिज्यिक उधार आदि जैसे स्रोतों से धन उधार लेती है।

32,31,106.79 मिलियन रु
कुल बकाया उधार

वित्त वर्ष 2020-21 की उधार में शामिल हैं:

- 21,537.70 करोड़ रु के कर योग्य बांड
- 29,586.95 करोड़ रु का बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)
- 52,401.75 करोड़ रु का रुपया अवधि ऋण
- 842.60 करोड़ रु के 54 ईसी बांड

अंतर्राष्ट्रीय उधार

बाहरी वाणिज्यिक उधार

हम अपनी उत्कृष्ट क्रेडिट रेटिंग, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन के बराबर मान्यता प्राप्त है, के कारण उधार लेने की एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी लागत का आनंद लेते हैं। हमने सिंडिकेटेड अपतटीय ऋणों के माध्यम से धन जुटाया है और विदेशी मुद्रा असुरक्षित बांड (मुख्य रूप से यूएस डॉलर में) जारी किए हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है

5,37,916.30 करोड़ रु
बकाया विदेशी मुद्रा उधार

वित्तीय विशिष्टताएं

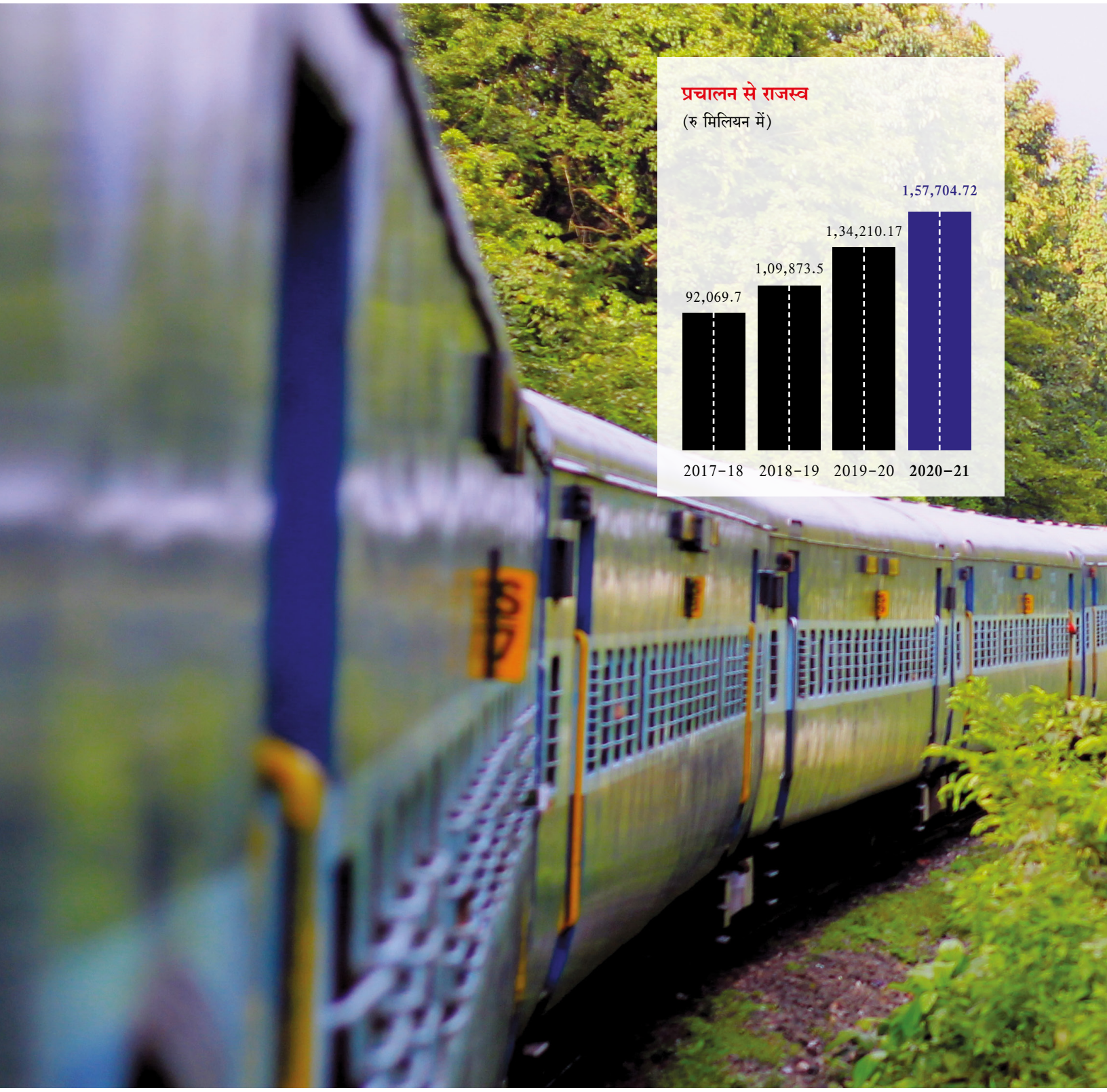
प्रचालन से राजस्व
(रु मिलियन में)
92,069.7
1,09,873.5
1,34,210.17
1,57,704.72
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21

पीबीटी

(रु मिलियन में)

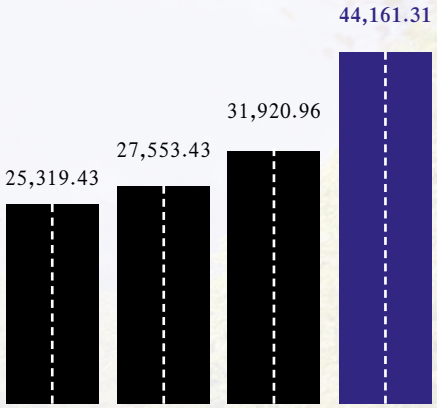

इस वर्ष का मुनाफा

(रु मिलियन में)

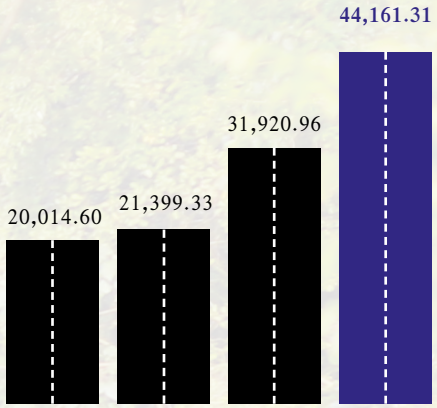

प्रति इक्विटी शेयर आय

(रु में)

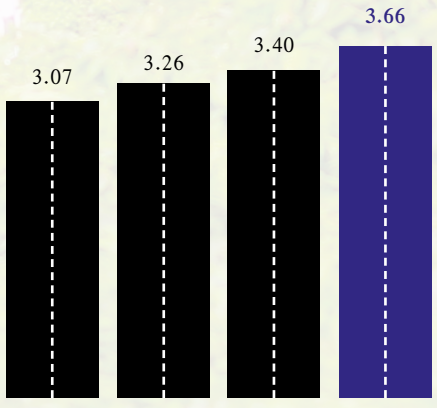

ईबीआईटीडीए

(रु मिलियन में)

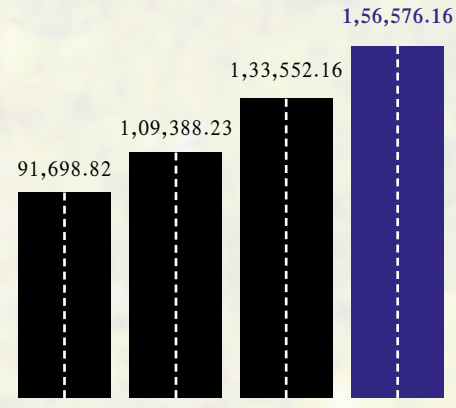

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल

आईआरएफसी अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति (सीएसआर और स्थिरता नीति) के एक हिस्से के रूप में सभी हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से अवगत एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बने रहने का प्रयास करता है। यह धरती मां को बचाने और मानव जाति की भावी पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन के लिए सरकार के सतत विकास कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है। यह उपांतित एवं सुविधाओं से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में समावेशी और समान विकास की दिशा में भी योगदान देता है।

61.23 करोड़ रु
वित्त वर्ष 21 में आवश्यक खर्च

61.28 करोड़ रु
कुल अनुमोदित परियोजनाएं

30 करोड़ रु का
पीएम केयर्स फंड में योगदान

10.51 करोड़ रु
105 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

1 करोड़ रु
सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में अंशदान
(एएफ़एफ़डीएफ़)

41.51 करोड़ रु
वित्त वर्ष 21 का संवितरण

19.77 करोड़ रु
भविष्य में कार्यान्वयन एजेंसियों से बिलों/दावों की प्राप्ति पर संवितरित

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) की 34वीं वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2021 को दोपहर 3.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कमरा नंबर 1316 - 1349, तीसरी मंजिल, होटल द अशोक, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021 में निम्नलिखित व्यवसाय संपादन करने के लिए आयोजित की जाएगी: -

साधारण व्यवसाय

मद संख्या 1

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने, अनुमोदन करने और अपनाने के साथ-साथ उससे संबधित निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निम्नलिखित संकल्प पारित करने के द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएएजी) की रिपोर्ट:

''संकल्प किया गया कि दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को, एतद्वारा प्राप्त, विचारित और अपनाया जाता है।''

मद संख्या 2

निम्नलिखित संकल्प पारित करने के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना :

''संकल्प किया गया कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए शेयरधारकों को भुगतान किए गए 1306,85,06,000 इक्विटी शेयरों पर 10.5 प्रतिशत यानी 1.05/- रु प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश को,निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2021 को हुई बैठक में पारित संकल्प के अनुसार एतद्वारा नोट किया जाता है और इसकी पुष्टि की जाती है।''

मद संख्या 3

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित कर श्री बलदेव पुरुषार्थ को नामित निदेशक के रूप में पुन: नियुक्ति :

''संकल्प किया गया कि श्री बलदेव पुरुषार्थ (डीआईएन: 07570116), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हुए हैं और पात्र होने के कारण, एतद्वारा कंपनी के नामित निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किए जाते हैं।''

विशेष व्यवसाय

मद संख्या 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अनुसार आईआरएफ़सी के निदेशक मंडल की उधार लेने की शक्तियों में वृद्धि।

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के,निम्नलिखित संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया गया कि 26 सितंबर, 2019 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी द्वारा पारित पूर्व के प्रस्ताव का अधिक्रमण करते हुए,और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुन: अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए) और कोई अन्य लागू कानून और कंपनी के संगठन के अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार, एतदद्वारा कंपनी की सहमति कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को समय-समय पर, अपने विवेक पर, सुरक्षा के साथ या बिना सुरक्षा के और ऐसी शर्तों पर ऐसी धनराशि या धनराशियों का जोड़ उधार लेने के लिए दी जाती है,जो कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बोर्ड ठीक समझे, इस बात के बावजूद कि कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशि के साथ उधार ली जाने वाली राशि (व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा), कंपनी की चुकता पूंजी और उसके मुक्त भंडार के योग से अधिक होगी बशर्ते कि उधार ली गई और बकाया कुल राशि किसी समय विशेष पर 8,00,000 करोड़ रु (केवल आठ लाख करोड़ रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।''

''आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी भी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है।''

मद संख्या 5

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) के तहत प्रभार सृजित करने की सीमा में वृद्धि।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया गया कि 26 सितंबर, 2019 को संपन्न 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी द्वारा पारित पूर्व के प्रस्ताव का अधिक्रमण करते हुए और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुन: अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू) के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार और कोई अन्य लागू कानून और संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान, कंपनी की सहमति कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') को दी जाती है और कंपनी की किसी भी चल और / या अचल संपत्तियों पर वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रभार उत्पन्न करने, दृष्टि बंधक करने, गिरवी रखने के लिए दी जाती है, चाहे वे जहां कहीं भी स्थित हो, वर्तमान और भविष्य दोनों और कंपनी के संपूर्ण या पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम या उपक्रमों पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थानों, किराया खरीद/पट्टा कंपनियों, निगमित निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में, कंपनी के लाभ के लिए और बोर्ड और ऋणदाताओं के बीच समय-समय पर धन उधार लेने के लिए सुरक्षा के लिए सहमति के अनुसार, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड उचित समझे, कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए या अन्यथा हेतु 8,00,000 करोड़ रु (केवल आठ लाख करोड़ रुपये) से अधिक न हो, और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य सांविधिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के साथ हैं।''

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी अधिनियमों, विलेखों और वस्तुओं को करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो।''

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षरित/-
(विजय शिरोडे)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 1 सितंबर, 2021

टिप्पणियाँ :-

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण जिसमें संलग्न नोटिस की मद संख्या 4 से 5 के तहत व्यवसाय से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित किया गया है, इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया कि नोटिस की क्रमांक संख्या 4 से 5 पर विशेष व्यवसाय की मदें, कंपनी की 34वीं एजीएम में व्यवहारित की जाएगी।

2. जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र सं. 14/2020 और 17/2020 क्रमश दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा सामान्य और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण और कोविड -19 के कारण उत्पन्न खतरे के संबंध में इसके तहत बनाए गए नियमों, दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण और दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र संख्या 02/2021 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) और दिनांक 12 मई, 2020 के प्रतिभूतियां और भारतीय विनिमय बोर्ड (सेबी) के अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अतिरिक्त छूट - कोविड-19 महामारी और दिनांक 15 जनवरी, 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 कोविड-19 महामारी के कारण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से छूट के संबंध में (सामूहिक रूप से सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित), एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एक सामूहिक स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है, अतः कंपनी की 34 वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एक सामूहिक स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है। 34वीं एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार 34वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है।

   तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम का रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है। हालांकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में भागीदारी और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय जैसे सदस्यों के प्रतिनिधियों को एजीएम में मतदान से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के उद्देश्य से नियुक्त किया जा सकता है।

4. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

5. ऊपर उल्लिखित एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुक्रम में, वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.irfc.nic.in और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

   कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए थे।

   वे शेयरधारक जो अभी भी अपनी ई-मेल आईडी अपडेट नहीं कर पाए हैं, वे कंपनी के साथ ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

   - यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया irfc@beetalfinancial.com या Investors@irfc.nic.in पर डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16-अंकीय डीपी आईडी + क्लाइंट आईडी या 16-अंकीय लाभार्थी आईडी), धारक (धारकों) का नाम, क्लाइंट मास्टर सूची / डीमैट खाता विवरण की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड का हवाला देते हुए एक ई-मेल भेजें।

   - यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन कार्ड और आधार कार्ड का हवाला देते हुए irfc@beetalfinancial.com या Investors@irfc.nic.in पर एक ई-मेल भेजें।

6. संस्थागत/कॉर्पोरेट निवेशकों सहित कंपनी के सभी सदस्यों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में व्यवहारित की जाने वाली मदों पर वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात, व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उनकी ओर से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाले बोर्ड या शासी निकाय का संकल्प/प्राधिकार पत्र की

प्रमाणित प्रति भेजें। उक्त संकल्प/प्राधिकार ईमेल के माध्यम से संवीक्षक को contact@navneetaroracs.com पर भेजें जाएँ, जिसकी एक प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें।

7. कंपनी ने 34वीं एजीएम में व्यवहारित की जाने वाली व्यवसाय की मदों के संबंध में वोट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए 22 सितंबर, 2021 को अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

   भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि के दिन शेयर रखता है, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता का निपटान इस तरह करता है कि वह अंतिम तारीख को सदस्य नहीं रहता है, तो उसे इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में ही मानना चाहिए।

   सदस्यों के वोटिंग अधिकार अंतिम तारीख को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

8. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर स्थानांतरण पुस्तिकाएँ 25 सितंबर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

9. श्री नवनीत अरोड़ा, नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी, कंपनी सचिव, नई दिल्ली के प्रबंध भागीदार को लेन-देन की जाने वाली व्यवसाय की मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा 34वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

10. कंपनी के रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट अपने शेयर रजिस्ट्री कार्य (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक) के लिए मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (इसके बाद आर एंड टीए के रूप में संदर्भित किया जाएगा) हैं। सभी दस्तावेज, स्थानांतरण, अभौतिकीकरण अनुरोध और उनसे संबंधित अन्य संचार सीधे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर स्थानांतरण एजेंटों को नीचे दिए गए पते पर संबोधित किए जाने चाहिए:

    मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड
    (इकाई: भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड)
    बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर ,
    स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे,
    दादा हरसुखदास मंदिर के पास ,
    नई दिल्ली- 110062
    फोन- 91-11-2996 1281-83
    फैक्स- 91-11-2996 1284
    ईमेल: irfcbeetalfinancial.com
    वेबसाइट: www.beetalfinancial.com

11. ऊपर उल्लिखित एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन और प्रशासन), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वे शेयरधारक जो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

    सीडीएसएल 34वीं एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और 34वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि 26 सितंबर, 2021 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और 28 सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

    सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 34वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे 29 सितंबर, 2021 से सदस्यों के लिए खुला रखा जाएगा, यानी निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और कंपनी वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो को एजीएम की तिथि पर निर्धारित समाप्ति समय से 15 मिनट बाद बंद कर सकती है।

    कृपया दूरस्थ ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 34वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश देखें, जैसा कि टिप्पणियों के बिंदु संख्या 26 में उल्लेख किया गया है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी के संगठन के अनुच्छेद 114 और समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी ने दिनांक 13 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु 1.05/प्रति शेयर (अर्थात रु 10/-प्रत्येक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 10.5%) के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किसी अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

    वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में प्रदत्त लाभांश आय कर योग्य होगी और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) की निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी/15एच जमा करें और अपने डिपॉजिटरी के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी के बारे में विवरण अपडेट करें या प्रतिभागियों या भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, कंपनी / आर एंड टीए के साथ अपडेट करें, ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश भुगतान के संबंध में लागू दरों और आवासीय स्थिति के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, काटा जा सके। शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20% की उच्च दर से काटा जाएगा।

अनिवासी शेयरधारक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित भारत और उनके कर निवास के देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन है अर्थात शून्य स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवासी प्रमाण-पत्र, फॉर्म 10एफ़, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकते है।

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी भागीदार को पैन जमा करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खाते का अनुरक्षण कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने पैन विवरण आरटीए को जमा कर सकते हैं।

14. सेबी के निर्देशानुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि:

    i) डीपी को सूचित करें, उनके पंजीकृत पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, और/या उनके बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन, यदि शेयर अभौतिक रूप में रखे गए हैं।

    ii) कंपनी के आरटीए को सूचित करें, यदि उनके पंजीकृत पते में, उनके बैंक खाते के विवरण में कोई परिवर्तन हो, यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं (शेयर प्रमाण पत्र)।

    iii) यदि वे एक ही क्रम में कई फोलियो के तहत शेयर रखते हैं तो उनकी होल्डिंग को एक फोलियो में समेकित करें।

15. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के तहत आवश्यक पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक का संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

16. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाएगा और अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा बैठक में या इस तरह से तय किया जाना चाहिए जैसा कि कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 30 सितंबर, 2020 को हुई इसकी 33वीं बैठक में निदेशक मंडल को सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया था। तदनुसार, निदेशक मंडल प्रति वर्ष सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करता है।

17. सेबी सभी शेयरधारकों को अपने शेयरों को अभौतिक रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि इससे भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों की क्षति/हानि की संभावना समाप्त हो जाती है और जालसाजी के मामले समाप्त हो जाते हैं और शेयरों के कागज रहित व्यापार की सुविधा प्रदत्त होती है।

    इसके अलावा, अभौतिक/डीमेट रूप में धारित शेयरों के हस्तांतरण पर कोई स्टांप शुल्क देय नहीं है। यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि 1 अप्रैल, 2019 से, सेबी ने निर्धारित किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (संचरण या स्थानान्तरण मामलों को छोड़कर) को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के साथ डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। तदनुसार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ खोले जाने वाले मौजूदा डीमैट खाते या नए डीमैट खाते में अपनी शेयरधारिता को भौतिक रूप से डीमैट फॉर्म में जल्द से जल्द परिवर्तित करें।

18. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संचरण, स्थानान्तरण, सब-डिवीजन, शेयरों के समेकन या किसी अन्य संबंधित मामले और/या पते या बैंक खाते में परिवर्तन से संबंधित सभी पत्राचार कंपनी के आर एंड टीए को और इलेक्ट्रॉनिक मोड में धारित शेयरों के, उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को भेजें।

19. संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वह एजीएम के दौरान वोट देने का हकदार होगा।

20. चूंकि सेबी ने निवेशकों को नकद भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग अनिवार्य बना दिया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली (एनईसीएस)/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफ़टी)/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश या उसमें परिवर्तन जमा करें, ताकि कंपनी को एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में सक्षम बना सकें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/ डायरेक्ट क्रेडिट को आर एंड टीए के पते अर्थात मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली- 110062 और उनकी ईमेल आईडी irfc@beetalfinancial.com पर भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट फॉर्म सीधे अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही एनईसीएस/ एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट फॉर्म कंपनी/आर एंड टीए/डीपी को पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

21. वे सदस्य जिन्होने अपनी वैधता अवधि के भीतर अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किए हैं / नहीं भुनाए हैं, वे कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में या कंपनी के आर एंड टीए को वारंटों के पुनर्वैधीकरण या ऐसे वारंटों के एवज में भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट या बैंक को सीधे क्रेडिट करने के रूप में आरटीए एजेंट को उनकी ईमेल आईडी irfc@beetalfinancial.com पर दस्तावेज प्रस्तुत करके लिख सकते हैं।

22. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि, कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से लगातार 7 वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का नकदीकरण न करने पर, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे गैर दावा किए गए लाभांश के संबंध में शेयर भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए घोषित अंतरिम लाभांश 14 अप्रैल, 2028 को आईईपीएफ में स्थानांतरण के लिए देय होगा। जिन सदस्यों ने अब तक अवैतनिक अंतरिम लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (आर एंड टी एजेंट) के पास अपना दावा पेश करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास बकाया और दावा न की गई राशि का अपेक्षित विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.irfc.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों और दावा न किए गए लाभांश के आईईपीएफ को हस्तांतरण की स्थिति में, सदस्य वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में एक ऑनलाइन आवेदन जमा करके आईईपीएफ अधिकारियों से दावा करने के हकदार हो सकते हैं और फॉर्म आईईपीएफ- 5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित इस की एक भौतिक प्रति कंपनी को भेज सकते हैं।

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के तहत कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आर एंड टीए को irfc@beetalfinancial.com पर फॉर्म एसएच-13 में लिखें जैसा कि कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निर्धारित किया गया है। अभौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, नामांकन फॉर्म सीधे संबंधित डीपी के पास दर्ज किया जाना चाहिए।

24. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंधों और व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशकों की रुचि है, और अन्य सभी नोटिस में संदर्भित दस्तावेज, सदस्यों द्वारा इस नोटिस के प्रसार की तारीख से, एजीएम की तारीख यानी 29 सितंबर, 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को Investors@irfc.nic.in पर एक ई-मेल भेजें।

25. इस बैठक के व्यवसाय के किसी भी मद (मदों) के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए एक ई-मेल Investors@irfc.nic.in पर एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजें और कंपनी द्वारा इसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

26. दूरस्थ/रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 34वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

(क) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने हेतु शेयरधारकों के लिए निदेश निम्नानुसार हैं:

i) मतदान की अवधि 26 सितंबर, 2021 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और 28 सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, कंपनी के, भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में, कट-ऑफ तिथि के दिन शेयर धारण करने वाले शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ii) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो/भाग ले सकते हैं लेकिन ऐसे प्रस्ताव पर अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी भागीदारों की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) वे उपयोगकर्ता जिन्होने सीडीएसएल के आसान / सबसे आसान सुविधा विकल्प को चुना है, अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए आसान / सबसे आसान सुविधा में लॉगिन करने के लिए https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com यूआरएल हैं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मॉय ईजी का चयन करें। 2) सफल लॉगिन के बाद आसान / सबसे आसान उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू देख सकेंगे। ई-वोटिंग मेनू पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता जारीकर्ता/कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार संबंधित ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात सीडीए-सएल/एनएसडीएल/ कार्वी/लिंक इनटाइम के लिंक के साथ अपनी होल्डिंग देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, हम ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं को लिंक प्रदान कर रहे हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की साइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ने आसान / सबसे आसान के लिए पंजीकृत नहीं किया है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएगा जहां एजीएम के दौरान या उससे पहले ई-वोटिंग हो रही है।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल: https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन के तहत लाभार्थी मालिक आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत ई-वोटिंग हेतु पहुँच पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें/चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जाता है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा ।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन प्रत्यय पत्र/क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल गए और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के सहायता केंद्र/हेल्पडेस्क

लॉगिन का प्रकार	सहायता केंद्र विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	ऐसे सदस्य जो लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर सीडीएसएल सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

v) व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।

2) शेयरहोल्डर्स मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपना उपयोकर्ता आईडी दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी,

ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

4) आगे प्रदर्शित छवि सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग इन किया था और किसी कंपनी के पहले के ई-वोटिंग पर वोट किया था, तो आपको अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

6) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता बने हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

	व्यक्तिगत और भौतिक रूप के अलावा डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10-अंकीय अल्फ़ा-न्यूमेरिक *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) ● जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए क्रमांक का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष फार्मेट में) दर्ज करें। ● यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें जैसा कि निर्देश (v) में उल्लिखित है।

vi) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, 'सब्मिट' टैब पर क्लिक करें।

vii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मेनू पर पहुंच जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों के लिए मतदान के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट देने के पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुनती है। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

viii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

ix) संबंधित कंपनी का नाम के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं।

x) वोटिंग पेज पर, आपको ''रिज़ोल्यूशन डिस्क्रिप्शन'' दिखाई देगा और उसी के सामने वोटिंग के लिए 'हां/नहीं' विकल्प दिखाई देगा। विकल्प के रूप में हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

xi) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो ''रिज़ोल्यूशन फ़ाइल लिंक'' पर क्लिक करें।

xii) संकल्प का चयन करने के बाद, आपने मतदान करने का निर्णय लिया है, ''सब्मिट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो ''ओके'' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, ''कैंसल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

xiii) एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को ''कंफर्म''कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xiv) आप वोटिंग पेज पर प्रिंट के लिए ''यहाँ क्लिक करें'' विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

xv) यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और ''फार्गेट पासवर्ड'' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा संकेत के अनुसार विवरण दर्ज करें।

xvi) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए सुविधा - दूरस्थ मतदान

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindiacom पर लॉग इन करना होगा और कॉर्पोरेट्स मॉड्यूल में खुद को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की हुई कॉपी, जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर हों, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की एक स्कैन की हुई प्रति, जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, तो उसे जांचकर्ता द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि को मतदान के लिए अधिकृत, विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, संवीक्षक को contact@navneetaroracs.com पर और कंपनी को investors@irfc.nic.in ईमेल पते पर भेजने की आवश्यकता होती है, यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से वोट दिया है और इसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

(ख) बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक और ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक वहाँ उपलब्ध होगा जहां दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
3. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. आगे शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/

वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वकथित गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध (कंपनी ईमेल आईडी) भेजकर एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूछताछ के लिए प्रश्न हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से investors@irfc.nic.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

8. जिन शेयरधारकों ने खुद को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होते हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डालते है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

10. यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई वोट डाला जाता है और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी।

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evotingcdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022- 23058738 और 022-23058542/43 फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

27. इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं:

    1. भौतिक शेयरधारकों के लिए- कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण आरटीए ईमेल आईडी irfc@beetalfinancial.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।

    2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया डीमैट खाते के विवरण (सीडीएसएल -16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की कॉपी, पैन कार्ड (स्वयं सत्यापित स्कैन किए गए पैन की प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन कॉपी) को आरटीए ईमेल आईडी irfc@beetalfinancial.com पर प्रदान करें।

28. संवीक्षक, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के समापन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में डाले गए वोटों का आकलन करेगा, उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को खोलेगा और एजीएम के समापन के 48 घंटे के बाद एक समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति प्रस्तुत करेगा, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

29. मतदान के परिणाम, जिसमें प्रत्येक संकल्प (संकल्पों) के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या, अमान्य मतों और संकल्प (संकल्पों) को क्रियान्वित किया गया है या नहीं, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.irfc .nic.in) और सीडीएसएल वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी जमा किया जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प (संकल्पों) आवश्यक बहुमत से पारित होते हैं, तो इन्हें 34वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

नोटिस का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की सहमति से, एक विशेष संकल्प पारित करके, पैसे उधार लेते है, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ, कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार से अधिक है।

इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने 26 सितंबर, 2019 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी के निदेशक मंडल को 4,00,000 करोड़ रु (चार लाख करोड़ रुपये) की कुल राशि तक धन उधार लेने की शक्ति प्रदान की थी। ।

31 मार्च 2021 को कंपनी की उधारी की शुद्ध राशि, 3,23,110.68 करोड़ रु थी और वर्ष 2022-23 की पहली छमाही तक निवेशकों को बांड जारी करने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण, विदेशी मुद्रा उधार आदि के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रु की राशि उधार लेने की संभावना है।

वर्ष 2022-23 की पहली छमाही तक अनुमानित उधार के साथ वर्तमान बकाया उधारी, सदस्यों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक होने की संभावना है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत उधार लेने की सीमा को 4,00,000 करोड़ रु से 8,00,000 करोड़ रु तक बढ़ाने और उधार लेने की आगे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी गई है। .

इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख तक, ज्ञापन एवं संगठन के अंतर्नियम और सभी संबंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 जून, 2021 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या रुचि नहीं है।

मद संख्या 5

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 180(1)(ए) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, एक कंपनी पूरे उपक्रम या उपक्रमों को, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना, पोस्टल बैलेट के द्वारा एक विशेष संकल्प के माध्यम से, बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा निपटान नहीं कर सकती है। हालांकि, दिनांक 9 फरवरी, 2018 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, पोस्टल बैलेट के माध्यम से लेन-देन करने के लिए आवश्यक व्यवसाय की कोई भी वस्तु, एक कंपनी द्वारा एक आम बैठक में लेन-देन की जा सकती है, जिसके लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा वोट देने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, आईआरएफसी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आम बैठक में प्रस्तावों पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) के अनुसार प्रभार के सृजन की सीमा में वृद्धि करने का विशेष संकल्प इस एजीएम में पारित करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के उधार लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है और कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी की अचल/चल संपत्तियों पर सुरक्षा के सृजन द्वारा अतिरिक्त धन जुटाने की आवश्यकता है।

इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की अचल और/या चल संपत्तियों पर, वर्तमान और भविष्य दोनों को, गिरवी रखने/चार्ज करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) की आवश्यकताओं एवं उसके तहत बनाए गए नियम और इस संबंध में किसी भी अन्य वैधानिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किए जाने के अनुसार किसी भी समय उधार ली गई और बकाया कुल राशि के लिए सुरक्षा 8,00,000 करोड़ रु (केवल आठ लाख करोड़ रुपये) की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख तक, ज्ञापन एवं संगठन के अंतर्नियम और सभी संबंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षरित
(विजय शिरोडे)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 1 सितंबर, 2021

नोटिस का अनुलग्नक

वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण सेबी सूचीकृत विनियमों के विनियम 36(3) और सामान्य बैठकों में सचिवीय मानकों के अनुसार

नाम	श्री बलदेव पुरुषार्थ
डीआईएन	07570116
जन्म तिथि/आयु	5 जनवरी, 1974
अपॉइंटमेंट की तिथि	3 जून, 2020
योग्यता	इतिहास में स्नातक और स्नात्तकोत्तर डिग्री
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वे वर्ष 2002 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने सचिव, लोकपाल और मंडल आयुक्त, जालंधर, पंजाब के रूप में कार्य किया। उन्होंने पंजाब सरकार और भारत सरकार में विभिन्न क्षेत्रों और सचिवालय पदों पर भी कार्य किया। विभिन्न पदों के रूप में, उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव का पद संभाला; निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब; निदेशक, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, पंजाब, आयुक्त, एनआरआई, पंजाब और विशेष सचिव, व्यय, पंजाब आदि के पद संभाले।
अन्य कंपनियों में संभाले गए निदेशक पद	i) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ii) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड iii) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड iv) राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष ट्रस्टी लिमिटेड v) एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
आईआरएफसी के अलावा सभी सार्वजनिक कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	सदस्य: लेखापरीक्षा समिति- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
निदेशकों के बीच संबंध आपस में	कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य

वर्ष के दौरान उपरोक्त निदेशकों द्वारा बोर्ड/समितियों की बैठकों की संख्या और प्राप्त पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के बारे में विवरण के लिए, कृपया बोर्ड की रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें।

अधिनियम की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार, श्री बलदेव पुरुषार्थ (डीआईएन: : 07570116), बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं। निदेशक मंडल ने उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और खातों की समीक्षा के साथ कंपनी की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के मुख्य अंश नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

रु मिलियन में

	विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालन से राजस्व	1,57,704.72	1,34,210.17
II	अन्य आय	3.90	0.73
III.	कुल राजस्व (I+II)	1,57,708.62	1,34,210.90
IV.	खर्च		
	वित्तीय लागत	1,12,370.53	1,01,626.62
	वित्तीय प्रतिभूतियों पर हानि	27.15	21.41
	कर्मचारी लाभ व्यय	78.47	62.65
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	44.32	4.58
	अन्य खर्चे	1026.84	574.68
	कुल खच	1,13,547.31	1,02,289.94
V.	कर पूर्व लाभ (III-IV)	44,161.31	31,920.96
VI.	कर व्यय:		
	(1) वर्तमान कर	-	-
	(2) पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर	-	-
	(3) आस्थगित कर	-	-
	कुल कर	-	-
VII.	सतत प्रचालनों से चालू वर्ष के लिए लाभ (हानि) (V-VI)	44,161.31	31,920.96
VIII.	अन्य व्यापक आय	14.76	(5.52)

आपकी कंपनी के प्रचालन से राजस्व में 23,494.55 मिलियन रु की वृद्धि हुई है, यह वर्ष 2019-20 के 1,34,210.17 मिलियन रु से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1,57,704.72 मिलियन रु हुई हैं, जो 17.51% की वृद्धि को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपके कंपनी के कर से पहले लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के 31,920.96 मिलियन रु की तुलना में 44,161.31 मिलियन रु था, इसमें 38.34% की वृद्धि दर्ज की है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर के बाद लाभ (पीएटी) 44,161.31 मिलियन रु था जो कि कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के समान है, क्योंकि कंपनी ने दिनांक 20 सितंबर 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत कम कर दर के विकल्प का उपयोग करने के अपने निर्णय के अनुसार अपनी पुस्तकों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। कंपनी की कर योग्य आय शून्य थी और इसे अपने बही लाभ के संदर्भ में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। धारा 115 जेबी के तहत देय एमएटी धारा 115 बीएए के दायरे से बाहर था। इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए को अपनाने पर, कंपनी एमएटी प्रावधानों के दायरे और प्रयोज्यता से बाहर थी और वित्तीय वर्ष 2020-21 में शून्य कर देयता थी। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष के 31,920.96 मिलियन रु की तुलना में 44,161.31 मिलियन रु था, जो 38.34% अधिक प्रभावोत्पादक था। इससे कंपनी को अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में मदद मिली है।

2. लाभांश

आपकी कंपनी भविष्य के उधार और विकास को समर्थन देने और इसे बनाए रखने की दृष्टि से एक स्वस्थ वित्तीय उत्तोलन बनाए रखने के लिए शेयरधारकों को वापसी और लाभ के एक उचित हिस्से को बनाए रखने के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाना चाहती है।

यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान किए गया 13,721.93 मिलियन रु का अंतरिम लाभांश, जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएटी का 31.07% है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पूर्ण और अंतिम लाभांश होगा। वर्ष 2020-21 के लिए अवैतनिक अंतरिम लाभांश का विवरण https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2021/07/Interim-Dividend-2020-21.pdf पर उपलब्ध है।

सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 (सूचीकृत विनियम) के विनियमन 43 ए के अनुसार, शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियाँ एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेगी। तदनुसार, मानकों और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए नीति को अपनाया गया था जिसे बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और/या कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को बनाए रखने के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा। नीति कंपनी की वेबसाइट: https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2020/06/Dividend-Distribution-Policy पर भी उपलब्ध है

3. आरक्षित निधि

आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 45-आईसी के अनुसार, सभी एनबीएफसी को लाभांश के भुगतान से पहले शुद्ध लाभ के 20% के समतुल्य आरक्षित विधि सृजित करनी आवश्यक है। आरबीआई ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के प्रावधानों के अनुपालन से सरकारी एनबीएफसी को छूट प्रदान की है। हालांकि, आरबीआई द्वारा 31 मई, 2018 से छूट वापस ले ली गई है। तदनुसार, कंपनी के शुद्ध लाभ की 20% राशि 8,832.22 मिलियन रु को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आईसी के तहत आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

लाभ की शेष राशि में से, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम लाभांश के लिए 5,000 मिलियन रु की राशि को पूरा करने के बाद 14,980.12 मिलियन रु की राशि को प्रतिधारित आय में और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 13,721.93 मिलियन रु अंतरिम और अंतिम लाभांश के रूप में रखा गया है।

4. शेयर पूंजी

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी के शेयरों में विनिवेश की घोषणा की। तदनुसार, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय ने डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) के रूप में नियुक्त किया और खेतान एंड कंपनी और स्क्वॉयर पैटन बोग्स, सिंगापुर एलएलपी को कानूनी सलाहकार के रूप में प्रमोटरों (अर्थात, भारत सरकार) द्वारा अपनी वर्तमान होल्डिंग्स के 5% की बिक्री जनता को पेशकश के लिए और 10% की अतिरिक्त पेशकश के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से पेश किया गया। आईपीओ को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और क्यूआईबी द्वारा इसे 3.8 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों द्वारा 2.7 गुना और खुदरा निवेशकों द्वारा 3.7 गुना अत्याभिदान किया गया, जिससे कुल अभिदान 3.5 गुना हो गया। यह पहली बार है, जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने एंकर निवेशकों को किसी वितरण में आवंटन प्रदान किया है। प्रस्ताव का आकार 4,663.38 करोड़ रु था जिसमें 3,088.92 करोड़ रु मूल्य के 1,18,80,46,000 शेयरों का प्राथमिक निर्गमन और 1,544.46 करोड़ रु मूल्य के 59,40,23,000 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल था। इक्विटी शेयर 29 जनवरी, 2021 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध हुए। इक्विटी शेयरों की सूचीबद्ध होने से कंपनी की दृश्यता और ब्रांड छवि बढ़ेगी और शेयरधारकों को तरलता प्रदान होगी। सूचीबद्ध होने से भारत में इक्विटी शेयरों के लिए एक सार्वजनिक बाजार भी उपलब्ध होगा। आईपीओ के बाद, भारत के राष्ट्रपति के पास 11,28,64,37,000 इक्विटी शेयर यानी कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 86.36% है। कंपनी के वर्तमान बाजार पूंजीकरण के आधार पर, यह 31 मार्च 2021 को शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों की सूची में है।

5. स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का आकलन

5.1.साख दर

घरेलू: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू उधार कार्यक्रम को क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा क्रमशः क्रिसिल एएए/स्टेबल, आईसीआरए एएए (स्थिर) और केयर एएए ट्रिपल ए की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग से सम्मानित किया गया। कंपनी ने क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा क्रमश: क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, और केयर ए1+ ए वन प्लस की उच्चतम रेटिंग प्राप्त करते हुए अपने अल्पकालिक उधार कार्यक्रम का भी मूल्यांकन करवाया।

अंतर्राष्ट्रीय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी को तीन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, फिच और मूडीज ने क्रमशः बीबीबी- स्टेबल आउटलुक के साथ, बीबीबी- नेगेटिव आउटलुक के साथ और बीएए 3 विद नेगेटिव आउटलुक रेटिंग से सम्मानित किया है। इसके अलावा, कंपनी ने जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बीबीबी+ विद स्टेबल आउटलुक की जारीकर्ता विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की। चारों क्रेडिट रेटिंग में से प्रत्येक रेटिंग भारत की सॉवरेन रेटिंग के बराबर है और निवेश ग्रेड की है।

5.2.रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

कंपनी प्रति वर्ष रेल मंत्रालय (एमओआर) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करती है जिसमें कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मानकों पर किया जाता है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू रेटिंग घोषित किया जाना बाकी है। इसके प्रदर्शन के आधार पर, कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए 91.82 (उत्कृष्ट) के स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया है।

6. वर्ष 2020-21 के दौरान बाजार से ऋण

कंपनी को शुरू में 58,000 करोड़ रु का ऋण लक्ष्य सौंपा गया था जिसमें 29,300 करोड़ रु की सीमा तक रोलिंग स्टॉक का वित्त पोषण, ईबीआर-आईएफ के तहत रेलवे परियोजनाओं का वित्तपोषण 28,000 करोड़ रु और 700 करोड़ रु की आरवीएनएल की ऋण वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल था। वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान, लक्ष्य को संशोधित किया गया और क्रमशः 29,480.56 करोड़ रु सहित 1,04,369.00 करोड़ रु रोलिंग स्टॉक के लिए, 21,839.68 करोड़ रु ईबीआर-आईएफ़ के लिए, ईबीआर-एस के तहत परियोजना संपत्ति के लिए 51,619.07 करोड़ रु आरवीएनएल की ऋण वित्तपोषण आवश्यकता के लिए 1,429.69 करोड़ रु वितरित किए गए। यह कंपनी के इतिहास में किसी भी वित्त वर्ष के लिए अब तक का सर्वाधिक ऋण लक्ष्य था और पिछले वर्ष के 70,471.96 करोड़ रु के लक्ष्य की तुलना में 48.45% की वृद्धि थी। रेलवे क्षेत्र के लिए संचयी वित्त पोषण 4.44 लाख करोड़ रु का आंकड़ा पार कर गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय का कुल पूंजीगत परिव्यय (पूंजीगत व्यय) 1,55,161 करोड़ रु था, जिसमें से आईआरएफसी का सार्थक 1,04,369.00 करोड़ रु का संवितरण था, जो वर्ष 2020-21 के लिए कुल पूंजी परिव्यय का 67.43% है।.

वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों में 21,537.70 करोड़ रु के कर योग्य बांड (पिछले वर्ष के 4300 करोड़ रु के एलआईसी बांड सहित 30,046.83 करोड़ रु), बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) 29,586.95 करोड़ रु (पिछले वर्ष 13,783.85 करोड़ रु), जो ड्रा डाउन डेट पर प्रचलित विनिमय दर पर हैं, 52,401.75 करोड़ रु के रूपी सावधि ऋण (पिछले वर्ष 25,789.00 करोड़ रु) और 842.60 करोड़ रु के 54ईसी बांड (पिछले वर्ष 852.28 करोड़ रु) शामिल हैं।

कंपनी यह असाधारण कार्य बाजारों की निरंतर निगरानी, अपने ऋणों के उचित समय और प्रतिभूतियों के समुचित चयन के माध्यम से उपलब्ध करने में समर्थ हुई।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर रेल मंत्रालय द्वारा अनिवार्य उधारी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियो में लगातार विविधता प्रदान की है। अपने उधार पोर्टफोलियो के और विविधीकरण की दिशा में अपने प्रयासों में, कंपनी ने अपने यूएसडी 2 बिलियन जीएमटीएन प्रोग्राम को यूएसडी 4 बिलियन जीएमटीएन प्रोग्राम तक बढ़ा दिया। 4 बिलियन अमरीकी डालर के जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत 144ए/रेग एस बांड को 750 मिलियन अमरीकी डालर के मूल आकार के साथ 2.80% की कूपन दर पर जारी किया गया था, जो उस समय प्रचलित द्वितीयक उपज वक्र से कम था।

कंपनी ने एसबीआई, हांगकांग से सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के यूएसडी ऋण के माध्यम से यूएसडी 3 बिलियन भी जुटाए। निकासी में असुरक्षित आधार पर 10 साल की अवधि के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर के दो ऋण और आंशिक रूप से सुरक्षित आधार पर 7 वर्षों के कार्यकाल के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर शामिल थे। दोनों ऋण 6-महीने के यूएसडी लिबोर से जुड़े थे और तब से प्रत्येक 1 बिलियन अमरीकी डालर के तीन चरणों में आहरित किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने एसएमबीसी से सिंडीकेटेड जेपीवाई ऋण के माध्यम से 325 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर जेपीवाई भी जुटाया। ऋण 6 महीने के जेपीवाई लिबोर से जुड़ा था और तब से इसे निकाला गया है। वास्तव में, वित्त वर्ष 2021 के लिए कुल ईसीबी उधारी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 4.075 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दर्ज की।

कंपनी को अक्टूबर 2017 में 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिली थी, तब से, कंपनी 54 ईसी बॉन्ड बाजार में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। वर्ष 2020-21 में, कंपनी ने 54ईसी बॉन्ड के माध्यम से लगभग 842.60 करोड़ रु जुटाए।

7. बांडों का मोचन/ऋणों का पुनर्भुगतान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10,263.91 करोड़ रु (3,000 करोड़ रु के लिए कॉल ऑप्शन सहित) और 22.51 करोड़ रु के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के बांडों का पुनर्भुगतान किया। कंपनी ने वर्ष के दौरान 3,625 करोड़ रु के बैंकों से दीर्घावधि ऋण और 6,425 करोड़ रु के अंकित मूल्य वाले वाणिज्यिक पत्र को भी भुनाया।

कंपनी अपने ऋण को समय पर चुकाने के अपने त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए हुए है और वर्ष के दौरान चूक की एक भी घटना नहीं हुई है।

8. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

9. भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड

आपकी कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एक सरकारी एनबीएफसी होने के नाते, आपकी कंपनी को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों से छूट प्रदान की गई थी, जैसा कि दिनांक

27 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.008/सीजीएम (सीडीएस)-2015, के तहत जारी मास्टर निदेशों में निहित है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मई, 2018 से छूट वापस ले ली गई थी। इस प्रकार, कंपनी ने लागू विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है।

कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक से रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सीधे एक्सपोजर पर परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय मान्यता, क्रेडिट केंद्रीकरण और मानदंडों का प्रावधान करने से छूट प्राप्त की है। कंपनी ने रेलवे सीपीएसई पर लागू लैंडिंग सीमा के संबंध में भी अपने स्वामित्व वाले फंड के 20% से अपने स्वामित्व वाले फंड के 100% तक की छूट प्राप्त की है।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) छूट:

आरबीआई ने अपने दिनांक 4.11.2019 के परिपत्र के माध्यम से एनबीएफसी के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई ने 5,000 करोड़ रु से अधिक की संपत्ति के आकार के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी पर लागू तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की। दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में तरलता बफर बनाए रखना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र तरलता तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशानिर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपतियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक को कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह (स्ट्रेस्ड आउटफ्लो कम स्ट्रेस्ड इनफ्लो) से विभाजित करके प्रदर्शित किया जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा तरल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या मूल्य का कोई नुकसान नहीं होता है या तनाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

कंपनी को तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानदंडों की प्रयोज्यता से आरबीआई से छूट मिली है।

10. रेल मंत्रालय के साथ पट्टा करार (2020-21)

जैसा कि आप जानते हैं, रेल मंत्रालय के साथ कंपनी का वित्तीय संबंध एक वित्तीय पट्टा करार पर आधारित है जो एक मानक पट्टा करार द्वारा विनियमित है। आईआरएफसी फंडिंग के माध्यम से 2020-21 के दौरान अर्जित वृद्धिशील रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों के संबंध में, पट्टा किराया 15 वर्ष की प्राथमिक पट्टा अवधि में 52.8672 रु प्रति हजार प्रति छमाही (पीटीपीएच) निर्धारित किया गया है। रेल मंत्रालय को लागत (आईआरआर) 7.11% प्रति वर्ष देय है, जो पिछले वर्ष के 7.77% की तुलना में 66 बीपीएस कम है। पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक उधार लक्ष्य में 47% की उल्लेखनीय वृद्धि और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण बाजार में व्याप्त अत्यधिक अनिश्चितता के संदर्भ में, मूल्य निर्धारण को मंत्रालय के लिए बहुत आकर्षक माना जाता है।

11. वर्ष 2021-22 के लिए संसाधन जुटाना

वर्ष 2021-22 के लिए, आईआरएफसी के लिए वार्षिक ऋण लक्ष्य 65,258 करोड़ रु निर्धारित किया गया है जिसमें रोलिंग स्टॉक संपत्ति का धन 30,300 करोड़ रु और 34,258 करोड़ रु की सीमा तक रेलवे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए शामिल है। आरवीएनएल की ऋण वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रु का लक्ष्य भी दिया गया है।

कंपनी को विश्वास है कि वह चुनौती का सामना कर लेगी तथा उसे आशा है कि वर्ष के दौरान बाँडों के विवेकपूर्ण मिश्रण, अति प्रतियोगी दरों तथा शर्तों पर ऋणों तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों आदि के माध्यम से धनराशि जुटा लेगी।

12. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और भविष्य के लिए कंपनी का दृष्टिकोण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है, **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

13. वैश्विक स्वास्थ्य महामारी कोविड-19 का प्रभाव

विश्व स्तर पर और भारत में कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी का प्रकोप अत्यधिक विक्षोभ और आर्थिक गतिविधियों में मंदी का कारण रहा है। कंपनी ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और न्यूनतम व्यवधान के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों को अपनाया है।

कंपनी ने अपने व्यापार प्रचालनों पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और इसकी समीक्षा और भावी आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। हालाँकि, कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन इसकी प्रकृति से जुड़ी अनिश्चितताओं तथा अवधि को देखते हुए एक सतत प्रक्रिया है और तदनुसार, प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी वस्तुपरक परिवर्तन की मानिटरिंग करती रहेगी।

14. कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

सरकार अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को स्थायी व्यवसाय के लिए एक अपरिहार्य शर्त मानती है जिसका उद्देश्य अपने शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करना है। तदनुसार, यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बीच सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के विकास पर जोर दे रही है। इस दर्शन के अनुसरण में, आपकी कंपनी मई, 2010 में भारत सरकार के, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों' का पालन करना जारी रखती है। उन दिशानिर्देशों में कुछ मदें,

जो आपकी कंपनी मुख्य रूप से अपनाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वे इस पर लागू नहीं होते हैं, इसके अनुपालन न करने के कारणों के साथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है। आपकी कंपनी की इक्विटी के साथ-साथ गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन किया है। 31 मार्च, 2021 को, निदेशक मंडल में, इसमें दो कार्यकारी निदेशक, दो गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामित) और एक स्वतंत्र निदेशक के साथ कुल पांच निदेशक शामिल हैं। कंपनी के पास सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) (ए), जो निदेशक मंडल की संरचना को निर्दिष्ट करता है, के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की निर्धारित संख्या नहीं है। साथ ही, स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की अनुपस्थिति के कारण, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना भी सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 18 और 19 के अनुरूप नहीं है। निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति रेल मंत्रालय (एमओआर) के माध्यम से भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए पहले से ही रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

15. व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) के तहत निर्धारित व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट, **अनुलग्नक-III** में दी गई है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

16. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियां कंपनी के प्रचालनों का एक अभिन्न अंग बन गई हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 के अनुसार, इससे जुड़ी अनुसूची VII और सीएसआर नियम के साथ पठित, कंपनी ने एक सीएसआर समिति (समिति) का गठन किया है जिसमें स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त के साथ समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। अधिनियम के तहत, कंपनी को अपने पिछले तीन आसन्न वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को 'सीएसआर और स्थिरता नीति' तैयार करने की आवश्यकता होती है।

कंपनी की 'सीएसआर और स्थिरता नीति' लागू है और इसे इसकी वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। कंपनी ने विगत की भांति सतत विकास और सीएसआर के लिए गतिविधियां शुरू की हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को 61.23 करोड़ रु खर्च करने की आवश्यकता थी, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% था, जिसके संबंध में, कंपनी ने 61.28 करोड़ रु के कुल परिव्यय के साथ कुल 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें, कंपनी ने 1 करोड़ रु के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) के लिए योगदान, 30 करोड़ रु के लिए पीएम केयर फंड में योगदान और 105 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए 10.51 करोड़ रु सहित 41.51 करोड़ रु की राशि का वितरण किया है। शेष राशि 19.77 करोड़ रु भविष्य में कार्यान्वयन एजेंसियों से बिलों/दावों की प्राप्ति पर वितरित की जाएगी। नवीनतम संशोधन के अनुसार दिनांक 22.01.2021 से प्रभावी, वित्तीय वर्ष 2020-21 की चल रही परियोजनाओं से संबंधित 19.77 करोड़ रु की सीएसआर अव्ययित राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अनुसूचित बैंक के पास रखे गए 'सीएसआर अव्ययित खाते' में स्थानांतरित कर दी गई है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से केंद्रित हस्तक्षेप के विषय के रूप में स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने भारत सरकार के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के समर्थन में दिल्ली (राज्य) के लिए कोल्ड-चेन भंडारण उपकरणों की एक परियोजना को भी मंजूरी दी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित सीएसआर गतिविधियां

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी को 70.06 करोड़ रु खर्च करना अपेक्षित है। सभी परियोजनाओं/गतिविधियों का विवरण अगली वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा।

कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर गतिविधियों का विवरण **अनुलग्नक - IV** में दिया गया है।

17. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के तहत आवश्यक है, यह पुष्टि की जाती है कि:

क) वार्षिक खातों को तैयार करने में, लागू भारतीय लेखा मानकों का पालन किया गया है और कोई वस्तुपरक विचलन नहीं हुए हैं;

ख) लेखा नीतियों को इंड-एएस को ध्यान में रखते हुए फिर से तैयार किया गया है, निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के लेखा जोखा की सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है; तथा

घ) वार्षिक लेखे विद्यमान व्यवसाय 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड) कंपनी को निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन करना है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

18. मानव संसाधन प्रबंधन

ब्योरा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

19. लेखा परीक्षक

वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स केबीडीएस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर पूरक लेखापरीक्षा की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक कथन नहीं है ।

अधिनियम की धारा 204 के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा मैसर्स नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी, कंपनी सचिवों, मौजूदा सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के तहत अन्य प्रकटीकरण

20.1. बोर्ड की बैठकों की संख्या

ब्योरा कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है जो **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है ।

20.2. स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र

श्रीमती अदिति सेनगुप्ता राय, श्री चेतन वेणुगोपाल और श्री अशोक कुमार सिंघल, स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा दी है कि वे अधिनियम की धारा 149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

20.3. तात्विक परिवर्तन, यदि कोई हों, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं

कोई तात्विक परिवर्तन नहीं है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

20.4. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

इस पर पैरा 8 में चर्चा की गई है।

20.5. लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में शामिल है, जो **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

20.6. सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मैसर्स नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी, कंपनी सचिवों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक V** में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

20.7. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र

मैसर्स नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी, कंपनी सचिवों ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र जारी किया है, जिसे **अनुलग्नक-VI** में रखा गया है ।

20.8 जोखिम प्रबंधन

ब्योरा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

20.9 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण का खुलासा वित्तीय विवरणों में किया गया है।

20.10 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार

संबंधित पक्षों के साथ कोई भी संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के दायरे में नहीं आता है।

20.11 नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कंपनी के विद्यमान व्यापार को प्रभावित करने वाले तात्विक एवं विशिष्ट आदेश

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कंपनी के विद्यमान व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई विशिष्ट और/ अथवा तात्विक आदेश नहीं हैं

20.12 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी बाहरी वाणिज्यिक उधार और व्युत्पादनों से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में है।

20.13 वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

जैसा कि अधिनियम की धारा 92(3) के तहत प्रावधान किया गया है, वार्षिक विवरणी का उद्धरण **अनुलग्नक–VII** में निर्धारित प्रपत्र एमजीटी–9 में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

20.14 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ) द्वारा व्यवसाय आचार संहिता–घोषणा

वर्ष 2020–2021 के लिए ''बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता'' के अनुपालन पर सीईओ द्वारा घोषणा **अनुलग्नक–VIII** में दी गई है।

20.15 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) द्वारा अपेक्षित है, उक्त विनियम की अनुसूची II के भाग बी में निर्दिष्ट अनुपालन प्रमाणपत्र, श्री अमिताभ बैनर्जी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीईओ) एवं सुश्री. शैली वर्मा, निदेशक वित्त (सीएफ़ओ) द्वारा यथा हस्ताक्षरित, को 29 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। इसे **अनुलग्नक–IX** के रूप में संलग्न किया गया है।

20.16 अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण और कर्मचारियों के अन्य विवरण

चूंकि आईआरएफ़सी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए धारा 197 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, विवरण नहीं दिया गया है।

20.17 जनता से निक्षेप

पहले की तरह, कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सावधि निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

20.18 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अंतर्लयन, विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अंतर्लयन के संबंध में, आपकी कंपनी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: –

बिजली बचाने के लिए कंपनी ने अब पुराने मॉनिटरों को बदलकर एलईडी/एलसीडी मॉनिटर खरीदे है। कर्मचारियों को जहां भी संभव हो, अपने गैजेट्स को पावर सेविंग मोड में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी अब अपने पुराने बिजली के सामान, गैजेट्स आदि को बिजली की बचत करने वाली इकाइयों से बदल रही है।

20.19 विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

वर्ष के दौरान कंपनी को कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं हुआ। लेखा पर टिप्पणियों में विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण दिया गया है।

20.20 अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

यह लागू नहीं है, क्योंकि आईआरएफ़सी केवल वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है।

20.21 लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत, कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ किए गए धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया है, इनके विवरण का उल्लेख बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाना है।

21. एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन

आपकी कंपनी के पास माल, सेवाओं और कार्यों की खरीद के लिए एक नियमावली है, जो खरीद से ठेके देने की प्रक्रिया में वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं के साथ–साथ जमीन पर इसके कार्यान्वयन के दौरान पालन किए जाने वाले विभिन्न चरणों को समेकित, सरल और सुव्यवस्थित करने के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।

एमएसएमई से खरीद वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में है जैसा कि नीचे दिया गया है:

रु मिलियन में

क्रमांक सं.	विवरण	2020–21
1	कुल वार्षिक खरीद	88.78
2	वार्षिक खरीद का लक्ष्य %	22.19
3	एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	39.28
4	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	----
5	कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का प्रतिशत %	44.24%
6	कुल खरीद में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत %	---

22. सतर्कता गतिविधियां

कम कर्मचारियों की संख्या और प्रचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की सतर्कता गतिविधियों की देखरेख रेल मंत्रालय द्वारा नामित एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जा रही है। सीवीओ निर्धारित सीवीसी दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक आधार पर गतिविधियों की आंतरिक जांच करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान सीवीसी को कदाचार के आरोप वाली एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा चुकी है और आरोप पत्र जारी किया जा चुका है.

23. राजभाषा

कंपनी अपने कार्यालयीन कामकाज के संचालन में हिंदी के व्यापक उपयोग को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस प्रक्रिया में भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नीति के प्रावधानों का अनुपालन भी करती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किया गया। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए। द्विभाषी/हिंदी सॉफ्टवेयर का अधिक गहन उपयोग सुनिश्चित करने, पाठकों की संख्या में सुधार को ध्यान में रखते हुए कार्यालय पुस्तकालय के लिए पर्याप्त संख्या में हिंदी पुस्तकों, पत्रिकाओं और जर्नल की खरीद, और जागरूकता को बढ़ावा देने और हिंदी को राजभाषा के रूप में उपयोग करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना इस दृष्टिकोण का मूल मंत्र बना है। यहाँ तक कि सबसे बड़े चालक के रूप में कंपनी के घटकों के बीच अपने आधिकारिक काम को हिंदी में करने में गर्व की भावना पैदा हुई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं। साथ ही, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में हिंदी के उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी देने के लिए चार हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। पिछले वर्षों की तरह, विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देते हुए, हिंदी सप्ताह मनाया गया। अपने दैनिक आधिकारिक कार्यों में हिंदी का सर्वाधिक व्यापक उपयोग करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए।

दिनांक 21 अगस्त, 2020 को, 'राजभाषा संबंधी संसदीय समिति' ने कंपनी में हिंदी के उपयोग की सीमा और राजभाषा दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए एक निरीक्षण किया था। समिति ने कंपनी में हिंदी में हो रहे कार्य की सराहना की थी।

आपकी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पूरी तरह से द्विभाषी रूप में मौजूद है, और इसमें इसके स्टेकहोल्डरों के हित से सम्बंधित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध है।

24. राष्ट्रपति का अनुमोदन

वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त हुआ:-

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के कुछ लेखों के परिवर्तन और एसोसिएशन के ज्ञापन के खंड V के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति संख्या 2010/पीएल/47/5 दिनांक 28 सितंबर, 2020

25. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी निर्देशों का पालन करती है, और अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। सभी प्रासंगिक जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी साझा की गई है।

26. महिला कर्मचारी

आपकी कंपनी का संगठनात्मक ढांचा बहुत छोटा है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में कुल 29 कर्मचारी हैं, जिनमें से कार्यकारी संवर्ग में 6 महिला कर्मचारी हैं। इस प्रकार, महिला कर्मचारी वर्तमान में कुल कर्मचारियों की संख्या का 20.69% हैं और कंपनी अवसर आने पर इस संख्या में और सुधार करने का प्रयास करेगी ।

27. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत सूचना (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

पिछले वित्तीय वर्ष में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया।

कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है जहां महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

28. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

30 सितंबर, 2020 को पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से, निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

1. श्री आनंद प्रकाश, ईडीएफ/बी, रेलवे बोर्ड/ कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशक 22 जुलाई, 2020 से 26 अक्टूबर, 2020 तक।
2. श्रीमती अदिति सेनगुप्ता राय, 19 सितंबर, 2017 से 18 सितंबर, 2020 तक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक
3. श्री चेतन वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक, कंपनी के बोर्ड में 8 मार्च, 2018 से 7 मार्च, 2021 तक।
4. श्री अशोक कुमार सिंघल, स्वतंत्र निदेशक, कंपनी के बोर्ड में 20 जुलाई, 2018 से 19 जुलाई, 2021 तक प्रभावी

5 श्री भास्कर चोराड़िया, ईडीएफ/बी, रेलवे बोर्ड/ कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशक 27 नवंबर, 2020 से प्रभावी।

निदेशकों ने श्रीमती मंजुला रंगराजन, वित्त आयुक्त (रेलवे), अध्यक्ष/ आईआरएफसी के रूप में नामित, श्री विजय कुमार, वित्त आयुक्त (रेलवे), प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी के रूप में अतिरिक्त प्रभार, नीरज कुमार, निदेशक वित्त/आईआरएफसी, डॉ. कुमार विनय प्रताप, नामित निदेशक/आईआरएफसी और श्री किशोर जे. देवानी, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक/आईआरएफसी के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और योगदान की सराहना की।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, निदेशक वित्त, को सीएफओ और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया गया है।

29. आभार

आपकी कंपनी रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, सार्वजनिक उद्यम विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारत सरकार के अन्य विभागों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके सहयोग, सहायता, सक्रिय और समय पर समर्थन और समय-समय पर दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी है। कंपनी अपने सभी बॉन्डधारकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, अरेंजर्स, रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट्स, बॉन्ड धारक ट्रस्टीज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय जीवन बीमा निगम को कंपनी में अपना विश्वास और सत्यनिष्ठा व्यक्त करने के लिए भी धन्यवाद देती है। कंपनी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन स्तरों को बनाए रखने के लिए उनके निरंतर सहयोग की आशा करती है। कंपनी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करती है।

निदेशक मंडल कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की छोटी सी टीम द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान की तहे दिल से सराहना करता है जिसके फलस्वरूप कंपनी रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित फंडिंग लक्ष्यों के वर्धमान स्तर को सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ हुई है, साथ ही देश में एक अत्यधिक सशक्त सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अपना स्थान भी सुदृढ़ कर सकी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरित /-
(श्री अमिताभ बैनर्जी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03315975

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त, 2021

अनुलग्नक-I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय

कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने दुनिया भर में गंभीर व्यवधान पैदा किए है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20211 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.3 % तक सिकुड़ गई। सरकारी खपत और शुद्ध निर्यात ने विकास को और नीचे जाने से रोक दिया है। सतत कीमतों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 की चौथी तिमाही में 38.96 लाख करोड़ रु होने का अनुमान है, जबकि इसके मुकाबले 2019-20 की चौथी तिमाही में 38.33 लाख करोड़ रु था, जो 1.6 प्रतिशत[2] की वृद्धि दर्शाता है।

भारत जून 2020 से आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील देने के साथ 'वी-आकार' की वसूली देख रहा है। भारत की गतिशीलता और महामारी की प्रवृत्तियों ने एक साथ गठबंधन किया और समन्वित रूप से सुधार किया। ई-वे बिल, रेल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की खपत जैसे संकेतक न केवल पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच गए, बल्कि पिछले वर्ष के स्तर को भी पार कर गए। विनिर्माण में फिर उछाल आया और औद्योगिक मूल्य सामान्य होने लगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निजी खपत और निवेश विकास के दो सबसे बड़े इंजन हैं। बढ़ती बेरोजगारी और भविष्य में नौकरी छूटने की आशंका के कारण गैर-जरूरी सामानों पर विवेकाधीन खर्च में भारी गिरावट आई है। जबकि वर्तमान में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं धीरे-धीरे कम हो रही हैं, कोविड-19 महामारी में संभावित उछाल आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करेगा, और उत्पादकता को बाधित करेगा, जो बदले में उस गति को प्रभावित करता है जिस पर औद्योगिक उत्पादन और निवेश सामान्य होता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए जीडीपी के 10% की राशि के बराबर दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है।

रिकवरी का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि महामारी कब तक रहती है और कितनी जल्दी 1.3 बिलियन लोगों की आबादी के लिए टीका उपलब्ध कराया जा सकता है। भले ही 2021 के मध्य तक स्वास्थ्य संकट का प्रबंधन कर लिया गया हो, आर्थिक सुधार धीमा और असमान हो सकता है और उत्पादन, रोजगार और वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। निजी खपत और निवेश मांग दोनों को ठीक होने में लंबा समय लग सकता है।

उद्योग समीक्षा

भारतीय रेलवे भारत सरकार (जीओआई) का एक विभागीय उपक्रम है, जो रेल मंत्रालय (एमओआर) के माध्यम से भारत के रेल परिवहन का स्वामित्व और प्रचालन करता है। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एक प्रबंधन के तहत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो वित्त वर्ष 205 में हर दिन लगभग 22.15 मिलियन यात्रियों और 3 मिलियन टन (एमटी) माल ढुलाई के लिए हर दिन लगभग 13,169 यात्री रेलें और 8,479 मालगाड़ियाँ चला रहा है। वित्त वर्ष 20 में कुल रनिंग ट्रैक किलोमीटर 99,235 किलोमीटर था। भारतीय रेलवे 1.25 मिलियन1 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारतीय रेलवे ने 31 मार्च, 20201 तक 12,729 रेल इंजन, 70,236 यात्री सेवा वाहन, 2,93,077 वैगन और 6,372 अन्य कोचिंग वाहन तैनात किए हैं। वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 20 में भारत में क्रमशः 7,321 और 7,325 रेलवे स्टेशन थे।

भारतीय रेलवे का आंतरिक राजस्व मुख्य रूप से यात्री और माल ढुलाई से अर्जित किया जाता है। वित्त वर्ष 20 में, भारतीय रेलवे ने विलंब शुल्क/घाट शुल्क को छोड़कर माल ढुलाई से लगभग 1,115 बिलियन रु की कमाई की। भारतीय रेलवे पर मूल यात्रियों की संख्या वित्त वर्ष 2020 में घटकर 8,086 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 191 में 8,439 मिलियन थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020 में यात्री आय में भी 0.78% या 397.56 करोड़ रु की कमी आई। भारतीय रेलवे ने लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार किया है,इसे विकसित किया है, और माल ढुलाई और यात्री राजस्व सहित विभिन्न मापदंडों में वृद्धि की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

मालभाड़ा वॉल्यूम

भारतीय रेलवे के लिए माल भाड़ा प्रमुख राजस्व-अर्जन खंड है, यह अपनी क्षमता का एक-तिहाई उपयोग करता है और भारतीय रेलवे के राजस्व का दो-तिहाई भाग उत्पन्न करता है। भारत की कुल माल ढुलाई का लगभग 30% (टन किलोमीटर के संदर्भ में) रेल से चलता है। कोयला, लोहा, इस्पात, लौह अयस्क, खाद्यान्न, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों सहित नौ वस्तुएं मुख्य रूप से भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई व्यवसाय का समर्थन करती हैं।

ब्योरा	राजकोषीय										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
मूल टन (मिलियन टन)[6]	504	926	975	1,014	1,059	1,101	1,109	1,111	1,163	1,225	1,212#
माल ढुलाई से आय* (रु बिलियन में)[2]	230	607	677	835	916	1,031	1,069	1,020	1,135	1,226	1,115#

*घाट शुल्क और विलंब शुल्क को छोड़कर

अनंतिम आंकड़े

[1]आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21

[2]सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)

[3]वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट

[4]फ्रॉस्ट एंड सुलिवन

[5]भारतीय रेलवे - वर्ष पुस्तक 2019-20

[6]https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stat_econ/Annual-Reports-2019-2020/Summery-sheet-Annual-Report-English_2019-20.pdf

भारतीय रेलवे ने हमेशा भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि यह लाखों यात्रियों के लिए परिवहन का एक सस्ता और वहन योग्य साधन है। भारतीय रेलवे विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कृषि और थोक माल के वाहक के रूप में, जैसे अयस्क और खनिज, लोहा और इस्पात, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न और उर्वरक, और कंटेनरीकृत कार्गो शामिल हैं। भारतीय रेलवे में अधिकांश माल ढुलाई राजस्व कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क और खाद्यान्न के परिवहन से उत्पन्न होता है, जो वित्त वर्ष 20 में थोक वस्तुओं से कुल कमाई का क्रमशः 48.83%, 7.84%, 9.84% और 5.52% है। भारतीय रेलवे की माल ढुलाई आय वित्त वर्ष-19 में लगभग 1,226 बिलियन रु से घटकर वित्त वर्ष-20 में लगभग 1,115 बिलियन रु हो गई।

रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 18 में माल भाड़ा यातायात में सुधार के लिए कई नीतियों को लागू किया है जैसे कि: (i) खाली प्रवाह दिशाओं (कम माल ढुलाई वाले मार्ग) में स्वचालित माल ढुलाई छूट योजना को उदार बनाना, (ii) प्रमुख माल ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक टैरिफ अनुबंध करना, और (iii) ट्रेनों की भार क्षमता बढ़ाने और तार के नीचे नए यातायात को आकर्षित करने के लिए डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनरों को एक नए डिलीवरी मॉडल के रूप में पेश करना।

यात्री यातायात

यात्री गाड़ियां दो-तिहाई क्षमता का उपयोग करती हैं, जबकि, भारतीय रेलवे के लिए केवल एक-तिहाई राजस्व उत्पन्न करती हैं। नीचे दी गई तालिका में संकेतित अवधि में मूल यात्रियों की संख्या और यात्री आय का विवरण दिया गया है:

ब्योरा	राजकोषीय										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
मूल यात्री (मिलियन)[2]	4,833	7,651	8,224	8,421	8,397	8,224	8,107	8,116	8,286	8,439	8,086
यात्री आय (रु बिलियन में)[2]	105	257	282	313	365	422	443	463	486	511	507

*अनंतिम आंकड़े

अधिकांश भारतीयों के लिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल यात्रा पसंदीदा साधन बनी हुई है और शहरीकरण, आय मानकों में सुधार और बढ़ती जनसंख्या के साथ, यात्री यातायात में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें बड़े निवेश और पूंजी परिव्यय की आवश्यकता होगी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ सुधारों की योजना बना रहा है जैसे, अन्य के साथ, वाईफाई, वेंडिंग मशीन और ऑटो दरवाजे जैसी सुविधाओं के साथ कोचों का नवीनीकरण आदि।

रेलवे में पूंजी निवेश

भारतीय रेलवे के पास अब तक की सबसे अधिक 2,15,058 करोड़ रु की कैपेक्स योजना है, जो 2021-22 के लिए है, जिसमें आंतरिक संसाधनों से 7,500 करोड़ रु, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 1,00,258 करोड़ रु और पूंजीगत व्यय आवंटन7 के लिए 1,07,300 करोड़ रु शामिल हैं। केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रु का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें से 1,07,300 करोड़ रु का उपयोग भारत में रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2021-22 के पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा।[3]

कैपेक्स में इस वृद्धि के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने में भारतीय रेलवे की एक प्रमुख भूमिका होगी। वार्षिक योजना 2021-22 का जोर बुनियादी ढांचे के विकास, टर्मिनल सुविधाओं के विकास, रेलों की गति में वृद्धि, संकेतन प्रणालियों, यात्रियों/उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं में सुधार, सड़क पर, ऊपर/नीचे पुलों के सुरक्षा कार्यों आदि पर है। निम्नलिखित योजना शीर्षों को बजट अनुमान 2021-22 में अब तक का उच्चतम परिव्यय आवंटित किया गया है:

(रु करोड़ में)

ब्योरा	बजट अनुमान 2020-21	बजट अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2020-21 से अधिक वृद्धि
नई लाइनें	26,971	40,932	52%
दोहरीकरण	21,545	26,116	21%
यातायात सुविधाएं	2,058	5,263	156%
आरओबी/आरयूबी	6,204	7,122	15%

पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे को कोविड से संबंधित असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यात्री सेवाओं को रोकना पड़ा। हालाँकि, इसने राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखा और सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ी संख्या में प्रवासियों को स्थानांतरित किया।

रेलवे प्रचालन और रखरखाव के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफ़सी) परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण भी करेगा। पश्चिमी और पूर्वी डीएफसी के जून 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। पूर्वी डीएफसी के 263.7 किलोमीटर के सोननगर-गोमोह खंड को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 2021-22 में लिया जाएगा। गोमोह-दानकुनी 274.3 किमी खंड भी जल्दी3 लिया जाएगा। भविष्य की डीएफसी परियोजनाएं, जैसे खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण गलियारा, भी शुरू की जाएंगी।

[7] https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1694109

भारतीय रेलवे ने भारत-2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) तैयार की है। यह भविष्य के लिए तैयार रेलवे के लिए होगी, जिसमें 2030 तक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जो 2050 तक की मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। एनआरपी जो 2030 तक आवश्यक मांग और आवश्यक क्षमता वृद्धि की पहचान करता है, भारतीय रेलवे के लिए अर्थव्यवस्था की रसद लागत को कम करने के अंतिम उद्देश्य के साथ 2050 तक रेलवे को 45% के स्तर पर लाने वाले मॉडल शेयर को पुनः प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बजट में यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पर्यटन मार्गों पर सौंदर्य की दृष्टि से डिज़ाइन किए गए विस्टा डोम एलएचबी कोच की शुरूआत और उच्च घनत्व नेटवर्क और भारतीय रेलवे के अत्यधिक उपयोग किए गए नेटवर्क मार्गों पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। इस प्रणाली ने मानवीय त्रुटि के कारण रेलों की टक्कर की संभावना को कम कर दिया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत सरकार ने रेलवे अवसंरचना के निम्नलिखित गतिविधियों/क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग पर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) की अनुमति दी है:

- सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उपनगरीय गलियारा परियोजनाएं;
- उच्च गति रेल परियोजनाएं;
- समर्पित माल ढुलाई लाइनें;
- रेलगाड़ी सेट, और इंजन या कोच निर्माण और रखरखाव सुविधाओं सहित चल स्टॉक;
- रेलवे विद्युतीकरण;
- संकेतन प्रणालियाँ;
- माल ढुलाई टर्मिनल;
- यात्री टर्मिनल;
- विद्युतीकृत रेलवे लाइनों और मुख्य रेलवे लाइन से जुड़ाव सहित रेलवे लाइनों या साइडिंग से संबंधित औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचा; तथा
- सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणालियाँ/मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।

अप्रैल 2000 से मार्च 2021[8] की अवधि के दौरान रेलवे संबंधित घटक उद्योग में संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 1,227.24 मिलियन अमरीकी डॉलर है।[8]

कंपनी ओवरव्यू

भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफ़सी) की स्थापना 12 दिसंबर, 1986 को घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की समर्पित वित्तीय शाखा के रूप में की गई थी। आईआरएफसी रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी - एनडी-एसआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफ़सी- आईएफ़सी) के रूप में भी पंजीकृत है। आईआरएफ़सी ने अपने वार्षिक योजना परिव्यय के एक महत्वपूर्ण अनुपात को वित्तपोषित करके भारतीय रेलवे और संबंधित संस्थाओं के विस्तार का समर्थन करने में अपने अस्तित्व के 30 से अधिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे की 'अतिरिक्त बजटीय संसाधन' (ईबीआर) आवश्यकता के प्रमुख हिस्से को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर बाजार उधार के माध्यम से पूरा करना है। इसका उद्देश्य देश में अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक बनना है, रेलवे योजना वित्त को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर पूंजी बाजार से धन जुटाने के साथ, यह सुनिश्चित करना कि निगम अपने प्रचालनों से इष्टतम लाभ कमाता है। इसलिए कंपनी का मुख्य व्यवसाय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के वित्तपोषण के लिए वित्तीय बाजारों से धन उधार लेना है, जिन्हें बाद में भारतीय रेलवे को पट्टे पर दिया जाता है। आईआरएफसी का सतत प्रयास उपकरणों, बाजारों और निवेशकों के संदर्भ में अपने उधार पोर्टफोलियो में विविधता लाने का रहा है, जिसके कारण कंपनी, प्रतिस्पर्धी बाजार दर पर अपतटीय उधार के अलावा, कर योग्य और कर-मुक्त बांड, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण जारी करके वर्ष -दर-वर्ष लक्षित उधारी को पूरा कर रही है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी का प्रदर्शन स्तर इस तथ्य के बावजूद लगातार उच्च रहा है कि इसके लो ओवरहेड में परिलक्षित लगभग 0.11% टर्नओवर अनुपात के साथ यह सचेत रूप से एक बहुत ही कम कार्यबल को बनाए रखता है।

रेल मंत्रालय द्वारा अनिवार्य वार्षिक उधार लक्ष्य में कई गुना वृद्धि और कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद अनुपालन आवश्यकताओं में उल्लेखनीय वृद्धि, सेबी (एलओडीआर) दिशानिर्देश, इंड-एएस में प्रवास और जीएसटी की शुरूआत, के कारण अतिरिक्त कार्यभार से निपटने के साथ संगठन संरचना को और मजबूत करने के लिए, कंपनी का प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) द्वारा एक अध्ययन कराया गया। कंपनी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की संख्या को उपयुक्त रूप से बढ़ा रही है।

कंपनी के समर्पित कार्यबल द्वारा प्रदर्शित उच्च स्तर की दक्षता संभव नहीं होती, यदि कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के कौशल को उन्नत करने और उन्हें नवीनतम विकास और उद्योग प्रथाओं से अवगत कराने पर गहरा जोर नहीं दिया गया होता। कंपनी अपने सभी कर्मचारियों की पेशेवर विशेषज्ञता को बढ़ाने के

[8] https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_Factsheet_March%2C21.pdf

लिए प्रतिबद्ध है। सामान्य अभ्यास के रूप में, कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर निर्भर करती है जिसमें अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन और कंपनी कर्मियों को आवश्यक इनपुट प्रदान करना शामिल है।

निदेशकों को भी आवश्यकता-आधारित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। श्री चेतन वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक, ने 05 दिसंबर, 2020 को 'अध्यक्ष, निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और केएमपी के लिए बोर्ड शासन' पर ऑनलाइन कार्यशाला में भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस निदेशकों को सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं से अवगत कराना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन करते समय, कंपनी भविष्य के लिए नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के साथ, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में अपने अधिकारियों के कौशल और ज्ञान के विकास पर जोर देती है।

प्रचालनीय विशिष्टताएं

कंपनी को रोलिंग स्टॉक के अधिग्रहण, परियोजनाओं के लिए और ईबीआर-आईएफ, ईबीआर (विशेष) के तहत परियोजनाओं के लिए और आरवीएनएल की वित्तपोषण आवश्यकता के साथ भारतीय रेलवे की वित्त पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब तक का उच्चतम लक्ष्य 1,04,369.00 करोड़ रु दिया गया था। कंपनी ने आवश्यक धनराशि का हस्तांतरण करके उपरोक्त लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। वार्षिक संवितरण ने 48.45% की वर्ष-दर-वर्ष प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की थी। रेलवे क्षेत्र के लिए संचयी वित्त पोषण 4.44 लाख करोड़ रु का आंकड़ा पार कर गया था। वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय का कुल पूंजीगत परिव्यय (पूंजीगत व्यय) 2,40,840 करोड़ रु था, जिसमें से आईआरएफसी का संवितरण 1,04,369.00 करोड़ रु पर महत्वपूर्ण था जो वर्ष 2020-21 के लिए कुल पूंजी परिव्यय का 43.44% है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए उधार में 21,537.70 करोड़ रु (पिछले वर्ष एलआईसी बांड 4300 करोड़ रु सहित 30,046.83 करोड़ रु) कर योग्य बॉन्ड, आहरण तिथि/ड्रा डाउन तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर 29,586.95 करोड़ रु के बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) (पिछले वर्ष 13,783.85 करोड़ रु), और रुपया सावधि ऋण 52,401.75 करोड़ रु (पिछले वर्ष 25,789.00 करोड़ रु) तथा 842.60 करोड़ रु के 54 ईसी बांड (पिछले वर्ष 852.28 करोड़ रु) शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए उधार के पूल की भारित औसत लागत 6.51% (अर्ध-वार्षिक) रही जबकि पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान यह 7.36% (अर्ध वार्षिक) थी।

कंपनी ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जीएमटीएन कार्यक्रम को 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जीएमटीएन कार्यक्रम में बदल दिया है। कंपनी ने एसबीआई, हांगकांग से सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के यूएसडी ऋण के माध्यम से 3 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए। निकासी में 10 साल की अवधि के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर और 7 साल की अवधि के लिए 2 बिलियन डॉलर के दो ऋण शामिल थे। दोनों ऋण 6 महीने के यूएसडी लिबोर से जुड़े थे और तब से प्रत्येक 1 बिलियन अमरीकी डालर के तीन चरणों में आहरित किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने एसएमबीसी से सिंडिकेटेड जेपीवाई ऋण के माध्यम से 325 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर जेपीवाई भी जुटाई है। वास्तव में वित्त वर्ष 21 के लिए कुल ईसीबी उधारी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 4.075 बिलियन अमरीकी डालर आंकी गई थी। इसके अलावा, कंपनी को अक्टूबर 2017 में 54ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिली थी, तब से कंपनी सभी प्रयास कर रही है। 54 ईसी बॉन्ड बाजार में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी ने 54 ईसी बॉन्ड के माध्यम से लगभग 842.60 करोड़ रु जुटाए।

आपकी कंपनी का प्रचालनों से राजस्व 23,494.32 मिलियन रु बढ़ा है जो वर्ष 2019-20 में 1,34,210.17 मिलियन रु से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1,57,704.49 मिलियन रु हो गया, जो 17.51% की वृद्धि दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपकी कंपनी का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के 31,920.96 मिलियन रु की तुलना में 44,161.08 मिलियन रु था, जो कंपनी के कारोबार की मात्रा में वृद्धि के कारण 38.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 44,161.08 मिलियन रु था, जो कि कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के समान है, क्योंकि कंपनी ने दिनांक 20 सितंबर 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत कम कर दर के विकल्प का उपयोग करने के अपने निर्णय के अनुसार अपनी पुस्तकों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। कंपनी की कर योग्य आय शून्य थी और इसे अपने बहीखाता लाभ के संदर्भ में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान नहीं करना पड़ा क्योंकि एमएटी के तहत देय 115 जेबी धारा 115 बीएए के दायरे से बाहर था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए को अपनाने पर, कंपनी एमएटी प्रावधानों के दायरे और प्रयोज्यता से बाहर थी।

पिछले वर्ष के 31,920.96 मिलियन रु की तुलना में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ 44,161.08 मिलियन रु था जो एक प्रभावशाली रूप से 38.34% ऊपर था। इससे कंपनी को अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में मदद मिली है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(आंकड़े करोड़ रु में)	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वर्ष दर वर्ष बदलाव (% में)
प्रचालन से राजस्व	15770.47	13421.02	17.50
ईबीआईटीडीए	15657.61	13354.79	17.24
पीबीटी	4416.13	3192.09	38.34
पीएटी	4416.13	3192.09	38.34
निवल मूल्य	35913.38	30299.75	18.52

प्रमुख अनुपात

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार, कंपनी को, विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात पिछले/विगत वित्तीय वर्ष की

तुलना में 25% या अधिक का परिवर्तन) का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े करोड़ रु में)	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
ब्याज कवरेज अनुपात (गुणा में)	1.39	1.31
ऋण इक्विटी अनुपात (गुणा में)	9.00	7.74
प्रचालनन लाभ मार्जिन (% में)	28.00	23.78
ईबीटीडीए मार्जिन (% में)	99.28	99.50
पीएटी मार्जिन (% में)	28.00	23.78
निवल मूल्य पर रिटर्न (% में)	13.34	11.57

प्रबंधन दृष्टिकोण

आपके निदेशकों को अपनी इस धारणा को साझा करने में खुशी हो रही है कि कंपनी का व्यवसाय एक मजबूत मंच पर खड़ा है और अच्छी तरह से चल रहा है। रेल मंत्रालय के साथ मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को शामिल करते हुए मजबूत व्यापार मॉडल इसकी अनूठी विशेषता बन गया है। पिछले दस वर्षों के दौरान मंत्रालय के साथ कंपनी के कारोबार में सराहनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में 2,957 करोड़ रु के वार्षिक लक्ष्य से, वर्ष 2019-20 के लिए सौंपा गया अंतिम उधार लक्ष्य 1,04,369.00 करोड़ रु पर था। पिछले सोलह वर्षों में वार्षिक उधार लक्ष्य 24.16 % की सीएजीआर के साथ बढ़ा है।

रेल मंत्रालय की समर्पित बाजार उधारी शाखा होने के नाते, आपकी कंपनी लगातार वित्तीय बाजार से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर धन जुटाने का प्रयास करती है। सेंट्रल बैंक के उदार रुख के कारण वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान ब्याज दर सौम्य बनी रही। मई में आयोजित एमपीसी की बैठक के दौरान दरों में 40 बीपीएस की कटौती की गई थी, जिसमें रेपो दर 4.00% और रिवर्स रेपो दर 3.35% की गई और उपरोक्त दरें पूरे वित्त वर्ष 2020 के दौरान बनी रही। हालाँकि, वर्ष के उत्तरार्ध में, दुनिया भर में शुरू किए जा रहे कोविड -19 के टीकाकरण कार्यक्रम के कारण निवेशकों के बेहतर विश्वास के साथ बाजार में सुधार हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि आपकी कंपनी को 1,00,000 करोड़ रु से अधिक का विराट अंतिम उधार लक्ष्य अनिवार्य किया गया था और अधिदेश में 58,000 करोड़ रु के मूल लक्ष्य से ऊपर की ओर संशोधन केवल वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी को सूचित किया गया था,कंपनी ने प्रतिकूल समष्टि आर्थिक वातावरण में अपने उधार कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जिसने रेलवे को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर धन उपलब्ध कराने की अपनी अडिग प्रतिबद्धता को बनाए रखने में मदद की।

वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट में, यह बताया गया कि रेल मंत्रालय ने अपने परियोजना वित्त पोषण की आवश्यकता हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ 1,50,000 करोड़ रु के लिए पांच वर्षों की अवधि में किश्तों में आहरित किए जाने वाला ऋण अनुबंध किया था। यह भी बताया गया कि आईआरएफ़सी को रेल मंत्रालय की ओर से एलआईसी से धन उधार लेने का काम सौंपा गया था।

आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी जोखिम सीमा की कमी के कारण, व्यवस्था के तहत, वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक एलआईसी से केवल 20,500 करोड़ रु की कुल राशि निकाली जा सकी।

वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने आपकी कंपनी के शेयरों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने की घोषणा की थी। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूचीकृत लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और इसके परिणामस्वरूप आपकी कंपनी के शेयर दिनांक 29 जनवरी, 2021 से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गए थे। आपकी कंपनी के आईपीओ ने इस इश्यू के 3.5 गुणा राशि के बराबर अधिअंशदानित/ ओवरसब्सक्राइब होने के साथ अभूतपूर्व प्रतिक्रिया प्राप्त की थी।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के लिए एक मजबूत और स्वस्थ वित्त सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन केंद्रीय है। जहां, जोखिम प्रबंधन में, एक व्यवसाय के विभिन्न जोखिम शमन प्रयासों के बीच ऋण जोखिम को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, यह आपकी कंपनी के मामले में लगभग न के बराबर है, इतना इसलिए कि इसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रेल मंत्रालय से पट्टा प्राप्तियों के रूप में है, जिसमें शून्य जोखिम है। रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ऋण के रूप में अन्य क्षेत्रों में कंपनी के चुनिंदा प्रयास उपयुक्त रूप से सुरक्षित घेरे में हैं, क्योंकि इसमें या तो रेल मंत्रालय से नकद प्रवाह होता है या रेल मंत्रालय द्वारा पुनर्भुगतान का आश्वासन होता है।

आमतौर पर, मुख्य रूप से एकल ग्राहक के साथ अपना व्यवसाय करने वाली कंपनी को व्यावसायिक जोखिम का सामना करने के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, आपकी कंपनी के मामले में, एकल ग्राहक स्वामी है, जो स्वयं भी संप्रभु है। रेल मंत्रालय के योजना परिव्यय के लगभग 25% से 45% तक लगातार वित्त पोषण के आधार पर, आईआरएफसी मंत्रालय के लिए रणनीतिक महत्व का स्थान रखता है। आईआरएफसी द्वारा प्रदान किया गया वित्त पोषण प्रतिस्पर्धी लागत पर किया गया है जिसे मंत्रालय द्वारा आकर्षक माना जाता है। देश में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के अपने प्रयासों में आईआरएफसी से मंत्रालय द्वारा और भी बड़ी भूमिका की उम्मीद के मजबूत संकेतों के साथ, आपके निदेशक मानते हैं कि कंपनी व्यापार जोखिम के मामले में सुलभ है।

प्रत्येक वर्ष रेल मंत्रालय के साथ आईआरएफसी द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा समझौते में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए प्रावधानों को देखते हुए, इसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों की ब्याज दर संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल का बहुत अच्छा मिलान है। इन परिस्थितियों में, कंपनी के ब्याज दर जोखिम में जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, संस्थागत वित्त के माध्यम से वित्तपोषित रेलवे परियोजनाओं के लिए, उधार की संरचना के समान पट्टा संरचना को अपनाने का प्रस्ताव है जो लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम को कम करेंगे।

आपकी कंपनी का नकदी प्रवाह अत्यधिक अनुमानित है, जो इसे बड़े पैमाने पर अस्थिर बाजार में भी लिक्विडिटी संबंधी मुद्दों से बचाता है। इसके अलावा, ऋण की गुणवत्ता के साथ, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशकों के बीच कंपनी का उच्च स्तर का सम्मान है, आईआरएफसी के मामले में लिक्विडिटी जोखिम को बहुत कम स्तर पर माना जाता है।

हालांकि विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का जोखिम रेल मंत्रालय के पास है, फिर भी आपकी कंपनी अपने विदेशी उधारों पर विनिमय दर भिन्नता जोखिम के संबंध में अपने प्रचालनों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार विवेकपूर्ण, कुशल और लागत प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अपना रही है। कंपनी उचित समय पर मूलधन

के पुनर्भुगतान के संबंध में विनिमय दर भिन्नता जोखिम को समाप्त करने का प्रयास करती है। ऐसे प्रतिरक्षीय/बचाव/हेजिंग लेनदेन में समय महत्वपूर्ण है। कंपनी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि आहरण/ड्रॉडाउन के बाद एक समय में एक हेज को अनुबंधित करने से लंबी परिपक्वता के कारण कोई भी अनुचित जोखिम उजागर नहीं होता है। जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करती है। नीति के अनुसार, कंपनी ने अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के हिस्से को हेज किया है जिससे काफी हद तक विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो गया है।

पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए कंपनी के कुछ बकाया विदेशी मुद्रा उधार या तो बुलेट रूप में पुनर्भुगतान या अर्ध-वार्षिक किश्तों में परिशोधन रूप में पुनर्भुगतान कर रहे हैं। परिशोधित चुकौती के परिणामस्वरूप, समय के विभिन्न बिंदुओं पर उत्तरोत्तर पुनर्भुगतान होने के कारण जोखिम काफी कम हो जाता है। विदेशी मुद्रा बाजारों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी मूलधन और ब्याज राशि दोनों पर बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारों की चुनिंदा हेजिंग का सहारा ले रही है। मामले पर अपनी आंतरिक विशेषज्ञता को प्रभावी ढंग से पूरक करने की दृष्टि से, आपकी कंपनी आमतौर पर हेजिंग निर्णय लेते समय प्रतिष्ठित पेशेवर सलाहकारों से बाहरी विशेषज्ञता सलाह का सहारा लेती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डेरिवेटिव उत्पादों की पेशकश करने वाले सभी बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है कि उनके सभी ग्राहक जिनके पास व्यावसायिक लेनदेन है, उन्हें अपने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाने के संबंध में प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया है जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,निदेशक वित्त और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा, मौजूदा आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/184 डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 099/03.10.001/2018-19 दिनांक 16-05-2019 के अनुसार सभी एनबीएफसी द्वारा एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है और 1 जुलाई, 2021 से एक सीआरओ नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठकों में जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की कार्यवाही नियमित रूप से रखी जाती रही है।

कंपनी ने बाहरी वाणिज्यिक उधार में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव जोखिम और ब्याज दर जोखिम का आकलन करने और उसे कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति की एक उप-समिति का गठन किया है, जिसका नाम फोरेक्स जोखिम प्रबंधन समिति है। उप-समिति की बैठकों के कार्यवृत्त के साथ-साथ की गई कार्रवाई को जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाता है।

परिसंपत्ति देयता स्थिति में बेमेल के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम की प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और शमन के लिए, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं। एएलसीओ तरलता (लिक्विडिटी)और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विभिन्न रिपोर्ट तैयार करती है और समय-समय पर जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष रखती है।

आंतरिक नियंत्रण और इसका समर्थन

कंपनी के पास अपने व्यवसाय की प्रकृति और मात्रा के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं। खातों का कुशलतापूर्वक रखरखाव कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समय-समय पर इनकी लेखापरीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक प्रतिष्ठित फर्म को सौंपा गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा अच्छी तरह से परिभाषित है और कंपनी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों और व्यवसाय की देखभाल करने के लिए बहुत सक्षम व परिपूर्ण है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर, मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए नियमित अंतराल पर कदम उठाए जाते हैं। उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जाती है। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है, और नियुक्ति को समय-समय पर रोटेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से, कंपनी के खाते सी एंड एजी के कार्यालय द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के अधीन होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंपनी का औचित्य लेखापरीक्षा भी करते हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेखा नियमावली और आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली कार्यान्वित की है। कंपनी ने माल, सेवाओं, कार्यों की खरीद के लिए मैनुअल और एचआर मैनुअल भी कार्यान्वित किया है। कंपनी ने अपनी नकदी प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अधिशेष निधियों को बैंकों के साथ अस्थायी रूप से रखने की नीति भी कार्यान्वित की है। प्रचालन जोखिमों से निपटने के संबंध में आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा है।

इसके अलावा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य है, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के हिस्से के रूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता को प्रमाणित किया है।

अनुलग्नक – II

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

यह रिपोर्ट सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम), कंपनी अधिनियम, 2013 और भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। रिपोर्ट में भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण है।

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी), 29 जनवरी, 2021 को सूचीबद्ध हुआ और इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हितधारकों के लाभ को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों, कानूनों का अनुपालन और नैतिक मानकों का पालन करना है।

आईआरएफसी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों (अब से सरकारी दिशानिर्देशों के रूप में संदर्भित) का अनुपालन करता है। कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने मास्टर परिपत्र – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – कॉर्पोरेट प्रशासन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 के तहत जारी 1 जुलाई, 2015 के परिपत्र का भी अनुपालन कर रही है। इस संबंध में, प्रासंगिक विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है: –

1. कंपनी का गवर्नेंस संहिता संबंधी सिद्धांत

कॉरपोरेट गवर्नेंस सभी हितधारकों के साथ उनके लाभ को अधिकतम करने की प्रतिबद्धता के साथ मूल्यवान संबंध और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों का पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता पारदर्शिता, निष्पक्षता, विवेक, टीम वर्क, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित है। यह सर्वोत्तम मानकों का पालन करने और हमारे हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त करती है, जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस को एक उद्यम-व्यापी प्रयास के रूप में देखती है, जो अपने शेयरधारकों के लिए अर्जित लाभ और रेल मंत्रालय से उन्हें हस्तांतरित निधियों की लागत पर इसके द्वारा प्रभारित प्रसार के बीच इष्टतम संतुलन के रूप में मूल्य निर्माण पर लक्षित है। इसे व्यावसायिक तरीके से व्यवसाय का संचालन करके, कंपनी में प्रमुख अधिकारियों के बीच प्रत्यायोजन और जवाबदेही के संयोजन का उपयोग करके; कंपनी के परिचालन में संकेंद्रित ध्यान और पारदर्शिता; आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से कौशल उन्नयन; और समय पर ऋण चुकौती और शिकायत निपटान के माध्यम से निवेशक / ऋणदाता संतुष्टि का उच्च स्तर प्रदान करके प्राप्त किया जाता है।

सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने जून, 2008 में अपने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता बनाई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय संबंधी कार्यों के प्रबंधन में कर्तव्यपरकता एवं पारदर्शिता का स्तर बढाना है। इसे कंपनी की वेबसाइट (www. irfc.nic.in) में भी डाल दिया है।

2. निदेशक मंडल

आईआरएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में सरकारी कंपनी है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 को भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 86.36 प्रतिशत है और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.1 बोर्ड की संरचना

सेबी (एलओडीआर), यह निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

वित्त वर्ष के अंत में, कंपनी के बोर्ड में 5 (पांच) निदेशक हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त के अलावा, एक स्वतंत्र निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक भी पद पर हैं। जैसा कि आईआरएफसी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान किया गया है, निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का भुगतान भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

कंपनी के कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या सेबी (एलओडीआर) के तहत बोर्ड में जितने स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए उनकी तुलना में कम थी, क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है जिसे प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। इस प्रकार

कंपनी ने समय-समय पर रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है कि सेबी (एलओडीआर), विनियम 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाए।

31 मार्च, 2021 को निदेशकों का विवरण इस प्रकार था:-

निदेशकों का विवरण		नाम	बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्रेणी (कार्यात्मक/सरकारी/गैर-सरकारी)	पदनाम		
1. पूर्णकालिक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री अमिताभ बैनर्जी	12.10.2019
	निदेशक वित्त	सुश्री शैली वर्मा	01.09.2020
2. सरकार नामित निदेशक	सरकार नामित निदेशक	श्री बलदेव पुरुषार्थ	03.06.2020
	सरकार नामित निदेशक	श्री भास्कर चोराड़िया	27.11.2020
3. गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	श्री अशोक कुमार सिंघल	20.07.2018

2.2 वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति :-

निदेशकों के नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बोर्ड की कितनी बैठकों में भाग लिया	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति का %	पिछली एजीएम (30.09.2020 को आयोजित) में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में 31.03.2021 को धारित निदेशक पद की संख्या	31.03.2021* को अन्य कंपनियों की संख्या जिनमें समिति की सदस्यता या अध्यक्षता धारित है		31.03.2021 को अन्य सूचीबद्ध कंपनियों और श्रेणी में धारित निदेशक पद	
						अध्यक्षता	सदस्यता	कंपनियों का नाम	निदेशक पद का नाम
पूर्णकालिक निदेशक									
श्री अमिताभ बैनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी 12.10.2019 से**	12	12	100%	उपस्थित	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री नीरज कुमार निदेशक वित्त/आईआरएफसी 01.07.2015 से 31.07.2020 तक	2	2	100%	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
सुश्री शैली वर्मा निदेशक वित्त/ आईआरएफसी दिनांक 01.09.2020 से	9	8	88.89%	उपस्थित	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)									
श्री आनंद प्रकाश सरकारी निदेशक 22.07.2020 से 26.10.2020 तक	3	3	100%	उपस्थित	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री बलदेव पुरुषार्थ सरकारी निदेशक दिनांक. 03.06.2020 से	11	6	54.55%	नहीं	5	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं

निदेशकों के नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बोर्ड की कितनी बैठकों में भाग लिया	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति का %	पिछली एजीएम (30.09.2020 को आयोजित) में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में 31.03.2021 को धारित निदेशक पद की संख्या	31.03.2021* को अन्य कंपनियों की संख्या जिनमें समिति की सदस्यता या अध्यक्षता धारित है		31.03.2021 को अन्य सूचीबद्ध कंपनियों और श्रेणी में धारित निदेशक पद	
						अध्यक्षता	सदस्यता	कंपनियों का नाम	निदेशक पद का नाम
श्री भास्कर चोराड़िया, सरकारी निदेशक दिनांक 27.11.2020 से	6	6	100%	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
स्वतंत्र निदेशक									
श्रीमती अदिति सेनगुप्ता राय स्वतंत्र निदेशक 19.09.2017 से 18.09.2020	3	3	100%	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री. चेतन वेणुगोपाल स्वतंत्र निदेशक 08.03.2018 से 7.03.2021	11	11	100%	उपस्थित	5	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री अशोक कुमार सिंघल स्वतंत्र निदेशक	12	10	83.33%	उपस्थित	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

* इसमें लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता शामिल है। कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों में सदस्य नहीं है या सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं जिसमें वे निदेशक हैं।

** रेल मंत्रालय (एमओआर) के आदेश संख्या 2018/झड/47/2 दिनांक 21.05.2020 के तहत 21 मई, 2020 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

2.3 निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें नियमित रूप से होती रही हैं। 12 (बारह) ऐसी बैठकें 29 मई, 2020, 27 जून, 2020, 28 अगस्त, 2020, 29 सितंबर, 2020, 23 अक्टूबर, 2020, 13 नवंबर, 2020, 2 दिसंबर, 2020, 9 जनवरी, 2021, 22 जनवरी, 2021, 13 फरवरी, 2021, 4 मार्च, 2021 और 12 मार्च, 2021 को हुई थीं।

2.4 कंपनी का कोई भी निदेशक बोर्ड के किसी अन्य निदेशक से परस्पर संबंधित नहीं है।

2.5 31.03.2021 को निदेशक की शेयरधारिता शून्य है।

2.6 स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रमों का विवरण कार्यक्रम पूरा होने के बाद कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। वेबसाइट पर पोस्ट किए गए विवरण को वेब लिंक: https://irfc.nic.in/investors-2/ पर देखा जा सकता है।

2.7 एक चार्ट या मैट्रिक्स में कुशल कामकाज के लिए इसके व्यवसाय (यों) और सेक्टर (रों) के संदर्भ में आवश्यक बोर्ड द्वारा निर्धारित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं को दर्शाया गया है और उन निदेशकों के नाम दर्शाए गए हैं जिनमें ये कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत आईआरएफसी के सरकारी कंपनी होने के नाते कार्यात्मक/आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों/गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है। इस प्रकार, किसी पदधारी के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं भारत सरकार के दायरे में हैं।

2.8 29 मई, 2020 को आयोजित वित्त वर्ष 2020-21 के बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं।

इसके अलावा, 19 मई, 2021 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2021-22 के बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं। उक्त बैठक में निदेशक मंडल ने पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक के पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है और वे उच्च सत्यनिष्ठा वाले और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा के लिए खुद को पंजीकृत किया है और निर्धारित अवधि के भीतर इसमें भाग लेंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक वर्ष के दौरान 13 फरवरी, 2021 को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार और सीपीएसई के गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

निदेशकों और अधिकारियों का बीमा

कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मात्रा और जोखिमों के लिए स्वतंत्र निदेशकों सहित अपने सभी निदेशकों के लिए निदेशकों और अधिकारियों का बीमा ('डी और ओ बीमा') किया है।

2.9 बोर्ड के समक्ष रखी गई सूचना

समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी में मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों, सरकारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मदों और कंपनी से संबंधित मुद्दों पर सार्थक और केंद्रित विचार-विमर्श की सुविधा के लिए प्रासंगिक और उपयोगी मानी जाने वाली कोई अन्य जानकारी शामिल है और एक सूचित तरीके से और कुशल तरीके से निर्णय लेना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निदेशक कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाओं को प्राप्त करने और जब भी आवश्यक हो, प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में नोट किया जाता है। बोर्ड द्वारा गठित समिति (समितियों) की बैठकों के कार्यवृत्त भी उनकी अगली बैठक (बोर्ड की) में उनकी जानकारी और नोटिंग के लिए रखे जाते हैं।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 18 और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा (ऑडिट) समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रकृति	पद
(i)	श्री अशोक कुमार सिंघल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	श्री बलदेव पुरुषार्थ	नामित निदेशक	सदस्य
(iii)	श्री अमिताभ बैनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध	निदेशक सदस्य

कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की नौ बैठकें 27 जून, 2020, 28 अगस्त, 2020, 29 सितंबर, 2020, 23 अक्टूबर, 2020 13 नवंबर, 2020, 2 दिसंबर, 2020, 13 फरवरी, 2021, 4 मार्च, 2021 और 12 मार्च, 2021 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की भागीदारी नीचे दी गई है: -

क्रमांक	लेखापरीक्षा समिति के सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्री चेतन वेणुगोपाल गैर-सरकारी / स्वतंत्र निदेशक	8	8
2	श्री अमिताभ बैनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9
3	श्रीमती अदिति सेनगुप्ता राय गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक	2	2

क्रमांक	लेखापरीक्षा समिति के सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
4	श्री अशोक कुमार सिंघल गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक	9	8
5	श्री बलदेव पुरुषार्थ सरकारी निदेशक	1	1

कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड स्तर की लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जिसे सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 18 और अनुसूची II भाग ग के साथ पढ़ा जाता है। विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं: -

क. लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी;

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक की सिफारिश, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आदेश के आधार पर कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों को रिकॉर्ड में लेना और सीएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई फॉलो-अप कार्रवाई की समीक्षा करना;

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति;

4. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, इसके विशेष संदर्भ में:

   क). कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;

   ख). लेखांकन नीतियों और पद्धतियों और परिवर्तन उसके कारण, यदि कोई हो;

   ग). प्रबंधन द्वारा निर्णय के कार्यान्वयन के आधार पर अंतर्निहित अनुमानों की प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

   घ). लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रोद्भूत वित्तीय विवरणों में किए गए विशिष्ट समायोजन;

   ङ). वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

   च). संबद्ध पार्टी संव्यवहारों का प्रकटीकरण;

   छ). ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय;

5 बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

6. किसी इश्यू (निर्गम) (पब्लिक इश्यू निर्गम, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग / अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज विवरण / प्रॉस्पेक्टस/ नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए फंड के उपयोग और पब्लिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

7. ऑडिटर (लेखा परीक्षकों) की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन, और ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

8. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन करना;

9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना;

10. कंपनी के उपकर्मों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो;

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;

12. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

13. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो;

14. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

15. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता हो और ऐसे मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना;

16. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ किसी भी सरोकार के क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के उपरांत चर्चा;

17. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और ऋणदाताओं को भुगतान में सारभूत चूकों के कारणों की जांच करना;

18. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;

19. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना;

20. बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य को करना;

21. इस प्रावधान के लागू होने की तारीख से होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, में मौजूदा ऋण / अग्रिम / निवेश सहित मौजूदा ऋण / अग्रिम / निवेश के उपयोग की समीक्षा करना;

22. कंपनी और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना।

ख. लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

1. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों का विश्लेषण;

2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट संबद्ध पार्टी संव्यवहारों का विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित);

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण में कमियों के पत्र;

4. आंतरिक नियंत्रण में कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

5. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के अधीन होंगी;

6. विचलनों का विवरण:

   (क) सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत मानीटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट, यदि लागू हो, सहित विचलन (विचलनों) का तिमाही विवरण;

   (ख) सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है और तदनुसार सीएमडी और निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और आरबीआई के कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2021 को, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रकृति	पद
(i)	श्री अशोक कुमार सिंघल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	श्री बलदेव पुरुषार्थ	नामित निदेशक	सदस्य
(iii)	श्री भास्कर चोराड़िया	नामित निदेशक	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की तीन बैठकें 2 दिसंबर, 2020, 13 फरवरी, 2021 और 4 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों में सदस्यों की भागीदारी नीचे दी गई है: -

क्रमांक	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्री अशोक कुमार सिंघल गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक	3	3
2.	श्री चेतन वेणुगोपाल गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक	3	3
3.	श्री बलदेव पुरुषार्थ सरकारी निदेशक	3	0

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका और विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देश, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और आरबीआई के कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुसार हैं।

निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के तहत निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के तहत सरकारी कंपनियों के लिए समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, एमसीए ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2017 द्वारा अधिनियम की अनुसूची IV में एक संशोधन किया है, जिसके तहत इसने सरकारी कंपनियों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष का स्वतंत्र निदेशक द्वारा निष्पादन मूल्यांकन और स्वतंत्र निदेशकों का बोर्ड द्वारा निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुपालन करने से छूट दी है, यदि संबंधित विभागों या मंत्रालयों ने इन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है। इस संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र भी निर्धारित किया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है।

5. हितधारक संबंध समिति

सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के अनुरूप, कंपनी ने हितधारक संबंध समिति का गठन किया है।

31 मार्च 2021 को, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रकृति	पद
(i)	श्री अशोक कुमार सिंघल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	श्री अमिताभ बैनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
(iii)	सुश्री शैली वर्मा	निदेशक वित्त	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की एक बैठक 27 जून, 2020 को आयोजित की गई थी। सदस्यों की भागीदारी नीचे दी गई है: -

क्रमांक	हितधारक संबंध समिति के सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्री अमिताभ बैनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
2.	श्रीमती अदिति सेनगुप्ता राय गैर-सरकारी / स्वतंत्र निदेशक	1	1
3.	श्री चेतन वेणुगोपाल गैर-सरकारी / स्वतंत्र निदेशक	1	1
4.	श्री नीरज कुमार निदेशक वित्त	1	1

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

श्री विजय बाबूलाल शिरोडे, कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

निवेशक की शिकायतें

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों की जानकारी इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	इक्विटी*	बांड
1	प्रारंभ में लंबित शिकायतें	शून्य	शून्य
2	पत्राचार के माध्यम से प्राप्त शिकायतें	3300	1383
3	सेबी से इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	0	10
4	इस अवधि के दौरान शिकायतों का समाधान किया गया/उत्तर दिया गया	3300	1393
5	अंत में लंबित शिकायतें	शून्य	शून्य

*कंपनी 29 जनवरी, 2021 को सूचीबद्ध हुई।

5क. जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करने और विभिन्न जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिशें करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 को जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित शामिल थे:

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रकृति	पद
(i)	श्री अमिताभ बैनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	सुश्री शैली वर्मा	निदेशक वित्त	सदस्य
(iii)	श्री अशोक कुमार सिंघल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9 जुलाई, 2020, 31 दिसंबर, 2020 और 31 मार्च, 2021 को तीन बैठकें आयोजित की गईं। सदस्यों की भागीदारी नीचे दी गई है: -

क्रमांक	जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्री अमिताभ बैनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3
2.	श्री नीरज कुमार निदेशक वित्त	1	1
3.	सुश्री शैली वर्मा निदेशक वित्त	2	2

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

- विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

  क) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।

  ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय।

  ग) व्यापार निरंतरता योजना।

- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यपद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना;

- जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, दो साल में कम से कम एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है;
- निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करते रहना;
- मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाएंगी।

जोखिम प्रबंधन समिति अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी, ऐसे मामलों में जहां निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होता हो।

5ख.सीएसआर समिति

सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की सीएसआर समिति है।

31 मार्च 2021 को, सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रकृति	पद
(i)	श्री अशोक कुमार सिंघल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	श्री अमिताभ बैनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
(iii)	सुश्री शैली वर्मा	निदेशक वित्त	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 29 सितंबर, 2020 और 13 फरवरी, 2021 को समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की भागीदारी नीचे दी गई है: -

क्रमांक	सीएसआर समिति के सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्री अमिताभ बैनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
2.	सुश्री शैली वर्मा निदेशक वित्त	2	2
3.	श्री चेतन वेणुगोपाल गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक	2	2
4.	श्री अशोक कुमार सिंघल गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक	2	2

6. निदेशकों का पारिश्रमिक

आईआरएफसी के सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तों के अनुसार था। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रति बोर्ड/समिति बैठक में केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त को पारिश्रमिक का भुगतान

कंपनी द्वारा अपने कार्यात्मक निदेशकों को 2020-21 के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान निम्नानुसार किया गया: -

(रु. लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन और भत्ते	अनुलाभ और लाभ	पीएफ में योगदान	कुल
श्री अमिताभ बैनर्जी , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	48.97	16.38	4.54	69.89
श्री नीरज कुमार, निदेशक वित्त, 31 जुलाई 2020 तक	16.67	8.65	1.34	26.66

(रु. लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन और भत्ते	अनुलाभ और लाभ	पीएफ में योगदान	कुल
सुश्री शैली वर्मा, निदेशक वित्त, 1 सितंबर 2020 से	27.97	2.69	2.24	32.90

निदेशक न तो एक दूसरे से संबंधित हैं, न ही कंपनी के साथ आर्थिक रूप से संबंधित हैं।

बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) को 30,000 रु. प्रति बैठक और बोर्ड की समिति (समितियों) की बैठकों में 20,000 रु. प्रति बैठक का भुगतान किया जाता है। मार्च, 2021 में बोर्ड ने बैठक शुल्क 30,000 रु. से बढ़ाकर 40,000 रु. प्रति बोर्ड बैठक और 20,000 रु. से बढ़ाकर 25,000 रु. प्रति समिति बैठक कर दिया है।

सरकारी नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक/शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

7. आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के आयोजन स्थल और समय का विवरण इस प्रकार है: –

एजीएम संख्या	एजीएम तिथि	स्थान	समय
33	30 सितंबर,2020	यूजी-फ्लोर, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003	अपराह्न 3:00 बजे
32	26 सितंबर, 2019	समिति कक्ष (237), दूसरी मंजिल, रेल भवन, नई दिल्ली	अपराह्न 5.30 बजे
31	27 सितंबर, 2018	समिति कक्ष (237), दूसरी मंजिल, रेल भवन, नई दिल्ली	अपराह्न 5.00 बजे

- 27 सितंबर, 2018 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम बैठक में तीन विशेष संकल्प पारित किए गए।
- 26 सितंबर, 2019 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम बैठक में तीन विशेष संकल्प पारित किए गए।
- 30 सितंबर, 2020 को आयोजित 33वीं वार्षिक आम बैठक में तीन विशेष संकल्प पारित किए गए।

असाधारण आम बैठक

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

डाक मतपत्र

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। वर्तमान में, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो इसे कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमों या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में पारित किया जाएगा।

8. संचार के साधन

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठकों, अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण और समाचार पत्रों में लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के माध्यम से संवाद करती है। सूचना, नवीनतम अपडेट और कंपनी के बारे में घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट: www. irfc.nic.in पर देखी जा सकती हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्तीय जानकारी;
- शेयरधारिता पैटर्न;
- कॉर्पोरेट गवर्नेन्स;
- निवेशक प्रस्तुतिकरण और प्रतिलेख;
- समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को नोटिस और सूचनाएं;
- डिबेंचर ट्रस्टी;
- निवेशक संपर्क; आदि।

कंपनी अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ विश्लेषक ब्रीफिंग और व्यक्तिगत चर्चाओं के संयोजन और समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में भागीदारी के माध्यम से भी संवाद करती है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद नियमित रूप से कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाती है।

कंपनी के बांड जारी करने के संबंध में सूचना ज्ञापन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। कंपनी के वार्षिक खाते कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी की वेबसाइट निवेशकों और इसके व्यवसाय में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को होस्ट करती है।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

i) **वार्षिक आम बैठक:**

दिनांक: 29 सितंबर, 2021

दिन: बुधवार

समय : अपराह्न 3.00 बजे।

ii) **वित्त वर्ष**

कंपनी का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च की अवधि तक है।

iii) **लाभांश का भुगतान**

13 फरवरी, 2021 को घोषित 1.05 रु./प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश (अर्थात 10 रु. की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 10.50%)।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी ने ''लाभांश वितरण नीति'' तैयार की है और यह कंपनी की वेबसाइट https:// irfc.nic.in/ policies/ पर उपलब्ध है।

iv) **स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग**

आईआरएफसी इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	**बीएसई लिमिटेड**
लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा,	लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग,
बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई)	पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट,
मुंबई- 400 051	मुंबई -400 001
स्क्रिप सिंबल: आईआरएफसी	**स्क्रिप कोड:** 543257
स्टॉक कोड: आईएसआईएन - INE053F01010	

स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2020-21 की लिस्टिंग फीस का भुगतान कर दिया गया है।

v) **बाजार मूल्य डेटा** *

माह	**एनएसई**		**बीएसई**	
	उच्च	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**
जनवरी 2021	25.80	24.35	25.80	24.30
फरवरी 2021	26.20	23.85	26.20	23.85
मार्च 2021	26.70	22.90	26.60	22.90

*कंपनी 29 जनवरी, 2021 को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हुई।

vi) **स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक***

माह	**एनएसई**		**बीएसई**	
	उच्च	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**
जनवरी 2021	14,753.55	13,596.75	50,184.01	46,160.46
फरवरी 2021	15,431.75	13,661.75	52,516.76	46,433.65
मार्च 2021	15,336.30	14,264.40	51,821.84	48,236.35

*कंपनी 29 जनवरी, 2021 को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हुई।

vii) कंपनी की प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया है।

viii) **रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:**

इक्विटी शेयर	**बांड**
मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
तीसरी मंजिल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे,	सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32
दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली- 110062	वित्तीय जिला नानकरामगुडा । सेरिलिंगमपल्ली । मंडल हैदराबाद -500032 ।
ईमेल आईडी: irfc beetalfinancial.com	भारत
फोन नंबर: 91-11-2996 1281-83	फोन: +91 040 6716 1598 । टोल फ्री नंबर: 1800-345-4001
वेबसाइट: www.beetalfinancial.com	ईमेल आईडी: brahma.k@kfintech.com । वेबसाइट: www.kfintech.com

ix) **शेयर ट्रांसफर सिस्टम**

सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के नियमन 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से डीमैट रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले में।

सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

x) **शेयरधारिता का वितरण**

31 मार्च, 2021 तक शेयरधारिता का वितरण

क्रमांक	राशि	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरों का %
1	1-500	4,35,768	31.88	668,15,440	0.51
2	501-1000	8,45,300	61.83	5119,18,630	3.92
3	1001-2000	49,946	3.65	729,08,100	0.56
4	2001-3000	12,105	0.89	305,89,298	0.23
5	3001-4000	7,089	0.52	257,40,140	0.20
6	4001-5000	5,218	0.38	247,48,398	0.19
7	5001-10000	6,905	0.51	522,37,115	0.39
8	10001 । Above	4,698	0.34	122835,48,879	93.99
कुल		**13,67,029**	**100**	**130685,06,000**	**100**

31 मार्च, 2021 को शेयरधारिता का पैटर्न

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का %
राष्ट्रपति	112864,37,000	86.36
निवासी व्यक्ति	9150,21,418	7.00
म्यूचुअल फंड	3940,18,521	3.02
एफपीआई श्रेणी । बॉडी कॉरपोरेट	1881,01,449	1.44
क्यूआईबी बीमा कंपनी आईआरडीए के साथ पंजीकृत	1538,37,512	1.18
एचयूएफ	312,09,919	0.24
बॉडी कारपोरेट	303,53,189	0.23
क्यूआईबी पेंशन फंड कॉर्पस 25 करोड़ रु. और अधिक	207,64,857	0.16
समाशोधन सदस्य	141,81,950	0.11
एनआरआई प्रत्यावर्तनीय	139,18,164	0.11
राष्ट्रीयकृत बैंक	48,01,320	0.04
एनआरआई गैर-प्रत्यावर्तनीय	45,08,112	0.03
ट्रस्ट	36,30,432	0.03
बॉडी कॉरपोरेट मार्जिन ट्रेडिंग	27,64,362	0.02
बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी	22,71,850	0.02
बॉडी कॉर्पोरेट ग्राहक संपार्श्विक खाता	20,26,913	0.02
एफपीआई श्रेणी II बॉडी कारपोरेट	2,57,400	0.00
बॉडी कॉरपोरेट एनबीएफसी	1,67,626	0.00
बैंक अन्य	95,900	0.00
बॉडी कॉरपोरेट ब्रोकर	84,930	0.00
निवासी व्यक्तिगत मार्जिन ट्रेडिंग खाता	40,600	0.00
बॉडी कॉरपोरेट गवर्नमेंट कंपनी	6,900	0.00
एनआरआई डीआर	2,000	0.00
विदेशी नागरिक	1,925	0.00
व्यक्तियों का व्यक्तिगत संघ एओपी	1,751	0.00
कुल	**130685,06,000**	**100**

xi) **शेयरों का डी-मैट**

31 मार्च, 2021 को एनएसडीएल, सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में और फिज़िकल मोड में धारित शेयरों की संख्या

विवरण	शेयरों की संख्या	कुल जारी पूंजी का %
एनएसडीएल	12,41,05,88,702	94.97%
सीडीएसएल	65,79,17,273	5.03%
भौतिक	25	0.00%
कुल	**13,06,85,06,000**	**100**

xii) **बकाया जीडीआर और एडीआर वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किए गए हैं।

xiii) **कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां**

आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति लागू की है। कंपनी फार्वर्ड, विकल्प और स्वैप जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए हेजिंग लेनदेन करती है।

xiv) **आईआरएफसी संयंत्रों का स्थान**

आईआरएफसी के पास कोई संयंत्र नहीं है क्योंकि यह लीज और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के व्यवसाय में है।

xv) **पत्र व्यवहार का पता :-**

पंजीकृत कार्यालय

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
कमरा नंबर 1316 - 1349, तीसरी मंजिल, होटल दि अशोक,
डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली -110021
सीआईएन - L65910DL1986GOI026363

कंपनी सचिव

विजय बाबूलाल शिरोडे
फोन: +91 11 24100385
ईमेल: cs@irfc.nic.in

xvi) **क्रेडिट रेटिंग**

घरेलू:

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू उधार कार्यक्रम को क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा क्रमशः क्रिसिल ---/स्टेबल, आईसीआरए --- (स्टेबल) और केयर --- ट्रिपल - की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग दी गई थी। कंपनी ने क्रिसिल -1+'', ''आईसीआरए -1+'', और क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा केयर -1+ ए वन प्लस की उच्चतम रेटिंग प्राप्त करते हुए अपने अल्पकालिक उधार कार्यक्रम का मूल्यांकन भी किया।

अंतरराष्ट्रीय:

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, तीन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - स्टैंडर्ड और एम्प; पूअर्स, फिच और मूडीज - ने आपकी कंपनी को क्रमशः ''बीबीबी- स्टेबल आउटलुक के साथ'', ''बीबीबी - नेगेटिव आउटलुक के साथ'' और ''बीएए3 नेगेटिव आउटलुक के साथ'' रेटिंग प्रदान की है। इसके अलावा, कंपनी ने जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ''बीबीबी+ स्टेबल आउटलुक के साथ'' की जारीकर्ता विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है। ये सभी चारों क्रेडिट रेटिंग भारत की सॉवरेन रेटिंग के बराबर हैं, और निवेश ग्रेड की हैं।

xvii) **शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान**

शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है, जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ''(डिपॉजिटरी)'' और कुल जारी पूंजी और सूचीबद्ध पूंजी के साथ कुल स्वीकृत पूंजी पर रिपोर्ट जारी करता है। लेखापरीक्षा पुष्टि करती है कि कुल जारी / प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और डीमैट रूप में शेयरों की कुल संख्या (डिपॉजिटरी के साथ धारित) के साथ मेल खाती है और शेयरों के डीमैटेरियलाइजेशन के अनुरोध निर्धारित अवधि के भीतर आर एंड टी एजेंट द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं और संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपलोड किये जाते हैं।

10. प्रकटीकरण

i) कंपनी ने कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है जिसका कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया जहां उनका व्यक्तिगत हित था। इसके अलावा, रेल मंत्रालय और/या इसकी संस्थाओं के साथ लेन-देन व्यापार के सामान्य क्रम में और सुरक्षित दूरी पर हैं।

ii) कंपनी ने उस पर लागू होने वाले सभी प्रमुख कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से

संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है या कोई निंदा नहीं की गई है।

iii) **व्हिसल ब्लोअर नीति:–** मौजूदा सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप और संबंधित नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत, कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है, और उसके बारे में कंपनी के सभी कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है। सभी हितधारकों की सुविधा के लिए उक्त नीति को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है। नीति के तहत कार्रवाई के संदर्भ में कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है। आईआरएफसी की व्हिसल–ब्लोअर नीति है और इसे कंपनी की वेबसाइट http:// irfc.nic.in/wp-content/uploads/2021/03/Whistle-Blower-Policy-New.pdf पर रखा गया है।

iv) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

v) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी ने ''संबंधित पार्टी लेनदेन नीति'' तैयार की है और यह https:// irfc.nic.in/policies/ पर उपलब्ध है।

vi) सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10) (i) के अनुसार प्रमाणपत्र पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक (क) के रूप में संलग्न है।

vii) वित्तीय विवरणों में आईआरएफसी द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के विवरण का खुलासा किया गया है।

viii) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:**

क्रमांक	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
2	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3	वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

ix) ऐसे व्यय की किसी भी मद को बहीखातों में नामे नहीं किया गया है, जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं है। इसके अलावा, ऐसा कोई खर्च नहीं था जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो और निदेशक मंडल और / या शीर्ष प्रबंधन के लिए वहन किया गया हो।

x) वर्ष के दौरान, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कारोबार के 0.11% पर स्थिर रहे। पिछले साल यह आंकड़ा 0.13% था।

xi) कंपनी के लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इसके खातों की लेखापरीक्षा की है और बिना शर्त प्रमाण–पत्र प्रदान किया है।

xii) कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि कंपनी ने भारत सरकार द्वारा आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन न करने के कारण निदेशक मंडल की संरचना का अनुपालन नहीं किया है।

xiii) वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

11. विवेकाधीन आवश्यकताएं

आपकी कंपनी ने मोटे तौर पर सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की सभी आवश्यकताओं और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने/नहीं अपनाने की जानकारी इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–ख** में दी गई है।

12. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (ख) से (i) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन उस सीमा तक किया गया है, जहां तक अनुपालन कंपनी के दायरे में हैं।

13. सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी सचिवों की पेशेवर फर्म मेसर्स नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षक की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक–V** के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षक के साथ-साथ जिस लेखापरीक्षक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन प्रमाण पत्र दिया है, उसने पाया कि कंपनी के पास वर्ष के कुछ भाग के लिए पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। कंपनी ने अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

14. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाणपत्र

जैसा कि सरकारी दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया है, जो इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक - VI के रूप में संलग्न है।

कंपनी ने श्री विजय शिरोडे, संयुक्त महाप्रबंधक (विधि) और कंपनी सचिव कंपनी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

15. आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता (कोड) आपकी कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के दृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www. irfc.nic.in पर उपलब्ध करा दी गई है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की गई आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा **अनुलग्नक-VIII** में संलग्न है।

16. डीमैट उचंत खाते का विवरण

31 मार्च, 2021 को डीमैट उचंत खाते में शेयरों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
29 जनवरी, 2021* को शेयरधारकों की कुल संख्या और उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	28	49318
घटाएं: वर्ष 2020-21 के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	16	42418
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2021 को शेयरधारकों की कुल संख्या और उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	12	6900

*कंपनी 29 जनवरी, 2021 को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हुई।

17. आंतरिक प्रक्रिया संहिता और अंदरूनी व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के निषेध के लिए आचरण

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर संशोधित के अनुसरण में, आईआरएफसी बोर्ड ने भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड सिक्योरिटीज के लेनदेन में इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचरण संहिता इस उद्देश्य के साथ निर्धारित की है कि 'नामित व्यक्ति' के पास कंपनी के बारे में जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी है और उस तक पहुंच है उससे वे कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या और लाभ प्राप्त करने में दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार वह अंदरूनी जानकारी है। कंपनी सचिव को इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

18. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को समय-समय पर बोर्ड के दो पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा कंपनी के व्यवसाय, प्रकृति और संचालन की व्यापक कार्यप्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से अवगत कराया जाता है। कंपनी के निदेशक मंडल में अपने-अपने क्षेत्रों और उद्योग में व्यापक अनुभव और उच्च स्तर की विशेषज्ञता वाले पेशेवर शामिल हैं। उनकी पेशेवर स्थिति उन्हें वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था में नवीनतम रुझानों के साथ-साथ प्रासंगिक कानून की उभरती स्थिति के लिए पर्याप्त जानकारी देती है। कंपनी का यह प्रयास होगा कि वित्त, लेखा आदि के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम के साथ खुद को अपडेट रखने के लिए पूर्णकालिक निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें।

19. लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन

लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए:

30.09.2020 को समाप्त छमाही (लेखापरीक्षित)	
फाइनेंशियल एक्सप्रेस	14.11.2020
जनसत्ता (हिंदी)	14.11.2020
31.03.2021 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	
फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता (हिंदी)	30.06.2021
इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड	01.07.2021

20. बांड के न्यासी

कंपनी द्वारा जारी बांडों के लिए नियुक्त न्यासी निम्नानुसार हैं: -

1. एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
   एपीजे हाउस
   6ठी मंजिल,
   3, दिनशॉवच्छ रोड
   चर्चगेट, मुंबई - 400 020
   निम्न के तहत जारी बांडों के लिए
   81वीं सीरीज और आगे

2. इंडियन बैंक
   254-260, शनमुगम सलाई
   चेन्नई - 600 014
   निम्न के तहत जारी बांडों के लिए
   46वीं ''ईई'' सीरीज़ से 80वीं 'ए' सीरीज़

अनुलग्नक –क

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: कमरा नंबर 1316-1349, तीसरी मंजिल
होटल द अशोक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव,
50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

हमने सीआईएनयू 65910डीएल1986जीओआई26363 वाले भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड और कमरा नंबर 1316-1349, तीसरी मंजिल होटल अशोक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में पंजीकृत कार्यालय (अब से 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा- ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) जैसा कि आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके निदेशकों / अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में नीचे बताए अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बोर्ड/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अमिताभ बैनर्जी	03315975	12/10/2019
2.	श्री बलदेव पुरुषार्थ	07570116	03/06/2020
3.	सुश्री शैली वर्मा	07935630	01/09/2020
4.	श्री अशोक कुमार सिंघल	08193963	20/07/2018
5.	श्री भास्कर चोराड़िया	08975719	27/11/2020

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित/-
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंध भागीदार
एफसीएस: 3214, सीओपी: 3005
UDIN:F003214C000756637

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 अगस्त, 2021

अनुलग्नक–ख

गैर–अनिवार्य आवश्यकताएँ

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस खंड से संबंधित गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं की स्थिति इस प्रकार है:

1. **बोर्ड:** कंपनी का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष करते हैं।

2. **शेयरधारक अधिकार:** कंपनी के त्रैमासिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के ''लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन'' शीर्षक के तहत उल्लेख किया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

3. **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय जारी की है।

4. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ नियमित विचार–विमर्श करते हैं।

अनुलग्नक-III

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	U65910DL1986GOI026363
2.	कंपनी का नाम	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	कमरा नंबर 1316 - 1349, तीसरी मंजिल, होटल अशोक, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी नई दिल्ली -110021
4.	वेबसाइट	www.irfc.nic.in
5.	ई-मेल आईडी	cs@irfc.nic.in
6.	सूचित वित्त वर्ष	2020-21
7.	क्षेत्र (क्षेत्रों) जिसमें कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार) कार्यरत है	व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ कार्यरत है।
8.	प्रमुख उत्पाद/सेवाएं जो कंपनी बनाती हैं/प्रदान करती हैं (बैलेंस शीट के अनुसार)	कंपनी का मुख्य व्यवसाय वित्तीय बाजारों से धन उधार लेना है ताकि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/सृजन को वित्तपोषित किया जा सके, जिन्हें बाद में भारतीय रेलवे को पट्टे पर दिया जाता है।
9.	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है	
10.	(a) अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या	कोई नहीं
	(b) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	1
	कंपनी का कार्य बाजार -स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड ख: कंपनी का वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2021 तक)

1.	चुकता पूंजी	13068,50,60,000
2.	कुल कारोबार	1,57,704.72
3.	करों के बाद कुल लाभ	44,161.31
4.	कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% होने के नाते, 61.23 करोड़ रु. खर्च करना था, जिसके संबंध में कंपनी ने 61.28 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ कुल 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसके संबंध में कंपनी ने 41.51 करोड़ रु. की राशि का संवितरण किया है।
5.	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है	जिन प्रमुख क्षेत्रों पर उपरोक्त व्यय किया गया है, उनमें सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ), पीएम केयर्स फंड में योगदान और रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्रों में 105 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए योगदान शामिल है।

खंड ग: अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	नहीं
2.	क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएं	नहीं
3.	क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे, आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनसे कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई/संस्थाओं का प्रतिशत बताएं?	नहीं

खंड घ: बीआर सूचना

1. बीआर/बीआर शीर्ष के लिए जिम्मेदार निदेशक का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
1.	नाम	श्री अमिताभ बैनर्जी
2.	पदनाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3.	डीआईएन	03315975
4.	टेलीफोन नं.	011-24100380
5.	ई-मेल आईडी	cmd@irfc.nic.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां

सेबी परिपत्र दिनांक 4 नवंबर, 2015 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) (ष), यथा संशोधित, यह प्रावधान करता है कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियां निम्नलिखित पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से उनके द्वारा की गई पहलों का वर्णन करते हुए निम्नलिखित नौ सिद्धांतों के आधार पर एक संरचित व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करेंगी: -

सिद्धांत 1 (पी1)	व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन और प्रशासन करना चाहिए। **(नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही)**
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में सतत्ता में योगदान दें। **(उत्पाद के जीवन-चक्र में सतत्ता)**
सिद्धांत 3 (पी3)	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए। **(कर्मचारी कल्याण)**
सिद्धांत 4 (पी4)	व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं। **(हितधारक जुड़ाव)**
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। **(मानवाधिकारों का प्रचार)**
सिद्धांत 6 (पी6)	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। **(पर्यावरण संरक्षण)**

सिद्धांत 7 (पी7)	जब व्यवसाय सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए। **(जिम्मेदार सार्वजनिक नीति की पैरवी)**
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए। **(समावेशी विकास और समान विकास)**
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें लाभ प्रदान करना चाहिए। **(ग्राहक लाभ)**

2(a) अनुपालन का विवरण (उत्तर हां/ना में)

क्रमांक	विवरण	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास... के लिए कोई नीति/नीतियां हैं?	हां	*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की जा रही है?	हां	–	हां	हां	हां	–	–	हां	हां
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है? यदि हां, तो निर्दिष्ट करें?	हां	हां	हां	हां	हां	–	–	हां	हां
4.	क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	–	–	हां	हां
5.	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	–	–	हां	हां
6.	ऑनलाइन देखी जाने वाली नीति के लिए लिंक बताएं?	**	**	**	**	**	–	–	**	**
7.	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी हितधारकों को सूचित कर दिया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	–	–	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	–	–	हां	हां
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	–	–	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कामकाज का स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन किया है?	हां	हां	हां	हां	हां	–	–	हां	हां

नोट:(*) एनबीएफसी होने के कारण आईआरएफसी के लिए इस सिद्धांत की सीमित प्रयोज्यता है।

(**) प्रासंगिक स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ख** में उल्लिखित हैं।

2(b)	यदि किसी भी सिद्धांत के सामने प्रश्न क्रमांक (क) का उत्तर 'नहीं' में है, तो कृपया बताएं कि ऐसा क्यों है	लागू नहीं
3.	**बीआर से संबंधित गवर्नेन्स**	
	निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ सतत कंपनी के निष्पादन का आकलन कितनी बार करते हैं।	कंपनी की बीआर गतिविधियों की देखरेख कार्यात्मक निदेशक (निदेशकों) द्वारा की जाती है और बोर्ड वार्षिक आधार पर निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट की समीक्षा भी करता है।
	क्या कंपनी बीआर या सतत रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है?	कंपनी 29 जनवरी, 2021 को सूचीबद्ध हुई। वर्तमान रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी और कंपनी की वेबसाइट: www. irfc.nic.in पर उपलब्ध होगी।

खंड ङ : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1 – नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1.	क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य पर लागू होती है?	भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) की स्थापना 12 दिसंबर, 1986 को घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की समर्पित वित्तीय शाखा के रूप में की गई थी। 1. व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता, जो बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवहार और नैतिक मानकों का भी ध्यान रखती है, सभी क्षेत्रों गतिविधियों और जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास करने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करने का दायित्व निर्धारित करती है। 2. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने या कंपनी के भीतर किसी भी अनुचित गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति है। 3. भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के तहत निर्धारित केवाईसी और धन शोधन निवारण नीति अपने ऋण संचालन में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धतियों को निर्धारित करती है। 4. माल, सेवाओं और कार्यों की खरीद के लिए नियमावली जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में माल और सेवाओं की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। 5. संबंधित पार्टी लेनदेन की तात्विक और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति, जो संबंधित पार्टी लेनदेन करने से पहले पर्याप्त प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण को निर्धारित करती है। 6. दस्तावेजों के संरक्षण/अभिलेखों को बनाए रखने के मामले में निगम की दस्तावेजों और अभिलेखीय नीति की रोकथाम और अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 आदि जो लागू हो। 7. इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध, जो कंपनी के प्रमोटर, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशक द्वारा अपनी होल्डिंग्स के साथ-साथ कंपनी में डीलिंग के बारे में खुलासा करता है। । 8. घटनाओं की तथ्यात्मकता या प्रकटीकरण के लिए सूचना के निर्धारण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को घटनाओं के तथ्यात्मक प्रकटीकरण की नीति। 9. (i) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (कंपनी) और उसके निदेशकों से जुड़े बकाया मुकदमे; (ii) समूह कंपनियां, और (iii) कंपनी के प्रमुख लेनदार (कुल मिलाकर, नीति) की पहचान के लिए समूह कंपनियों, प्रमुख लेनदारों और तथ्यात्मक नीति को परिभाषित करने के लिए तथ्य की पहचान। 10. नामांकन और पारिश्रमिक नीति जिसमें भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और विकास जैसे मानव संसाधन कार्यों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। 11. धरती माता को बचाने और मानव जाति की भावी पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन के लिए सरकार के सतत विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरंतनता नीति। 12. निदेशक मंडल में विविधता रखने के लिए नीति तैयार करने के लिए बोर्ड विविधता नीति की आवश्यकता है। 13. लाभांश वितरण नीति लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए है जिसका खुलासा उनकी वार्षिक रिपोर्ट और उनकी वेबसाइटों पर किया जाएगा।

2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया था? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं।	कंपनी 29 जनवरी, 2021 को सूचीबद्ध हुई थी। कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के शेयरधारकों और बॉन्डधारकों से कुल 4,693 शिकायतें मिली थीं। जिनमें से सभी का समाधान 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया था।

सिद्धांत – 2 – उत्पाद के जीवन-काल में सतत्ता

1.	अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।	आईआरएफसी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय रेलवे की 'अतिरिक्त बजटीय संसाधनों' (ईबीआर) के प्रमुख हिस्से को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर बाजार उधार के माध्यम से पूरा करना है। इसलिए कंपनी का मुख्य व्यवसाय वित्तीय बाजारों से धन उधार लेना है ताकि अधिग्रहण/संपत्ति के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया जा सके जो कि भारतीय रेलवे को पट्टे पर दिया जाता है। इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2018/11/CSR-Policy.pdf.
2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रति यूनिट उत्पाद के संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।	घरेलू तथा विदेशी पूंजी बाजारों से
	i. सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान पिछले वर्ष से पूरी मूल्य शृंखला में कमी आई है?	लागू नहीं
	ii. उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) में कमी पिछले वर्ष से प्राप्त की गई है?	लागू नहीं
3.	क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? (क) यदि हां, तो आपके कितने प्रतिशत इनपुट को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण भी दें।	लागू नहीं
4.	क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान है और उत्पादों का निर्माण नहीं करता है। हम खरीद में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं।
5.	क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कोई तंत्र है? यदि हाँ, तो उत्पादों और कचरे के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है? लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण भी दें।	लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान है और उत्पादों का निर्माण नहीं करती है।

सिद्धांत 3 – कर्मचारी कल्याण

1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं	31 मार्च 2021 को आईआरएफसी में 29 कर्मचारी थे।
2.	कृपया अस्थायी/संविदा/आकस्मिक आधार पर काम पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं	31 मार्च, 2021 को आईआरएफसी में संविदा के आधार पर 57 कर्मचारी काम पर रखे गए थे।
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं	31 मार्च, 2020 तक कंपनी में 6 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।
4.	कृपया निःशक्तता से ग्रस्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें	शून्य
5.	क्या आपका कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?	नहीं
6.	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	शून्य
7.	कृपया वित्त वर्ष के अंत तक बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित और लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।	शून्य
8.	पिछले वर्ष आपके कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?	शून्य

सिद्धांत 4 – हितधारक जुड़ाव

1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है? हाँ/नहीं।	हाँ
2.	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और पिछड़े हितधारकों की पहचान की है?	सभी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी और अल्पसंख्यक) की पहचान वंचित, कमजोर और पिछड़े हितधारकों के रूप में की जाती है।
3.	क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और पिछड़े हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं।	सभी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों (एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी) और अल्पसंख्यकों के लिए कैरियर की प्रगति के विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया जाता है। पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लाभ के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की गई थी। इस श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए संपर्क अधिकारी मौजूद हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के हितों को देखने के लिए विभिन्न चयन और पदोन्नति समितियों में उपयुक्त स्तर के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

सिद्धांत 5 – मानवाधिकारों का संवर्धन

1.	क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों/ अन्य तक पर भी लागू है?	आईआरएफसी की मानवाधिकारों पर कोई विशिष्ट नीति नहीं है। हालाँकि, यह कंपनी की विभिन्न मानव संसाधन नीतियों और पद्धतियों में अंतर्निहित है।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया था?	कंपनी को अपने किसी भी हितधारक से मानवाधिकारों के उल्लंघन के क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं मिली है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1,393 बांड शिकायतें और इक्विटी से संबंधित 3,300 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका समाधान किया गया और वर्ष के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

सिद्धांत 6 – पर्यावरण संरक्षण

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/ अन्य तक पर भी लागू है?	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों में अंतर्निहित है और कंपनी को समग्र रूप से कवर करती है।
2.	क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए रणनीति/पहल है? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	आईआरएफसी सामाजिक रूप से जागरूक संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा प्रतिपादित ग्लोबल कॉम्पेक्ट के नौ सिद्धांतों का पूरी तरह से समर्थन करती है, जिसमें मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और श्रम अधिकार शामिल हैं। ग्लोबल कॉम्पेक्ट के ये सिद्धांत कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में अंतर्निहित हैं, जिससे उनके कार्यान्वयन को स्वाभाविक रूप से सुगम बनाया जा सकता है। आईआरएफसी उचित योजना और निर्णय लेने के माध्यम से समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करती है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को वास्तविक और स्थायी रूप से कम करने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा। आईआरएफसी उन गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखता है जिनका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और साथ ही साथ पृथ्वी की सभी विविधता में जीवन का समर्थन करने की क्षमता की रक्षा करना है।
3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करती है और उनका आकलन करती है? हां/नहीं।	कंपनी के रूप में लागू नहीं है, यह वित्तीय संस्थान है और उत्पादों का निर्माण नहीं करती है।
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?	कंपनी के रूप में लागू नहीं है, यह वित्तीय संस्थान है और उत्पादों का निर्माण नहीं करती है।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	कंपनी के रूप में लागू नहीं है, यह वित्तीय संस्थान है और उत्पादों का निर्माण नहीं करती है।
6.	क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर रिपोर्ट किया जा रहा है?	कंपनी के रूप में लागू नहीं है, यह वित्तीय संस्थान है और उत्पादों का निर्माण नहीं करती है।
7.	सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्त वर्ष के अंत तक लंबित हैं (अर्थात संतुष्टिपरक हल नहीं किया गया)।	कंपनी के रूप में लागू नहीं है, यह वित्तीय संस्थान है और उत्पादों का निर्माण नहीं करती है।

सिद्धांत 7 – जिम्मेदार सार्वजनिक नीति की पैरवी

1.	क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है।	नहीं
2.	क्या आपने जनता की भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से पैरवी की/ पैरवी की है? यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों का उल्लेख करें।	लागू नहीं

सिद्धांत 8 – समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास

1.	क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/ परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो उसका विवरण दें।	आईआरएफसी समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न कार्यक्रम/परियोजनाएं चलाता है। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय रेलवे के परिसंचारी क्षेत्रों में स्वच्छता, सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए रेलवे के परिसंचारी क्षेत्रों में 105 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को मंजूरी दी, पीएम केयर्स में 30 करोड़ रु. का योगदान दिया और बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड-स्टोर उपकरण प्रदान किए।
2.	क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाउस टीम/ स्वयं के प्रतिष्ठान/बाहरी गैर सरकारी संगठन/ सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से शुरू की गई हैं?	कम जनशक्ति वाले संगठन होने के नाते, ज्यादातर, सीएसआर और एसडी नीति के तहत शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं लागू सीएसआर प्रावधानों के अनुसार पात्र सरकारी/अर्ध सरकारी/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू होती हैं।
3.	क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?	1 करोड़ रु. या उससे अधिक के व्यय के साथ स्वीकृत परियोजनाएं/कार्यक्रम स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित अनिवार्य प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाता है। हालांकि, कंपनी किसी भी परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।
4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि भारतीय रुपए में और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण?	वर्ष 2020-21 के दौरान, आईआरएफसी ने कंपनी की सीएसआर पहल के तहत स्वच्छता, कौशल विकास और शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू कीं। स्वीकृत और संवितरित राशि के संदर्भ में आईआरएफसी का योगदान नीचे दिया गया है: (रु. करोड़ में)

गतिविधियों की प्रकृति	स्वीकृत	संवितरण
स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/ पेयजल	26.28	10.51
कौशल विकास और शिक्षा	01.00	01.00
सौर अनुप्रयोग पर्यावरण / वृक्षारोपण स्वास्थ्य क्षेत्र	34.00	30.00
अन्य (प्रभाव अध्ययन, प्रशासन उपरिव्यय, सौभाग्य, आरा और सीतामढ़ी जिला ग्राम विकास कार्यक्रम और केदारनाथ और इसके आसपास के क्षेत्रों की बहाली)		
कुल	**61.28**	**41.51**

5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया लगभग 50 शब्दों में समझाएं।	एमओयू में सहमत प्रस्ताव और अवधि के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का दायित्व है। कार्यान्वयन एजेंसियां मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर समय-समय पर परियोजना की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। कार्यान्वयन एजेंसी को फोटो और वीडियो के साथ परियोजना पूर्णता रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, कार्यान्वयन एजेंसियों को पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 1 (एक) करोड़ रु. से अधिक के परिव्यय वाली परियोजनाओं का बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाता है।

सिद्धांत 9 – ग्राहक लाभ

1.	वित्त वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं।	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बांडधारकों और इक्विटी शेयरधारकों से प्राप्त सभी 4693 शिकायतों का 31 मार्च, 2021 तक संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया और वर्ष के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।
2.	क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है, जो स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां	लागू नहीं
3.	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार व्यवहारों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी भी हितधारक द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई मामला दायर किया गया है और वित्त वर्ष के अंत तक लंबित है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं।	शून्य
4.	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों को अंजाम दिया है?	लागू नहीं

अनुलग्नक–I

पी1 नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

आईआरएफसी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अत्यधिक महत्व के साथ संचालित करता है। कंपनी की नैतिकता और गवर्नेंस ढांचे को परिभाषित करने वाली विभिन्न नीतियां और संहिताएं हैं, जो कंपनी पर लागू कानूनों के पूर्णतया अनुरूप हैं। उक्त ढांचे में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियां और संहिताएं शामिल हैं, और इन्हीं तक सीमित नहीं है: –

नीति का नाम	वेबलिंक
बोर्ड विविधता नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Board-Diversity-Policy.pdf
व्यापार आचरण और नैतिक संहिताएं	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Code-of-business-conduct-ethics.pdf
नामांकन और पारिश्रमिक नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Nomination-Remuneration-Policy.pdf
समूह कंपनियों, तात्विक लेनदारों और तात्विक मुकदमेबाजी नीति की पहचान	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2020/06/Identification-of-group-companies-material-creditors-and-material-litigations-Policy.pdf
घटनाओं के तथ्यात्मक प्रकटीकरण की नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Policy-on-Material-Disclosure-of-Events.pdf
इनसाइडर ट्रेडिंग नीति का निषेध	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Prohibition-of-Insider-Trading-Policy.pdf
दस्तावेज़ों की रोकथाम और अभिलेखीय नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Preservation-of-Documents-and-Archival- Policy.pdf
संबंधित पार्टी लेनदेन नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Related-Party-Transactions-Policy.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Whistle-Blower-Policy.pdf
लाभांश वितरण नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2020/06/Dividend-Distribution-Policy.
केवाईसी रोकथाम और धन शोधन नीति	https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2020/06/Know-Your-Customer-KYC-and-Prevention-of-Money-Laundering-Activities-PMLA.pdf

उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध हैं।

पी2 उत्पाद जीवन–चक्र में स्थिरता

कंपनी घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक एनबीएफसी और समर्पित वित्तीय शाखा है। कंपनी के परिचालन https://irfc.nic.in/borrowing/. पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2018/11/CSR Policy.pdf. पर उपलब्ध है।

पी3 कर्मचारी कल्याण

कंपनी ने सामान्य कानूनों और विनियमों और अच्छी नैतिक पद्धतियों के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी–उन्मुख नीतियों को अपनाया है। ऐसी नीतियों को आम तौर पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वे केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

पी4 हितधारक जुड़ाव

कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो वंचित, कमजोर और पिछड़े हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर और स्थिरता नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और चिरंतनता नीति https://irfc.nic.in/wpcontent/uploads/2018/11/CSR Policy.pdf. पर उपलब्ध है।

पी5 मानव अधिकारों का संवर्धन

आईआरएफसी हर संभव तरीके से मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है। कंपनी के पास व्यवसाय आचरण और नैतिक संहिता है, जिसमें बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवहार और नैतिक मानक भी शामिल हैं, साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी गतिविधियों और कार्यों के क्षेत्रों में आनायास ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करने का दायित्व निर्धारित करती है। इस संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्य वार्षिक रूप से इसके अनुपालन की पुष्टि करते हैं। उक्त संहिता https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2017/09/Code-of-business-conduct- ethics.pdf. पर उपलब्ध है।

पी6	**पर्यावरण संरक्षण** आईआरएफसी सामाजिक रूप से जागरूक संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा प्रतिपादित ग्लोबल कॉम्पैक्ट के नौ सिद्धांतों का पूरी तरह से समर्थन करता है जिसमें मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और श्रम अधिकार शामिल हैं। ग्लोबल कॉम्पेक्ट के ये सिद्धांत कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में अंतर्निहित हैं, जिससे उनके कार्यान्वयन को स्वाभाविक रूप से सुगम बनाया जा सकता है। आईआरएफसी उचित योजना और निर्णय लेने के माध्यम से समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करता है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को वास्तविक और स्थायी रूप से कम करने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा। आईआरएफसी उन गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखता है जिनका उद्देश्य वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और साथ ही साथ पृथ्वी की सभी विविधता में जीवन का समर्थन करने की क्षमता की रक्षा करना है।
पी7	**जिम्मेदार सार्वजनिक नीति की पैरवी** आईआरएफसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाता है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल होते हैं।
पी8	**समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास** आईआरएफसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियां हैं। कंपनी के पास माल, सेवा और कार्यों की खरीद के लिए एक नियमावली है। इसके अलावा, आईआरएफसी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और स्थिरता नीति है, जो कंपनी की सीएसआर पहलों का मार्गदर्शन करती है, जिनमें से कई समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास की ओर निर्देशित हैं। कंपनी की आईआरएफसी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति https://irfc.nic.in/wpcontent/uploads/2018/11/CSR Policy.pdf. पर उपलब्ध है।
पी9	**ग्राहक लाभ** भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, आईआरएफसी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'केवाईसी और धन शोधन निवारण नीति' है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के तहत निर्धारित के अनुसार, अपने ऋण संचालन में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धतियों को निर्धारित करती है। आईआरएफसी की केवाईसी और धन शोधन निवारण नीति https://irfc.nic.in/wp-content/uploads/2020/06/Know-Your-Customer-KYC-and-Prevention-of-Money-Laundering-Activities-PMLA.pdf. पर उपलब्ध है।

अनुबंध – IV

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

आईआरएफसी अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति (सीएसआर और स्थिरता नीति) के एक हिस्से के रूप में सभी हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से अवगत जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बने रहने का प्रयास करता है। यह धरती माता को बचाने और मानव जाति की भावी पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन के लिए सरकार के सतत विकास कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है। यह वंचित वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में समावेशी विकास और समान विकास की दिशा में भी योगदान देता है।

आईआरएफसी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में अपनी सीएसआर नीति तैयार की है। कंपनी की सीएसआर योजनाओं के तहत सीएसआर गतिविधियों का चयन करते समय, आईआरएफसी अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का पालन करता है और कंपनी अधिनियम 2013, उसके तहत बनाए गए सीएसआर नियमों के प्रावधानों का पालन करता है। नीति में कंपनी के विचारार्थ सीएसआर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का फार्मेट भी निर्धारित किया गया है। सीएसआर नीति और लागू कानूनों के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एक जीएम समिति का गठन किया गया है। जीएम समिति द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद, अनुमोदित प्रस्तावों को बोर्ड की सीएसआर समिति के अनुमोदन के लिए और निदेशक मंडल की आगे की सिफारिश के लिए रखा जाता है।

आईआरएफसी सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करता है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों को अंतिम रूप देता है। कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना के पूरा होने पर समय-समय पर रिपोर्ट और परियोजना के पूरा होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जाता है।

जनशक्ति के मामले में कंपनी के छोटे आकार को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ऐसी अल्पकालिक स्थिरता सीएसआर गतिविधियों को शुरू करती है जिसे एक वित्त वर्ष के भीतर पूरा किया जा सकता हो। जहां भी संभव हो, यह कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों और विनियमों और अन्य लागू कानूनों, दिशानिर्देशों के अधीन अधिक पर्यावरणीय सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के लिए अन्य रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों / केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संसाधनों के पूल के एक हिस्से को साझा करके बड़ी परियोजनाओं में योगदान देता है, यदि कोई हो।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशन की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्री चेतन वेणुगोपाल	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	2	2
2.	श्री अशोक कुमार सिंघल	सदस्य/स्वतंत्र निदेशक	2	2
3.	श्री अमिताभ बैनर्जी	सदस्य/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
4.	सुश्री शैली वर्मा	सदस्य/निदेशक वित्त	2	2

3. कंपनी की वेबसाइट का वेब-लिंक जहां पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया जाता है।

सीएसआर समिति की संरचना के लिए वेब-लिंक	http://irfc.nic.in/investors/
सीएसआर नीति के लिए वेब-लिंक	http://irfc.nic.in/policies/
सीएसआर परियोजनाओं के लिए वेब-लिंक	http://irfc.nic.in/csr-initiatives/

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर परियोजनाओं को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर रखा जाता है। जिन परियोजना(ओं) का प्रभाव आकलन करना है वह परियोजना पूरा होने के कम से कम एक वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाना है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में स्वीकृत परियोजनाओं का प्रभाव आकलन संबंधित परियोजना के पूरा होने के कम से कम एक वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा। आईआरएफसी ने कार्यान्वयन एजेंसी को प्रभाव आकलन करने और समय-समय पर आईआरएफसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

क्रमांक	वित्त वर्ष	पूर्ववर्ती वित्त वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रु. में)	वित्त वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रु में)
1	2019-20	शून्य	शून्य
कुल		**शून्य**	**शून्य**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ। 2020-21 के लिए सीएसआर आवंटन के लिए 3061.64 करोड़ रु. लागू।

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	61.23 करोड़
(ख) पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से बचा अधिशेष	शून्य
(ग) वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो	शून्य
(घ) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख- 7ग)	61.23

8. **(क)** वित्त वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
41,51,22,000/-	19,77,09,606/-	30.04.2021	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्त वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के सामने खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्र में बनाए जाने वाले 105 सार्वजनिक शौचालय	(iv)	नहीं	भारत भर में	भारत भर में	नौ महीने	26,28,15,000/-	10,51,26,000/-	15,76,89,000/-	हां	नहीं	नहीं
2.	02 (दो) केंद्रीय अस्पताल, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता के लिए उन्नत पूरी तरह से सुसज्जित जीवन रक्षक एम्बुलेंस	(i)	नहीं	(i) पश्चिम बंगाल	कोलकाता	छह महीने	72,18,818/-	0.00	72,18,818/-	हां	लागूनहीं	लागू नहीं
3.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल, मध्य रेलवे के लिए कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम	(i)	नहीं	महाराष्ट्र	मुंबई	छह महीने	2,80,00,000/-	0.00	2,80,00,000/-	हां	लागूनहीं	लागू नहीं

1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
4.	कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए दिल्ली (राज्य) को कोल्ड-चेन स्टोरेज उपकरण	(i)	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	छह महीने	48,01,788/-	0.00	48,01,788/-	हाँ	लागूनहीं	लागू नहीं
कुल							30,28,35,606/-	10,51,26,000/-	19,77,09,606/-			

(ग) वित्त वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(7)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	पीएम केयर्स फंड	(viii)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	30,00,00,000/-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) के लिए योगदान	(vi)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	99,96,000/-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल						30,99,96,000/-			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि:- शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो:- शून्य

(च) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):- 61,28,31,606 रु.

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रमांक	विवरण	राशि (रु. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	61,23,00,000/-
(ii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	61,28,31,606/-
(iii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)-(i)	5,31,606/-
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्त वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से बचा अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्त वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii)-(iv)	5,31,606/-

9. **(क)** पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्रमांक	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
				निधि का नाम	राशि (रु. में)	हस्तांतरण तिथि	
1.	2018-19	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	2020-21*	* शून्य	* शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	19,77,09,606/-
कुल		*** शून्य**	*** शून्य**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**19,77,09,606/-**

*22.01.2021 से प्रभावी नवीनतम संशोधन के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 की चल रही परियोजनाओं से संबंधित 19,77,09,606 रु. की सीएसआर अव्ययित राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के तहत अनुसूचित बैंक के पास रखे गए 'सीएसआर अव्ययित खाते' में हस्तांतरित कर दी गई है।

(ख) पिछले वित्त वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रमांक	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	किस वित्त वर्ष में परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	वित्त वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण /जारी है
1.	CSR-1/2019-20	मिशन स्माइल	2019-20	लागू नहीं	45,00,000/-	40,50,000/-	45,00,000/-	पूर्ण
2.	CSR-2/2019-20	शौचालयों का निर्माण	2019-20	9 माह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है	16,01,92,000/-	6,40,76,800/-	6,40,76,800/-	जारी
3.	CSR-6/ RITES/2018-19	शौचालयों का निर्माण	2018-19	9 माह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है	14,01,68,000/-	4,20,50,400/-	5,60,67,200/-	जारी
4.	CSR-10/IFCI/2018-19	सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन- आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन	2018-19	लागू नहीं	2,00,00,000/-	40,00,000/-	2,00,00,000/-	पूर्ण
5.	CSR-2/ALIM-CO/2018-19	सहायता और उपकरणों का वितरण-AL-IMCO	2018-19	180 दिन अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है	3,00,00,000/-	1,23,12,358/-	1,53,12,358/-	जारी
6.	CSR1/2018-19	गाजीपुर-जल निगम में हैंडपंपों की स्थापना	2018-19	लागू नहीं	77,17,200/-	32,82,644/-	75,79,860/-	पूर्ण
7.	CSR-12/CEL/2018-19	सरकारी स्कूल, सामुदायिक केंद्र और स्वास्थ्य देखभाल में सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रणाली	2018-19	8-12 सप्ताह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है	5,00,00,000/-	97,60,000/-	1,97,60,000/-	जारी
8.	CSR-11/CEL/2018-19	सरकारी स्कूल, सामुदायिक केंद्र और स्वास्थ्य देखभाल में सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली	2018-19	8-12 सप्ताह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है	4,00,00,000/-	83,30,083/-	1,63,30,083/-	जारी
9.	CSR-9/NBCF-DC/2018-19	पिछड़े युवाओं का कौशल विकास	2018-19	लागू नहीं	3,00,00,000/-	1,38,43,461/-	2,28,36,385/-	पूर्ण
10	CSR-5/SER/2018-19	केंद्रीय अस्पताल/ एसईआर/जीआरसी में ऑडियोलॉजिकल सेटअप के साथ कॉक्लीयर इम्प्लांट	2018-19	लागू नहीं	1,79,67,100/-	55,12,500/-	1,79,60,063/-	पूर्ण
कुल					**50,05,44,300/-**	**16,72,18,246/-**	**24,44,22,749/-**	

वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए अव्ययित राशि के संबंध में 14,68,42,044 रु. की राशि पीएम केयर्स को हस्तांतरित की गई, जिसमें एक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लौटाये गये 90,92,210 रु. शामिल हैं।

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्त वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण) प्रस्तुत करें।

(a) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि:-	शून्य
(b) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि:-	शून्य
(c) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके तहत ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका नाम पता आदि:-	शून्य
(d) सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित):-	शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही हो, तो कारण निर्दिष्ट करें:- लागू नहीं

हस्ताक्षरित
(श्री अमिताभ बैनर्जी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीएसआर समिति के अध्यक्ष
DIN: 03315975

अनुलग्नक-V

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: कमरा नंबर 1316-1349, तीसरी मंजिल
होटल द अशोक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव,
50- बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

हमने **भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (CIN NO-L65910DL1986GOI026363)** (अब से कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई थी जिसने हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया था।

कंपनी द्वारा रखे गए बहीखातों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और विवरणियों और अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उस सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है, जिसे इसके बाद यहां रिपोर्ट किया गया है:

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहीखातों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और दाखिल विवरणियों और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश अर्थात;

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और कब्ज़ा) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(ङ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; कंपनी किसी इश्यू के रजिस्ट्रार से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं थी और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उक्त विनियम कंपनी पर लागू नहीं थे;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीकरण करना) विनियम, 2009;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ था इसलिए उपरोक्त (v) घ) से ज) में बताए गए विनियम लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं थे

(vi) कंपनी के लिए अन्य श्रम, पर्यावरण और विशिष्ट लागू अधिनियम / कानून जिसके लिए सचिवीय लेखापरीक्षा एक ओवरव्यू लेखापरीक्षा के रूप में की गई थी और आम तौर पर हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों और कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रबंधन पुष्टिकरण प्रमाण पत्र और अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए अन्य ऑडिट रिपोर्ट और प्रमाण पत्र पर आधारित / निर्भर थी। कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू निम्नलिखित अधिनियमों / कानूनों का पालन किया है:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक संशोधित जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम;

(ख) भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर जारी दिशानिर्देश-मार्च 2010;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 और कर्मचारी निक्षेप-संबद्ध बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;

(घ) अनुबंध श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970;

(ङ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961;

(च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;

(छ) पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986;

(ज) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899;

(झ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 के साथ पठित कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013;

(ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

ii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ शेयरों और बांडों की सूची के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015

हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों की जांच नहीं की है, क्योंकि उनकी वैधानिक वित्तीय ऑडिट और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा की जानी है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के अधीन उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2016 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आरबीआई पोर्टल (कॉसमॉस) में तीसरी तिमाही रिटर्न अर्थात डीएनबीएस-03, एनबीएफसी-एनडी-एसआई, एएलएम रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई है।

(ii) कंपनी के इक्विटी शेयर 29 जनवरी 2021 को सूचीबद्ध हुए। इस अवधि के दौरान, निदेशक मंडल में पांच निदेशक हैं जिनमें दो कार्यकारी निदेशक, दो गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामित) और एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) (क) के अनुपालन में कंपनी के तीन और स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। साथ ही निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के इष्टतम संयोजन की नियुक्ति में गैर-अनुपालन के कारण, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना भी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 और 19 के अनुरूप नहीं थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

1) कंपनी ने बोर्ड के गठन के संबंध में ऊपर बताए गए को छोड़कर कार्यकारी, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी अधिनियम 2013, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन किया है।

2) सांविधिक प्रावधानों के अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, और कम समय के नोटिस पर भेजे गए एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आईसीएसआई के सचिवीय मानक -1 के खंड 1.3.7 के अनुपालन में अध्यक्ष की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद और बैठक में उपस्थित अधिकांश निदेशकों / समिति के सदस्यों के सहमति से भेजे गए थे और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा मदों पर और जानकारी मांगने और प्राप्त करने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

3) अधिकांश निर्णय तब किए जाते हैं जब असहमति वाले सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में ले लिया और दर्ज किया जाता है।

4) क) कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिबेंचर ट्रस्टी और अन्य विनियमित निकायों के संबंध में अपेक्षित अनुमोदन, अनुमति, पुष्टि प्राप्त की है। डिबेंचर की प्रकृति में सुरक्षित, रिडीमेबल, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड और पूंजीगत लाभ बांड के विभिन्न निजी प्लेसमेंट के और कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है।

ख) कंपनी ने 10 रु. के अंकित मूल्य के 1,78,20,69,000 इक्विटी शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से जारी किया है 26 रु. प्रति इक्विटी शेयरों की कीमत पर 16 रु. प्रति शेयर के प्रीमियम सहित जिसमें 10 रु. के अंकित मूल्य के रेल मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 59,40,23,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है जिसमें आम जनता के लिए 16 रु. प्रति शेयर के प्रीमियम सहित 26 रु. प्रति इक्विटी शेयरों की कीमत पर, जिसमें पात्र कर्मचारी द्वारा सदस्यता के लिए 192307 इक्विटी शेयरों का आरक्षण भी शामिल है। तदनुसार, कंपनी ने 27 जनवरी 2021 को आईपीओ समिति द्वारा अपेक्षित प्रस्ताव पारित करके आम जनता को 10 रु. के अंकित मूल्य के 1,188,046,000 इक्विटी शेयरों को 16 रु. प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित किया है। कंपनी ने अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इक्विटी शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिबेंचर ट्रस्टी और अन्य विनियमित निकायों से अनुमति, पुष्टि और विधिवत कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

ग) कंपनी ने कंपनी की स्थापना के बाद से 30 मार्च 2020 तक किए गए आवंटन तक शेयरों के जारी होने पर स्टांप शुल्क के निर्णय के लिए आदेश संख्या F.1/Stamp duty/COS(HQ)/2020/2068 दिनांक 10 फरवरी 2021 के द्वारा 11,88,04,600 रु. की स्टांप ड्यूटी और 11,88,046 रु. का जुर्माना जमा करने के लिए आवेदन किया है और आदेश प्राप्त किया है। इसके अलावा कंपनी ने जुर्माने सहित अपेक्षित स्टाम्प शुल्क जमा कर दिया है और निर्णयन प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, नई दिल्ली से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।

5) कंपनी अधिनियम 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम और इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देश के तहत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी, उसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ उपरोक्त बिंदु संख्या 4 (ग) को छोड़कर कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया था और कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया था।

6) निदेशकों ने नियुक्ति की उनकी पात्रता, उनके स्वतंत्र होने और निदेशकों और प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्न के कोई उदाहरण नहीं थे:

क) उपरोक्त बिंदु संख्या 4 (ख) में बताए गए को छोड़कर शेयरों / स्वीट इक्विटी का अधिमानी निर्गम;

ख) प्रतिभूतियों का बाय-बैक;

ग) विलय / समामेलन / पुनर्निर्माण आदि और

घ) विदेशी तकनीकी सहयोग।

कृते नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

एसडी/-
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंध भागीदार
सीएस: 3214, सीओपी: 3005
फर्म विशिष्ट पहचान संख्या: P2009DE061500
यूडीआईएन: F003214C000757286
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 अगस्त, 2021

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे उसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो ''**अनुलग्नक**'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: कमरा नंबर 1316-1349, तीसरी मंजिल
होटल द अशोक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव,
50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ निम्नानुसार पढ़ा जाना है:

1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करें।

2) हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बहीखातों की सटीकता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4) जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।

5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6) सचिवालय की रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है ।

कृते नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित/-
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंध भागीदार
एफसीएस: 3214, सीओपी: 3005
फर्म विशिष्ट पहचान संख्या: P2009DE061500
यूडीआईएन: F003214C000757286
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 अगस्त, 2021

अनुलग्नक

सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रबंधन द्वारा उस पर स्पष्टीकरण

क्रमांक	टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2016 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आरबीआई पोर्टल (कॉसमॉस) में तीसरी तिमाही रिटर्न अर्थात एनबीएफसी-एनडी-एसआई, एएलएम रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई है।	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2016 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आरबीआई पोर्टल (कॉसमॉस) में तीसरी तिमाही रिटर्न अर्थात एनबीएफसी-एनडी-एसआई, एएलएम रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई है क्योंकि कंपनी कॉसमॉस पोर्टल से एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म पर जाने में तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही थी।
2.	कंपनी के इक्विटी शेयर 29 जनवरी 2021 को सूचीबद्ध हुए। इस अवधि के दौरान, निदेशक मंडल में पांच निदेशक हैं जिनमें दो कार्यकारी निदेशक, दो गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामित) और एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) (क) के अनुपालन में कंपनी के तीन और स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। साथ ही निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के इष्टतम संयोजन की नियुक्ति में गैर-अनुपालन के कारण, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना भी सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 18 और 19 के अनुरूप नहीं थी।	कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अपनी तिमाही कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की है कि कंपनी एक सरकारी कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार रेल मंत्रालय (एमओआर) के माध्यम से भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कंपनी पहले ही सरकार से स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर चुकी है। स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति के अभाव में, सूचीबद्ध संस्था सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क), 18 और 19 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी।

अनुलग्नक–VI

नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
ई–8/1, गीता भवन मंदिर के पास, मालवीय नगर,
नई दिल्ली – 110 017
फोन: +91–11–26684877
वेबसाइट: ww.navneetaroracs.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: कमरा नंबर 1316–1349, तीसरी मंजिल
होटल द अशोक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव,
50–बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड** द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (अब से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) विनियम 17 से 27, 46 (2) (ख) से (झ) और अनुसूची V के पैरा ग और घ और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देश में निर्धारित है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित रही है, जो उक्त खंड और दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2) (ख) से (झ) और अनुसूची V के पैरा ग और घ में निर्धारित शर्तों और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों का पालन किया है सिवाय:

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क), 18 और 19, कंपनी के निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति की संरचना और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना।

(ii) कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना और लेखापरीक्षा समिति की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2, 3.1.4 और 4.1.1।

(iii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (10), स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

(iv) सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची II भाग घ (क) के साथ पठित विनियमन 19 (4), नामांकन और पारिश्रमिक समिति निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करेगी और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करेगी और स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करेगी।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन की उस कौशल या प्रभावशीलता के बारे में है जिस तरह से उन्होंने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **नवनीत के अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी**
कंपनी सचिव

एसडी/–
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंध भागीदार
एफसीएस: 3214, सीओपी: 3005
आईसीएसआई अद्वितीय फर्म पंजीकरण कोड संख्या: P2009DE061500
यूडीआईएन नंबर: F003214C000757066
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 अगस्त, 2021

अनुलग्नक-VII

फॉर्म नंबर एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

2020-21 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा

i) सीआईएन	U65910DL1986GOI026363
ii) पंजीकरण तिथि	12.12.1986
iii) कंपनी का नाम	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
iv) कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी
v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड कमरा नंबर 1316 - 1349, तीसरी मंजिल, होटल अशोक, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110 021 संपर्क नंबर - 011 - 24100385 वेबसाइट - www.irfc.nic.in
vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हां/नहीं)	हां, (29 जनवरी, 2021 से प्रभावी)
vii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	बीटल फाइनेंशियल कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे नई दिल्ली- 110062

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाए: -

क्रमांक	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	पट्टा आय	-	74.99
2.	ब्याज आय	-	25.00

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्रमांक	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू खंड
	शून्य				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणी–वार शेयर होल्डिंग:

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत यानी 01.04.2020 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत यानी 31.03.2021 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(क)	**प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह**									
(1)	भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(क)	व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख)	एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति एमओआर के माध्यम से कार्य कर रहे हैं	11880460000	–	11880460000	100	11286437000	–	11286437000	86.36	13.64
(घ)	वित्तीय संस्थान/बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ङ)	कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	अन्य – निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग क(1)	11880460000	–	11880460000	100	11286437000	–	11286437000	86.36	13.64
(2)	विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(क)	व्यक्ति (एनआरआई / विदेशी व्यक्ति)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख)	सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)	संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ङ)	कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल क=क(1)+क(2)	11880460000	–	11880460000	100	11286437000	–	11286437000	86.36	13.64
(ख)	**सार्वजनिक हिस्सेदारी**									
(1)	संस्थान									
(क)	म्यूचुअल फंड	–	–	–	–	394018521	–	394018521	3.02	3.02
	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड–एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड	–	–	–	–	191062702	–	191062702	1.45	1.45
(ख)	वेंचर कैपिटल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)	वैकल्पिक निवेश निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ)	विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ङ)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	–	–	–	–	188358849	–	188358849	1.44	1.44
(च)	वित्तीय संस्थान/बैंक	–	–	–	–	4897220	–	4897220	0.04	0.04
(छ)	बीमा कंपनियां	–	–	–	–	153837512	–	153837512	1.18	1.18
(ज)	भविष्य निधि/पेंशन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ)	कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग (ख)(1)	–	–	–	–	741112102		741112102	5.68	5.68
(2)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भारत के राष्ट्रपति	–	–	–	–	6900	–	6900	0.00	0.00
	उप–योग (ख)(2)	–	–	–	–	6900	–	6900	0.00	0.00
(3)	गैर–संस्थाए	–	–	–	–					
(क)	(i) व्यक्ति – 2 लाख रु. तक की होल्डिंग वैल्यू	–	–	–	–	789825711	–	789825711	6.04	6.04
	(ii) व्यक्ति – 2 लाख रु. से अधिक की होल्डिंग वैल्यू	–	–	–	–	125238058	–	125238058	0.96	0.96
(ख)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)	कर्मचारी ट्रस्ट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ)	विदेशी डिपॉजिटरी होल्डिंग डीआर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ङ)	कोई अन्य									
	अन्य – बॉडी कॉर्प	–	–	–	–	37670445	–	37670445	0.29	0.29

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत यानी 01.04.2020 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत यानी 31.03.2021 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
	अन्य - ट्रस्ट	-	-	-	-	3630432	-	3630432	0.03	0.03
	अन्य - समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	14180375	-	14180375	0.11	0.11
	अन्य - एन आर आई - गैर - प्रत्यावर्तनीय	-	-	-	-	4512037	-	4512037	0.03	0.03
	अन्य - एन आर आई - प्रत्यावर्तनीय	-	-	-	-	13918164	-	13918164	0.11	0.11
	अन्य - अलग-अलग एचयूएफ	-	-	-	-	31209919	-	31209919	0.24	0.24
	अन्य - क्यूआईबी	-	-	-	-	20764857	-	20764857	0.16	0.16
	उप-योग (ख)(3)	-	-	-	-	1040949998	-	1040949998	7.97	7.97
	कुल सार्वजनिक शेयरधारित	-	-	-	-	1782069000	-	1782069000	13.6364	
(C)	अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल-योग (क+ख+ग):	11880460000	-	11880460000	100	13068506000	-	13068506000	100	

नोट: प्रवर्तकों (अर्थात भारत सरकार) द्वारा अपनी वर्तमान होल्डिंग का 5% जनता को बेचने का प्रस्ताव और जनता के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से 10% की अतिरिक्त पेशकश। कंपनी बीएसई और एनएसई पर 29.01.2021 को सूचीबद्ध हुई।

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता:

क्रमांक कोड	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारित			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयरों / भारग्रस्त शेयरों का %	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के लिए गिरवी रखे गए / भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	रेलवे मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	11880460000	100	-	11286437000	86.36	-	13.64
	कुल	11880460000	100	-	11286437000	86.36	-	13.64

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें):

क्रमांक	प्रवर्तक		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	रेलवे मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति					
	वर्ष की शुरुआत में		1188,04,60,000	100	1128,64,37,000	86.36
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथिवार वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)					
	29.01.2021	प्रवर्तकों (अर्थात भारत सरकार) द्वारा अपनी वर्तमान होल्डिंग के 5% को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से जनता को बेचने का प्रस्ताव				
	वर्ष के अंत में		1188,04,60,000	100	1128,64,37,000	86.36

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा) का शेयरधारिता पैटर्न:

क्रमांक	निम्न शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	1188,04,06000	100	112864,37,000	86.36
2	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड- एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड	-	-	1910,62,702	1.46
3	भारतीय जीवन बीमा निगम	-	-	1142,00,185	0.87
4	आईटीपीएल - इंवेस्को इंडिया डायनामिक इक्विटी फंड	-	-	1025,76,319	0.78
5	निप्पो लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया विज़	-	-	1003,79,500	0.77
6	सिंगापुर सरकार	-	-	990,05,459	0.76
7	सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण	-	-	241,55,243	0.18
8	बीएनपी पारिबास आर्बिट्रेज	-	-	218,62,767	0.17
9	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	-	211,36,134	0.16
10	एनपीएस ट्रस्ट- खाता एसबीआई पेंशन फंड योजना ई - टियर1	-	-	207,64,857	0.16

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

1. श्री विजय बाबूलाल शिरोडे, कंपनी सचिव

प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	शेयरधारिता में परिवर्तन		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
01/04/2020 को वर्ष की शुरुआत में	0	0	0	0
वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथिवार वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	13,225	0	13,225	0
31/03/2021 को वर्ष के अंत में	13,225	–	13,225	0

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

₹ मिलियन में

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	18,29,303.94	5,14,443.27	–	23,43,747.21
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	–	–	–	–
iii) ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	1,00,393.49	926.25	–	1,01,319.74
कुल (i+ii+iii)	**19,29,697.43**	**5,15,369.52**	**–**	**24,45,066.95**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जोड़ें	10,61,766.40	10,09,926.49	–	20,71,692.88
घटाए	4,61,881.19	7,64,871.03	–	12,26,752.22
निवल परिवर्तन	5,99,885.21	2,45,055.45	–	8,44,940.66
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	24,19,161.39	8,11,945.40	–	32,31,106.79
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	–	–	–	–
ii) ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	61,031.94	61,105.33	–	1,22,137.27
कुल (i+ii+iii)	**24,80,193.33**	**8,73,050.73**	**–**	**33,53,244.06**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(रु. लाख में)

क्रमांक	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		श्री अमिताभ बैनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 12.10.2019 से	श्री नीरज कुमार, निदेशक वित्त 31.07.2020 तक	सुश्री शैली वर्मा, निदेशक वित्त 01.09.2020 से	
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	67.40	62.79	27.97	158.16

(रु. लाख में)

क्रमांक	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		श्री अमिताभ बैनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 12.10.2019 से	श्री नीरज कुमार, निदेशक वित्त 31.07.2020 तक	सुश्री शैली वर्मा, निदेशक वित्त 01.09.2020 से	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	0.78	0.74	1.52	3.04
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3.	स्वीट इक्विटी	–	–	–	–
4.	कमीशन				
	– लाभ के % के रूप में	–	–	–	–
	– अन्य, निर्दिष्ट करें	–	–	–	–
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–	–
	कुल (क)	**68.18**	**63.53**	**29.49**	**161.20**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	–		–	–

* भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के द्वारा दी गई छूट के तहत लागू नहीं है।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

(रु. लाख में)

क्रमांक	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
	स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती अदिति सेनगुप्ता राय	श्री चेतन वेणुगोपाल	श्री अशोक कुमार सिंघल	
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	1.50	5.90	5.80	13.20
	• कमीशन	–			
	• अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–			
	कुल (1)	1.50	5.90	5.80	13.20
	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	श्री आनंद प्रकाश	श्री बलदेव पुरुषार्थ	श्री भास्कर चोराड़िया	
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	–	–		–
	• कमीशन	–	–		–
	• अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–		–
	कुल (2)	–	–		–
	कुल (ख)=(1+2)	1.50	5.90	5.80	13.20
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–		–
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा	–	–		–

C. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक:

(रु. लाख में)

क्रमांक	पारिश्रमिक का विवरण	कंपनी सचिव
		श्री विजय बाबूलाल शिरोडे संयुक्त महाप्रबंधक (कानून) और कंपनी सचिव
1.	सकल वेतन	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	22.76
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	2.24
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	
2.	स्टॉक विकल्प	--
3.	स्वीट इक्विटी	--
4.	कमीशन	--
	- लाभ के % के रूप में	--
	- अन्य, निर्दिष्ट करे	--
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	
	कुल (क)	25.00

VII. दंड/जुर्माना/अपराधों का समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना/ दंड/समझौता फीस का विवरण	प्राधिकरण आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड					
सज़ा					
समझौता					
ख. निदेशक					
दंड					
सज़ा			कुछ नहीं		
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
दंड					
सज़ा					
समझौता					

अनुलग्नक–VIII

व्यवसाय आचार संहिता – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ) द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2020-2021 के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अपने हिस्से के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षरित/-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त, 2021

(अमिताभ बैनर्जी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 03315975

अनुलग्नक-IX

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत निदेशक मंडल को प्रमाण पत्र

हम एतद्द्वारा निदेशक मंडल को प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

i) इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक रूप से असत्य विवरण नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छोड़ा है या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया जो कपटपूर्ण, अवैध हो या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है, उनका का खुलासा किया है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है: -

i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में विशिष्ट परिवर्तन;

ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसका खुलासा किया गया है; तथा

iii) यह कि वर्ष के दौरान हम गंभीर धोखाधड़ी की किसी भी घटना से अवगत नहीं हैं जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी हो।

	ह./-	ह./-
स्थान: नई दिल्ली	**(शैली वर्मा)**	**(अमिताभ बैनर्जी)**
दिनांक: 29 जून, 2021	निदेशक वित्त-सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-सीईओ
	DIN: 07935630	DIN: 03315975

वित्तीय विवरण

तुलन पत्र दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ				
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
नकद और नकद समतुल्य	3	2,971.91	13.80	37.07
उपर्युक्त के अलावा बैंक में शेष राशि	4	1,617.33	993.83	773.59
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	5	760.14	-	466.90
प्राप्य	6			
- प्राप्य पट्टे		1,655,689.91	1,485,798.00	1,250,265.12
ऋण	7	69,698.15	64,233.71	58,954.87
निवेश	8	119.82	115.12	131.45
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1,971,282.49	1,182,742.54	738,239.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ		3,702,139.75	**2,733,897.00**	**2,048,868.44**
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	9,303.25	6,308.41	414.67
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	11	453.16	110.04	112.25
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12	0.41	0.43	0.50
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	68,620.61	14,725.41	14,987.09
कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ		78,377.43	**21,144.29**	**15,514.51**
कुल परिसंपत्तियाँ		3,780,517.18	**2,755,041.29**	**2,064,382.95**
देयताएं तथा इक्विटी				
देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	5	3,601.28	4,065.15	3,105.95
देनदारियां	14			
- व्यापार देनदारियां				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-	-
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के इतर अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-	-
- अन्य देनदारियां				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		3.78	0.50	0.08
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के इतर अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		503.83	377.02	121.65
ऋण प्रतिभूतियों	15	1,785,747.89	1,552,904.56	1,235,978.99
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	16	1,445,358.90	790,862.65	503,347.76
अन्य वित्तीय देयताएं	17	172,076.86	103,373.67	72,999.42
कुल वित्तीय देयताएं		3,407,292.54	**2,451,583.55**	**1,815,553.85**
गैर-वित्तीय देयताएं				
प्रावधान	18	291.22	138.03	117.96
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	19	-	-	-
अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	20	13,799.60	322.19	48.15
कुल गैर-वित्तीय देयताएं		14,090.82	**460.22**	**166.11**
कुल देयताएं		3,421,383.36	**2,452,043.77**	**1,815,719.96**
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	21	130,685.06	118,804.60	93,804.60
अन्य इक्विटी	22	228,448.76	184,192.92	154,858.39
कुल इक्विटी		359,133.82	**302,997.52**	**248,662.99**
कुल देयताएं और इक्विटी		3,780,517.18	**2,755,041.29**	**2,064,382.95**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय सूचनाओं के साथ संलग्न विवरण इस तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफ़आरएन 323288E)

ह/-
(दशरथ कुमार सिंह)
(भागीदार)
एम.सं.060030
यूडीआईएन : 21060030AAAAEK2554

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

ह/-	ह/-	ह/-
(विजय बाबूलाल शिरोडे)	**(शैली वर्मा)**	**(अमिताभ बैनर्जी)**
कंपनी सचिव	निदेशक वित्त	अध्यक्ष एवं
और जेजीएम (कानून)		प्रबंध निदेशक
एफ़सीएस : 6876	डीआईएन : 07935630	डीआईएन : 03315975

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जून 2021

लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व			
ब्याज आय	23	39,436.59	27,479.98
लाभांश आय		2.51	5.92
पट्टे से आय	24	118,265.62	106,724.27
परिचालन से कुल राजस्व		157,704.72	**134,210.17**
अन्य आय	25	3.90	0.73
कुल आय		157,708.62	**134,210.90**
व्यय			
वित्त लागत	26	112,370.53	101,626.62
वित्तीय साधनों पर क्षति	27	27.15	21.41
कर्मचारी लाभ व्यय	28	78.47	62.65
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति	29	44.32	4.58
अन्य व्यय	30	1,026.84	574.68
कुल व्यय		113,547.31	**102,289.94**
असाधारण मद और कर पूर्व लाभ		44,161.31	**31,920.96**
असाधारण मद		–	–
कर पूर्व लाभ		44,161.31	**31,920.96**
कर संबंधी व्यय	31		
वर्तमान कर		–	–
आस्थगित कर		–	–
पूर्व वर्षों के लिए समायोजन		–	–
कुल कर व्यय		–	–
सतत परिचालन से अवधि के लिए लाभ		44,161.31	**31,920.96**
बंद परिचालन से लाभ		–	–
बंद संचालन का कर व्यय		–	–
बंद परिचालन से लाभ (कर के बाद)		–	–
अवधि के लिए लाभ		44,161.31	**31,920.96**
अन्य व्यापक आय			
(क) (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		0.01	(0.35)
– इक्विटी लिखत का पुनर्मापन		14.75	(5.17)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		–	–
– इक्विटी लिखत का पुनर्मापन		–	–
उप–जोड़ (क)		14.76	**(5.52)**
(ख) (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	–
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	–
उप–जोड़ (ख)		–	–
अन्य व्यापक आय (क + ख)		14.76	**(5.52)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल)		44,176.07	**31,915.44**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (निरंतर परिचालन के लिए)	32		
मूल (रु)		3.66	3.40
तनुकृत (रु)		3.66	3.40
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद परिचालन के लिए)			
मूल (रु)		–	–
तनुकृत (रु)		–	–
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (निरंतर और बंद परिचालनों के लिए)	32		
मूल (रु)		3.66	3.40
तनुकृत (रु)		3.66	3.40

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय सूचनाओं के साथ संलग्न विवरण इस लाभ और हानि का विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफ़आरएन 323288E)

ह/–
(दशरथ कुमार सिंह)
(भागीदार)
एम.सं.060030
यूडीआईएन : 21060030AAAAEK2554

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

ह/–
(विजय बाबूलाल शिरोडे)
कंपनी सचिव
और जेजीएम (कानून)
एफ़सीएस : 6876

ह/–
(शैली वर्मा)
निदेशक वित्त
डीआईएन : 07935630

ह/–
(अमिताभ बैनर्जी)
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03315975

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जून 2021

नकदी प्रवाह का विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ	**44,161.31**	31,920.96
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	0.01	(0.35)
	मूल्य ह्रास और परिशोधन (आरओयू परिसंपत्तियों को समायोजन शामिल)	44.32	4.58
	आयकर पर ब्याज के लिए प्रावधान	5.33	20.91
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.25	0.07
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.01)	-
	वाणिज्यिक दस्तावेज़ पर छूट	505.55	1,358.05
	प्रभावी ब्याज दर की ओर समायोजन	(3,217.08)	(1,482.30)
	पट्टे की देयताओं पर ब्याज व्यय	6.79	-
	अर्जित लाभांश आय	(2.51)	(5.92)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालन लाभ	41,503.96	**31,816.00**
	कार्यशील पूंजी में प्रचलन :		
	देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	130.09	255.79
	प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	193.76	(0.84)
	अन्य गैर-वित्तीय देयताओं में वृद्धि / (कमी)	13,477.41	274.04
	अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि / (कमी)	68,357.31	30,374.25
	प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	(169,891.91)	(235,532.88)
	ऋण और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)	(5,464.44)	(5,278.84)
	नकद और नकद समतुल्य के इतर बैंक शेष राशि में कमी / (वृद्धि)	(623.50)	(220.24)
	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(53,895.20)	261.68
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(789,813.21)	(443,061.27)
	परिचालनों से सृजित नकद	(896,025.73)	**(621,112.31)**
	घटाएँ : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)	3,040.74	5,893.75
	परिचालन गतिविधियों में निवल नकद प्रवाह / (प्रयुक्त) (क)	(899,066.47)	**(627,006.06)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(8.65)	(2.41)
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आगम	0.32	0.05
	प्रमाण पत्रों/निवेशों की बिक्री के माध्यम से पास की वसूली से आगम	10.05	11.16
	अर्जित लाभांश आय	2.51	5.92
	निवेश गतिविधियों में निवल नकद प्रवाह / (प्रयुक्त) (ख)	4.23	**14.72**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से आगम	11,880.46	25,000.00
	प्रतिभूति प्रीमियम से आगम	19,008.74	-
	ऋण प्रतिभूतियों की जारी (परिशोधन का निवल)	242,488.51	308,125.43
	रुपया सावधि ऋण / विदेशी मुद्रा उधार की उगाही (पुनर्भुगतान का निवल)	657,781.22	289,007.28
	वाणिज्यिक दस्तावेज़ की जारी (पुनर्भुगतान का निवल)	(10,169.37)	7,416.27
	पट्टे की देयताओं के लिए भुगतान (ब्याज शामिल)	(40.24)	-
	शेयर जारी व्यय	(207.04)	(169.80)
	प्रदत्त अंतिम लाभांश	(5,000.00)	(2,000.00)
	प्रदत्त अन्तरिम लाभांश	(13,721.93)	-
	प्रदत्त लाभांश कर	-	(411.11)
	वित्तपोषण गतिविधियों से द्वारा / (प्रयुक्त) उत्पन्न निवल नकद (ग)	902,020.35	**626,968.07**
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि (क + ख + ग)	2,958.11	**(23.27)**
	वर्ष के प्रारम्भ में नकद और नकद समतुल्य	13.80	37.07
	अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य	2,971.91	**13.80**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय सूचनाओं के साथ संलग्न विवरण इस विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते मैसर्स केवीडीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफ़आरएन 323288E)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(दशरथ कुमार सिंह)	(विजय बाबूलाल शिरोडे)	(शैली वर्मा)	(अमिताभ बैनर्जी)
(भागीदार)	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त	अध्यक्ष एवं
एम.सं.060030	और जेजीएम (कानून)		प्रबंध निदेशक
यूडीआईएन : 21060030AAAAEK2554	एफ़सीएस : 6876	डीआईएन : 07935630	डीआईएन : 03315975

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जून 2021

इक्विटी में परिवर्तनों सम्बन्धी विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी	राशि
1 अप्रैल 2019 के अनुसार शेष राशि	21	**93,804.60**
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		25,000.00
31 मार्च 2020 के अनुसार शेष राशि		**118,804.60**
1 अप्रैल 2020 के अनुसार शेष राशि	**21**	**118,804.60**
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		11,880.46
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष राशि		**130,685.06**

कृते मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफ़आरएन 323288E)

ह/-
(दशरथ कुमार सिंह)
(भागीदार)
एम.सं.060030
यूडीआईएन : 21060030AAAAEK2554

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जून 2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

ह/-	ह/-	ह/-
(विजय बाबूलाल शिरोडे)	**(शैली वर्मा)**	**(अमिताभ बैनर्जी)**
कंपनी सचिव	निदेशक वित्त	अध्यक्ष एवं
और जेजीएम (कानून)		प्रबंध निदेशक
एफ़सीएस : 6876	डीआईएन : 07935630	डीआईएन : 03315975

इक्विटी में परिवर्तनों संबंधी विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर जारी व्यय*	आरक्षिती और अधिशेष					अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	कुल अन्य इक्विटी
		सामान्य आरक्षिती	बांड परिशोधन आरक्षिती**	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-खग के अधीन आरक्षिती निधि	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिती	प्रतिधारित अर्जन		
1 अप्रैल 2019 के अनुसार शेष राशि	**–**	**30,327.36**	**57,145.59**	**4,509.50**	**–**	**64,431.40**	**68.08**	**156,481.93**
पूर्वावधि समायोजन***	–	–	–	–	–	(1,623.54)	–	(1,623.54)
1 अप्रैल 2019 के अनुसार पुनर्लिखित शेष राशि	**–**	**30,327.36**	**57,145.59**	**4,509.50**	**–**	**62,807.86**	**68.08**	**154,858.39**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	–	–	31,920.61	(5.17)	31,915.44
अवधि के दौरान जोड़	(169.80)	–	–	–	–	–	–	(169.80)
बांड परिशोधन आरक्षिती को अंतरण	–	–	(57,145.59)	–	–	57,145.59	–	–
सामान्य आरक्षिती को अंतरण	–	143,704.92	–	–	–	(143,704.92)	–	–
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-खग के अधीन आरक्षिती निधि को अंतरण	–	–	–	7,384.85	–	(7,384.85)	–	–
अन्तरिम लाभांश	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभांश	–	–	–	–	–	(2,000.00)	–	(2,000.00)
लाभांश कर	–	–	–	–	–	(411.11)	–	(411.11)
31 मार्च 2020 के अनुसार शेष राशि	**(169.80)**	**174,032.28**	**–**	**11,894.35**	**–**	**(1,626.82)**	**62.91**	**184,192.92**
1 अप्रैल 2020 के अनुसार शेष राशि	**(169.80)**	**174,032.28**	**–**	**11,894.35**	**–**	**5,000.00**	**62.91**	**190,819.74**
पूर्वावधि समायोजन***	–	–	–	–	–	(6,626.82)	–	(6,626.82)
1 अप्रैल 2020 के अनुसार पुनर्लिखित शेष राशि	(169.80)	174,032.28	–	11,894.35	–	(1,626.82)	62.91	184,192.92
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	–	–	44,161.32	14.75	44,176.07
अवधि के दौरान जोड़	(207.04)	–	–	–	19,008.74	–	–	18,801.70
बांड परिशोधन आरक्षिती को अंतरण	–	–	–	–	–	–	–	–
सामान्य आरक्षिती को अंतरण	–	–	–	–	–	–	–	–
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-खग के अधीन आरक्षिती निधि को अंतरण	–	–	–	8,832.26	–	(8,832.26)		–
अन्तरिम लाभांश	–	–	–	–	–	(13,721.93)	–	(13,721.93)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–	–	(5,000.00)	–	(5,000.00)
लाभांश कर	–	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष राशि	**(376.84)**	**174,032.28**	**–**	**20,726.61**	**19,008.74**	**14,980.31**	**77.66**	**228,448.76**

*टिप्पणी सं.22.1 को देखें।

** टिप्पणी सं.22.4 को देखें

*** टिप्पणी सं.46(ड) को देखें

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय सूचनाओं के साथ संलग्न विवरण इस विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफ़आरएन 323288E)

ह/-
(दशरथ कुमार सिंह)
(भागीदार)
एम.सं.060030
यूडीआईएन : 21060030AAAAEK2554

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

ह/-	ह/-	ह/-
(विजय बाबूलाल शिरोडे)	**(शैली वर्मा)**	**(अमिताभ बैनर्जी)**
कंपनी सचिव	निदेशक वित्त	अध्यक्ष एवं
और जेजीएम (कानून)		प्रबंध निदेशक
एफ़सीएस : 6876	डीआईएन : 07935630	डीआईएन : 03315975

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जून 2021

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

1. पृष्ठभूमि

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, जिसे कंपनी या आईआरएफसी के रूप में वर्णित किया जाता है, को भारतीय रेलवे के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार, रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेलवे की एक वित्तीय शाखा के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी का मुख्य व्यवसाय यह है कि परिसंपत्ति के अधिग्रहण/सृजन के वित्तपोषण के लिए वित्तीय बाजारों से धन उधार लेना है, तथा उसके बाद भारतीय रेलवे को वित्त पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है। आईआरएफसी रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अनुसूची मएफ सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (एनबीएफ़सी-आईएफ़सी) के रूप में भी पंजीकृत है। भारत के राष्ट्रपति अपने नामांकित नामितियों के साथ इक्विटी शेयर पूंजी का 100% धारण करते हैं।

कंपनी का पंजीकृत पता और व्यवसाय का प्रमुख स्थान कमरा नंबर 1316 - 1349, तीसरा तल, होटल द अशोक डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021 है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया जाता है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू की गई हैं।

2.1 अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठनीय कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस') और उसके बाद के संशोधन के अनुसार लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार गए हैं।

2.2 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, सभी राशि मिलियन रुपए में बताई गई है।

ऐतिहासिक लागत नकद या नकद समतुल्यों की राशि या परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने हेतु दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आगम की राशि, या नकद या नकद समतुल्यों की अपेक्षित राशि होती है, जिसे व्यापार के सामान्य अवधि में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान की जानी है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, भले ही वह कीमत सीधे अवलोकन करने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। इन वित्तीय विवरणों में माप और/या प्रकटीकरण उद्देश्य के लिए उचित मूल्य का निर्धारण ऐसे आधार पर किया जाता है, सिवाय पट्टे पर देने वाले लेन-देन, जो कि भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे में हैं , और माप जो उचित मूल्य से कुछ समानताएं रखते हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य मापन को स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जो उस स्तर के आधार पर होता है जिसमें उचित मूल्य माप के लिए इनपुट अवलोकन किए जा सकते हैं और उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व इसकी संपूर्णता में होता है, जो निम्नानुसार वर्णित हैं:

स्तर 1 - इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) होते हैं, इकाई मापन तारीख को प्राप्य हो सकती हैं;

स्तर 2 - इनपुट, स्तर 1 के अंतर्गत शामिल उद्धृत कीमतों के इतर अन्य इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य हैं; तथा

स्तर 3 - इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए अविचारणीय इनपुट हैं।

2.3 अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो तुलन-पत्र की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के साथ-साथ आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, निम्नानुसार है:

क) लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां इस प्रकार तैयार की जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें अपनाने का प्रभाव अमूर्त होता है।

ख) रोजगार के उपरांत हितलाभ योजनाएँ

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतनवृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं उपयुक्त और प्रलेखित हैं। हालांकि, इन धारणाओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणनाओं पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ सकता है।

ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानक 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ'' के अनुसार किए गए हैं । आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित घटनाओं के बाद परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए, यह संभावना बदल सकती है।

घ) आय कर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रदत्त/वसूली की अपेक्षित राशि सहित आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में सार्थक अनुमान अन्तर्निहित हैं।

2.4 राजस्व

कंपनी का राजस्व पट्टा आय, लाभांश आय, पट्टा अग्रिम पर ब्याज, ऋण, जमा और निवेश से उद्भूत होता है। अन्य आय से प्राप्त राजस्व में विविध आय आदि शामिल हैं।

परिचालन पट्टे से किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। वित्त पट्टों के संबंध में वित्त पट्टे आय को लेखा अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर वापसी की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाया जा सके। (2.14 पर पट्टों पर लेखांकन नीति को भी देखें)।

वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय पर तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। ब्याज आय एक समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर प्रारंभिक मान्यता रूप से छूट देती है।

प्रारंभ पूर्व-पट्टा-ब्याज आय रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर निर्धारित की जाती है और जब यह संभव हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिले और राशि का निर्धारण विश्वसनीय रूप से किया जा सके।

लाभांश आय को लाभ या हानि में तभी पहचाना जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभावना है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे, और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.5 विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

इकाई के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें इकाई संचालित होती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इकाई की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

लेन-देन और शेष राशि

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन प्रारम्भ में उनके संबंधित कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर दर्ज किए जाते हैं, जिस दिन लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अंतरण पर उत्पन्न होने वाले अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक मदों का अंतरण प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों में विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है। विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं का विनिमय दरों का उपयोग उस तिथि पर किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है। उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों के अंतरण पर होने वाले लाभ या हानि को मद के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ या हानि की मान्यता के अनुरूप माना जाता है।

2.6 कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी सरकार/कंपनी प्रशासित ट्रस्ट द्वारा प्रशासित एक स्वतंत्र फंड में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। कंपनी के पास निश्चित अंशदान के भुगतान के बाद आगे के अंशदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कंपनी द्वारा प्रायोजित परिभाषित लाभ योजनाएं उस लाभ की राशि को परिभाषित करती हैं जो एक कर्मचारी को सेवाकाल की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के संदर्भ में सेवाओं के पूरा होने पर प्राप्त होगा। उपदान एक परिभाषित लाभ योजना की प्रकृति में है। योजना के संबंध में वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त देयता, गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ या हानि और पिछली सेवा लागतों के समायोजन के साथ, रिपोर्टिंग तिथि पर योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

पिछले अनुभव से होने वाले बीमांकिक लाभ और हानियों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में अन्य व्यापक आय के विवरण में क्रेडिट या चार्ज किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि निर्धारित की जाती हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख के अनुमान के बाद क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के कारण होने वाले या एक वर्ष से अधिक समय तक प्राप्त होने की उम्मीद है। पिछले अनुभव से होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि और बीम ांकिक मान्यताओं में परिवर्तन उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए आरोपित किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि निर्धारित की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अन्य अल्पावधि हितलाभ के संबंध में व्यय की गणना उस अवधि के लिए भुगतान की गई या देय राशि के आधार पर की जाती है, जिसके दौरान कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.7 कराधान

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ ''कर पूर्व लाभ'' से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि आय या व्यय की मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और वे मदें जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं।

कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या बाद में अधिनियमित की गई हैं।

वर्तमान कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए द्वारा अनुमत अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग कर रही है, जिसके तहत कुछ छूटों, कटौतियों और भत्तों को छोड़कर, कंपनी पर लागू कर की दर सामान्य कर दर से कम है जो अन्यथा कंपनी के लिए लागू होती। अब से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद है, जब वे प्रतिगामी होते हैं, जो उन कानूनों के आधार पर लागू

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताएं प्रतितुलनीय हैं यदि वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक मान्यता दी जाती है जिसकी यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रह जाती है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्राचार सं. ई कार्यालय एफ़.सं. 17/32/2017 – सीएल-V दिनांक 20 मार्च 2020 के साथ पठनीय उक्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 529 (ई) दिनांक 5 फरवरी 2018 और यथासंशोधित एसओ 1465 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्ति या आस्थगित कर देयता को मान्यता नहीं देती है, जैसा कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों (डीटीए) या आस्थगित कर देयता (डीटीएल) से संबंधित भारतीय लेखा मानक 12 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी यह संभव है कि उक्त मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मदों को प्रारम्भ में लागत पर पहचाना जाता है। बाद की माप लागत कम संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित क्षति हानियों पर की जाती है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थल पर लाने के लिए सीधे किया जाता है और इसके लिए आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से इसे परिचालन के लिए लाने की क्षमता होगी।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के हिस्से के अलग-अलग उपयोगी अवधियां होती हैं, तो उन्हें अलग से पहचाना जाता है।

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभव हो कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमान्यता

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता रद्द कर दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि का निर्धारण निपटान से प्राप्त आय, यदि कोई हो, की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वाहित राशि के साथ तुलना करके किया जाता है, और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

2.9 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है यदि और केवल अगर यह संभावित है कि संपत्ति के कारण होने वाले अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनकी सीमित उपयोगी अवधि है, को लागत पर मान्यता दी जाती है। बाद की माप लागत घटा संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों पर की जाती है। लागत में परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभव हो कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमान्यता

अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। अमूर्त परिसंपत्तियों की मद की मान्यता समाप्त करने पर लाभ और हानि का निर्धारण निपटान से प्राप्त आय, यदि कोई हो, की अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के साथ तुलना करके किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

परिशोधन

सॉफ्टवेयर को सीधी रेखा पद्धति पर 5 वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

2.10 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय प्रतिभूतियों' में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज व्यय और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर इस हद तक शामिल हैं कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/विकास या निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। अर्हक परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी आम तौर पर धन उधार लेती है और एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी उधारों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो अवधि के दौरान बकाया हैं और अधिग्रहण, निर्माण / अन्वेषण या अर्हक संपत्ति का निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं।

अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय के लंबित उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब बंद कर दिया जाता है जब अर्हक परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोगों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ पूरी हो जाती हैं।

अन्य सभी उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.11 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य में बैंकों में नकद, हाथ में शेष नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा राशि शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक असार्थक जोखिम के अधीन हैं।

2.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यदि पिछली घटना के परिणाम स्वरूप, कंपनी के पास एक वर्तमान कानूनी या सार्थक दायित्व है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं जो पैसे के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो व्यतिक्रम के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के निकट के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद है, तो प्राप्य को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के निवल लाभ और हानि के विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं संभावित देयताएं हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है, इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

2.13 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वाहित राशियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि भारतीय लेखा मानक 36 'परिसंपत्तियों की क्षति' के प्रावधानों पर विचार करते हुए क्षति का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य के निपटान के लिए कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, जिन परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन्हें परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं (नकद-उत्पादक यूनिट, या सीजीयू)।

क्षति हानि को तब मान्यता दी जाती है जब किसी परिसंपत्ति या उसके सीजीयू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। क्षति हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। सीजीयू के संबंध में मान्यता प्राप्त क्षति हानियों को सीजीयू की परिसंपत्तियों की वाहित राशि से घटाया जाता है।

पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त क्षति हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो क्षति हानि को प्रतिवर्तित किया जाता है। एक क्षति हानि को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है, जब परिसंपत्ति की वाहित राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती, मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल, यदि कोई क्षति हानि की पहचान नहीं की गई थी।

2.14 पट्टे

एक अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या यह अनुबंध है या इसमें एक पट्टा है। यदि एक अनुबंध है, या इसमें एक पट्टा होता है, तो अनुबंध किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अपने प्रत्येक पट्टों को परिचालन पट्टे या वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है।

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्ड्स को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। एक परिचालन पट्टे की वार्ता और व्यवस्था में किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है और पट्टे की अवधि में किराये की आय के समान आधार पर मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के अधीन मूल्यह्रास योग्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास नीति समान परिसंपत्तियों के लिए कंपनी की सामान्य मूल्यह्रास नीति के अनुरूप है।

आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

पट्टों को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से पट्टेदार को स्वामित्व हस्तांतरण के सभी जोखिम और रिवार्ड्स पर्याप्त रूप से होते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को कंपनी के पट्टों में शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय लेखांकन अवधि के लिए आवंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि पर, कंपनी उपयोग की परिसंपत्ति और पट्टे की देयता के अधिकार को पहचानती है। उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जो पट्टे की अवधि के लिए एक अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग करने के लिए पट्टेदार के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है। कंपनी के लिए अल्पावधि पूर्वोक्त आवश्यकताओं लागू करने के लिए (पट्टों, जिनकी प्रारंभ तिथि पर पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम है) और पट्टे भारतीय लेखा मानक 116 के पैराग्राफ बी3-बी9 में वर्णित अनुसार अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्रारम्भ में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत मोड लागू होता है यानी किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित क्षति हानि को कम करता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोग

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास में किया जाता है।

एक पट्टा देयता प्रारम्भ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है। यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद, पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए पट्टा देयता की वहन राशि बढ़ा दी जाती है; पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए कम; और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को प्रतिबिंबित करने के लिए या संशोधित पदार्थ में निश्चित पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनः मापा जाता है।

2.15 प्राप्य वित्त पट्टे का प्रतिभूतिकरण

प्रतिभूतिकरण लेनदेन में विशेष प्रयोजन वाहन को प्रतिभूत पट्टा प्राप्तियां तुलन पत्र में जब अमान्य किए जाते हैं जब वह कंपनी को हस्तांतरित किए गए तथा प्राप्त कर लिए गए मान लिए जाते हैं।

प्रतिभूतिकरण से प्रोद्भूत परिणामी लाभ/हानि उस वर्ष मे लाभ और हानि विवरण में मान्य की जाती है जिसमें संव्यवहार होते है।

प्रत्यक्ष समनुदेशन मार्ग के माध्यम से सौंपे गए पट्टा प्राप्तियों को तुलन पत्र में तब मान्यता दी जाती है जब उन्हें हस्तांतरित किया जाता है और कंपनी द्वारा विचार प्राप्त किया जाता है। इस तरह के समनुदेशन से होने वाले लाभ या हानि को लेनदेन के वर्ष में शामिल किया जाता है।

2.16 रेलवे अवसंरचना परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना

भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार, पट्टे का प्रारम्भ पट्टा समझौते की तारीख से पहले और पट्टे के प्रमुख प्रावधानों के लिए पार्टियों द्वारा प्रतिबद्धता की तारीख पर होता है।

पट्टे की अवधि का प्रारंभ वह तारीख होती है, जबसे पट्टेदार को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का उपयोग करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। यह पट्टे की प्रारंभिक मान्यता की तिथि है।

इस प्रकार, निर्माणाधीन रेलवे अवसंरचना परिसंपत्तियों के संबंध में, और जहां समझौता ज्ञापन/पट्टे के प्रमुख प्रावधानों से युक्त शर्तें पट्टेदार के पास प्रभावी हैं, पट्टा समझौते के निष्पादन के लिए, पट्टे से संबंधित लेनदेन हैं :

(क) ''पट्टे पर दी जाने वाली रेलवे अवसंरचना परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में अग्रिम'' के रूप में प्रस्तुत किया गया; और उसके बाद

(ख) पट्टेदार से उपयोग रिपोर्ट प्राप्त होने पर वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्तिको हस्तांतरित; और उसके बाद

(ग) पट्टा समझौते के निष्पादन पर भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार प्राप्य पट्टे पर स्थानांतरित किया गया।

2.17 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.18 तात्विक अवधि पूर्व त्रुटियां

तात्विक अवधि पूर्व त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुन: प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुन: वर्णित किया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति इक्विटी डाइल्यूटिड आमदनी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल आमदनी प्राप्त करने के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन होने पर जारी किए जा सकते हैं, द्वारा विभाजित करके अभिकलित की जाती हैं

2.20 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

2.21 परिचालन खंड

जैसा कि भारतीय लेखा मानक 108 ''परिचालन खंड'' द्वारा परिभाषित किया गया है, कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

कंपनी ने 'पट्टे और वित्त' को अपने एकमात्र रिपोर्टिंग कार्यक्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

2.22 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन ऐसा एक अनुबंध है जो एक संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

2.22.1. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में लाभ या हानि, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होती है के माध्यम से मान्य की जाती है।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंदर धारण की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति धारित करना है, और

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों को प्रोद्भूत करती हैं जो बकाया मूलधन राशि पर मूलधन तथा ब्याज का एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) है।

प्रारंभिक मापन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति से प्रोद्भूत होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़वीटीओसीआई)

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है, एक तो 'ऋण साधन' को एफ़वीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(ग) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

(घ) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ़वीटीओसीआई श्रेणी के अधीन शामिल ऋण साधनों को प्रारम्भ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में उचित मूल्य आंदोलनों को मान्यता दी गई है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, क्षति हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़वीटीपीएल)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफ़वीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को वर्गीकृत करने का चयन कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफ़वीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है। हालांकि, इस तरह के चयन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से मापन या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं में सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ट्रेडिंग के लिए रखे गए इक्विटी साधनों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी इसे एफ़वीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

लेती है। कंपनी इस तरह के चयन एक साधन के आधार पर साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है। कंपनी ने एफवीटीओसीआई के माध्यम से अपने निवेश को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।

यदि कंपनी एफ़वीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधन पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण के लिए राशियों का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के अधीन हस्तांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की कंपनी का एक भाग) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी कंपनी के तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं,
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या 'परिणामी प्रभाव का अंतरण' व्यवस्था के तहत तीसरे पक्ष को बिना किसी तात्विक विलम्ब के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम अनावृत्ति पर क्षति हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापा जाता है जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है।

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन प्राप्य पट्टा।

(घ) ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।

(ङ) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम अनावृत्ति पर क्षति हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ता की पहचान करने के लिए प्रत्यावर्ती कर देती है।

2.22.2. वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता पर, लाभ या हानि, उधार, देय, या एक प्रभावी बचाव में बचाव साधनों के रूप में नामित व्युत्पन्न के रूप में उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं के रूप में, जैसा उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उधार और देय राशि के मामले में, सीधे तौर पर जिम्मेदार लेनदेन लागतों को घटाकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य भुगतान, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार, वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मापन के बाद, ऐसी वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त लागत में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार देय और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताएं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं, तो वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव साधनों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी बचाव साधन के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक म ान्यता पर नामित वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 में मानदंड पूरा किया जाता हो। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, अन्य व्यापक आय में स्वयं के क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानि को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के अंदर हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से किसी भी वित्तीय दायित्व को उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

अमान्यता

जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है, तब एक वित्तीय दायित्व को अमान्य कर दिया जाता है। एक मौजूदा वित्तीय देयता काफी अलग शर्तों पर ही ऋणदाता, या एक मौजूदा दायित्व के मामले से दूसरे की जगह जब काफी हद तक संशोधित कर रहे हैं, इस तरह के एक मुद्रा या संशोधन के रूप में व्यवहार किया जाता है अमान्यता मूल दायित्व की और एक नया दायित्व की मान्यता, संबंधित वाहित राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय साधन

प्रारंभिक मान्यता और अनुवर्ती मापन

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और विदेशी मुद्रा ऋणों के ब्याज दर जोखिमों को बचाने के लिए डेरिवेटिव वित्तीय साधनों का उपयोग करती है, जैसे कि आगे की मुद्रा अनुबंध, पारस्परिक मुद्रा अदला बदली और ब्याज दर अदला बदली। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिस तारीख को एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। डेरिवेटिव को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में तब लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है। डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में ले जाया जाता है। जहां डेरिवेटिव को बचाव साधन के रूप में नामित किया गया है, उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए लेखांकन बचाव किए जा रहे मदों की प्रकृति और नामित बचाव संबंध के प्रकार पर निर्भर करता है। जहां अंतर पट्टेदार के माध्यम से एक पास है, पट्टेदार को राशि प्राप्त/प्रतिपूर्ति की जाती है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

2.23 नए संशोधित मानक

जुलाई 2020 में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2020 जारी किया, जिसमें कुछ संशोधनों को नीचे संक्षेप में, विभिन्न भारतीय लेखांकन मानकों के लिए अधिसूचित किया गया था। उक्त संशोधन 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली लेखा अवधि से प्रभावी हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में संशोधन और भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

भारतीय लेखांकन मानक 1 ने 'तात्विक' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

'मदों की चूक या गलत विवरण तात्विक हैं यदि वे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं।'

उक्त संशोधन 'तात्विक' की परिभाषा को परिष्कृत करता है जो अब इस प्रकार है:

'सूचना तात्विक है यदि इसे छोड़ना, गलत बताना या अस्पष्ट करना उचित रूप से उन निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है जो सामान्य-उद्देश्यीय वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं, जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग संस्था के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं।'

तात्विक की संशोधित परिभाषा के कारण निम्नलिखित मानकों में परिणामी संशोधन किए गए हैं:

भारतीय लेखांकन मानक	शीर्षक	विवरण
10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं	रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोजन घटनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित अनुच्छेद 21 में संशोधन।
34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	पैराग्राफ 24 का संशोधन जिससे भारतीय लेखांकन मानक 1 और भारतीय लेखांकन मानक 8 में दी गई महत्वपूर्ण की परिभाषा के संदर्भ को निकाल दिया गया है।
37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ	रिपोर्टिंग अवधि के बाद पुनर्रचना योजना से संबंधित पैराग्राफ 75 में संशोधन।

उक्त संशोधन ने इन वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं किया है।

इंड ए एस 103, व्यापार संयोजन में संशोधन

वर्तमान में भारतीय लेखांकन मानक 103 ने व्यवसाय को मगतिविधियों और परिसंपत्तियों का एक एकीकृत सेट के रूप में परिभाषित किया है जो निवेशकों या अन्य मालिकों, सदस्यों या प्रतिभागियों को सीधे लाभांश, कम लागत या अन्य आर्थिक लाभ के रूप में विवरण प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित और प्रबंधित करने में सक्षम है।फ

संशोधन निम्नानुसार परिभाषा को संशोधित करता है:

'व्यवसाय गतिविधियों और संपत्तियों का एक एकीकृत समूह है जो ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करने, निवेश आय (जैसे लाभांश या ब्याज) उत्पन्न करने या सामान्य गतिविधियों से अन्य आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से संचालित और प्रबंधित करने में सक्षम है'।

उक्त संशोधन यह भी करता है :

गतिविधियों और परिसंपत्तियों का एक अधिग्रहीत सेट एक व्यवसाय या संपत्ति अधिग्रहण है या नहीं, इसका सरलीकृत मूल्यांकन करने के लिए एक वैकल्पिक एकाग्रता परीक्षण का परिचय देता है;

यह आकलन करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या अधिग्रहीत प्रक्रिया वास्तविक है, यदि गतिविधियों और परिसंपत्तियों के अधिग्रहीत सेट में आउटपुट नहीं हैं और यदि इसमें आउटपुट हैं।

संशोधन जो कंपनी पर लागू नहीं होता है।

इंड ए एस 116 में संशोधन :

एक व्यावहारिक समीचीन डाला गया है जो पट्टेदारों को लीज संशोधन के रूप में कोविड - 19 संबंधित किराए की रियायतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। चूंकि कंपनी ने कोविड -19 से संबंधित किसी भी किराए में छूट का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर व्यावहारिक समीचीन की कोई प्रयोज्यता नहीं है।

इंड ए एस 107 में संशोधन, वित्तीय साधन : प्रकटीकरण

इंड ए एस 109 में संशोधन, वित्तीय साधन

संशोधन मौजूदा आईबीओआर आधारित ब्याज दर बेंचमार्क को बचाव लेखांकन के संदर्भ में वैकल्पिक निकटतम जोखिम मुक्त ब्याज

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

दरों (आरएफआर) के साथ बदलने से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करते हैं। इन संशोधनों से आईबीओआर सुधार से प्रभावित बचाव संबंधों को निरंतर बचाव के रूप में शामिल करने की अनुमति मिलती है।

संशोधन बचाव लेखांकन के प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से बचाव प्रभावशीलता और सुधार की अवधि के दौरान पदनाम (पुन: पदनाम) के उद्देश्य के लिए एलआईबीआर आधारित नकदी प्रवाह की पहचान करने की क्षमता पर राहत प्रदान करते हैं। अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 38.6 में दिखाए गए हैं।

2.24 मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं:

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 18 जून 2021 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के परामर्श से नई कंपनियां (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2021 जारी किए हैं।

अधिसूचना में यह बताया गया है कि ये नियम अधिसूचना की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसका पर्याय है कि संशोधन 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी हैं।

संशोधनों का उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानक को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों में किए गए संशोधनों के अनुरूप रखना है। हालांकि, बड़े पैमाने पर, संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरण या संपादकीय हैं, पट्टे की रियायतों के लिए इंडएएस 116 के तहत व्यावहारिक समीचीन से संबंधित कोविड - 19 के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन हैं और वित्तीय साधनों के लिए इंटरबैंक की पेशकश की दर (आईबीओआर) ब्याज दरों के कारण व्यावहारिक समीचीन हैं।

भारतीय लेखांकन मानक में संशोधन भारतीय लेखांकन मानक के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के वैचारिक ढांचे के साथ मानकों के मूल पाठ को संरेखित करने के साथ-साथ मानक में प्रयुक्त कुछ शर्तों की परिभाषा को प्रतिस्थापित करते हुए, कुछ पैराग्राफों को सम्मिलित करने के संदर्भ में हैं।

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2021 में अधिसूचित प्रमुख संशोधन नीचे दिए गए हैं: -

क) इंडएएस 116 : पट्टा – यह संशोधन पिछले साल पेश किए गए कोविड - 19 संबंधित किराया रियायत के लाभों का विस्तार करते हैं (जिसने पट्टेदारों को 30 जून 2021 से 30 जून 2022 तक कोविड - 19 संबंधित किराया रियायतों को आय के रूप में आय के रूप में पहचानने की अनुमति दी है)

ख) इंडएएस 109: वित्तीय साधन - यह संशोधन संविदात्मक नकदी प्रवाह परीक्षण के मूल्यांकन के लिए एक व्यावहारिक समीचीन प्रदान करता है, जो कि वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन के लिए परिशोधन लागत पर एक वित्तीय संपत्ति को मापने के लिए पात्र होने का एक मानदंड है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के लिए बचाव लेखांकन लागू करने से एक अतिरिक्त अस्थायी अपवाद भी जोड़ा गया है।

ग) इंडएएस 101: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - यह संशोधन पैराग्राफ बीआई में उल्लिखित मद (घ) को 'वित्तीय साधनों के वर्गीकरण और मापन' के रूप में प्रतिस्थापित करता है। 'वित्तीय परिसंपत्ति' शब्द को 'वित्तीय साधन' के रूप में बदल दिया गया है।

घ) इंडएएस 102: शेयर-आधारित भुगतान - इस मानक में संशोधन 'इक्विटी साधन' शब्द को परिभाषित करने के संदर्भ में भारतीय लेखांकन मानक के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के वैचारिक ढांचे के संदर्भ में किए गए हैं जो कि 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू होंगे। ।

ङ) इंडएएस 103: व्यावसायिक संयोजन – उक्त संशोधन 'परिसंपत्तियाँ' और 'देयताएं' की परिभाषा को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे में दी गई परिभाषा के अनुसार मान्यता मानदंड के प्रति अधिग्रहण विधि अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापित करता है।

च) इंडएएस 104: बीमा अनुबंध – इस संशोधन में आईएफआरएस 4 के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए मानक में कुछ पैराग्राफों को सम्मिलित करना शामिल है और ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के कारण संशोधनों के लिए लेखांकन व्यवहार पर मार्गदर्शन भी शामिल है।

छ) इंडएएस 105: बिक्री के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्ति और बंद परिचालन – यह संशोधन ' बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत' की परिभाषा को 'निपटान के लिए उचित मूल्य कम लागत' के साथ प्रतिस्थापित करता है।

ज) इंडएएस 106: खनिज संसाधनों की खोज और मूल्यांकन - यह संशोधन भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचे के संदर्भ में किया गया है, जो उन व्यय के संबंध में है, जिन्हें अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

झ) **इंडएएस 107:** वित्तीय साधन: मान्यता, प्रस्तुति और प्रकटीकरण – यह संशोधन ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के कारण किए जाने वाले कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण को स्पष्ट करता है जैसे,

क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अधीन वित्तीय साधनों से प्रोद्भूत होने वाले जोखिमों की प्रकृति और सीमा;

ख) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में अंतरण को पूरा करने में इकाई की प्रगति, और इकाई अंतरण का प्रबंधन कैसे कर रही है।

ञ) **इंडएएस 111 :** संयुक्त व्यवस्थाएं – भारतीय लेखांकन मानक 103 में किए गए संशोधनों के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए, भारतीय लेखांकन मानक 111 में संबंधित परिवर्तन किए गए हैं।

ट) **इंडएएस 114:** नियामक अंतर खाता – यह संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई केवल नियामक अंतर खाता में शेष राशि की मान्यता, मापन और हानि और मान्यता के लिए अपनी लेखा नीतियों को बदल सकती है, यदि परिवर्तन उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्कताओं के लिए वित्तीय विवरणों को अधिक प्रासंगिक बनाता है और कम विश्वसनीय नहीं।

ठ) **इंडएएस 115:** ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व – आईएफआरएस 15 के पैराग्राफों की संख्या के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं।

ड) **इंडएएस 8:** लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन – भारतीय लेखांकन मानक 114 में किए गए संशोधनों के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए और 'फ्रेमवर्क' शब्द को 'भारतीय लेखांकन मानक में वित्तीय रिपोर्टिंग के वैचारिक ढांचे' के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए मानक में संबंधित परिवर्तन किए गए हैं।

ढ) **इंडएएस 16:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – 'वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति को बेचने के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है' शब्दों को प्रतिस्थापित करके 'वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के निपटान के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है' के रूप में संशोधन किया गया है।

ण) **इंडएएस 34:** अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग – इस मानक में संशोधन भारतीय लेखांकन मानक में वित्तीय रिपोर्टिंग के वैचारिक ढांचे के संदर्भ में किए गए हैं।

त) **इंडएएस 37:** प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां – यह संशोधन भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचे में प्रदान की गई मदेयताफ शब्द की परिभाषा को प्रतिस्थापित करता है।

थ) **इंडएएस 38:** अमूर्त संपत्ति – यह संशोधन भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचे में प्रदान की गई मपरिसंपत्तिफ शब्द की परिभाषा को प्रतिस्थापित करता है।

इन संशोधनों का या तो कंपनी पर कोई लागू नहीं है या यदि लागू हो, तो प्रभाव या तो सारहीन है या वर्तमान में पता लगाया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 3 : नकद और नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
बैंकों के साथ शेष राशि			
– चालू खातों में			
– सांविधिक बकाया के लिए	2,352.31	–	–
– उपरोक्त के अलावा अन्य के लिए	619.50	13.70	36.97
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा			
– सार्वजनिक जमा खाते में	0.10	0.10	0.10
कुल	2,971.91	13.80	37.07

टिप्पणी 4: ऊपर के इतर अन्य बैंक शेष राशि

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
बैंकों के साथ शेष राशि			
– ब्याज मोचन खातों में*	86.90	96.82	80.91
– एस्क्रो पूल खाते में**	1,522.44	897.01	692.68
– लाभांश देय खाते में	7.99	–	–
कुल	1,617.33	993.83	773.59

* कंपनी नामित बैंक खातों में संबंधित राशि जमा करके, ब्याज के भुगतान और बांडों के मोचन के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करती है, जिसके लिए वारंट जारी किए जाते हैं।

** धारा 54ईसी बांड के आवंटन से संबंधित (टिप्पणी संख्या 15 के तहत घरेलू पूंजी बाजार से बांड)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 5: डेरिवेटिव वित्तीय साधन

कंपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के लिए डेरिवेटिव अनुबंध करती है। डेरिवेटिव संव्यवहारों में देयताएँ हैज करने के लिए फॉरवर्ड, ब्याज दर, स्वाप क्रॉस, मुद्रा स्वाप आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेनदेन हैजिंग व्यवस्था के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्यों के लिए।

भाग – I	31 मार्च 2021 के अनुसार			31 मार्च 2020 के अनुसार			01 अप्रैल 2019 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य–परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य–देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य–परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य–देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य–परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य–देयताएं
(i) मुद्रा डेरिवेटिव्स									
स्पॉट और फार्वर्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मुद्रा स्वॉप	19,063.88	360.88	3,500.36	13,884.67	–	3,090.22	12,737.67	–	3,105.95
उपजोड़ (क)	19,063.88	360.88	3,500.36	13,884.67	–	3,090.22	12,737.67	–	3,105.95
(ii) ब्याज दर डेरिवेटिव्स									
फॉरवर्ड दर करार तथा ब्याज दर स्वाप	19,063.88	399.26	100.92	13,884.67	–	974.93	12,737.67	466.90	–
उपजोड़ (ख)	19,063.88	399.26	100.92	13,884.67	–	974.93	12,737.67	466.90	–
कुल डेरिवेटिव्स वित्तीय साधन (क+ख)	38,127.76	760.14	3,601.28	27,769.34	–	4,065.15	25,475.34	466.90	3,105.95

उपरोक्त (भाग I) में शामिल हैजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार डेरिवेटिव हैं:

भाग – II	31 मार्च 2021 के अनुसार			31 मार्च 2020 के अनुसार			01 अप्रैल 2019 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य–परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य–देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य–परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य–देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य–परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य–देयताएं
(i) उचित मूल्य हैजिंग									
मुद्रा डेरिवेटिव्स	19,063.88	360.88	3,500.36	13,884.67	–	3,090.22	12,737.67	–	3,105.95
ब्याज दर डेरिवेटिव्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उपजोड़ (क)	19,063.88	360.88	3,500.36	13,884.67	–	3,090.22	12,737.67	–	3,105.95
(ii) नकदी प्रवाह हैजिंग									
मुद्रा डेरिवेटिव्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ब्याज दर डेरिवेटिव्स	19,063.88	399.26	100.92	13,884.67	–	974.93	12,737.67	466.90	–
उपजोड़ (ख)	19,063.88	399.26	100.92	13,884.67	–	974.93	12,737.67	466.90	–
कुल डेरिवेटिव्स वित्तीय साधन (क+ख)	38,127.76	760.14	3,601.28	27,769.34	–	4,065.15	25,475.34	466.90	3,105.95

टिप्पणी : मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए टिप्पणी 38.5 और 38.6 देखें।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 6 : प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
प्राप्य पट्टे*	**1,655,689.91**	1,485,798.00	1,250,265.12
(रेल मंत्रालय, भारत सरकार से असुरक्षित,शोध्य माना जाता है)			
कुल	1,655,689.91	**1,485,798.00**	**1,250,265.12**

* जैसा कि संपूर्ण पट्टा प्राप्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीएनआरबी (पीडी). सीओ.सं.1271/03.10.001/2018-19 दिनांक 21-दिसंबर-2018 के अनुसार एक संप्रभु प्राप्य है, कोई क्षति हानि नहीं मानी गई है। (टिप्पणी 18 देखें)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 7 : ऋण

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार						31 मार्च 2020 के अनुसार						01 अप्रैल 2019 के अनुसार					
		उचित मूल्य पर						उचित मूल्य पर						उचित मूल्य पर				
	परिशोधित लागत (क)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से (ख)	लाभ या हानि के माध्यम से (ग)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित (घ)	उपजोड़ ङ= (ख+ग+घ)	कुल (क+ख)	परिशोधित लागत (क)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से (ख)	लाभ या हानि के माध्यम से (ग)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित (घ)	उपजोड़ ङ= (ख+ग+घ)	कुल (क+ख)	परिशोधित लागत (क)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से (ख)	लाभ या हानि के माध्यम से (ग)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित (घ)	उपजोड़ ङ= (ख+ग+घ)	कुल (क+ख)
ऋण																		
(क) सावधि ऋण																		
-रेल विकास निगम लिमिटेड को ऋण	51,518.86	-	-	-	-	51,518.86	39,879.41	-	-	-	-	39,879.41	28,426.30	-	-	-	-	28,426.30
-इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ऋण	18,459.20	-	-	-	-	18,459.20	24,612.27	-	-	-	-	24,612.27	30,765.34	-	-	-	-	30,765.34
कुल (क)-सकल	69,978.06	-	-	-	-	69,978.06	64,491.68	-	-	-	-	64,491.68	59,191.64	-	-	-	-	59,191.64
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता*	279.91	-	-	-	-	279.91	257.97	-	-	-	-	257.97	236.77	-	-	-	-	236.77
कुल (क) – निवल	69,698.15	-	-	-	-	69,698.15	64,233.71	-	-	-	-	64,233.71	58,954.87	-	-	-	-	58,954.87
(ख)(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) असुरक्षित	69,978.06	-	-	-	-	69,978.06	64,491.68	-	-	-	-	64,491.68	59,191.64	-	-	-	-	59,191.64
कुल (ख)-सकल	69,978.06	-	-	-	-	69,978.06	64,491.68	-	-	-	-	64,491.68	59,191.64	-	-	-	-	59,191.64
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता*	279.91	-	-	-	-	279.91	257.97	-	-	-	-	257.97	236.77				-	236.77
कुल (ख)-निवल	69,698.15	-	-	-	-	69,698.15	64,233.71	-	-	-	-	64,233.71	58,954.87	-	-	-	-	58,954.87
(ग) (ख) भारत में ऋण																		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	69,978.06	-	-	-	-	69,978.06	64,491.68	-	-	-	-	64,491.68	59,191.64	-	-	-	-	59,191.64
(ii) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)-सकल	69,978.06	-	-	-	-	69,978.06	64,491.68	-	-	-	-	64,491.68	59,191.64	-	-	-	-	59,191.64
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता*	279.91	-	-	-	-	279.91	257.97	-	-	-	-	257.97	236.77	-	-	-	-	236.77
कुल (ग) (ख)- निवल	69,698.15	-	-	-	-	69,698.15	64,233.71	-	-	-	-	64,233.71	58,954.87	-	-	-	-	58,954.87
(ग)(खख) भारत के बाहर ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)(खख)- निवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल ग (ख)और ग(खख)	69,698.15	-	-	-	-	69,698.15	64,233.71	-	-	-	-	64,233.71	58,954.87	-	-	-	-	58,954.87

* पत्र सं.डीएनआरबी(पीडी)सीओ सं.1271/03.10.001/2018-19 दिनांक 21 दिसंबर 2018, जो सभी सरकारी एनबीएफसी कंपनी के लिए अधिसूचना सं.डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2019-17 दिनांक 01 सितंबर 2016 के अनुसार पहले छूट दिया गया था, के साथ पठनीय भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं.आरबीआई/2017-18/181डीएनबीआर (पीडी) सीओ सं.092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई 2018 के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देश आरबीआई/2019-20/170 डीओआर(एनबीएफ़सी).सीसी.पीडी. सं.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसरण में कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109, वित्तीय साधन के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना की है। (टिप्पणी सं.18 देखें)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 8 : निवेश

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार						31 मार्च 2020 के अनुसार						01 अप्रैल 2019 के अनुसार					
		उचित मूल्य पर						उचित मूल्य पर						उचित मूल्य पर				
	परिशोधित लागत (क)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से (ख)	लाभ या हानि के माध्यम से (ग)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित (घ)	उपजोड़ ङ= (ख+ग+घ)	कुल (क+ख)	परिशोधित लागत (क)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से (ख)	लाभ या हानि के माध्यम से (ग)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित (घ)	उपजोड़ ङ= (ख+ग+घ)	कुल (क+ख)	परिशोधित लागत (क)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से (ख)	लाभ या हानि के माध्यम से (ग)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित (घ)	उपजोड़ ङ= (ख+ग+घ)	कुल (क+ख)
ऋण प्रतिभूतियाँ*	12.14	-	-	-	-	12.14	22.23	-	-	-	-	22.23	33.30	-	-	-	-	33.30
इक्विटी साधन	-	107.73	-	-	107.73	107.73	-	92.98	-	-	92.98	92.98		98.15	-	-	98.15	98.15
कुल (क)	12.14	107.73	-	-	107.73	119.87	22.23	92.98	-	-	92.98	115.21	33.30	98.15	-	-	98.15	131.45
भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	12.14	107.73	-	-	107.73	119.87	22.23	92.98	-	-	92.98	115.21	33.30	98.15	-	-	98.15	131.45
कुल (ख)	12.14	107.73	-	-	107.73	119.87	22.23	92.98	-	-	92.98	115.21	33.30	98.15	-	-	98.15	131.45
घटाएँ : क्षति के लिए भत्ता (ग)	0.05	-	-	-	-	0.05	0.09	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-
कुल (क)-(ग)	12.09	107.73	-	-	107.73	119.82	22.14	92.98	-	-	92.98	115.12	33.30	98.15	-	-	98.15	131.45

ऋण प्रतिभूतियों का विवरण *	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
नोवो एक्स ट्रस्ट लोको के वरिष्ठ परिणामी प्रभाव के अंतरण प्रमाणपत्रों की संख्या	15	25	35
नोवो एक्स ट्रस्ट लोको के वरिष्ठ परिणामी प्रभाव के अंतरण प्रमाणपत्रों का उचित मूल्य	12.14	22.23	33.30

इक्विटी साधनों का विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की संख्या	1,220,000	244,000	244,000
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य	107.73	92.98	98.15

कंपनी के पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में नाममात्र की इक्विटी (0.26% से कम) है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को 28 सितंबर 2018 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपने निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चयन किया था। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020 और 01 अप्रैल 2019 को उचित मूल्य को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (स्तर 1 इनपुट) पर कोटेशन के अनुसार मापा गया है।

3 अप्रैल 2020 को, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने एक शेयर को रु.10/- प्रति शेयर से अपने अंकित मूल्य को रु.2/- प्रति शेयर से घटाकर 5 शेयरों में विभाजित किया।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
विनिमय दर भिन्नता/व्युत्पन्न के कारण रेल मंत्रालय से वसूली योग्य राशि	5,498.25	18,033.97	4,244.98
रेल मंत्रालय से वसूली योग्य राशि – पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ	–	–	3,061.73
वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्तियां – ईबीआर –खएफ़ (टिप्पणी सं.45 देखें)	1,314,317.90	–	–
वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्तियां –ईबीआर विशिष्ट (टिप्पणी संख्या 45 देखें)	476,267.59	–	–
पट्टे पर दी जाने वाली रेलवे अवसंरचना परिसंपत्तियों के एवज में अग्रिम (टिप्पणी संख्या 45 देखें)	–	1,031,195.28	649,088.40
राष्ट्रीय परियोजना के लिए अग्रिम वित्तपोषन (टिप्पणी संख्या 45 देखें)	84,815.82	79,884.94	50,828.17
रेलवे परियोजना को पट्टे पर देने के लिए अर्जित ब्याज लेकिन अग्रिम पर बकाया नहीं है	79,282.72	43,945.37	21,340.11
प्रतिभूति निक्षेप	53.29	1.43	0.96
गृह निर्माण अग्रिम (सुरक्षित)*	2.65	2.96	3.26
कर्मचारियों को अग्रिम**	3.32	3.13	3.05
अर्जित ब्याज लेकिन कर्मचारियों को अग्रिम पर देय नहीं***	1.04	0.77	0.51
अर्जित ब्याज लेकिन ऋण पर देय नहीं	10,993.24	9,669.86	9,669.11
अर्जित ब्याज लेकिन निवेश पर देय नहीं	18.22	28.51	36.04
54 ईसी बांड आवेदन राशि पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	24.26	13.09	1.33
अन्यों से वसूली योग्य राशि	48.23	2.02	0.46
कुल जोड़	**1,971,326.53**	**1,182,781.33**	**738,278.11**
घटाएं: अर्जित ब्याज पर क्षति और ऋण तथा जमा/निवेश पर देय****	44.04	38.79	38.67
निवल जोड़	**1,971,282.49**	**1,182,742.54**	**738,239.44**

*प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए 31 मार्च 2021 के लिए 2.08 मिलियन रु, 31 मार्च 2020 के लिए 2.28 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019 के लिए 2.47 मिलियन रु शामिल हैं।

**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए 31 मार्च 2021 के लिए 0.53 मिलियन रु, 31 मार्च 2020 के लिए 0.63 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019 के लिए शून्य मिलियन रु शामिल हैं।

***प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए 31 मार्च 2021 के लिए 0.23 मिलियन रु, 31 मार्च 2020 के लिए 0.12 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019 के लिए 0.01 मिलियन रु शामिल हैं।

****पत्र सं.डीएनआरबी(पीडी)सीओ सं.1271/03.10.001/2018-19 दिनांक 21 दिसंबर 2018, जो सभी सरकारी एनबीएफसी कंपनी के लिए अधिसूचना सं.डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2019-17 दिनांक 01 सितंबर 2016 के अनुसार पहले छूट दिया गया था, के साथ पठनीय भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं.आरबीआई/2017-18/181डीएनबीआर (पीडी) सीओ सं.092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई 2018 के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देश आरबीआई/2019-20/170 डीओआर(एनबीएफ़सी).सीसी.पीडी. सं.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसरण में कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109, वित्तीय साधन के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना की है। (टिप्पणी संख्या 42 (क) (i) तथा टिप्पणी सं.18 देखें)

विनिमय दर भिन्नता/व्युत्पन्न के कारण रेल मंत्रालय से वसूली योग्य राशि में संबंधित अवधि के एमटीएम व्युत्पन्न के कारण रेल मंत्रालय से वसूली योग्य राशि शामिल है। (टिप्पणी संख्या 44 देखें)

टिप्पणी 10 : वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
टीडीएस और अग्रिम कर	15,790.82	31,785.86	25,892.12
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 31 देखें)	(6,487.57)	(25,477.45)	(25,477.45)
कुल	**9,303.25**	**6,308.41**	**414.67**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 11 : परिसम्पत्ति, संयत्र तथा उपस्कर

विवरण	भवन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर	फर्नीचर व फिक्सचर	संयंत्र और उपस्कर	वाहन	उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियाँ (भवन)	कुल
सकल ब्लॉक								
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	112.32	1.68	1.59	1.23	0.03	2.50	–	119.35
जोड़	–	0.82	1.40	0.12	–	–	–	2.34
निपटान	–	(0.19)	–	–	–	–	–	(0.19)
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**112.32**	**2.31**	**2.99**	**1.35**	**0.03**	**2.50**	**–**	**121.50**
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	112.32	2.31	2.99	1.35	0.03	2.50	–	121.50
जोड़	–	2.18	1.67	0.70	–	–	379.33	383.88
समायोजन	–	–	–	–	–	–	3.99	3.99
निपटान	–	(0.46)	(0.37)	(0.20)	–	–	–	(1.03)
31 मार्च 2021 को शेष राशि	112.32	4.03	4.29	1.85	0.03	2.50	383.32	508.34
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	5.60	0.38	0.55	0.24	0.03	0.30	–	7.10
मूल्य ह्रास व्यय	3.05	0.34	0.54	0.14	–	0.36	–	4.43
समायोजन	–		–		–	–	–	–
परिसंपत्तियों के निपटान पर उन्मूलन	–	(0.07)	–		–	–	–	(0.07)
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**8.65**	**0.65**	**1.09**	**0.38**	**0.03**	**0.66**	**–**	**11.46**
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	8.65	0.65	1.09	0.38	0.03	0.66	–	11.45
मूल्य ह्रास व्यय	3.05	0.45	0.59	0.20	–	0.29	39.61	44.19
समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–
परिसंपत्तियों के निपटान पर उन्मूलन	–	(0.23)	(0.19)	(0.05)	–	–	–	(0.47)
31 मार्च 2021 को शेष राशि	11.70	0.87	1.49	0.53	0.03	0.95	39.61	55.17
संवहनीय राशि								
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	**106.72**	**1.30**	**1.04**	**0.99**	**–**	**2.20**	**–**	**112.25**
जोड़	–	0.82	1.40	0.12	–	–	–	2.34
निपटान	–	(0.12)	–	–	–	–	–	(0.12)
मूल्य ह्रास व्यय	(3.05)	(0.34)	(0.54)	(0.14)	–	(0.36)	–	(4.43)
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**103.67**	**1.66**	**1.90**	**0.97**	**–**	**1.84**	**–**	**110.04**
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	103.67	1.66	1.90	0.97	–	1.84	–	110.04
जोड़	–	2.18	1.67	0.70	–	–	379.33	383.88
निपटान	–	(0.23)	(0.18)	(0.15)	–	–	–	(0.56)
समायोजन	–	–	–	–	–	–	3.99	3.99
मूल्य ह्रास व्यय	(3.05)	(0.45)	(0.59)	(0.20)	–	(0.29)	(39.61)	(44.19)
31 मार्च 2021 को शेष राशि	100.62	3.16	2.80	1.32	–	1.55	343.71	453.16

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 12 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सॉफ्टवेयर
सकल ब्लॉक	
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	0.66
जोड़	0.08
निपटान	–
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**0.74**
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	0.74
जोड़	0.11
निपटान	–
31 मार्च 2020 को शेष राशि	0.85
संचित परिशोधन	
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	0.16
परिशोधन व्यय	0.15
समायोजन	–
परिसंपत्तियों के निपटान पर उन्मूलन	–
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**0.31**
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	0.31
परिशोधन व्यय	0.13
समायोजन	–
परिसंपत्तियों के निपटान पर उन्मूलन	–
31 मार्च 2021 को शेष राशि	0.44
संवहनीय राशि	
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	**0.50**
जोड़	0.08
निपटान	–
परिशोधन व्यय	(0.15)
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**0.43**
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	0.43
जोड़	0.11
निपटान	–
परिशोधन व्यय	(0.13)
31 मार्च 2021 को शेष राशि	0.41

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 13 : अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
पूंजी अग्रिम			
एफए और सीएओ, उत्तर रेलवे को अग्रिम	25.30	25.30	25.30
पूंजीगत अग्रिमों के इतर अन्य अग्रिम			
अन्यों के लिए अग्रिम	112.67	1.67	1.67
अन्य			
पूर्वदत्त व्यय	6.62	3.74	4.18
कर प्रतिदाय प्राप्ति	30.62	20.10	249.71
जीएसटी वसूली योग्य	14,664.47	14,667.82	14,706.23
जीएसटी इनपुट- परियोजना परिसंपत्तियाँ*	53,770.59	-	-
छुट्टी नकदीकरण वित्त पोषित परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.34	-	-
उपदान वित्त पोषित परिसंपत्तियाँ (निवल)	10.00	6.78	-
कुल	68,620.61	**14,725.41**	**14,987.09**

*इसमें स्टेशन, पुल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की परिसंपत्तियों और इसी तरह के मदों पर जीएसटी इनपुट शामिल हैं। इन मदों पर आईटीसी राशि रेल मंत्रालय से पुष्टि प्राप्त होने पर निर्धारित की जाएगी। निर्धारण पर, आईटीसी राशि को वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के अधीन परियोजना आधारिक संरचना परिसंपत्तियाँ में अंतरित किया जाएगा।

टिप्पणी 14 : देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
(I) व्यापार देनदारियां			
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	-
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के इतर अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-	-
(II) अन्य देनदारियां			
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (टिप्पणी संख्या 51 देखें)	3.78	0.50	0.08
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के इतर अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	503.83	377.02	121.65
कुल	507.61	**377.52**	**121.73**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 15 : ऋण प्रतिभूतियाँ

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार				31 मार्च 2020 के अनुसार				31 मार्च 2019 के अनुसार 2019			
	परिशोधित लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित	कुल	परिशोधित लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित	कुल	परिशोधित लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित	कुल
अन्य												
घरेलू पूंजी बाजार से बांड	1,553,752.18	-	-	1,553,752.18	1,362,599.36	-	-	1,362,599.36	1,136,548.03	-	-	1,136,548.03
समुद्रपारीय पूंजी बाजार से बांड	203,025.44	-	-	203,025.44	151,671.11	-	-	151,671.11	69,571.19	-	-	69,571.19
वाणिज्यिक दस्तावेज़	28,970.27	-	-	28,970.27	38,634.09	-	-	38,634.09	29,859.77	-	-	29,859.77
कुल	1,785,747.89	-	-	1,785,747.89	1,552,904.56	-	-	1,552,904.56	1,235,978.99	-	-	1,235,978.99
भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,582,722.45	-	-	1,582,722.45	1,401,233.45	-	-	1,401,233.45	1,166,407.80	-	-	1,166,407.80
भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	203,025.44	-	-	203,025.44	151,671.11	-	-	151,671.11	69,571.19	-	-	69,571.19
कुल	1,785,747.89	-	-	1,785,747.89	1,552,904.56	-	-	1,552,904.56	1,235,978.99	-	-	1,235,978.99

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

घरेलू पूंजी बाजार से सुरक्षित बांड

घरेलू पूंजी बाजार में जारी किए गए सुरक्षित बांड कंपनी के वर्तमान/भविष्य के चल स्टॉक परिसंपत्तियों/प्राप्य पट्टे पर प्रथम समान प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं। घरेलू पूंजी बाजार में जारी बांडों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल और ब्याज दर और विभिन्न तिथियों पर बकाया राशि का विवरण नीचे दिया जाता है:

क्रम सं.	सीरीज़	ब्याज की दर	ब्याज भुगतान आवृत्ति	पुनर्भुगतान की शर्तें	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
1	157वें सीरीज़ 6.80% प्रत्याभूत प्रतिदेय कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.80%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-अप्रैल-41	13,750.00	-	-
2	156वें सीरीज़ 7.21% प्रत्याभूत प्रतिदेय कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.21%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	25-फरवरी-41	19,545.00	-	-
3	154 सीरीज़ 6.85% प्रत्याभूत कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.85%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	1-दिसंबर-40	46,520.00	-	-
4	153 सीरीज़ 6.85% कर योग्य बांड	6.85%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-अक्तूबर-40	59,912.00	-	-
5	104वें ङ्गएफसीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.50%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-दिसंबर-35	3,696.34	3,696.34	3,696.34
6	104वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.25%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-दिसंबर-35	2,944.16	2,944.16	2,944.16
7	151वें सीरीज़ कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.73%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	6-जुलाई-35	30,000.00	-	-
8	150 सीरीज़ कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.90%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	5-जून-35	25,650.00	-	-
9	71वें ई कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.83%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	14-मई-35	2,200.00	2,200.00	2,200.00
10	70वें ई कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.72%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-मई-35	150.00	150.00	150.00
11	141वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.48%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-अगस्त-34	21,070.00	21,070.00	-
12	139वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.54%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-जुलाई-34	24,556.00	24,556.00	-
13	138वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.85%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	1-जुलाई-34	21,200.00	21,200.00	-
14	71वें डी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.83%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	14-मई-34	2,200.00	2,200.00	2,200.00
15	70वें डी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.72%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-मई-34	150.00	150.00	150.00
16	71वें सी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.83%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	14-मई-33	2,200.00	2,200.00	2,200.00
17	70वें सी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.72%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-मई-33	150.00	150.00	150.00
18	71वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.83%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	14-मई-32	2,200.00	2,200.00	2,200.00
19	70वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.72%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-मई-32	150.00	150.00	150.00
20	71वें ए कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.83%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	14-मई-31	2,200.00	2,200.00	2,200.00
21	76वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.47%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-मई-31	9,950.00	9,950.00	9,950.00
22	70वें ए कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.72%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-मई-31	150.00	150.00	150.00
23	152वें सीरीज़ कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.41%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	11-अप्रैल-31	20,000.00	-	-
24	108वें ए सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.64%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-मार्च-31	11,943.13	11,943.13	11,943.13
25	108वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.35%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-मार्च-31	10,163.76	10,163.76	10,163.76
26	103वें ए सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.53%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-दिसंबर-30	10,742.17	10,742.17	10,742.17
27	103वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.28%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-दिसंबर-30	20,573.10	20,573.10	20,573.10
28	70वें एए कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.79%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-मई-30	14,100.00	14,100.00	14,100.00
29	144वें सीरीज़ कर योग्य बांड (ईटीएफ़)	7.55%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	12-अप्रैल-30	15,800.00	15,800.00	-
30	146वें सीरीज़ कर योग्य बांड	7.08%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-फरवरी-30	30,000.00	30,000.00	-
31	67वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.80%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	3-फरवरी-30	3,850.00	3,850.00	3,850.00
32	143वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.55%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	6-नवंबर-29	24549.00	24,549.00	-
33	142वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.50%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	9-सितंबर-29	27,070.00	27,070.00	-
34	140वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.48%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	13-अगस्त-29	25,920.00	25,920.00	-
35	136वें सीरीज़ कर योग्य बांड	7.95%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	12-जून-29	30,000.00	30,000.00	-
36	135 सीरीज़ कर योग्य बांड	8.23%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-मार्च-29	25,000.00	25,000.00	25,000.00
37	96वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.63%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-मार्च-29	9,479.13	9,479.13	9,479.13
38	96वें ए सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.63%/ 8.88%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-मार्च-29	4,364.14	4,364.14	4,364.14

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

क्रम सं.	सीरीज़	ब्याज की दर	ब्याज भुगतान आवृत्ति	पुनर्भुगतान की शर्तें	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
39	134 सीरीज़ कर योग्य बांड	8.30%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	25-मार्च-29	30,000.00	30,000.00	30,000.00
40	133 सीरीज़ कर योग्य बांड	8.35%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	13-मार्च-29	30,000.00	30,000.00	30,000.00
41	131वें सीरीज़ कर योग्य बांड	8.55%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-फरवरी-29	22,365.00	22,365.00	22,365.00
42	92वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.40%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	18-फरवरी-29	10,901.87	10,901.87	10,901.87
43	92वें ए सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.40%/ 8.65%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	18-फरवरी-29	6,883.59	6,883.59	6,883.59
44	94वें ए सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	8.55%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	12-फरवरी-29	130.00	130.00	130.00
45	93वें ए सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	8.55%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-फरवरी-29	16,500.00	16,500.00	16,500.00
46	130वें सीरीज़ कर योग्य बांड	8.40%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	8-जनवरी-29	28,454.00	28,454.00	28,454.00
47	129वें सीरीज़ कर योग्य बांड	8.45%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-दिसंबर-28	30,000.00	30,000.00	30,000.00
48	90वें ए सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	8.48%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-नवंबर-28	550.00	550.00	550.00
49	89वें ए सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	8.48%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-नवंबर-28	7,380.00	7,380.00	7,380.00
50	87वें 'ए'सीरीज़ (गैर खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.04%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-मार्च-28	2,227.99	2,220.94	2,211.40
51	87वें 'ए'सीरीज़ (खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.54%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-मार्च-28	410.85	417.90	427.44
52	86वें 'ए'सीरीज़ (गैर खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.34%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	19-फरवरी-28	23,239.89	23,198.91	23,147.42
53	86वें 'ए'सीरीज़ (खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.84%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	19-फरवरी-28	2,349.21	2,390.20	2,441.68
54	83वें कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.39%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	6-दिसंबर-27	950.00	950.00	950.00
55	82वें 'ए'कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.38%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-नवंबर-27	300.00	300.00	300.00
56	81वें 'ए'कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.38%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-नवंबर-27	667.00	667.00	667.00
57	124वें सीरीज़ कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.54%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-अक्तूबर-27	9,350.00	9,350.00	9,350.00
58	123वें सीरीज़ कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.33%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-अगस्त-27	17,450.00	17,450.00	17,450.00
59	121वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.27%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	15-जून-27	20,500.00	20,500.00	20,500.00
60	54वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	10.04%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-जून-27	3,200.00	3,200.00	3,200.00
61	120वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.49%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-मई-27	22,000.00	22,000.00	22,000.00
62	118वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.83%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-मार्च-27	29,500.00	29,500.00	29,500.00
63	80वें 'ए'सीरीज़ (गैर खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.10%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-फरवरी-27	27,889.45	27,816.25	27,749.81
64	80वें 'ए'सीरीज़ (खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.30%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-फरवरी-27	3,067.07	3,140.27	3,206.71
65	53वें सी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.75%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-नवंबर-26	4,100.00	4,100.00	4,100.00
66	79वें 'ए'कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.77%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	8-नवंबर-26	1,915.10	1,915.10	1,915.10
67	76वें 'ए'कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.33%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-मई-26	2,550.00	2,550.00	2,550.00
68	75वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.09%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मार्च-26	1,500.00	1,500.00	1,500.00
69	74वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.09%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-मार्च-26	10,760.00	10,760.00	10,760.00
70	107वें 'ए'सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.29%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-मार्च-26	1,907.14	1,907.14	1,907.14
71	107वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.04%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-मार्च-26	485.97	485.97	485.97
72	106वें सीरीज़ कर मुक्त बांड	7.04%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	3-मार्च-26	10,500.00	10,500.00	10,500.00
73	102वें 'ए'सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.32%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-दिसंबर-25	3,689.49	3,689.49	3,689.49
74	102वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.07%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-दिसंबर-25	3,674.74	3,674.74	3,674.74
75	100वें सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.15%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-अगस्त-25	3,290.00	3,290.00	3,290.00
76	99वें सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.19%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-जुलाई-25	11,390.00	11,390.00	11,390.00
77	147वें सीरीज़ कर योग्य बांड	6.99%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	19-मार्च-25	8,470.00	8,470.00	-
78	69वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.95%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-मार्च-25	6,000.00	6,000.00	6,000.00
79	67वें ए कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.65%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	3-फरवरी-25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
80	65वें ओ कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.20%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-24	600.00	600.00	600.00

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

क्रम सं.	सीरीज़	ब्याज की दर	ब्याज भुगतान आवृत्ति	पुनर्भुगतान की शर्तें	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
81	95वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.19%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-मार्च-24	2,311.52	2,311.52	2,311.52
82	95वें ए सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.44%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-मार्च-24	1,297.38	1,297.38	1,297.38
83	132 सीरीज़ कर योग्य बांड	8.25%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-फरवरी-24	25,000.00	25,000.00	25,000.00
84	91वें सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.23%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	18-फरवरी-24	17,783.21	17,783.21	17,783.21
85	91वें ए सीरीज़ कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.48%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	18-फरवरी-24	5,262.55	5,262.55	5,262.55
86	63वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.65%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	15-जनवरी-24	3,150.00	3,150.00	3,150.00
87	62वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.50%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-दिसंबर-23	2,850.00	2,850.00	2,850.00
88	90वें सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	8.35%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-नवंबर-23	570.00	570.00	570.00
89	89वें सीरीज़ कर मुक्त गैर-संचयी बांड	8.35%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	21-नवंबर-23	4,870.00	4,870.00	4,870.00
90	61वें ए कर योग्य गैर-संचयी बांड	10.70%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	11-सितंबर-23	6,150.00	6,150.00	6,150.00
91	155वें सीरीज़ 5.04% सुरक्षित बांड	5.04%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	5-मई-23	30,000.00	-	-
92	149 सीरीज़ कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.19%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-अप्रैल-23	31,900.00	-	-
93	65वें एन कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.20%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-23	600.00	600.00	600.00
94	145वें सीरीज़ कर योग्य बांड	6.59%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	14-अप्रैल-23	30,000.00	30,000.00	-
95	88वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.83%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	25-मार्च-23	11,000.00	11,000.00	11,000.00
96	87वें सीरीज़ (गैर खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	6.88%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-मार्च-23	1,377.09	1,373.50	1,366.17
97	87वें सीरीज़ (खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.38%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-मार्च-23	274.61	278.20	285.53
98	86वें सीरीज़ (गैर खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.18%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	19-फरवरी-23	26,686.78	26,667.46	26,638.41
99	86वें सीरीज़ (खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	7.68%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	19-फरवरी-23	1,458.03	1,477.34	1,506.39
100	126वें कर योग्य गैर-संचयी बांड*	7.63%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	25-जनवरी-23	-	30,000.00	30,000.00
101	85वें कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.19%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	14-दिसंबर-22	950.00	950.00	950.00
102	84वें कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.22%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-दिसंबर-22	4,999.00	4,999.00	4,999.00
103	83वें कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.22%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	6-दिसंबर-22	300.00	300.00	300.00
104	82वें कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.22%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-नवंबर-22	410.00	410.00	410.00
105	81वें कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.21%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-नवंबर-22	2,560.00	2,560.00	2,560.00
106	58वें ए कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.20%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-अक्तूबर-22	5,000.00	5,000.00	5,000.00
107	54वें ए कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.95%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-जून-22	1,500.00	1,500.00	1,500.00
108	55वें ओ कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.86%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-जून-22	330.00	330.00	330.00
109	65वें एम कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.20%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-22	600.00	600.00	600.00
110	80वें सीरीज़ (गैर खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.00%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-फरवरी-22	28,424.69	28,367.53	28,301.10
111	80वें सीरीज़ (खुदरा), कर मुक्त बांड सार्वजनिक निर्गम	8.15%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-फरवरी-22	3,307.69	3,364.85	3,431.28
112	53वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.68%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-नवंबर-21	2,250.00	2,250.00	2,250.00
113	114वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.70%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	24-नवंबर-21	20,000.00	20,000.00	20,000.00
114	113वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.24%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	8-नवंबर-21	6,500.00	6,500.00	6,500.00
115	79वें कर मुक्त गैर-संचयी बांड	7.55%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	8-नवंबर-21	5,396.00	5,396.00	5,396.00
116	57वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.66%	अर्ध वार्षिक	28-09-2021 से शुरू होनेवाली दो समान किश्तों में भुनने योग्य	28-सितंबर-21	4,000.00	6,000.00	8,000.00
117	78वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.41%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-जुलाई-21	15,000.00	15,000.00	15,000.00
118	55वें एन कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.86%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-जून-21	330.00	330.00	330.00
119	77वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.57%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मई-21	12,450.00	12,450.00	12,450.00
120	52वें बी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.64%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	17-मई-21	7,000.00	7,000.00	7,000.00
121	76वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.27%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-मई-21	3,900.00	3,900.00	3,900.00

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

क्रम सं.	सीरीज़	ब्याज की दर	ब्याज भुगतान आवृत्ति	पुनर्भुगतान की शर्तें	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
122	65वें एल कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.20%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-21	600.00	600.00	600.00
123	127वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.65%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	15-मार्च-21	-	25,000.00	25,000.00
124	51वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.74%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-दिसंबर-20	-	4,500.00	4,500.00
125	73वें बी कर मुक्त गैर-संचयी बांड	6.72%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	20-दिसंबर-20	-	8,359.10	8,359.10
126	49वें ओ – एफ़आरबी कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.93%भ	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-जून-20	-	100.00	100.00
127	72वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.50%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-जून-20	-	8,000.00	8,000.00
128	55वें एम कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.86%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-जून-20	-	330.00	330.00
129	119वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.20%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मई-20	-	23,750.00	23,750.00
130	65वें के कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.20%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-20	-	600.00	600.00
131	115वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.73%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	23-मार्च-20	-	-	8,000.00
132	68वें बी कर मुक्त गैर-संचयी बांड	6.70%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	8-मार्च-20	-	-	9,272.10
133	67वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.55%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	3-फरवरी-20	-	-	1,750.00
134	112वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.92%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-नवंबर-19	-	-	15,000.00
135	48वें जेजे कर योग्य गैर-संचयी बांड	6.85%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	17-सितंबर-19	-	-	500.00
136	111वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.65%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-जुलाई-19	-	-	10,000.00
137	49वें एन – एफ़आरबी कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.13%भभ	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	22-जून-19	-	-	100.00
138	66वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.60%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	11-जून-19	-	-	5,000.00
139	128वें कर योग्य गैर-संचयी बांड	7.72%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-जून-19	-	-	26,000.00
140	55वें एल कर योग्य गैर-संचयी बांड	9.86%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-जून-19	-	-	330.00
141	65वें एए कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.19%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-19	-	-	5,600.00
142	65वें जे कर योग्य गैर-संचयी बांड	8.20%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-19	-	-	600.00
	कुल					1,321,544.84	1,146,906.94	972,424.04

* वर्ष के दौरान कॉल विकल्प का प्रयोग किया गया है

^31 मार्च 2020 को लागू ब्याज दर, भारतीय बेंचमार्क (आईएनबीएमके) लब्धि से संबद्ध ब्याज दर फ्लोटिंग है और अर्ध वार्षिक अंतराल पर पुनः निर्धारित की जाती है। अन्य सभी ब्याज दरें निर्धारित हैं।

^^1 अप्रैल 2019 को लागू ब्याज दर, भारतीय बेंचमार्क (आईएनबीएमके) लब्धि से संबद्ध ब्याज दर फ्लोटिंग लिंक्ड है और अर्ध वार्षिक अंतराल पर पुनः निर्धारित की जाती है। अन्य सभी ब्याज दरें निर्धारित हैं।

54 ईसी प्रत्याभूत बांड

घरेलू पूंजी बाजार में जारी किए गए 54 ईसी बांड कंपनी के वर्तमान/भावी चल स्टॉक परिसंपत्तियों/पट्टा प्राप्यों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं। घरेलू पूंजी बाजार में जारी किए गए 54ईसी प्रत्याभूत बांड की परिपक्वता प्रोफ़ाइल और ब्याज दर और विभिन्न तिथियों पर बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	ब्याज की दर	ब्याज भुगतान आवृत्ति	पुनर्भुगतान की शर्तें	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
1	54 ईसी, मार्च 2021 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मार्च-26	2,098.79	-	-
2	54 ईसी, फरवरी 2021 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-फरवरी-26	822.50	-	-
3	54 ईसी, जनवरी 2021 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-जनवरी-26	629.66	-	-
4	54 ईसी, दिसंबर 2020 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-दिसंबर-25	685.27	-	-
5	54 ईसी, नवंबर 2020 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-नवंबर-25	412.82	-	-
6	54 ईसी, अक्तूबर 2020 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-अक्तूबर-25	458.81	-	-
7	54 ईसी, सितंबर 2020 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-सितंबर-25	529.70	-	-
8	54 ईसी, अगस्त 2020 बांड सीरीज़	5%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-अगस्त-25	343.87	-	-
9	54 ईसी, जुलाई 2020 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-जुलाई-25	774.33	-	-
10	54 ईसी, जून 2020 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-जून-25	1,160.16	-	-
11	54 ईसी, मई 2020 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मई-25	378.92	-	-
12	54 ईसी, अप्रैल 2020 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-अप्रैल-25	131.17	-	-
13	54 ईसी, मार्च 2020 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मार्च-25	1,429.69	1,429.69	-
14	54 ईसी, फरवरी 2020 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-फरवरी-25	881.04	881.04	-
15	54 ईसी, जनवरी 2020 बॉन्ड सीरीज	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-जनवरी-25	823.75	823.75	-
16	54 ईसी, दिसंबर 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-दिसंबर-24	926.28	926.28	-
17	54 ईसी, नवंबर 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-नवंबर-24	711.59	711.59	-
18	54 ईसी, अक्तूबर 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-अक्तूबर-24	669.18	669.18	-
19	54 ईसी, सितंबर 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-सितंबर-24	543.41	543.41	-
20	54 ईसी, अगस्त 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-अगस्त-24	571.15	571.15	-
21	54 ईसी, जुलाई 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-जुलाई-24	633.99	633.99	-
22	54 ईसी, जून 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-जून-24	596.14	596.14	-
23	54 ईसी, मई 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मई-24	436.60	436.60	-
24	54 ईसी, अप्रैल 2019 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-अप्रैल-24	249.71	249.71	-
25	54 ईसी बांड मार्च 2019 सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मार्च-24	692.68	692.68	692.68
26	54 ईसी बांड फरवरी 2019 सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-फरवरी-24	145.31	145.31	145.31
27	54 ईसी बांड जनवरी 2019 सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-जनवरी-24	133.35	133.35	133.35
28	54 ईसी, दिसंबर 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-दिसंबर-23	135.12	135.12	135.12
29	54 ईसी, नवंबर 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-नवंबर-23	98.69	98.69	98.69
30	54 ईसी, अक्तूबर 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-अक्तूबर-23	116.94	116.94	116.94
31	54 ईसी, सितंबर 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-सितंबर-23	71.01	71.01	71.01
32	54 ईसी, अगस्त 2018 बॉन्ड सीरीज	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-अगस्त-23	81.17	81.17	81.17
33	54 ईसी, जुलाई 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-जुलाई-23	137.02	137.02	137.02
34	54 ईसी, जून 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-जून-23	127.56	127.56	127.56
35	54 ईसी, मई 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मई-23	83.58	83.58	83.58
36	54 ईसी, अप्रैल 2018 बांड सीरीज़	5.75%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-अप्रैल-23	54.52	54.52	54.52
37	54 ईसी, मार्च 2018 बांड सीरीज़	5.25%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मार्च-21	-	928.76	928.76
38	54 ईसी, फरवरी 2018 बांड सीरीज़	5.25%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-फरवरी-21	-	248.95	248.95
39	54 ईसी, जनवरी 2018 बांड सीरीज़	5.25%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-जनवरी-21	-	104.70	104.70
40	54 ईसी, दिसंबर 2017 बांड सीरीज़	5.25%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-दिसंबर-20	-	82.68	82.68
41	54 ईसी, नवंबर 2017 बांड सीरीज़	5.25%	वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-नवंबर-20	-	9.79	9.79
	कुल					18,775.48	**11,724.36**	**3,251.83**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, वर्शर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

घरेलू पूंजी बाजार से अप्रत्याभूत बांड

घरेलू पूंजी बाजार में जारी किए गए अप्रत्याभूत बांड और विभिन्न तारीखों को बकाया राशि के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	सीरीज़	ब्याज की दर	ब्याज भुगतान आवृत्ति	पुनर्भुगतान की शर्तें	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
1	148वीं सीरीज़ कर योग्य बांड	6.58% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	''15 अक्तूबर 2030 से शुरू चालीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में मोच्य''	31-मार्च-50	25,000.00	25,000.00	-
2	137वीं सीरीज़ कर योग्य बांड	7.30% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	''15 अप्रैल 2030 से शुरू चालीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में मोच्य''	18-जून-49	18,000.00	18,000.00	-
3	125वीं सीरीज़ कर योग्य बांड	7.41% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	''15 अप्रैल 2028 से शुरू चालीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में मोच्य''	22-दिसंबर-47	21,000.00	21,000.00	21,000.00
4	122वीं सीरीज़ कर योग्य बांड	6.77% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	''15 अप्रैल 2028 से शुरू चालीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में मोच्य''	27-जून-47	41,000.00	41,000.00	41,000.00
5	110वीं सीरीज़ कर योग्य बांड	7.80% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	''15 अप्रैल 2027 से शुरू चालीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में मोच्य''	22-जून-46	30,000.00	30,000.00	30,000.00
6	109वीं सीरीज़ कर योग्य बांड	8.02% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	''15 अप्रैल 2026 से शुरू चालीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में मोच्य''	30-मार्च-46	50,000.00	50,000.00	50,000.00
7	101वीं सीरीज़ कर योग्य बांड	7.87% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	''15 अप्रैल 2026 से शुरू चालीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में मोच्य''	27-अक्तूबर-45	29,347.00	20,000.00	20,000.00
	कुल					214,347.00	**205,000.00**	**162,000.00**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

समाधान

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	01 अप्रैल 2019 के अनुसार
घरेलू पूंजी बाजार से प्रत्याभूत बांड	1,321,544.84	1,146,906.94	972,424.04
बाजार में प्रत्याभूत 54ईसी बांड	18,775.48	11,724.36	3,251.83
घरेलू पूंजी बाजार से अप्रत्याभूत बांड	214,347.00	205,000.00	162,000.00
आईजीएएपी के अनुसार घरेलू बाजार में बांड	1,554,667.32	1,363,631.30	1,137,675.87
घटाएँ : अपरिशोधित लेनदेन लागत	(915.14)	(1,031.94)	(1,127.84)
इंड ए एस के अनुसार घरेलू बाजार में बांड	1,553,752.18	1,362,599.36	1,136,548.03

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विदेशी पूंजी बाजार से अप्रत्याभूत बांड

विदेशी पूंजी बाजार से जारी किए गए अप्रत्याभूत बांड और विभिन्न तारीखों को बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सीरीज़	ब्याज की दर	ब्याज भुगतान आवृत्ति	पुनर्भुगतान की शर्तें	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
1	आरईजी-एस/144ए बांड 300 मिलियन अमरीकी डालर 3.95% जीएमटीएम-2050	3.95% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	13-फरवरी-50	22,173.00	22,770.00	-
2	जीएमटीएम के तहत आरईजी-एस/144ए बांड 750 मिलियन अमरीकी डालर	2.80% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-फरवरी-31	55,432.50	-	-
3	आरईजी-एस/144ए बांड 700 मिलियन अमरीकी डालर 3.249% जीएमटीएम-2030	3.249% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	13-फरवरी-30	51,737.00	53,130.00	-
4	आरईजी-एस बांड ग्रीन बांड पहली सीरीज़ (500 मिलियन अमरीकी डालर)	3.835% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	13-दिसंबर-27	36,955.00	37,950.00	34,815.00
5	आरईजी-एस बांड अमरीकी डालर 500एम-ईएमटीएन	3.73% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	29-मार्च-24	36,955.00	37,950.00	34,815.00
आईजीएएपी के अनुसार कुल विदेशी बांड						203,252.50	**151,800.00**	**69,630.00**
घटाएँ : अपरिशोधित लेनदेन लागत						(227.06)	(128.89)	(58.81)
इंड ए एस के अनुसार कुल विदेशी बांड						203,025.44	**151,671.11**	**69,571.19**

वाणिज्यिक पत्र (अप्रत्याभूत)

विभिन्न तिथियों पर बकाया वाणिज्यिक पत्रों का विवरण नीचे दिया जाता है:

क्रम सं.	विवरण	रियायती दर	बांड की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
1	वाणिज्यिक पत्र सीरीज़ XX	3.43%	25-अप्रैल-21	29,000.00	-	-
2	वाणिज्यिक पत्र सीरीज़ - XVIII	5.50%	21-अप्रैल-20		38,750.00	
3	वाणिज्यिक पत्र सीरीज़ - XIII	7.23%	25-अप्रैल-19	-	-	30,000.00
घटा: असमाप्त छूट				(29.73)	(115.91)	(140.23)
कुल				28,970.27	**38,634.09**	**29,859.77**
कुल भारतीय बांड				1,553,752.18	1,362,599.36	1,136,548.03
कुल विदेशी बांड				203,025.44	151,671.11	69,571.19
वाणिज्यिक पत्र				28,970.27	38,634.09	29,859.77
कुल ऋण उधार				1,785,747.89	**1,552,904.56**	**1,235,978.99**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

टिप्पणी 16: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के इतर)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार				31 मार्च 2020 के अनुसार				1 अप्रैल 2019 के अनुसार			
	परिशोधन लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित	कुल	परिशोधन लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित	कुल	परिशोधन लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित	कुल
आवधिक ऋण												
प्रत्याभूत ऋण												
(i) बैंकों से (भारतीय)	888,268.00	–	–	888,268.00	496,250.00	–	–	496,250.00	277,905.00	–	–	277,905.00
(II) बैंकों से (विदेशी)	16,350.64	–	–	16,350.64	454.58	–	–	454.58	625.44	–	–	625.44
(ii) अन्य पार्टियों से–	175,000.00	–	–	175,000.00	175,000.00	–	–	175,000.00	175,000.00	–	–	175,000.00
राष्ट्रीय लघु बचत निधि												
अप्रत्याभूत ऋण	47,200.04	–	–	47,200.04	22,619.00	–	–	22,619.00	24,198.97	–	–	24,198.97
(i) बैंकों से (भारतीय)	318,540.22	–	–	318,540.22	96,539.07	–	–	96,539.07	25,618.35	–	–	25,618.35
(ii) बैंकों से (विदेशी)	1,445,358.90	–	–	1,445,358.90	790,862.65	–	–	790,862.65	503,347.76	–	–	503,347.76
कुल (क)	1,110,468.04	–	–	1,110,468.04	693,869.00	–	–	693,869.00	477,103.97	–	–	477,103.97
भारत में उधार	334,890.86	–	–	334,890.86	96,993.65	–	–	96,993.65	26,243.79	–	–	26,243.79
भारत के बाहर उधार	1,445,358.90	–	–	1,445,358.90	790,862.65	–	–	790,862.65	503,347.76	–	–	503,347.76
(क) के साथ मिलान करते हुए कुल (ख)												

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

रूपये में प्रत्याभूत आवधिक ऋण

बैंकों से रुपयों में लिए गए आवधिक ऋण कंपनी की वर्तमान/भावी चल स्टॉक परिसंपत्तियों/पट्टा प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। प्रत्याभूत आवधिक ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तें और विभिन्न तिथियों पर बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	ब्याज का प्रकार	पुनर्भुगतान की शर्तें	ऋण की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
1	बैंक ऑफ बड़ौदा -IV	रातभर एमसीएलआर	12 सितंबर 2027 से शुरू 6667 मिलियन रु की 17 अर्धवार्षिक समान किश्तें। 6661 मिलियन रु की 18वीं और अंतिम किस्त (अवशिष्ट)	12-सितंबर-27	120,000.00	-	-
2	केनरा बैंक	एक महीने के एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	स्वीकृत राशि: 31 मार्च 2027 से शुरू प्रत्येक 5000 मिलियन रु की 10 समान अर्धवार्षिक किश्तों के साथ 50,000 मिलियन रु प्रारंभिक ड्रॉडाउन: 20,000 मिलियन रु आहरित राशि : 30,000 मिलियन रु	31-मार्च-27	20,000.00		
3	बैंक ऑफ इंडिया टीएल-I	रेपो+स्प्रेड	27 जुलाई 2026 से शुरू 1500 मिलियन रु की 20 अर्धवार्षिक समान किश्तें	27-जुलाई-26	30,000.00	-	-
4	बैंक ऑफ इंडिया टीएल-II	रेपो+स्प्रेड	27 जुलाई 2026 से शुरू 1150 मिलियन रु की 20 अर्धवार्षिक समान किश्तें	27-जुलाई-26	23,000.00	-	
5	पंजाब नेशनल बैंक -VI	3वाई जी-सेक+स्प्रेड	31 दिसंबर 2026 से शुरू 3000 मिलियन रु की 10 समान वार्षिक किश्तें	31-दिसंबर-26	30,000.00	-	-
6	पंजाब नेशनल बैंक (V)	3वाई जी-सेक+स्प्रेड	30 सितंबर 2026 से शुरू 2500 मिलियन रु की 10 समान वार्षिक किश्तें	30-सितंबर-26	25,000.00	-	-
7	आईसीआईसीआई बैंक टीएल-IV	3एम टीबिल+स्प्रेड	15 सितंबर 2026 से शुरू 1750 मिलियन रु की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तें	15-सितंबर-26	35,000.00	-	-
8	आईसीआईसीआई बैंक टीएल-III	3एम टीबिल+स्प्रेड	27 मई 2026 से शुरू 5000 मिलियन रु की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तें	27-मई-26	100,000.00	-	-
9	आईसीआईसीआई बैंक टीएल-II	3एम टीबिल+स्प्रेड	22 अप्रैल 2026 से शुरू 2500 मिलियन रु की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तें	22-अप्रैल-26	50,000.00	-	-
10	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (VI)-टी II	रेपो दर +	30 मार्च 2026 से शुरू 182.50 मिलियन रु की 20 अर्धवार्षिक समान किश्तें	30-मार्च-26	3,650.00	-	-
11	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (VI)-टी I	रेपो दर +	11 मार्च 2026 से शुरू 817.50 मिलियन रु की 20 अर्धवार्षिक समान किश्तें	11-मार्च-26	16,350.00	-	-
12	ऐक्सिस बैंक	रेपो दर +	28 फरवरी 2026 से शुरू 2,000 मिलियन रु की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तें	28-फ़रवरी-26	40,000.00	-	-
13	आईसीआईसीआई बैंक टीएल-I	3एम टीबिल+स्प्रेड	19 फरवरी 2026 से शुरू 2,500 मिलियन रु की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तें	19-फ़रवरी-26	50,000.00	-	-
14	एचडीएफसी-V-II	रेपो दर +	30 दिसंबर 2024 से शुरू 1,125 मिलियन रु की 16 समान अर्धवार्षिक किश्तें	30-दिसंबर-24	18,000.00	-	-
15	एचडीएफसी-V-I	रेपो दर +	30 दिसंबर 2024 से शुरू 3,250 मिलियन रु की 16 समान अर्धवार्षिक किश्तें	30-दिसंबर-24	52,000.00	-	-
16	एचडीएफसी-IV	रेपो दर +	26 सितंबर 2024 से शुरू 3,125 मिलियन रु की 16 समान अर्धवार्षिक किश्तें	26-सितंबर-24	50,000.00	50,000.00	-
17	बैंक ऑफ बड़ौदा (III)*	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	अर्धवार्षिक किश्तों की कुल संख्या : 15 17 फरवरी 2024 से शुरू 3332.40 मिलियन रु की 14 समान अर्धवार्षिक किश्तें 3332.40 मिलियन रु की 15वीं अर्धवार्षिक किश्त (अवशिष्ट)	17-फ़रवरी-24	-	50,000.00	-
18	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3वाई जी-सेक+स्प्रेड	अर्धवार्षिक किश्तों की कुल संख्या: 14 17 अगस्त 2023 से शुरू 1071.50 मिलियन रु की 13 समान अर्धवार्षिक किश्तें 1,071.80 मिलियन रु की 14वीं अर्धवार्षिक किश्त (अवशिष्ट)	17-अगस्त-23	15,000.00	15,000.00	-
19	बैंक ऑफ बड़ौदा (II)**	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	अर्धवार्षिक किश्तों की कुल संख्या : 14 21 जुलाई 2023 से शुरू 2142.90 मिलियन रु एच की 13 समान अर्धवार्षिक किश्तें 2142.30 मिलियन रु की 14वीं अर्धवार्षिक किश्त (अवशिष्ट)	21-जुलाई-23	-	30,000.00	-
20	पंजाब नेशनल बैंक (IV)	3वाई जी-सेक+स्प्रेड	30 मार्च 2022 से शुरू 1,000 मिलियन रु की 9 समान वार्षिक किश्तें	30-मार्च-22	9,000.00	10,000.00	-
21	केनरा बैंक***	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	30 मार्च 2022 से शुरू 625 मिलियन रु की 16 समान अर्धवार्षिक किश्तें	30-मार्च-22	-	10,000.00	-
22	पंजाब नेशनल बैंक (III)	3वाई जी-सेक+स्प्रेड	17 फरवरी 2022 से शुरू प्रत्येक 3,000 मिलियन रु की 9 समान वार्षिक किश्तें	17-फ़रवरी-22	27,000.00	30,000.00	-
23	एचडीएफसी-I	3एम टीबिल+स्प्रेड	30 सितंबर 2021 से शुरू प्रत्येक 500 मिलियन रु की 17 समान अर्धवार्षिक किश्तें	30-सितंबर-21	8,500.00	9,500.00	-
24	भारतीय स्टेट बैंक (V) ट्रांच I II	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	अर्धवार्षिक किश्तों की कुल संख्या : 18 23 सितंबर 2021 से शुरू प्रत्येक 3,890 मिलियन रु की 17 समान अर्धवार्षिक किश्तें 3,870 मिलियन रु की 18वीं अर्धवार्षिक किश्त (अवशिष्ट)	23-सितंबर-21	70,000.00	70,000.00	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

क्रम सं.	विवरण	ब्याज का प्रकार	पुनर्भुगतान की शर्तें	ऋण की परिपक्वता तिथि	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	01 अप्रैल 2019
25	भारतीय स्टेट बैंक (III)	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	स्वीकृत राशि: 3 जुलाई 2019 से शुरू प्रत्येक 4500 मिलियन रु की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों के साथ 90,000 मिलियन रु प्रारंभिक ड्रॉडाउन: 80,000 मिलियन रु अंतिम ड्रॉडाउन: 26.12.2019 को 10,000 मिलियन रु शेष किश्तें: 3 जुलाई 2021 से शुरू 4500 मिलियन रु की 13 बराबर अर्ध वार्षिक किश्तें 1,268 मिलियन रु की 14 वीं छमाही किश्त (अवशिष्ट)।	3-जुलाई-21	59,768.00	81,000.00	80,000.00
26	एचडीएफसी-III	3एम टीबिल+स्प्रेड	24 जून 2021 से शुरू प्रत्येक 1000 मिलियन रु की 18 समान अर्धवार्षिक किश्तें	24-जून-21	18,000.00	20,000.00	-
27	एचडीएफसी-II	3एम टीबिल+स्प्रेड	4 मई 2021 से शुरू प्रत्येक 1000 मिलियन रु की 18 समान अर्धवार्षिक किश्तें	4-मई-21	18,000.00	20,000.00	-
28	बैंक ऑफ इंडिया -II#	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	15 अक्तूबर 2020 से शुरू प्रत्येक 1000 मिलियन रु की 18 समान अर्धवार्षिक किश्तें	15-अक्तूबर-20	-	19,000.00	20,000.00
29	बैंक ऑफ इंडिया -I##	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	15 अक्तूबर 2020 से शुरू प्रत्येक 500 मिलियन रु की 16 समान अर्धवार्षिक किश्तें	15-अक्तूबर-20	-	8,500.00	9,500.00
30	भारतीय स्टेट बैंक (II)###	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	15 अक्तूबर 2020 से शुरू प्रत्येक 1500 मिलियन रु की 16 समान अर्धवार्षिक किश्तें	15-अक्तूबर-20	-	25,500.00	28,500.00
31	बैंक ऑफ बड़ौदा (I)*#	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	28 मई 2020 से शुरू प्रत्येक 1000 मिलियन रु की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तें	28-मई-20	-	20,000.00	-
32	पंजाब नेशनल बैंक (II)	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	29-अप्रैल-20	-	10,000.00	10,000.00
33	केनरा बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	29-अप्रैल-20	-	-	5,000.00
34	इलाहाबाद बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	28-अप्रैल-20	-	-	13,000.00
35	कॉर्पोरेशन बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	26-अप्रैल-20	-	11,500.00	11,500.00
36	कॉर्पोरेशन बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	19-अप्रैल-20	-	6,250.00	7,500.00
37	भारतीय स्टेट बैंक (IV)	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	2-फ़रवरी-20	-	-	10,000.00
38	भारतीय स्टेट बैंक (IV)	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	29-जनवरी-20	-	-	20,000.00
39	जे एंड के बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	1-दिसंबर-19	-	-	5,000.00
40	जे एंड के बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	29-नवंबर-19	-	-	5,000.00
41	आंध्रा बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	10-सितंबर-19	-	-	14,905.00
42	पंजाब नेशनल बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	10-सितंबर-19	-	-	10,000.00
43	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएलआर से जुड़ा हुआ	बुलेट अदायगी	22-अप्रैल-19	-	-	28,000.00
	कुल				888,268.00	**496,250.00**	**277,905.00**

टिप्पणी -1 : परिपक्वता की तिथि अगली किश्त के भुगतान की तिथि दर्शाती है।

*दि.19 अगस्त 2020 और 11 सितंबर 2020 को क्रमशः 35,650 रु और 14,350 रु की राशि पूर्वप्रदत्त की गई।

**दि.6 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 और 19 अगस्त 2020 को क्रमशः 4,650 रु, 18,000 रु और 7,350 रु की राशि पूर्वप्रदत्त की गई।

***दि. 12 मई 2020 को 10,000 रु की राशि पूर्वप्रदत्त की गई।

#दि. 16 अक्तूबर 2020 और 22 अक्तूबर 2020 को क्रमशः 350 रु और 16,650 रु की राशि पूर्वप्रदत्त की गई।

##दि. 16 अक्तूबर 2020 को 7,500 रु की राशि पूर्वप्रदत्त की गई।

###दि. 1 दिसंबर 2020 को 22,500 रु की राशि पूर्वप्रदत्त की गई।

*#दि. 5 जून 2020 और 6 जुलाई 2020 को क्रमशः 13,650 रु और 5,350 रु की राशि पूर्वप्रदत्त की गई।

प्रत्याभूत विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण

विदेशी मुद्रा के ऋण वर्तमान / भावी चल स्टॉक परिसंपत्तियों / कंपनी के पट्टे के प्राप्यों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

विदेशी मुद्रा के आवधिक ऋण की अदायगी की शर्तें तथा विभिन्न तारीखों पर बकाया राशि नीचे दी गई है –

क्र. सं.	विवरण	ब्याज का प्रकार	ब्याज भुगतान की आवृत्ति	अदायगी की शर्तें	ऋण की परिपक्वता की तारीख	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	1 अप्रैल 2019
1	बैंक ऑफ इंडिया	6M यूएसडीएलआईबीओआर+1.25%	अर्ध वार्षिक	अर्ध वार्षिक	30-अप्रैल-21	221.73	-	-
2	बैंक ऑफ इंडिया	6M यूएसडीएलआईबीओआर+1.25%	अर्ध वार्षिक	अर्ध वार्षिक	30-अप्रैल-20	-	455.40	-
3	बैंक ऑफ इंडिया	6M यूएसडीएलआईबीओआर+1.25%	अर्ध वार्षिक	अर्ध वार्षिक	30-अप्रैल-19	-	-	626.67
4	एसबीआई यूएसडी 2BN-II मार्च 21-7 वर्ष	6M यूएसडीएलआईबीओआर+1.30% pa	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	24-मार्च-28	16,260.20	-	-
आईजीएएपी के अनुसार कुल						16,481.93	455.40	626.67
घटाएं- अपरिशोधित लेनदेन की लागत						(131.29)	(0.82)	(1.23)
इंड ए एस के अनुसार प्रत्याभूत विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण						16,350.64	454.58	625.44

राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से प्रत्याभूत रुपयों में आवधिक ऋण

राष्ट्रीय लघु बचत निधि से रुपयों में ऋण वर्तमान / भावी चल स्टॉक परिसंपत्तियों / कंपनी के पट्टे के प्राप्यों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

अदायगी की शर्तें तथा विभिन्न तारीखों पर बकाया राशि नीचे दी गई है –

क्र. सं.	विवरण	ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)	ब्याज भुगतान की आवृत्ति	अदायगी की शर्तें	ऋण की परिपक्वता की तारीख	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	1 अप्रैल 2019
1	राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ)-II	8.11%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	7-फरवरी-29	75,000.00	75,000.00	75,000.00
2	राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ)-I	8.01%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-मार्च-28	100,000.00	100,000.00	100,000.00
कुल						175,000.00	175,000.00	175,000.00

टिप्पणी-1 परिपक्वता की तारीख अगली किस्त के भुगतान की तारीख दर्शाती है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

अप्रत्याभूत रुपयों में आवधिक ऋण

बैंकों से अप्रत्याभूत रुपयों में आवधिक ऋणों की अदायगी की शर्तें और विभिन्न तारीखों पर बकाया राशि के विवरण नीचे दिए गए हैं –

क्र. सं.	विवरण	ब्याज की दर	ब्याज का प्रकार	अदायगी की शर्तें	ऋण की परिपक्वता की तारीख	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	1 अप्रैल 2019
1	एक्सिस बैंक	3.89%	नियत दर	बुलेट अदायगी	23-जून-21	6,950.00	–	–
2	एक्सिस बैंक	3.89%	नियत दर	बुलेट अदायगी	22-जून-21	6,050.00	–	–
3	एक्सिस बैंक	3.92%	नियत दर	बुलेट अदायगी	17-जून-21	10,000.00	–	–
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3.94%	नियत दर	बुलेट अदायगी	3-जून-21	23,350.00	–	–
5	इंडसइंड बैंक	3.90%	नियत दर	बुलेट अदायगी	29-अप्रैल-21	850.00	–	–
6	एचडीएफसी बैंक	4.00%	नियत दर	बुलेट अदायगी	27-अप्रैल-21	0.04	–	–
7	एचडीएफसी बैंक	6.10%	नियत दर	बुलेट अदायगी	29-अप्रैल-20	–	3,160.00	–
8	एचडीएफसी बैंक	6.10%	नियत दर	बुलेट अदायगी	26-अप्रैल-20	–	4,080.00	–
9	एचडीएफसी बैंक	6.10%	नियत दर	बुलेट अदायगी	22-अप्रैल-20	–	2,009.00	–
10	कार्पोरेशन बैंक	6.10%	नियत दर	बुलेट अदायगी	15-अप्रैल-20	–	40.00	–
11	एक्सिस बैंक	6.05%	नियत दर	बुलेट अदायगी	10-अप्रैल-20	–	150.00	–
12	कार्पोरेशन बैंक	6.10%	नियत दर	बुलेट अदायगी	8-अप्रैल-20	–	150.00	–
13	कार्पोरेशन बैंक	6.10%	नियत दर	बुलेट अदायगी	5-अप्रैल-20	–	10.00	–
14	कार्पोरेशन बैंक	6.10%	नियत दर	बुलेट अदायगी	4-अप्रैल-20	–	5,520.00	–
15	कर्नाटक बैंक	5.90%	नियत दर	बुलेट अदायगी	4-अप्रैल-20	–	7,500.00	–
16	भारतीय स्टेट बैंक	8.25%	एमसीएलआर से संबद्ध	बुलेट अदायगी	12-अप्रैल-19	–	–	9,198.97
17	कर्नाटक बैंक	8.14%	टी-बिल प्लस स्प्रेड	बुलेट अदायगी	12-अप्रैल-19	–	–	2,500.00
18	कर्नाटक बैंक	8.19%	टी-बिल प्लस स्प्रेड	बुलेट अदायगी	12-अप्रैल-19	–	–	2,500.00
19	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	8.15%	एमसीएलआर से संबद्ध	बुलेट अदायगी	12-अप्रैल-19	–	–	10,000.00
कुल						47,200.04	22,619.00	24,198.97

टिप्पणी-1 परिपक्वता की तारीख अगली क़िस्त के भुगतान की तारीख दर्शाती है।

अप्रत्याभूत विदेशी मुद्रा में आवधिक ऋण

बैंकों से प्रत्याभूत रुपयों में आवधिक ऋणों की अदायगी की शर्तें और विभिन्न तारीखों पर बकाया राशि के विवरण नीचे दिए गए हैं –

क्र.सं.	विवरण	ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)	ब्याज भुगतान की आवृत्ति	अदायगी की शर्तें	ऋण की परिपक्वता की तारीख	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	1 अप्रैल 2019
1	सिंड एफसीएल जेपीवाई-IV ईक्यू यूएसडी 325एम मार्च'21	6एम यूएसडीएलआईबीओआर+0.85% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मार्च-31	23,775.06	-	-
2	एसबीआईयूएसडी 1बीएन-मार्च'21-10 वर्ष	6एम यूएसडीएलआईबीओआर+1.35% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-मार्च-31	73,910.00	-	-
3	सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण-जेपीवाई 33,189 मियो एसबीआई-एसएमबीसी(यूएसडी 300एम के समतुल्य)	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.935% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	31-मार्च-30	22,289.73	23,414.84	-
4	विदेशी मुद्रा ऋण-यूएसडी 300एम-एसबीआई बहरीन	6एम यूएसडीएलआईबीओआर + 1.30% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	26-मार्च-30	22,173.00	22,770.00	-
5	सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण-जेपीवाई 26231.25 मियो (यूएसडी 250एम के समतुल्य)	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर+0.80%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	28-मार्च-28	17,616.91	18,506.15	16,604.38
6	एसबीआईयूएसडी 2बीएन-II मार्च'21-7 वर्ष	6एम यूएसडीएलआईबीओआर+1.30% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	24-मार्च-28	131,559.80	-	-
7	सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण-जेपीवाई 32,856 (यूएसडी 300एम के समतुल्य)	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.90% प्रतिवर्ष	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	4-जून-26	22,066.09	23,179.91	-
8	एएफएलएसी-2 से ऋण (जेपीवाई 3बीएन के समतुल्य)	2.90%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	30-मार्च-26	2,737.41	2,811.11	2,578.89
9	एएफएलएसी-1 से ऋण (जेपीवाई 12बीएन के समतुल्य)	2.85%	अर्ध वार्षिक	बुलेट अदायगी	10-मार्च-26	10,783.22	11,073.56	10,158.78
आईजीएएपी के अनुसार कुल						326,911.22	101,755.57	29,342.05
घटाएं-अपरिशोधित लेनदेन की लागत						(5,231.52)	(2,126.28)	(617.75)
घटाएं-उचित मूल्य हैज समायोजन – रेल मंत्रालय से प्राप्य						(3,139.48)	(3,090.22)	(3,105.95)
इंड एएस के अनुसार अप्रत्याभूत विदेशी मुद्रा में आवधिक ऋण						318,540.22	96,539.07	25,618.35

टिप्पणी: अप्रत्याभूत ऋणों पर पूर्व अदायगी विकल्प, जहाँ कहीं लागू है कोई अतिरिक्त प्रभार लागू नहीं होता है जब ब्याज अवधियों के अंत में पूर्व अदायगी किए जाने के अधीन प्रयुक्त किया गया हो।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 17 – अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019
ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं	122,137.27	101,319.74	72,918.18
पट्टे की देयताएं*	345.88		
परिपक्व एवं बेदावा बांड की देयता और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	86.90	96.82	80.91
बेदावा लाभांश की देयता	7.99	–	–
देय लाभांश	–	–	–
देय लाभांश कर	–	–	–
रेल मंत्रालय को देय राशि – पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां	49,498.30	1,956.62	–
बयाना जमा–राशि	0.52	0.49	0.33
कुल	**172,076.86**	**103,373.67**	**72,999.42**
* पट्टे पर लिए गए इन परिसरों के संबंध में (i) गिफ्ट सिटी और (ii) अशोका होटल			
पट्टे की देयताओं का घटक			
प्रारंभिक शेष	–	–	–
परिवर्धन	379.33	–	–
ब्याज व्यय	6.79	–	–
अदा किया गया किराया	(40.24)	–	–
विलोपन	–	–	–
अंतिम शेष	**345.88**	–	–

टिप्पणी 18 – प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	14.58	18.52	19.36
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधान	276.64	78.94	78.94
आय कर पर देय ब्याज का प्रावधान	–	40.57	19.66
कुल	**291.22**	**138.03**	**117.96**
भारतीय रिजर्व बैंक मानदंडो के अनुसार परिसंपत्ति पर प्रावधान निम्नलिखित से क्षति हानि छूट में कटौती के रूप में प्रदर्शित है			
– टिप्पणी 7 – ऋण	279.91	257.97	236.77
– टिप्पणी 8 – निवेश	0.05	0.09	–
– टिप्पणी 9 –अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	44.04	38.79	38.67
कुल	**324.00**	**296.85**	**275.44**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 19 – आस्थगित कर देयताएं (निवल)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
आस्थगित कर देयता(निवल) (लेखांकन नीति की टिप्पणी सं. 2.7 देखें)	–	–	–
घटाएं– लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रतिधारित अर्जन में समायोजन			
कुल	–	–	–

टिप्पणी 20 – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
सांविधिक देय	543.20	176.86	1.05
आरसीएम* के तहत देय जीएसटी	10,660.19	–	–
देय स्रोत पर कटौती किया गया कर – आय कर	1,337.09	145.33	47.10
देय स्रोत पर कटौती किया गया कर – जीएसटी	1,259.12	–	–
कुल	13,799.60	322.19	48.15

* वित्त पट्टा व्यवस्था – ईबीआर विशेष के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्ति के कारण

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 21: शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अधिकृत शेयर पूंजी			
शेयरों की सं.	25,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
सम मूल्य प्रति शेयर (रु.)	10.00	10.00	10.00
राशि (मिलियन में)	**250,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 30 सितंबर, 2020 को हुई वार्षिक आम बैठक में 10 रु प्रत्येक के 15,000 मिलियन शेयर वाले 150,000 मिलियन रु से बढ़कर 10 रु प्रत्येक के 25,000 मिलियन शेयर वाले 250,000 मिलियन रु हुई।

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत			
शेयरों की सं.	11,880,460,000	9,380,460,000	9,380,460,000
अवधि के दौरान जारी	1,188,046,000	2,500,000,000	–
शेयरों की कुल सं.	13,068,506,000	11,880,460,000	9,380,460,000
अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु.)	10.00	10.00	10.00
राशि (मिलियन में)	**130,685.06**	**118,804.60**	**93,804.60**

(i) बकाया शेयरों की संख्या का मिलान नीचे दिए गया है –

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक		01 अप्रैल 2019 तक	
	शेयरों की सं.	राशि (मिलियन में)	शेयरों की सं.	राशि (मिलियन में)	शेयरों की सं.	राशि (मिलियन में)
अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	11,880,460,000	118,804.60	9,380,460,000	93,804.60	9,380,460,000	93,804.60
अवधि के दौरान जारी शेयर	1,188,046,000	11,880.46	2,500,000,000	25,000.00	–	–
अवधि के अंत में बकाया शेयर	13,068,506,000	130,685.06	**11,880,460,000**	**118,804.60**	**9,380,460,000**	**93,804.60**

(ii) कंपनी में केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रु है और इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर पर एक मत देने का पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन पर, इक्विटी शेयरों के धारक उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(iii) 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण –

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक		01 अप्रैल 2019 तक	
	शंयरों की सं.	% धारण	शेयरों की सं.	% धारण	शेयरों की सं.	% धारण
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिती (रेल मंत्रालय के माध्यम से)	11,286,437,000	86.36%	11,880,460,000	100.00%	9,380,460,000	100.00%

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(iv) कंपनी ने तुलन-पत्र की तारीख से ठीक पहले के 5 वर्षों की अवधि में

- नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है,
- बोनस शेयर के रूप में इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।
- अपने किसी शेयर की पुनर्खरीद नहीं की है।

(v) कंपनी में विकल्प/ संविदा के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर रिजर्व नहीं है।

(vi) कंपनी ने 26 रु प्रति इक्विटी शेयर के इश्यू कीमत पर 10 रु प्रत्येक के अंकित मूल्य के 1,78,20,69,000 इक्विटी शेयरों का अपनी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) पूरा कर लिया है जिसकी कुल राशि 46,333.79 मिलियन रु होती है जिसमें 30,889.20 मिलियन रु के कुल 1,18,80,46,000 इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और भारत सरकार द्वारा कुल 15,444.60 रु के 59,40,23,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। कंपनी के इक्विटी शेयर 29 जनवरी 2020 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध थे।

आईपीओ से प्राप्त आय का उपयोग का सार नीचे दिया गया है -

विवरण	बोर्ड की बैठक की तारीख तक जिसमें इन परिणामों को अनुमोदित किया गया		
	जुटाई गई राशि	उपयुक्त	अनुपयुक्त
अपने व्यवसाय में प्रगति के कारण पैदा होने वाली भावी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने इक्विटी पूंजी आधार को बढ़ाना	30,118.76	30,118.76	-
सामान्य कार्पोरेट प्रयोजन	500.00	303.24	196.76
निवल प्राप्तियां*	**30,618.76**	**30,422.00**	**196.76**

* 270.44 मिलियन रु का निवल इश्यू व्यय (बोर्ड की बैठक की तारीख तक प्रयुक्त 190.69 मिलियन रु)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 22 – अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
शेयर जारी करने के व्यय	(376.84)	(169.80)	–
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि – इक्विटी	19,008.74	–	–
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि	20,726.61	11,894.35	4,509.50
बांड मोचन आरक्षित निधि	–	–	57,145.59
सामान्य आरक्षित निधि	174,032.28	174,032.28	30,327.36
प्रतिधारित अर्जन	14,980.31	(1,626.82)	62,807.86
अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी प्रतिभूतियां	77.66	62.91	68.08
कुल	**228,448.76**	**184,192.92**	**154,858.39**

टिप्पणी 22.1: शेयर इश्यू के व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अवधि के प्रारंभ में शेष (लेखा परीक्षित खातों के अनुसार)	(169.80)	–	–
अवधि के दौरान परिवर्धन*	(207.04)	(169.80)	–
अवधि के अंत में पुर्नउल्लिखित शेष	**(376.84)**	**(169.80)**	**–**

*शेयर इश्यू के व्यय में 123.84 मिलियन रु(31 मार्च 2020 तक – 118.80 मिलियन रु; 1 अप्रैल 2019 तक – शून्य मिलियन) और 253.00 मिलियन रु (31 मार्च 2020 तक – 51.00 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019 तक – शून्य मिलियन रु) की राशि के क्रमश: स्टैम्प शुल्क और सूचीकरण शुल्क शामिल हैं।

टिप्पणी 22.2: प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि – इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अवधि के प्रारंभ में शेष (लेखा परीक्षित खातों के अनुसार)	–	–	–
अवधि के दौरान परिवर्धन	19,008.74	–	–
अवधि के अंत में पुर्नउल्लिखित शेष	**19,008.74**	**–**	**–**

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का उपयोग शेयरों के इश्यू पर प्रीमियम दर्ज करने के लिए किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस आरक्षित निधि का उपयोग केवल सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालना।

टिप्पणी 22.3: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि*

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अवधि के प्रारंभ में शेष (लेखा परीक्षित खातों के अनुसार)	11,894.35	4,509.50	4,509.50
अवधि के दौरान परिवर्धन	8,832.26	7,384.85	–
अवधि के अंत में पुर्नउल्लिखित शेष	**20,726.61**	**11,894.35**	**4,509.50**

* टिप्पणी 42 (क) (ii)देखें

टिप्पणी 22.4: बांड मोचन आरक्षित निधि

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अवधि के प्रारंभ में शेष (लेखा परीक्षित खातों के अनुसार)	–	57,145.59	57,145.59
अवधि के दौरान परिवर्धन/(विलोपन)	–	(57,145.59)	–
अवधि के अंत में पुर्नउल्लिखित शेष	**–**	**–**	**57,145.59**

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 16 अगस्त 2019 को कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2019 अधिसूचित किया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी सूचीबद्ध कंपनियों को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत ऋणपत्र मोचन आरक्षित निधि तैयार करने से छूट दी गई है। तदनुसार, 01.04.2019 को बांड मोचन आरक्षित निधि के समक्ष बकाया राशि 57,145.59 मिलियन रु प्रतिधारित अर्जन में अंतरित की गई।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 22.5: सामान्य आरक्षित निधि

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अवधि के प्रारंभ में शेष (लेखा परीक्षित खातों के अनुसार)	174,032.28	30,327.36	30,327.36
अवधि के दौरान परिवर्धन /(विलोपन)	–	143,704.92	–
अवधि के अंत में पुर्नउल्लिखित शेष	**174,032.28**	**174,032.28**	**30,327.36**

विनियोजन के प्रयोजनार्थ प्रतिधारित अर्जनों से प्राप्त लाभों को अंतरित करते हुए समय-समय पर सामान्य आरक्षित निधि सृजित की जाती है। सामान्य आरक्षित निधि अन्य इक्विटी के एक एक घटक से दूसरे घटक को अंतरण द्वारा सृजित की जाती है और यह अन्य व्यापक आय की मद नहीं है।

टिप्पणी 22.6: प्रतिधारित अर्जन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अवधि के प्रारंभ में शेष (लेखा परीक्षित खातों के अनुसार)	5,000.00	62,807.86	64,431.40
जोड़ें/(घटाएं)– पूर्वावधि के समायोजन (टिप्पणी सं. 46 (ङ) देखें)	(6,626.82)	–	(1,623.54)
अवधि के प्रारंभ में पुर्नउल्लिखित शेष	**(1,626.82)**	**62,807.86**	**62,807.86**
वर्ष का लाभ	44,161.32	31,920.61	–
जोड़ें/(घटाएं) - पूर्वावधि के समायोजन	–	–	–
पूर्वावधि के समायोजन के बाद लाभ	**44,161.32**	**31,920.61**	**–**
बांड मोचन आरक्षित निधि से (में) अंतरण	–	57,145.59	–
सामान्य आरक्षित निधि से (में) अंतरण	–	(143,704.92)	–
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 – आईसी के तहत आरक्षित निधि में अंतरण	(8,832.26)	(7,384.85)	–
अंतिम लाभांश	(5,000.00)	(2,000.00)	–
अंतरिम लाभांश	(13,721.93)	–	
लाभांश कर	–	(411.11)	–
अवधि के अंत में पुर्नउल्लिखित शेष	**14,980.31**	**(1,626.82)**	**62,807.86**

कंपनी के निदेशक मंडल ने घोषणा की है कि 4 मार्च 2021 को अदा किए गए 13,721.93 मिलियन रु के अंतरिम लाभांश को आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की शर्त पर, 29 जून 2021 को आयोजित मंडल की बैठक में अंतिम लाभांश (31 मार्च 2020 – 5,000 मिलियन रु; 1 अप्रैल 2019 – शून्य मिलियन रु) माना जाएगा।

टिप्पणी 22.7: अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी प्रतिभूतियां

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक
अवधि के प्रारंभ में शेष (लेखा परीक्षित खातों के अनुसार)	62.91	68.08	68.08
अवधि की कुल व्यापक आय	14.75	(5.17)	–
अवधि के अंत में पुर्नउल्लिखित शेष	**77.66**	**62.91**	**68.08**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 23 – ब्याज आय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां–		
– ऋण पर ब्याज	5,956.70	5,548.60
– जमा से ब्याज की आय	163.22	282.16
– निवेश से ब्याज की आय	3.26	5.05
– पट्टे का पूर्व आरंभ – ब्याज आय	33,290.38	21,599.06
– आवेदन राशि पर ब्याज आय	23.03	45.11
कुल	39,436.59	27,479.98

टिप्पणी 24 – पट्टा आय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पट्टा आय	118,265.62	106,724.27
कुल	118,265.62	106,724.27

टिप्पणी 25 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.01	–
पट्टे के लिए दी गई प्रतिभूति जमा पर ब्याज आय	0.37	–
विविध आय	3.52	0.73
कुल	3.90	0.73

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 26: वित्त लागत

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	123,263.43	103,631.72
उधार पर ब्याज	52,112.37	38,307.45
वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	505.55	1,358.05
रेल मंत्रालय को विलंबित भुगतान पर ब्याज	1,036.17	4,971.55
आय कर प्राधिकरणों को ब्याज	5.33	20.91
पट्टे की देयताओं पर प्रोद्भूत ब्याज व्यय	6.79	-
अन्य उधार लागत	145.62	100.58
उप-जोड़	177,075.26	**148,390.26**
घटाएं- रेल अवसंरचना परिसंपत्तियों पर पूंजीकृत उधार की लागत	64,704.73	46,763.64
कुल	112,370.53	**101,626.62**

टिप्पणी 27: परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय प्रतिभूतियों पर हानि

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण तथा उन पर प्रोद्भूत ब्याज	27.15	21.41
कुल	27.15	**21.41**

*कंपनी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी होने के कारण, अभी तक प्राप्त छूट भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.आरबीआई/2017-18/181डीएनबीआर(पीडी) सी.सी. सं. 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई 2018 के तहत प्रावधान मानदंडों के अधीन है। आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) के मानदंडों का 31 मार्च 2019 तक अनुपालन किया जाना है। बहरहाल, आरबीआई ने अपने पत्र सं. डीएनआरबी (पीडी) सी.ओ. सं.1271/03.10.001/2018-19 दिनांक 21 दिसंबर 2018 द्वारा कंपनी को संप्रभुता पर अपने प्रत्यक्ष जोखिम की सीमा तक उक्त आवश्यकताओं से छूट दी थी। इसलिए कंपनी ने एमओआर के साथ अपने एक्सपोजर के लिए हानि की आवश्यकताओं को लागू नहीं किया था। हानि की गणना निम्नानुसार है-

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ऋण	18,459.20	24,612.27
रेल विकास निगम लिमिटेड को ऋण	51,518.86	39,879.41
कर्ज प्रतिभूतियां*	12.14	22.23
उक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	11,011.46	9,698.37
कुल	81,001.66	**74,212.28**
प्रावधान दर 0.4%	324.00	296.85
घटाएं- पहले से सृजित ईसीएल	296.85	275.44
हानि में परिवर्तन	27.15	**21.41**

उपरोक्त के अलावा कंपनी का विचार है कि इंड एएस 109, में निर्धारित प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल के अनुसार आगे कोई हानि अपेक्षित नहीं है क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड दोनों की वित्तीय प्रतिभूतियां, दोनों रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हैं और कंपनी को उक्त ऋणों के पुनर्भुगतान में कोई समस्या अनुभव नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 28 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	62.33	52.08
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	13.28	9.88
कर्मचारी कल्याण व्यय	2.86	0.69
कुल	78.47	62.65

टिप्पणी 29: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का मूल्यह्रास	4.58	4.43
आरओयू परिसंपत्तियो पर मूल्यह्रास	39.61	–
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	0.13	0.15
कुल	44.32	4.58

टिप्पणी 30 – अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक प्रभार	0.78	0.34
शुल्क व अभिदान	2.49	2.66
यात्रा	1.11	14.65
वाहन व्यय	0.03	0.95
किराया	12.07	0.14
मुद्रण व स्टेशनरी	1.43	1.93
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	0.23	0.50
निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	1.60	2.31
परिवहन भाड़ा प्रभार	5.05	3.25
बीमा	3.18	0.06
जनशक्ति सेवाएं	19.95	15.12
वाहन संबंधी व्यय	0.75	0.12
कानूनी व पेशेवर प्रभार	17.32	8.53
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.25	0.07
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नीचे दी गई टिप्पणी(i)देखें)	3.56	4.44
संपत्ति कर	0.28	0.28
कार्यालय रख-रखाव प्रभार	4.01	2.20
कार्यालयीन उपकरणों का रख-रखाव	2.22	3.43
विज्ञापन व प्रचार	3.73	3.08
प्रायोजकता/दान	–	0.20
समाचार-पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.15	0.18
बिजली प्रभार	2.37	2.58
विनिमय दर भिन्नता	0.12	3.30
विविध व्यय	9.71	9.87
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यय (टिप्पणी सं. 49 देखें)	934.45	494.49
कुल	1,026.84	574.68

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(i) लेखा परीक्षकों को भुगतान जिसमें निवल जीएसटी इनपुट क्रेडिट (जहां लागू हो) शामिल है।

(क) वार्षिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.53	1.00
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.33	0.38
(ग) तिमाही समीक्षा शुल्क	0.79	0.88
(घ) आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.44	0.23
(ङ) प्रमाणीकरण शुल्क	0.47	1.92
(च) जीएसटी लेखा परीक्षा शुल्क	-	0.03
कुल	3.56	**4.44**

टिप्पणी 31: आय कर

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ व हानि में मान्य आय कर		
मौजूदा कर		
चालू अवधि के संबंध में	-	-
पूर्वावधियों के लिए समायोजन	-	-
	-	-
आस्थगित कर		
चालू अवधि के संबंध में	-	-
	-	-
चालू अवधि में निर्धारित कुल आय कर व्यय	-	-

कंपनी ने 20 सितंबर, 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा शुरु किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमत विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। धारा 115 बीएए के विकल्प का प्रयोग करने के बाद, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के तहत कर योग्य आय शून्य हो जाती है। इसके अलावा, धारा 115 बीएए को अपनाने के बाद, कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के तहत एमएटी के प्रावधानों के दायरे और प्रयोज्यता से बाहर हो जाएगी। इसलिए, 31 मार्च 2021 तक के वित्तीय विवरणों में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वर्ष के लिए आय कर व्यय का लेखांकन लाभ से मिलान इस प्रकार किया जा सकता है -

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व लाभ	44,161.31	31,920.96
कर दर	25.168%	25.168%
उस पर कर	11,114.52	8,033.87
आयकर अधिनियम, 1961 के सामान्य प्रावधानों के तहत 'व्यवसाय का लाभ और प्राप्तियां' शीर्ष के तहत गणना के अनुसार असमाहित मूल्यह्रास के कारण कर प्रभाव	-11,114.52	-8,033.87
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी(1) के अनुसार बही खाता लाभों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (नीचे टिप्पणी 1 देखें) (लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के प्रावधानों को चुना है।)	-	-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (2सी) के अनुसार इंड एएस में ट्रांसिजशन की तारीख पर अन्य इक्विटी में अभिवृद्धि पर आनुपातिक न्यूनतम वैकल्पिक कर (नीचे दी गई टिप्पणी 2 देखें)	-	-
अन्य व्यापक आय में निर्धारित मदों पर कर	-	-
कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप देने पर पिछले वर्षों के समायोजन पर कर	-	-
कुल कर व्यय	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी – 1

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इंड एएस के अनुसार अवधि के लिए लाभ		
घटाएं– इंड एएस समायोजन		
कुल (क)		
जोड़ें –		
आय कर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत व्यय	चूंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए को चुना है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के एम एटी प्रावधान अब कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	चूंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए को चुना है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के एम एटी प्रावधान अब कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
धारा 234 बी और सी के तहत ब्याज		
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी लाभों का प्रावधान		
मानक परिसंपत्ति का प्रावधान		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		
घटाएं–		
लाभांश आय		
कुल (ग)		
बुक लाभ ((क+ख)–ग)		
कर दर		
उस पर कर		

टिप्पणी – 2

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रूपांतरण की तारीख यानी 01 अप्रैल, 2018 को पर इंड ए.एस. के अनुसार अन्य इक्विटी	–	–
एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. में मापे गए निवेश के मूल्य में उचित मूल्य परिवर्तन के कारण समायोजन	–	–
कुल	**–**	**–**
रूपांतरण की तारीख यानी 01 अप्रैल, 2018 को पर इंड ए.एस. के अनुसार अन्य इक्विटी	–	–
अंतर	–	–
कर दर	–	–
उस पर कर	–	–
समाप्त अवधि के दौरान देय कर की आनुपातिक राशि	**–**	**–**

अन्य व्यापक आय में निर्धारित आय कर

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्धारित लाभ देयता का पुनर्मापन	–	–
अन्य व्यापक आय में निर्धारित कुल आय कर	**–**	**–**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 32: प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
निवल लाभ	44,161.31	31,920.96
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
अवधि के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	11,880,460,000.00	9,380,460,000.00
अवधि के दौरान जारी किए गए	201,805,074	13,661,202
अवधि के दौरान पुनर्खरीद किए गए	-	-
जोड़ें - आवंटन लंबित होने के कारण शेयर आवेदन राशि प्राप्त करने के कारण संभावित इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-
अवधि के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या परिवर्तित इक्विटी शेयर सहित	12,082,265,074	9,394,121,202
प्रति शेयर अर्जन - मूल 10/- रु प्रति शेयर का अंकित मूल्य	3.66	3.40
प्रति शेयर अर्जन - परिवर्तित 10/- रु प्रति शेयर का अंकित मूल्य	3.66	3.40

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 33: पट्टे

प्राप्य (टिप्पणी संख्या 6) में पट्टे के ऐसे प्राप्य शामिल हैं जो कंपनी द्वारा दर्ज किए गए वित्त पट्टा लेनदेन पर प्राप्य भावी पट्टे के किराए का वर्तमान मूल्य दर्शाते हैं।

इन परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टा करार को वर्ष के अंत में पट्टे के किराए और वार्षिक वृद्धिशील उधार तथा उस समय निर्णीत मार्जिन के औसत लागत के संबंध में प्राप्ति की निहित दर (आईआरआर) के आधार पर निष्पादित किया जाता है। वर्ष के लिए पट्टे के किराए की दर या प्राप्ति की निहित दर में किसी भी तरह की भिन्नता को तदनुसार वर्ष के अंत में समायोजित किया जाता है।

कंपनी के स्वामित्व वाली तथा रेल मंत्रालय को पट्टे पर दी गई 25,23,718.69 मिलियन रु (31 मार्च 2020: 22,38,107.84 रु, 1 अप्रैल 2019: 9,02,666.75 मिलियन रु) मूल्य की पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के सकल मूल्य पर पट्टे की प्राप्य राशि का मिलान इस प्रकार है –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक अधिग्रहित और पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का सकल मूल्य	2,238,107.84	1,902,666.75	1,662,115.90
घटाएं– पिछले वर्ष तक दी गई पूंजी वसूली	(752,309.84)	(652,401.63)	(567,399.34)
पिछले वर्ष के अंत तक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर बकाया पूंजी वसूली	1,485,798.00	1,250,265.12	1,094,716.56
जोड़ें– अवधि के दौरान अधिग्रहित और पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का सकल मूल्य	285,610.85	335,441.09	240,550.85
	1,771,408.85	1,585,706.21	1,335,267.41
घटाएं– अवधि की पूंजी वसूली	(115,718.94)	(99,908.21)	(85,002.29)
पट्टा प्राप्यों में निवल निवेश	1,655,689.91	1,485,798.00	1,250,265.12

इंड ए.एस.–116 के अनुसार पट्टे की संविदाजन्य परिपक्वता का मूल्य नीचे दिया गया है –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
पट्टे में सकल निवेश	2,401,254.93	2,185,188.13	1,842,569.01
अनर्जित वित्त आय	745,565.02	699,390.13	592,303.89
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	1,655,689.91	1,485,798.00	1,250,265.12

प्रत्येक अवधि के लिए पट्टे में सकल निवेश और न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है –

पट्टे में सकल निवेश

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
एक वर्ष से अधिक नहीं	248,964.10	223,394.28	190,228.01
एक वर्ष से अधिक परंतु दो वर्षों से अधिक नहीं	244,209.35	218,765.03	186,567.68
दो वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्षों से अधिक नहीं	237,024.05	214,010.29	181,938.43
तीन वर्ष से अधिक परंतु चार वर्षों से अधिक नहीं	226,892.15	206,824.99	177,183.69
चार वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों से अधिक नहीं	216,737.21	196,693.09	169,998.39
पांच वर्षों से अधिक	1,227,428.07	1,125,500.45	936,652.81
कुल	2,401,254.93	2,185,188.13	1,842,569.01

एमएलपी का वर्तमान मूल्य

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
एक वर्ष से अधिक नहीं	129,055.37	112,525.68	95,104.40
एक वर्ष से अधिक परंतु दो वर्षों से अधिक नहीं	134,587.64	117,498.21	99,676.79
दो वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्षों से अधिक नहीं	138,709.77	122,194.13	103,622.03
तीन वर्ष से अधिक परंतु चार वर्षों से अधिक नहीं	140,261.08	125,419.42	107,208.40
चार वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों से अधिक नहीं	140,680.22	126,008.98	109,235.28
पांच वर्षों से अधिक	972,395.83	882,151.58	735,418.22
कुल	1,655,689.91	1,485,798.00	1,250,265.12

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

अनर्जित वित्त आय तथा गारंटीरहित अवशिष्ट आय

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
अनर्जित वित्त आय	745,565.02	699,390.13	592,303.89
गारंटीरहित अवशिष्ट आय	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी ने रेल मंत्रालय (एमओआर) को चल स्टॉक परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिसका पट्टा वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू किया गया था। पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अलग पट्टा करार किया गया है और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार, पट्टे का किराया अर्धवार्षिक अग्रिम में प्राप्त किया जाता है। इन पट्टों को रद्द नहीं किया जा सकता है और ये तब तक प्रभावी बने रहेंगे जब तक पट्टा करार के तहत सभी देय राशि प्राप्त नहीं हो जाती।

टिप्पणी 33.1

कंपनी, पट्टेदार के रूप में

कंपनी ने कार्यालयीन परिसरों के लिए पट्टा संविदा की है। कंपनी ने सभी पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति और पट्टे की देयता निर्धारित की है। पट्टों के बारे में महत्वपूर्ण लेखा नीति की टिप्पणी 2.14 देखें।

वृद्धि खंड में आम तौर पर 7% से 10% तक की वृद्धि शामिल होती है। पट्टे की अवधि में नवीकरण अवधि शामिल होती है जहां पट्टेदार के पास पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प होता है क्योंकि पट्टेदार के लिए विकल्प का प्रयोग करना यथोचित रूप से निश्चित होता है। बहरहाल, कंपनी लॉक इन अवधि की समाप्ति के बाद समाप्ति विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निश्चित नहीं है। पट्टे की व्यवस्था द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।.

विवरण	31 मार्च 2021 तक परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	31 मार्च 2020 2021 तक परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास
भवन	383.32	39.61	-	-
कुल	383.32	39.61	-	-

पट्टा देयता	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
चालू	112.35	-
गैर-चालू	233.53	-
कुल	345.88	-

लाभ व हानि में निर्धारित राशियां इस प्रकार हैं -

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार का मूल्यह्रास व्यय	39.61	-
पट्टे की देयताओं पर ब्याज व्यय	6.79	-
कुल	46.40	-

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार में परिवर्धन : 383.32 मिलियन रु(31 मार्च 2020 - शून्य मिलियन रु) (1 अप्रैल 2019 - शून्य मिलियन रु)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टों से कुल नकद बहिर्वाह - 40.24 मिलियन रु (31 मार्च 2020 - शून्य मिलियन रु) (1 अप्रैल 2019 - शून्य मिलियन रु)

नीचे दी गई तालिका में संविदाजन्य रियायत रहित भुगतानों के आधार पर पट्टे की कंपनी की भावी देयताओं के परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश दिया गया है -

विवरण	12 माह से कम	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष	कुल
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष					
पट्टे की देयताएं	128.84	227.45	10.19	12.50	378.98
	128.84	227.45	10.19	12.50	378.98

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	12 माह से कम	1 से 3 वर्ष	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष					
पट्टे की देयताएं	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–

विवरण	12 माह से कम	1 से 3 वर्ष	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष	कुल
31 अप्रैल 2019 को समाप्त वर्ष					
पट्टे की देयताएं	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–

टिप्पणी 34: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

आकस्मिक देयताएं

क.

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
कंपनी के विरुद्ध किए गए दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया – उपभोक्ता / सिविल न्यायालयों में बांडधारकों द्वारा किए गए दावे	4.22	4.27	4.27

ख. कंपनी के विरुद्ध किए गए दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित सेवा मामलों से संबंधित - राशि अभिनिश्चित नहीं।

ग. कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे को पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की खरीद/अधिग्रहण रेल मंत्रालय (एमओआर), भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी और एमओआर के बीच किए गए पट्टा करार के अनुसार, खरीद/अधिग्रहण और पट्टे पर बिक्री कर/वैट देयता, यदि कोई हो, एमओआर से वसूली योग्य है। चूंकि, कोई बिक्री कर/वैट की कोई मांग नहीं की गई और यह राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

घ. जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक (डीजीजीआई), चेन्नै अंचल इकाई ने कंपनी द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67,68 और 70 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए और कंपनी से ब्याज और जुर्माने के साथ 26,537.65 मिलियन रु के सेवा कर की मांग क्यों नहीं किया जाए, इस संबंध में कंपनी पर दिनांक 16.4.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है । कंपनी ने कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध उत्तर प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि वित्त अधिनियम, 1994 की उपरोक्त किसी भी धारा के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा दिए गए उत्तर के खिलाफ, पत्र दिनांक 21.10.20 द्वारा आयुक्त, सीजीएसटी, दिल्ली पूर्व, डीजीजीआई, चेन्नै अंचल इकाई द्वारा दी गई टिप्पणियों की मांग की और कंपनी ने विभाग को जवाबी टिप्पणी पेश की और बताया कि कंपनी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बहरहाल, यदि कोई देयता उत्पन्न होती है तो वह रेल मंत्रालय, भारत सरकार से वसूली की जाएगी।

ङ. कंपनी का आयकर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2018-19 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज सहित कर की विवादित मांग 9.48 मिलियन रु थी। उक्त मांग के खिलाफ, कंपनी ने धारा 154 के तहत एक सुधार आवेदन दायर किया है। इसी प्रकार के मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के निर्णयों और प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर, कंपनी को विश्वास है कि मांगों को या तो हटा दिया जाएगा या काफी हद तक कम कर दिया जाएगा, तदनुसार, कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया। बहरहाल, विभाग द्वारा 9.48 मिलियन रु की उक्त मांग को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आईआरएफसी को होने वाली धन-वापसी में से समायोजित कर लिया गया है।

टिप्पणी 35: विदेशी मुद्रा में खर्च

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज / स्वाप लागत	7,432.11	3,958.38
ख) प्रोसेस करने वाले एजेंट/ वित्तीय एजेंट / प्रशासनिक शुल्क	–	966.29
ग) हामीदारी (अंडर राइटिंग) / अरेंजर शुल्क	2,945.10	–
घ) अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के शुल्क	91.37	32.83
ङ) अन्य	32.36	5.47
कुल	10,500.94	**4,962.97**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 36: खंड रिपोर्टिंग

कंपनी ने अपने एकमात्र रिपोर्टिंग खंड के रूप में पट्टा और वित्त की पहचान की है। इस प्रकार, कोई अंतर-खंड राजस्व नहीं है और संपूर्ण राजस्व लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है जो विदेशी ग्राहकों से प्राप्त होता है और ऐसे सभी ग्राहक कंपनी के अधिवासी देश भारत में रहते हैं।

वित्तीय प्रतिभूतियों के अलावा सभी गैर-चालू परिसंपत्तियां भी भारत में स्थित हैं।

कंपनी अपने राजस्व का 10% से अधिक एक ग्राहक (यानी रेल मंत्रालय, भारत सरकार (एमओआर) और एमओआर के नियंत्रण की संस्थाएं) से प्राप्त करती है। राजस्व का ब्योरा इस प्रकार है -

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
एमओआर तथा उसके नियंत्रणाधीन संस्थानों से राजस्व		
- पट्टे की आय	118,265.62	106,724.27
- ब्याज आय	5,956.70	5,548.60
- पट्टा शुरु होने से पहले ब्याज आय	33,290.38	21,599.06
कुल	157,512.70	133,871.93

टिप्पणी 37: कर्मचारी लाभ

37.1

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
भविष्य निधि में अंशदान	5.56	3.13
उपदान में अंशदान	0.54	0.93
छुट्टी नकदीकरण में अंशदान	0.46	3.93
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा और पेंशन में अंशदान	2.77	1.89
परिवार लाभ योजना में अंशदान	3.94	-

37.2 कंपनी वित्त-पोषित उपदान लाभ योजना संचालित करती है।

क) बीमांकिक मान्यताएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आर्थिक पूर्वानुमान		
डिस्काउंट की दर	6.55% प्रतिवर्ष	6.55% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि	6.00% प्रतिवर्ष	6.00% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमान		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
अनुशय दर	0.00%	0.00%
प्रयुक्त मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)

टिप्पणियां-

1. डिस्काउंट दर, दायित्वों की अनुमानित अवधि के लिए तुलन-पत्र की तारीख को भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार लब्धि पर आधारित है।
2. बीमांकिक मूल्यांकन में विचारित भावी वेतन वृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और आपूर्ति और रोजगार बाजार में अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
3. अपेक्षित प्राप्ति देयताओं की अनुमानित अवधि के दौरान निधि के निवेश पर अपेक्षित प्राप्ति की औसत दीर्घकालिक दर की अपेक्षा पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ख) परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में संचलन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	10.26	9.57
अधिग्रहण समायोजन	2.57	–
ब्याज की लागत	0.63	0.73
विगत सेवा लागत	–	–
चालू सेवा लागत	1.01	0.83
प्रदत्त लाभ	(1.34)	(1.14)
देयताओं पर बीमांकिक लाभ / हानि के घटक –		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	–	0.73
देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि – अनुभव के कारण	0.12	(0.45)
देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि – जनसांख्यिकीय परिवर्तन	–	(0.01)
वर्ष के अंत में देयता	**13.25**	**10.26**

ग) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17.04	7.78
नियोक्ता का अंशदान	4.98	8.72
ब्याज आय	1.10	0.61
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्राप्ति	0.13	(0.07)
प्रदत्त लाभ	–	–
बीमाकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रतिपूर्ति	–	–
परिसंपत्ति पर वर्ष की बीमांकिक लाभ / (हानि)	–	–
समाप्त अवधि के लिए योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**23.25**	**17.04**

घ) तुलन–पत्र में निर्धारित राशि

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के अंत में वित्त–पोषित देयता का वर्तमान मूल्य	13.25	10.26
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(23.25)	(17.04)
तुलन–पत्र में निर्धारित निवल देयता / (परिसंपत्तियां)	**(10.00)**	**(6.78)**

ङ) वर्ष के दौरान लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय–

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
चालू सेवा लागत	1.01	0.83
विगत सेवा लागत	–	–
निवल ब्याज की लागत (आय)	(0.47)	0.10
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	–	–
लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	**0.54**	**0.93**

च) वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में निर्धारित व्यय–

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
प्रारंभिक निवल संचयी अमान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)		
पीबीओ पर वर्ष की बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.12	0.27
परिसंपत्ति पर वर्ष की बीमांकिक (लाभ) / हानि	(0.13)	0.07
समाप्त अवधि की अमान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	**(0.01)**	**0.34**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

छ) योजना परिसंपत्तियों की संरचना:

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बीमा पॉलिसी	100.00%	100.00%

ज) निवल लाभ देयताओं में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में निवल परिभाषित लाभ देयता	(6.78)	1.80
अधिग्रहण समायोजन	2.57	-
कुल सेवा लागत	0.54	0.93
निवल ब्याज की लागत (आय)	-	-
पुनर्मापन	(0.01)	0.34
बीमाकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रतिपूर्ति	-	-
योजना परिसंपत्तियों में अंशदान	(4.98)	(8.71)
उद्यमों द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ	(1.34)	(1.14)
अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्तियां)	**(10.00)**	**(6.78)**

झ) वर्ष के अंत में चालू और गैर-चालू के रूप में पीबीओ का विभाजन -

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	(1.29)	(1.36)
गैर-चालू देयता (एक वर्ष के बाद देय राशि)	(8.71)	(5.42)
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**(10.00)**	**(6.78)**

ञ) परिभाषित लाभ देयता का विभाजन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
निहित	12.45	9.67
गैर-निहित	0.80	0.59
	13.25	**10.26**

ट) परिभाषित लाभ देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण

निर्धारित लाभ देयताओं के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए और अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया गया है -

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) डिस्काउंट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
- 0.50 % की बढ़ोत्तरी के कारण प्रभाव	12.75	9.86
- 0.50 % की कमी के कारण प्रभाव	13.78	10.67
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
- 0.50 % की बढ़ोत्तरी के कारण प्रभाव	13.53	10.51
- 0.50 % की कमी के कारण प्रभाव	13.04	10.07

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता तात्विक नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ठ) नियोक्ता का अगले वर्ष के दौरान अदा किए जाने हेतु अपेक्षित अंशदान का सर्वोत्तम अनुमान –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
अगले वर्ष का प्रत्याशित अंशदान	1.29	0.79

ड) ये योजनाएं आम तौर पर कंपनी को निवेश जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और विधायी जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिमों के लिए उजागर करती हैं।

बीमांकिक जोखिम	यह ऐसा जोखिम है जिसमें अनुलाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। ऐसा निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण से हो सकता है– **प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव** – अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक दर पर देयता में वृद्धि होगी। **मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता** – यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो उपदान के लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभों पर निहित होने की कोई शर्त नहीं होती है, नकदी प्रवाह के त्वरण से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा। **आहरण दरों में भिन्नता** – यदि वास्तविक आहरण दर अनुमानित आहरण दर से अधिक है तो उपदान लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख के अनुसार लाभ निहित हैं या नहीं।
निवेश जोखिम	वित्त पोषित ऐसी योजनाओं के लिए जो परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्ति का मूल्य देयता का समर्थन करने वाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है। यदि अंतर–मूल्यांकन अवधियों के दौरान डिस्काउंट की दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इसका परिणाम निवल देयता या वित्त–पोषित स्थिति में व्यापक उतार–चढ़ाव हो सकता है।
तरलता जोखिम	उच्च वेतन और लंबी अवधि वाले या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारियों के लाभ उल्लेखनीय स्तर के होते हैं। यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा देते/सेवानिवृत्त होते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।
बाजार जोखिम	बाजार के जोखिम ऐसे जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तन और उतार–चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक धारणा जिसका तात्विक प्रभाव पड़ता है वह डिस्काउंट की दर है । डिस्काउंट की दर धनराशि के समय मूल्य को दर्शाती है। डिस्काउंट की दर में वृद्धि से योजना के लाभों की निर्धारित लाभ देयता में कमी या बढ़ोत्तरी आती है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बांडों की लब्धियों पर निर्भर करती है, इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि के अनुसार लब्धियों के उतार–चढ़ाव पर किया जाता है।
विधायी जोखिम	विधायी जोखिम कानून/विनियम में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजित परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन कर सकती है, जिससे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अधिक लाभ देने की आवश्यकता होगी। यह सीधे परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और इसे उस वर्ष में तुरंत मान्य करने की आवश्यकता होगी जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी हो।

37.3 वित्त–पोषण रहित सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों की बीमांकिक मान्यताएं –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क्षतिपूर्तित अभाव		
डिस्काउंट दर	6.55% प्रतिवर्ष	6.55% प्रतिवर्ष
भावी वेतन वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा स्फीति दर	8.90%प्रतिवर्ष	8.90%प्रतिवर्ष
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ये योजनाएं आम तौर पर कंपनी को निवेश जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिमों के लिए उजागर करती हैं।

बीमांकिक जोखिम	यह ऐसा जोखिम है जिसमें लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। ऐसा निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण से हो सकता है- **प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव** - अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक दर पर देयता में वृद्धि होगी। **मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता** - यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। **आहरण दरों में भिन्नता** - यदि वास्तविक आहरण दर अनुमानित आहरण दर से अधिक है तो सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले नहीं किया जाएगा। इसके कारण ऐसे अनुभव वर्ष में बीमांकिक लाभ होगा।
निवेश जोखिम	वित्त पोषित ऐसी योजनाओं के लिए जो परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्ति का मूल्य देयता का समर्थन करने वाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधियों के दौरान डिस्काउंट की दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इसका परिणाम निवल देयता या वित्त-पोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
तरलता जोखिम	उपचार की अधिक लागत और उपचार की लंबी अवधियों वाले कर्मचारियों के लाभ उल्लेखनीय स्तर के होते हैं। ऐसे लाभों से नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।
बाजार जोखिम	बाजार के जोखिम ऐसे जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तन और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक धारणा जिसका तात्विक प्रभाव पड़ता है वह डिस्काउंट की दर है । डिस्काउंट की दर धनराशि के समय मूल्य को दर्शाती है। डिस्काउंट की दर में वृद्धि से योजना के लाभों की निर्धारित लाभ देयता में कमी या बढ़ोत्तरी आती है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बांडों की लब्धियों पर निर्भर करती है, इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि के अनुसार लब्धियों के उतार-चढ़ाव पर किया जाता है।

37.4 कंपनी वित्त-पोषित छुट्टी लाभ योजना संचालित करती है।

क) बीमांकिक मान्यताएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आर्थिक पूर्वानुमान		
डिस्काउंट की दर	6.55% प्रतिवर्ष	6.55% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि	6.00% प्रतिवर्ष	6.00% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकीय मान्यताएं		
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
संघर्षण दर	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष
प्रयुक्त मृत्यु-दर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
छुट्टी प्राप्त करने और नकदीकरण की दर		
छुट्टी प्राप्त करने की दर	10% प्रतिवर्ष	10% प्रतिवर्ष
सेवा में नकदीकरण	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष

ख) परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में संचलन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	12.21	9.86
अधिग्रहण समायोजन	6.88	-
ब्याज लागत	0.69	0.70
विगत सेवा लागत	-	-
चालू सेवा लागत	1.61	1.22
प्रदत्त लाभ	(5.54)	(2.10)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	0.51
अनुभव समायोजन के कारण देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(1.13)	2.02
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
वर्ष के अंत में देयता	14.72	**12.21**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ग) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9.29	6.19
नियोक्ता का अंशदान	5.06	2.66
ब्याज आय	0.63	0.47
ब्याज की आय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों से प्राप्ति	0.08	(0.03)
प्रदत्त लाभ	–	–
परिसंपत्ति पर वर्ष की बीमांकिक लब्धि / (हानि)	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15.06	**9.29**

घ) तुलन–पत्र में निर्धारित राशि

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के अंत में वित्त–पोषित देयताओं का वर्तमान मूल्य	14.72	12.21
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15.06	9.29
तुलन–पत्र में निर्धारित निवल देयता	(0.34)	**2.92**

ङ) वर्ष के दौरान लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय–

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
चालू सेवा लागत	1.61	1.22
विगत सेवा लागत	–	–
निवल ब्याज की लागत (आय)	0.06	0.22
देयता और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के पुनर्मापन का निवल मूल्य	(1.21)	2.56
लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	0.46	**4.00**

च) देयता पर बीमांकिक लब्धि / हानि के घटक

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	0.51
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	–
अनुभव समायोजनों के कारण	(1.12)	2.02
ब्याज की आय में शामिल की गई राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्राप्ति	(0.08)	0.03
	(1.20)	**2.56**

छ) योजना परिसंपत्तियों का संघटन –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बीमा पॉलिसी	100%	100%

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ज) निवल लाभ देयताओं में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित लाभ देयता	2.92	3.67
अधिग्रहण समायोजन	6.88	-
कुल सेवा लागत	1.61	1.22
निवल ब्याज की लागत (आय)	0.63	0.22
पुनर्मापन	(1.78)	2.56
निधि में प्रदत्त अंशदान	(5.06)	(2.65)
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त लाभ	(5.55)	(2.10)
वर्ष के अंत में निवल निर्धारित लाभ देयता	**(0.35)**	**2.92**

झ) वर्ष के अंत में चालू और गैर-चालू के रूप में पीबीओ का विभाजन -

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
चालू देयता (एक वर्ष में देय राशि)	(0.34)	1.61
गैर-चालू देयता (एक वर्ष के बाद देय राशि)	-	1.31
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**(0.34)**	**2.92**

ञ) निर्धारित अनुलाभ देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण

निर्धारित लाभ देयताओं के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए और अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया गया है -

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) डिस्काउंट की दर में परिवर्तन का प्रभाव		
- 0.50% की बढ़ोत्तरी का प्रभाव	14.37	11.93
- 0.50% की कमी का प्रभाव	15.09	12.49
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
- 0.50% की बढ़ोत्तरी का प्रभाव	15.09	12.49
- 0.50% की कमी का प्रभाव	**14.36**	**11.93**

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता तात्विक नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ट) ये योजनाएं आम तौर पर कंपनी को निवेश जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और विधायी जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिमों के लिए उजागर करती हैं।

बीमांकिक जोखिम	यह ऐसा जोखिम है जिसमें लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो सकता है– **प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव** – अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक दर पर देयता में वृद्धि होगी। **मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता** – यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो छुट्टी के लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। नकदी प्रवाह की ऐसी वृद्धि से मानी गई वेतन बढ़ोत्तरी और डिस्काउंट की दर के सापेक्ष मूल्य पर निर्भर करते हुए बीमांकिक हानि या लब्धि होगी। **आहरण दरों में परिवर्तनशीलता** – यदि वास्तविक आहरण दर अनुमानित आहरण दर से अधिक है तो छुट्टी के लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव मानी गई वेतन बढ़ोत्तरी और डिस्काउंट की दर के सापेक्ष मूल्य पर निर्भर करेगा। **उपलब्धता दरों में परिवर्तनशीलता** – यदि वास्तविक प्राप्ति दर अनुमानित प्राप्ति दर अनुमान से अधिक हैं तो छुट्टी के शेष का उपयोग अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप छुट्टी के शेष और दायित्व में कमी आएगी।
निवेश जोखिम	वित्त पोषित ऐसी योजनाओं के लिए जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्ति का मूल्य देयता का समर्थन करने वाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधियों के दौरान डिस्काउंट की दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इसका परिणाम निवल देयता या वित्त-पोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
तरलता जोखिम	उच्च वेतन और लंबी अवधि वाले या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारियों के लाभ उल्लेखनीय स्तर के होते हैं। यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा देते/सेवानिवृत्त होते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।
बाजार जोखिम	बाजार के जोखिम ऐसे जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तन और उतार--चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक धारणा जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वह डिस्काउंट की दर है। डिस्काउंट की दर धनराशि के समय मूल्य को दर्शाती है। डिस्काउंट की दर में वृद्धि से योजना के अनुलाभों की निर्धारित लाभ देयता में कमी या बढ़ोत्तरी आती है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बांडों की लब्धियों पर निर्भर करती है, इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि के अनुसार लब्धियों के उतार-चढ़ाव पर किया जाता है।

37.5 कंपनी परिवार लाभ योजना संचालित करती है।

क) बीमांकिक मान्यताएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आर्थिक मान्यताएं		
डिस्काउंट की दर	6.55% प्रतिवर्ष	ला.न.
वेतन वृद्धि	6.00% प्रतिवर्ष	ला.न.
जनसांख्यिकीय मान्यताएं		
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	ला.न.
संघर्षण दर	0.00% प्रतिवर्ष	ला.न.
प्रयुक्त मृत्यु-दर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	ला.न.

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ख) निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में संचलन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	–	–
अधिग्रहण समायोजन	–	–
ब्याज की लागत	–	–
विगत सेवा लागत	–	–
चालू सेवा लागत	3.94	–
प्रदत्त लाभ	–	–
देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	–
देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि- अनुभव समायोजनों के कारण	–	–
देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	–
वर्ष के अंत में देयता	3.94	–

ग) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
नियोक्ता का अंशदान	–	–
ब्याज की आय	–	–
ब्याज की आय में शामिल की गई राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्राप्ति	–	–
प्रदत्त लाभ	–	–
परिसंपत्ति पर वर्ष की बीमांकिक लब्धि / (हानि)	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–

घ) तुलन-पत्र में निर्धारित राशि

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के अंत में वित्त-पोषित देयताओं का वर्तमान मूल्य	3.94	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
तुलन-पत्र में निर्धारित निवल देयता	3.94	–

ङ) वर्ष के दौरान लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
चालू सेवा लागत	3.94	–
विगत सेवा लागत	–	–
निवल ब्याज की लागत (आय)	–	–
देयताओं और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के पुनर्मापन का निवल मूल्य	–	–
लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	3.94	–

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

च) देयता पर बीमांकिक लब्धि / हानि के घटक

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	–
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	–
अनुभव समायोजनों के कारण	–	–
ब्याज की आय में शामिल की गई राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्राप्ति	–	–
	–	–

छ) योजना परिसंपत्तियों का संघटन:

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बीमा पॉलिसी	0%	0%

ज) निवल लाभ देयताओं में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित लाभ देयता	–	–
अधिग्रहण समायोजन	–	–
कुल सेवा लागत	3.94	–
निवल ब्याज की लागत (आय)	–	–
पुनर्मापन	–	–
निधि में प्रदत्त अंशदान	–	–
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त लाभ	–	–
वर्ष के अंत में निवल निर्धारित लाभ देयता	3.94	–

झ) वर्ष के अंत में चालू और गैर–चालू के रूप में पीबीओ का विभाजन:

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
चालू देयता (एक वर्ष में देय राशि)	0.85	–
गैर–चालू देयता (एक वर्ष के बाद देय राशि)	3.09	–
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	3.94	–

ञ) निर्धारित लाभ देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण

निर्धारित लाभ देयताओं के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए और अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया गया है –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) डिस्काउंट की दर में परिवर्तन का प्रभाव		
– 0.50% की बढ़ोत्तरी का प्रभाव	3.77	–
– 0.50% की कमी का प्रभाव	4.11	–
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
– 0.50% की बढ़ोत्तरी का प्रभाव	4.02	–
– 0.50% की कमी का प्रभाव	3.85	
ग) आहरण दर में परिवर्तन का प्रभाव		
– 0.50% की बढ़ोत्तरी का प्रभाव	3.94	–
– 0.50% की कमी का प्रभाव	**3.94**	–

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता तात्विक नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

ट) ये योजनाएं आम तौर पर कंपनी को निवेश जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और विधायी जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिमों के लिए उजागर करती हैं।

बीमांकिक जोखिम	यह ऐसा जोखिम है जिसमें लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो सकता है- **प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव** - अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक दर पर देयता में वृद्धि होगी। **मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता** - यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो कर्मचारी परिवार लाभ योजना में भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर ऐसी कोई निहित शर्त नहीं होती है, नकदी प्रवाह की ऐसी वृद्धि से मानी गई वेतन बढ़ोत्तरी और डिस्काउंट की दर के सापेक्ष मूल्य पर निर्भर करते हुए बीमांकिक हानि या लब्धि होगी। **आहरण दरों में परिवर्तनशीलता** - यदि वास्तविक आहरण दर अनुमानित आहरण दर से अधिक है तो कर्मचारी परिवार लाभ योजना में भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ इस्तीफे की तारीख में निहित थे या नहीं।
निवेश जोखिम	वित्त पोषित ऐसी योजनाओं के लिए जो परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्ति का मूल्य देयता का समर्थन करने वाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की डिस्काउंट दर से स्वतंत्र होता है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान डिस्काउंट की दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इसका परिणाम निवल देयता या वित्त पोषण की स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
तरलता जोखिम	उच्च वेतन और लंबी अवधि वाले या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारियों के लाभ उल्लेखनीय स्तर के होते हैं। यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा देते/सेवानिवृत्त होते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।
बाजार जोखिम	बाजार के जोखिम ऐसे जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तन और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक धारणा जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वह डिस्काउंट की दर है । डिस्काउंट की दर धनराशि के समय मूल्य को दर्शाती है। डिस्काउंट की दर में वृद्धि से योजना के लाभों की निर्धारित लाभ देयता में कमी या बढ़ोत्तरी आती है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बांडों की लब्धियों पर निर्भर करती है, इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि के अनुसार लब्धियों के उतार-चढ़ाव पर किया जाता है।
विधायी जोखिम	विधायी जोखिम कानून/विनियम में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन कर सकती है, जिससे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अधिक लाभ देने की आवश्यकता होगी। यह सीधे निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और इसे उस वर्ष में तुरंत निर्धारित करने की आवश्यकता होगी जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी हो।

टिप्पणी 38: वित्तीय विलेख

38.1: पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है कि कंपनी अपने शेयरधारकों का प्रतिफल अधिकतम करते हुए और ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से ऋण करार में निर्धारित अनुपातों का अनुपालन करते हुए एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने में सक्षम होगी।

कंपनी की पूंजी संरचना में निवल ऋण (टिप्पणी 3 में बताए गए अनुसार नकद व नकद शेषों द्वारा समंजन, टिप्पणी 15 और 16 में बताए गए अनुसार ऋण प्रतिभूतियां और उधार) और कंपनी की कुल इक्विटी शामिल हैं।

कंपनी किसी बाहरी रूप से आवश्यक पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

38.1.1 गियरिंग अनुपात

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग अनुपात इस प्रकार है –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
ऋण (नीचे दी गई टिप्पणी 'i' देखें)	3,231,106.79	2,343,767.21	1,739,326.75
नकद व नकद समतुल्य	2,971.91	13.80	37.07
निवल ऋण	3,228,134.88	2,343,753.41	1,739,289.68
कुल इक्विटी	359,133.82	302,997.52	248,662.99
निवल ऋण से इक्विटी अनुपात (गुना)	8.99	7.74	6.99

38.1.2 निवल वर्थ

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
कुल परिसंपत्तियां	3,780,517.18	2,755,041.29	2,064,382.95
कुल देयताएं	3,421,383.36	2,452,043.77	1,815,719.96
निवल वर्थ	359,133.82	302,997.52	248,662.99

38.1.3 ऋण इक्विटी अनुपात

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
ऋण	3,231,106.79	2,343,767.21	1,739,326.75
इक्विटी	359,133.82	302,997.52	248,662.99
	9.00	7.74	6.99

टिप्पणी:

i) ऋण की गणना इस प्रकार की गई –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
ऋण प्रतिभूतियां (टिप्पणी 15)	1,785,747.89	1,552,904.56	1,235,978.99
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) (टिप्पणी 16)	1,445,358.90	790,862.65	503,347.76
कुल ऋण	3,231,106.79	2,343,767.21	1,739,326.75

38.2 वित्तीय प्रतिभूतियां – लेखांकन का वर्गीकरण और उचित मूल्य का मापन

38.2.1 वित्तीय प्रतिभूतियों की कोटियां

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां			
परिशोधित लागत पर मापे गए			
नकद व नकद समतुल्य	2,971.91	13.80	37.07
उक्त के अलावा बैंक शेष	1,617.33	993.83	773.59
निवेश (प्रमाण-पत्रों द्वारा पारित)	12.09	22.14	33.30
ऋण	69,698.15	64,233.71	58,954.87

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,971,282.49	1,182,742.54	738,239.44
प्राप्य (पट्टे के प्राप्य)	1,655,689.91	1,485,798.00	1,250,265.12
लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	760.14	–	466.90
अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर मापित			
निवेश (इरकॉन)	107.73	92.98	98.15
वित्तीय देयताएं			
परिशोधित लागत पर मापे गए			
देय			
(I) व्यापार देय			
(i) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों को कुल बकाया देय	–	–	–
(ii) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय	–	–	–
(II) अन्य देय			
(i) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों को कुल बकाया देय	3.78	0.50	0.08
(ii) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय	503.83	377.02	121.65
ऋण प्रतिभूतियां	1,785,747.89	1,552,904.56	1,235,978.99
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,445,358.90	790,862.65	503,347.76
अन्य वित्तीय देयताएं (ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं, एम.ओ.आर. आदि को देय राशि)	172,076.86	103,373.67	72,999.42
लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	**3,601.28**	4,065.15	3,105.95

38.2.2: उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य का क्रम

उचित मूल्य क्रम मापन करने में प्रयुक्त इनपुट के महत्व को दर्शाता है और इसके निम्न स्तर होते हैं –

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित);

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी बाजार में कीमतों के रूप में जो सक्रिय नहीं हैं) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी समान परिसंपत्तियों या देयतायों के लिए उद्धृत मूल्य);

स्तर 3 – परिसंपत्ति या देयता के इनपुट जो बाजार के प्रेक्षणीय डेटा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका 31 मार्च 2021 तक आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देयतायों के उचित मूल्य क्रम को दर्शाती है –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	इनका उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि / वर्ष के अंत में उचित मूल्य का मापन		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
इकरॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में निवेश	107.73	107.73	–	–

निम्न तालिका 31 मार्च 2020 तक आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देयतायों के उचित मूल्य क्रम को दर्शाती है

विवरण	31 मार्च 2020 तक	इनका उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि / वर्ष के अंत में उचित मूल्य का मापन		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
इकरॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में निवेश	92.98	92.98	–	–

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

निम्न तालिका 01 अप्रैल 2019 तक आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य क्रम को दर्शाती है –

विवरण	01 अप्रैल 2019 तक	इनका उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि / वर्ष के अंत में उचित मूल्य का मापन		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
इकरॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में निवेश	98.15	98.15	–	–

उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रासंगिक डेटा का उपयोग करते हुए वित्तीय परिपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त की जाएगी या मापन की तारीख में बाजार के सहभागियों के बीच क्रमबद्ध लेनदेन में किसी देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान की जाएगी। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया –

कंपनी के पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में नाममात्र की इक्विटी (0.26% से कम) है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को 28 सितंबर 2018 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपने निवेश को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत करने का विकल्प लिया था। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 तक के उचित मूल्य को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (स्तर 1 इनपुट) पर उद्धृत अनुसार मापा गया है।.

प्राप्त लाभांश

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राप्त लाभांश (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	2.51	5.92

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य जिसे उचित मूल्य पर मापा नहीं गया (परंतु उचित मूल्य का प्रकटण आवश्यक है)

निदेशकों का मानना है कि वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहनीय राशियां उनके उचित मूल्य के समकक्ष वित्तीय विवरणों में निर्धारित की गई हैं।

38.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के लिए उजागर करती हैं जिसमें बाजार के जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा मूल्य संबंधी अन्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं।

कंपनी का ध्यान इतनी तरलता सुनिश्चित करना है जो कंपनी की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। कंपनी प्रमुख वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है ताकि इसके वित्तीय कार्य-निष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन नीति मौजूद है जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं से जुड़े जोखिमों को शामिल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन का विवरण आगे संक्षेप में दिया गया है।

38.4: बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण अपेक्षित नकदी प्रवाह या वित्तीय प्रतिभूति का उचित मूल्य बदल सकता है। कंपनी की गतिविधियां इसे मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और ब्याज दरों में परिवर्तन संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए उजागर करती हैं।

कंपनी अपने परिणामों और वित्तीय स्थिति पर ऐसे जोखिमों का प्रभाव कम करने के लिए विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दरों में अस्थिरता के समक्ष बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियों का उपयोग करती है। कंपनी की नीति व्यापार या सट्टेबाजी के उद्देश्यों के लिए किसी भी डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियों का उपयोग न करने की है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

38.5: विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं के मूल्यवर्ग में लेनदेन करती है; इसके परिणामस्वरूप, मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम उत्पन्न होते हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहनीय राशि इस प्रकार है-

विवरण	इस तारीख तक की देयताएं			इस तारीख तक की परिसंपत्तियां		
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
प्रतिभूत विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण	16,350.64	454.58	625.44	-	-	-
विदेशी पूंजी बाज़ार से अप्रतिभूत बांड	203,025.44	151,671.11	69,571.19	-	-	-
अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण	318,540.22	96,539.07	25,618.35	-	-	-
कुल	537,916.30	248,664.76	95,814.98	-	-	-

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका में प्रासंगिक बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदों के समक्ष आईएनआर में 10% की वृद्धि और कमी के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण दिया गया है। 10% संवेदनशीलता विदेशी विनिमय दरों में औचित्यपूर्ण संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन को दर्शाती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें शामिल हैं और विदेशी मुद्रा दरों में 10% परिवर्तन के लिए अवधि के अंत में उनके रूपांतरण को समायोजित करता है। नीचे दी गई धनात्मक संख्या लाभ या इक्विटी में वृद्धि को दर्शाती है जहां रुपया संबंधित मुद्रा के समक्ष 10% का विनियोजन करता है। नीचे दी गई ऋणात्मक संख्या लाभ या इक्विटी में कमी को दर्शाती है जहां रुपया संबंधित मुद्रा के समक्ष 10% मूल्यह्रास करता है।

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक		1 अप्रैल 2019 तक	
	आईएनआर 10% तक दृढ़	आईएनआर 10% तक कमज़ोर	आईएनआर 10% तक दृढ़	आईएनआर 10% तक कमज़ोर	आईएनआर 10% तक दृढ़	आईएनआर 10% तक कमज़ोर
लाभ या (हानि)	53,791.63	(53,791.63)	24,866.48	(24,866.48)	9,581.50	(9,581.50)

प्रबंधन के विचार में, संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिम को नहीं दर्शाता है क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक्सपोजर वर्ष के दौरान एक्सपोजर को नहीं दर्शाता है।

38.6: ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी को ब्याज दर का जोखिम होता है क्योंकि यह नियत और अस्थायी दोनों ब्याज दरों पर धन उधार लेती है। जोखिम का प्रबंधन कंपनी द्वारा नियत और अस्थायी दर उधार के बीच उचित मिश्रण को बनाए रखते हुए किया जाता है। कंपनी वित्तीय प्रतिभूतियों का उपयोग बदलती ब्याज दरों के लिए अपने जोखिम का प्रबंधन करने और लंबी अवधि के उधार पर नियत और अस्थायी ब्याज दर ऋण के मिश्रण को समायोजित करने के लिए करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दरों के लिए कंपनी का एक्सपोज़र इस टिप्पणी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन खंड में विस्तार से दिया गया है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में डेरिवेटिव्स और गैर-डेरिवेटिव्स प्रतिभूतियों दोनों के लिए ब्याज दरों के जोखिम के आधार पर किया गया है। अस्थायी दर की देयताओं के लिए, यह मानते हुए विश्लेषण तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया देयता की राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। 50 आधार अंक की वृद्धि या कमी ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन में प्रबंधन के आकलन को दर्शाती है।

यदि ब्याज दरें 50 आधार अंक अधिक/कम होतीं और अन्य सभी चर स्थिर होते, तो कंपनी का -

i) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ 8,346.63 मिलियन रु घटेगा/बढ़ेगा (31 मार्च 2020: 6,972.21 मिलियन रु की कमी/वृद्धि)। यह मुख्य रूप से अपनी परिवर्तनीय दर ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों के लिए कंपनी के जोखिम के कारण है;

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ii) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ 5,590.55 मिलियन रु घटेगा/बढ़ेगा (31 मार्च 2020: 3,253.53 मिलियन रु की कमी/वृद्धि)। यह मुख्य रूप से अपने परिवर्तनीय दर उधारों पर ब्याज दरों के लिए कंपनी के जोखिम के कारण है।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार –

जी20 से वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुरोध के बाद, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाजार में प्रमुख ब्याज दर बेंचमार्क की एक मौलिक समीक्षा की जा रही है और सुधार किया जा रहा है। भारतीय एएस 107 और भारतीय एएस 109 को अधिसूचित किए जाने के समय इस सुधार पर विचार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने इन परिस्थितियों में मानक को कैसे लागू किया जाना चाहिए, इस पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए विशिष्ट बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू करने से अस्थायी छूट अधिसूचित किया है।

विशिष्ट बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू करने से बताए गए अस्थायी अपवाद इस प्रकार हैं –

(i) नकदी प्रवाह बचाव की अत्यधिक संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए – यह निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए कि क्या एक पूर्वानुमान लेनदेन (या उसका कोई घटक) अत्यधिक संभावित है, संस्था यह मान लेगी कि ब्याज दर बेंचमार्क जिस पर बचाव नकदी प्रवाह (संविदाजन्य या गैर-संविदाजन्य रूप से निर्दिष्ट) आधारित हैं, ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं होते हैं।

(ii) नकदी प्रवाह बचाव आरक्षण में संचित राशि को पुनर्वर्गीकृत करना – यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या बचाव के भावी नकदी प्रवाद की उम्मीद है, संस्था यह मान लेगी कि ब्याज दर बेंचमार्क जिस पर बचाव नकदी प्रवाह (संविदाजन्य या गैर- संविदाजन्य रूप से निर्दिष्ट) आधारित हैं, ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं होते हैं।

(iii) बचाव की गई वस्तु और बचाव प्रतिभूति के बीच आर्थिक संबंध का आकलन – संस्था यह मान लेगी कि ब्याज दर बेंचमार्क जिस पर बचाव नकदी प्रवाह और/या बचाव जोखिम (संविदाजन्य या गैर- संविदाजन्य रूप से निर्दिष्ट) आधारित हैं या ब्याज दर बेंचमार्क जिस पर बचाव प्रतिभूति का नकदी प्रवाह आधारित है, ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं होता है।

(iv) किसी मद के एक घटक को एक बचाव मद के रूप में निर्धारित करना – कुछ छूटों के अधीन, ब्याज दर जोखिम के गैर-संविदाजन्य रूप से निर्दिष्ट बेंचमार्क घटक के बचाव के लिए, संस्था इस आवश्यकता को लागू करेगी कि जोखिम घटक केवल बचाव संबंध की शुरुआत पर अलग से पहचाने जाने योग्य होगा ।

इन अस्थायी अपवादों के तहत, इंटरबैंक द्वारा प्रस्तुत दरों (आईबीओआर) को बचाव लेखांकन के प्रयोजनों के लिए तब तक जारी रखा जाना माना जाता है जब तक कि अनिश्चितता का समाधान नहीं हो जाता। 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए इन अस्थायी अपवादों को लागू करना अनिवार्य है। यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होगी कि अनिश्चितता का समाधान कब होगा और इसलिए अस्थायी अपवाद कब लागू नहीं होंगे। बहरहाल, 30 सितंबर 2020 तक, अनिश्चितता बनी रही और इसलिए अस्थायी अपवाद कंपनी के बचाव लेखांकन संबंधों पर लागू होते हैं जो सुधार या प्रतिस्थापन के अधीन बेंचमार्क का संदर्भ देते हैं।

कंपनी में नकदी प्रवाह और उचित मूल्य के बचाव लेखांकन संबंध हैं जो विभिन्न आईबीओआर के तहत आते हैं, मुख्य रूप से यूएस डॉलर एलआईबीओआर और जेपीवाई एलआईबीओआर। मौजूदा डेरिवेटिव्स और इन बेंचमार्क को संदर्भित करने वाले संबंधों में निर्दिष्ट कुछेक ऋण, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां अलग-अलग तरीकों से और विभिन्न प्रकारों पर नए जोखिम-मुक्त दरों (आरएफआर) में परिवर्तित हो जाएंगे। कंपनी के बचाव लेखांकन संबंधों में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आरएफआर में अंतरण पर बाहरी प्रगति की निगरानी की जा रही है। प्रत्येक बचाव संबंध के विवरण के साथ उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मुद्दे अलग-अलग होंगे, लेकिन पदनाम में शामिल मौजूदा उत्पादों के अंतरण के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, जारी किए जाने वाले उत्पादों की अपेक्षित मात्रा में बदलाव, जारी किए गए नए उत्पादों की संविदाजन्य शर्तों में बदलाव, या इन कारकों का एक संयोजन। कुछ बचावों को नामांकन से हटाना होगा और नए संबंध स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य बाजार-व्यापक बेंचमार्क सुधारों से बचे रह सकते हैं।

बचाव लेखांकन संबंध जो अस्थायी अपवादों को अपनाने से प्रभावित होते हैं, उन्हें तुलन-पत्र में टिप्पणी 5, ''डेरिवेटिव्स वित्तीय प्रतिभूतियां'' में प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

38.7: कीमत संबंधी अन्य जोखिम

कंपनी इक्विटी प्रतिभूतियों में छोटी राशि निवेश करती है, जिसके कीमत जोखिम को तात्विक नहीं माना जाता है।

38.8: क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम इस संभावना से उत्पन्न होता है कि प्रतिपक्ष अपनी संविदाजन्य देयताओं में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। इससे निपटने के लिए, कंपनी वित्तीय स्थितियों, वर्तमान आर्थिक रुझानों और ऐतिहासिक अशोध्य ऋणों के विश्लेषण और प्राप्य खातों की समयावधि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ग्राहकों की वित्तीय विश्वसनीयता का आकलन करती है ।

कंपनी परिसंपत्तियों के प्रारंभिक निर्धारण पर चूक की संभावना और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्यशील आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पर विचार करती है । यह आकलन करने के लिए कि क्या ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह उचित और सहायक भविष्योन्मुखी जानकारी पर विचार करती है जैसे -

(i) व्यवसाय में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन।

(ii) प्रतिपक्ष के प्रचालनीय परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(iii) वित्तीय या आर्थिक स्थितियाँ जिनसे प्रतिपक्ष की अपने दायित्व को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं।

(iv) एक ही प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम और अन्य वित्तीय लिखतों में उल्लेखनीय वृद्धि।

(v) दायित्व का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्य में या तीसरे पक्ष की गारंटी या क्रेडिट वृद्धि की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

क्रेडिट जोखिम का प्रबंध अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है, क्रेडिट सीमाएं स्थापित करना, ग्राहकों की साख की निरंतर निगरानी करना, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रेडिट देती है। कंपनी वित्तीय स्थिति, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों और ऐतिहासिक अशोध्य ऋणों और प्राप्य खातों की समयावधि को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की वित्तीय विश्वसनीयता का भी आकलन करती है।

कंपनी का प्रमुख एक्सपोजर रेल मंत्रालय, भारत सरकार से पट्टे की प्राप्तियों और रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ऋण है जो रेल मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। सरकार से देय पट्टे की प्राप्तियों पर कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है। रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर (पीडी) सीसी दिनांक 31-मई-2018 जिसे पत्र सं. डीएनआरबी (पीडी) सीओ. सं. 1271/03.10.001/2018-19 दिनांक 21-दिसंबर-2018 के साथ पढ़ा जाना है, में दिए गए निर्देशों को भारतीय एएस 109, वित्तीय प्रतिभूतियों के अनुसार हानि के मानदंडों के समुचित अनुरूप मानती है क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड, दोनों रेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हैं और कंपनी को पूर्वोक्त ऋणों के पुनर्भुगतान में कोई चिंता नहीं है।

38.9: तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम को ऐसा संभावित जोखिम माना गया है कि उनके देय होने पर कंपनी नकद देयताओं को पूरा नहीं कर सकती।

तरलता जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है, जिसने कंपनी के लघु, मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषण और तरलता प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। कंपनी पर्याप्त आरक्षण और बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखते हुए, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करते हुए और वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करते हुए तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय (एमओआर) के साथ पट्टा करार में एक प्रावधान है जिसके तहत एमओआर कंपनी को अपनी ऋण सेवा देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता न होने की स्थिति में, अग्रिम रूप से (भावी भुगतानों से समायोजित करने के लिए) पट्टा किराया प्रदान करने का वचन देता है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

तरलता और ब्याज जोखिम तालिकाएं

निम्नलिखित तालिकाएँ सहमत अदायगी अवधियों के साथ अपनी वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी की शेष संविदाजन्य परिपक्वता का विवरण देती हैं। कंपनी को भुगतान करने के लिए आवश्यक शुरुआती तारीख के आधार पर वित्तीय देयताओं के डिस्काउंटरहित नकदी प्रवाह के आधार पर ये तालिकाएं तैयार की गई हैं। तालिकाओं में ब्याज और मूलधन नकदी प्रवाह दोनों शामिल हैं। जहां तक ब्याज प्रवाह अस्थायी दर है, डिस्काउंटरहित राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर वक्र से ली गई है। संविदाजन्य परिपक्वता उस सर्वप्रथम तारीख पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

विवरण	0–1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5+ वर्ष	कुल	प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर उधार का निर्धारण	उचित मूल्य बचाव समायोजन – रेल मंत्रालय से वसूली योग्य	वहनीय राशि (भारतीय एएस के अनुसार तुलन–पत्र की राशि)
31 मार्च 2021								
व्यापार देय – अन्य देय	507.61	–	–	–	507.61	–	–	507.61
अन्य वित्तीय देयताएं								–
– ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं	63,281.79	–	–	58,855.48	122,137.27	–	–	122,137.27
– पट्टे की देयताएं	112.35	214.82	4.35	14.36	345.88			345.88
– बेदावा लाभांश की देयता	7.99				7.99			7.99
– देय लाभांश	–				–	–	–	–
– बेदावा परिपक्व ऋणपत्र एवं उन पर प्रोद्भूत ब्याज	86.90	–	–	–	86.90	–	–	86.90
– एमओआर को देय राशि	49,498.30	–	–	–	49,498.30	–	–	49,498.30
– बयाना जमा राशि	0.52	–	–	–	0.52	–	–	0.52
ऋण प्रतिभूतियां								–
– घरेलू बाजार में बांड	107,158.38	223,067.11	81,165.87	1,143,275.96	1,554,667.32	(915.14)	–	1,553,752.18
– वाणिज्यिक पत्र	28,970.27	–	–	–	28,970.27	–	–	28,970.27
– विदेशी बाज़ार में बांड	–	36,955.00	–	166,297.50	203,252.50	(227.06)	–	203,025.44
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)								
भारत में उधार	72,980.04	53,702.80	86,970.60	896,814.60	1,110,468.04	–	–	1,110,468.04
भारत से बाहर के उधार	221.73	–	13,520.63	329,650.79	343,393.15	(5,362.81)	(3,139.48)	334,890.86
31 मार्च 2020								
व्यापार देय – अन्य देय	377.52	–	–	–	377.52	–	–	377.52
अन्य वित्तीय देयताएं								
– ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं	51,454.31	–	–	49,865.43	101,319.74	–	–	101,319.74
– परिपक्व एवं बेदावा बांड की देयता और उन पर प्रोद्भूत ब्याज	96.82	–	–	–	96.82	–	–	96.82
– देय लाभांश	–	–	–	–	–	–	–	–
– देय लाभांश कर	–	–	–	–	–	–	–	–
– एमओआर को देय राशि	1,956.62	–	–	–	1,956.62	–	–	1,956.62
– बयाना जमा राशि	0.49	–	–	–	0.49	–	–	0.49
ऋण प्रतिभूतियां								
– घरेलू बाजार में बांड	74,013.98	196,603.88	127,264.14	965,749.30	1,363,631.30	(1,031.94)	–	1,362,599.36
– वाणिज्यिक पत्र	38,634.09	–	–	–	38,634.09	–	–	38,634.09
– विदेशी बाज़ार में बांड	–	–	37,950.00	113,850.00	151,800.00	(128.89)	–	151,671.11
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)								
भारत में उधार	76,369.00	69,430.56	98,591.24	449,478.20	693,869.00	–	–	693,869.00
भारत से बाहर के उधार	227.70	227.70	–	101,755.57	102,210.97	(2,127.10)	(3,090.22)	96,993.65

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	0-1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5+ वर्ष	कुल	प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर उधार का निर्धारण	उचित मूल्य बचाव समायोजन – रेल मंत्रालय से वसूली योग्य	वहनीय राशि (भारतीय एएस के अनुसार तुलन-पत्र की राशि)
01 अप्रैल 2019								
व्यापार देय – अन्य देय	121.73	–	–	–	**121.73**	–	–	**121.73**
अन्य वित्तीय देयताएं					**–**	–	–	**–**
– ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं	39,266.31	26,497.39	7,154.47	–	**72,918.17**	–	–	**72,918.17**
– बेदावा परिपक्व ऋणपत्र और उन पर प्रोद्भूत ब्याज	80.91	–	–	–	**80.91**	–	–	**80.91**
– देय लाभांश	–	–	–	–	**–**	–	–	**–**
– देय लाभांश कर	–	–	–	–	**–**	–	–	**–**
– एमओआर को देय राशि	–	–	–	–	**–**	–	–	**–**
– बयाना जमा राशि	0.33	–	–	–	**0.33**	–	–	**0.33**
ऋण प्रतिभूतियां								
– घरेलू बाजार में बांड	76,152.10	189,172.40	161,167.10	711,184.27	**1,137,675.87**	(1,127.84)	–	**1,136,548.03**
– वाणिज्यिक पत्र	29,859.77	–	–	–	**29,859.77**	–	–	**29,859.77**
– विदेशी बाज़ार में बांड	–	–	34,815.00	34,815.00	**69,630.00**	(58.81)	–	**69,571.19**
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)								
भारत में उधार	132,104.00	77,000.00	28,000.00	239,999.97	**477,103.97**	–	–	**477,103.97**
भारत से बाहर के उधार	208.89	417.78	–	29,342.05	**29,968.72**	(618.98)	(3,105.95)	**26,243.79**

38.10: डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां

कंपनी ने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर मुद्रा-विनिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड संविदाओं जैसे डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां धारित करती है। इन बचाव लिखतों का उद्देश्य अत्यधिक संभावित पूर्वानुमान लेनदेन के आईएनआर नकदी प्रवाह की अस्थिरता को कम करना है।

बचाव की प्रभावशीलता बचाव संबंध की शुरुआत में निर्धारित की जाती है, और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचाव की मद और बचाव लिखित के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, जिसमें बचाव लिखत से बचाव की गई मद के नकदी प्रवाह में परिवर्तन की भरपाई करने की उम्मीद है।

31 मार्च 2021 तक

बचाव और जोखिम के प्रकार	नाममात्र का मूल्य (विदेशी मुद्रा)		बचाव लिखतों की वहनीय राशि	परिपक्वता की तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव / दर
	यूएसडी					यूएसडी
	बकाया संविदाओं की सं.	राशि				
फॉरवर्ड संविदा						
1. बिक्री	–	–	–	–	–	–
स्वॉप संविदाएं						
1. खरीद	2	291.79	2,367.91	10 मार्च, 2026	1:1	लागू नहीं
2. खरीद	2	74.07	834.11	30 मार्च, 2026	1:1	लागू नहीं
3. खरीद	1	25.00	66.84	26 मार्च, 2030	1:1	लागू नहीं
4. खरीद	1	25.00	62.98	26 मार्च, 2030	1:1	लागू नहीं
5. खरीद	1	25.00	69.51	26 मार्च, 2030	1:1	लागू नहीं
6. खरीद	1	25.00	62.87	26 मार्च, 2030	1:1	लागू नहीं
7. खरीद	1	25.00	64.88	26 मार्च, 2030	1:1	लागू नहीं
8. खरीद	1	25.00	33.80	26 मार्च, 2030	1:1	लागू नहीं

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

31 मार्च 2020 तक

बचाव और जोखिम के प्रकार	नाममात्र का मूल्य (विदेशी मुद्रा)		बचाव लिखतों की वहनीय राशि	परिपक्वता की तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव / दर
	यूएसडी					यूएसडी
	बकाया संविदाओं की सं.	राशि				
फॉरवर्ड संविदा						
1. बिक्री	–	–	–	–	–	–
1. खरीद	–	–	–	–	–	–
स्वॉप संविदाएं						
1. खरीद	2	291.79	3,217.10	10 मार्च, 2026	1:1	लागू नहीं
1. खरीद	2	74.07	848.05	30 मार्च, 2026	1:1	लागू नहीं

1 अप्रैल 2019 तक

बचाव और जोखिम के प्रकार	नाममात्र का मूल्य (विदेशी मुद्रा)		बचाव लिखतों की वहनीय राशि	परिपक्वता की तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव / दर
	यूएसडी					यूएसडी
	बकाया संविदाओं की सं.	राशि				
फॉरवर्ड संविदा						
1. बिक्री	–	–	–	–	–	–
स्वॉप संविदाएं						
1. खरीद	2	291.79	2,080.28	10 मार्च, 2026	1:1	लागू नहीं
1. खरीद	2	74.07	558.77	30 मार्च, 2026	1:1	लागू नहीं

वित्तीय कार्य–निष्पादन पर बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रकटण

नकदी प्रवाह बचाव	प्रारंभिक	वर्ष के दौरान परिवर्तन	अंतिम	एमओआर से प्राप्य/ (देय)	वित्तीय कार्य–निष्पादन पर प्रभाव
31 मार्च 2021	(974.93)	1,273.27	298.34	(1,273.27)	
31 मार्च 2020	466.90	(1,441.83)	(974.93)	1,441.83	
1 अप्रैल 2019	968.47	(501.57)	466.90	501.57	–

टिप्पणी 39: कंपनी की पूंजी निधियां, जोखिम भारित परिसंपत्तियां एवं पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सी.आर.ए.आर.) नीचे दिए गए हैं –

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
पूंजी निधि – स्तर I	359,049.13	302,993.35	248,658.31
पूंजी निधि – स्तर II			
तुलन–पत्र से बाहर की मदों के समायोजित मूल्य के साथ–साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियां	85,394.56	76,631.72	71,629.96
सीआरएआर			
सीआरएआर – स्तर I पूंजी	420.46%	395.39%	347.14%
सीआरएआर – स्तर II पूंजी	420.46%	395.39%	347.14%
स्तर–II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि			
बेमियादी ऋण प्रतिभूतियां जारी करते हुए जुटाई गई राशि			

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

टिप्पणी 40: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) द्वारा प्रकट करने हेतु आवश्यक दिए गए ऋणों का विवरण –

क्र. सं.	पार्टी का नाम	31 मार्च 2021 तक				31 मार्च 2020 तक				1 अप्रैल 2019 तक			
		बकाया ऋण की राशि	वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	अवधि	प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग का उद्देश्य	बकाया ऋण की राशि	वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	अवधि	प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग का उद्देश्य	बकाया ऋण की राशि	वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	अवधि	प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग का उद्देश्य
1	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)-I	41,858.86	14,296.90	3 + 12 वर्ष	नियमित परियोजना कार्य	30,219.41	14,079.60	3 + 12 वर्ष	नियमित परियोजना कार्य	18,766.30	800.00	3 + 12 वर्ष	नियमित परियोजना कार्य
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	18,459.20	-	5 वर्ष	स्टेशन विकास	24,612.27	-	5 वर्ष	स्टेशन विकास	30,765.34	-	5 वर्ष	स्टेशन विकास
3	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)-II	9,660.00	-	3 + 12 वर्ष	नियमित परियोजना कार्य	9,660.00	-	3 + 12 वर्ष	नियमित परियोजना कार्य	9,660.00	9,660.00	3 + 12 वर्ष	नियमित परियोजना कार्य
	कुल	69,978.06	14,296.90			64,491.68	14,079.60			59,191.64	10,460.00		

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 41: अन्य प्रकटण

(क) पट्टे का किराया उस महीने के पहले दिन से पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है जिसमें चल स्टॉक परिसंपत्तियों की पहचान की गई है और कंपनी और एमओआर के बीच साल-दर-साल किए जाने वाले मानक पट्टा करार के अनुसार बनाए रखा जाता है।

(ख) रेल मंत्रालय (एमओआर) कंपनी द्वारा किए गए भुगतान से पहले की पहचान की गई परिसंपत्ति के मूल्य पर उस महीने के पहले दिन से ब्याज लेता है जिसमें परिसंपत्ति की पहचान की गई है और उस महीने के पहले दिन निर्धारित किया जाता है जिसें एमओआर को धनराशि अदा की जाती है। बहरहाल, एमओआर से उनके द्वारा चल स्टॉक की पहचान करने से पहले कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है।

(ग) (i) अस्थायी दर संबद्ध रुपया उधार पर ब्याज दर भिन्नता और विदेशी मुद्रा उधार के मामले में ब्याज दर और ब्याज भुगतान पर मुद्रा-विनिमय दर भिन्नता को रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित अवसंरचना परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए चल स्टॉक/समझौता ज्ञापन (एमओयू) के समक्ष पट्टे की आय/प्रारंभ होने से पूर्व पट्टे की आय के लिए पट्टे के करार में भिन्नता खंड के संदर्भ में समायोजित किया जाता है। । 31 मार्च 2021 के दौरान, ऐसी भिन्नता कंपनी द्वारा वापसी-योग्य 1,198.93 मिलियन रु की राशि में परिणामित हुई (कंपनी को प्रोद्भूत 31 मार्च 2020: 583.35 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 707.98 मिलियन रु) जिसका हिसाब पट्टे की आय/प्रारंभ होने से पूर्व पट्टे की आय में किया गया।

(ii) विदेशी मुद्रा उधारों के संबंध में, जिनका बचाव नहीं किया गया है, पट्टा करार में भिन्नता खंड शामिल किया गया है जिसमें एमओआर के साथ निष्पादित पट्टों पर निधियों की लागत की गणना करने के लिए अपनाई गई काल्पनिक बचाव लागत को निर्दिष्ट किया गया है। इन विदेशी मुद्रा उधारों के संबंध में बचाव की लागत की तुलना कंपनी द्वारा इस तरह के खाते पर काल्पनिक लागत के आधार पर वसूल की गई राशि से की जाती है और तदनुसार इसे पट्टे की आय के समक्ष समायोजित किया जाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, इन विदेशी मुद्रा उधारों के संबंध में कंपनी ने एमओआर से इस खाते पर बचाव लागत के लिए उपगत 5,254.72 मिलियन रु (31 मार्च 2020: 4344.84 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 2,269.78 मिलियन रु) की राशि एमओआर को वापसी योग्य है।

(घ) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय को प्राप्त और पट्टे पर ली गई चल स्टॉक परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे के किराए की गणना के लिए 2,85,610.85 मिलियन रु की राशि (पिछले 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष: 3,35,441.09 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 2,40,550.85 मिलियन रु), पट्टा किराया दर और प्राप्ति की आंतरिक दर को चालू वर्ष के दौरान किए गए वृद्धिशील उधार की औसत लागत और पिछले वर्ष इसके बराबर मार्जिन के संदर्भ में तैयार किया गया है। इन परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टा करार वर्ष के अंत में पट्टे के किराए और आईआरआर के आधार पर वर्ष के दौरान वार्षिक वृद्धिशील उधार की औसत लागत तथा उस समय तय किए गए मार्जिन के आधार पर निष्पादित किया जाएगा। वर्ष के लिए पट्टा किराया दर या प्राप्ति की आंतरिक दर में किसी भी तरह की भिन्नता को तदनुसार वर्ष के अंत में समायोजित किया जाएगा।

(ङ) वर्ष 1990-91, 1989-90, 1988-89 और 1987-88 में चल स्टॉक के लिए 11,700.35 मिलियन रु के लिए निष्पादित पट्टे 11,700.35 मिलियन रु, 10,725.60 मिलियन रु, 8607.27 मिलियन रु और 7,703.27 मिलियन रु क्रमशः 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक पट्टा अवधि के दौरान परिसंपत्ति का पूरा मूल्य (ब्याज सहित) पट्टेदार (एमओआर) से वसूल किया गया है। इन परिसंपत्तियों का उपयोगी आर्थिक जीवन को समाप्त हो गया है। इन परिसंपत्तियों को रेल मंत्रालय को अंतरित करने की औपचारिकताएं प्रगति पर हैं और आवश्यक होने पर खातों में आवश्यक समायोजन, रेल मंत्रालय को चल स्टॉक के हस्तांतरण पर किया जाएगा।

टिप्पणी 42:

(क) (i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचना डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 दिनांक 1 सितंबर 2016, समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के तहत जारी किया है जो 31 मई 2018 से अनिवार्य है । भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी को परिसंपत्ति के वर्गीकरण, प्रावधानित मानदंडों और क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों के संबंध में सरकारी ऋण के प्रत्यक्ष जोखिम की सीमा तक छूट प्रदान की है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, एक सरकारी एनबीएफसी होने के नाते कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत निर्दिष्ट आरक्षित निधि रखने और उसके रखरखाव से छूट प्रदान की गई थी। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.092/0310.001/2017-18 दिनांक 31 मई 2018 द्वारा उक्त छूट को वापस ले लिया गया है। तदनुसार, कंपनी अब आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यकतानुसार आरक्षित निधि बना रही है जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले हर साल निवल लाभ का कम से कम 20% हस्तांतरित किया जाएगा। समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा आरक्षित निधि से किसी भी विनियोग की अनुमति नहीं है और इसके आगे, इस तरह के किसी भी विनियोग की रिपोर्ट ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनों के भीतर बैंक को करना आवश्यक है। कंपनी ने धारा 45 आईसी के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 8,832.26 मिलियन रु की आरक्षित निधि सृजित की है।

(ख) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 18 अप्रैल 2002 के अनुसार, आरबीआई में पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाए गए बांडों के मूल्य के 50% के बराबर बांड मोचन आरक्षण ऐसे बांडों की मोचन तिथि तक बनाना आवश्यक है। इसके बाद, आरबीआई के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी द्वारा बांड के सार्वजनिक निर्गम के मामले में बांड मोचन आरक्षण सृजित करने की आवश्यकता को एमसीए द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 11 फरवरी 2013 के माध्यम से 25% तक लाया गया था। इसके अलावा, कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 दिनांक 3 अप्रैल 2014 भी आरबीआई के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को ऐसे बांडों की मोचन तिथियों तक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से उठाए गए बांडों के मूल्य के 25% के बराबर बांड रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए अनिवार्य करता है। तदनुसार, कंपनी को वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाए गए बांडों के मूल्य का 50% और 2012-13, वित्तीय वर्ष 2013-14 और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बांड मोचन आरक्षण को ऐसे बांड के मोचन की तारीखों तक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाए गए बांडों के मूल्य का 25% अंतरित करना आवश्यक था । कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12, वित्त वर्ष 2012-13, वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2015-16 में बांड के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 2,48,816.74 मिलियन रु जुटाए। उपर्युक्त बांडों की औसत अवशिष्ट परिपक्वता 31 मार्च 2019 को 7 वर्षों से अधिक की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक बांड मोचन आरक्षित निधि में 57,145.59 मिलियन रु की राशि अंतरित की।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2019 को कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2019 अधिसूचित किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी सूचीबद्ध कंपनियों को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए ऋणपत्र मोचन आरक्षण के सृजन से छूट प्रदान करता है। तदनुसार, 31 मार्च 2019 तक बांड मोचन आरक्षित निधि में बकाया राशि 57,145.59 मिलियन रु प्रतिधारित अर्जन में अंतरित कर दी गई।

(ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने लेखों की पूरक समीक्षा के दौरान एक अवलोकन किया था कि 'पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवसंरचना की परिसंपत्तियों पर अग्रिम' को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। कंपनी द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर, सी एंड एजी ने टिप्पणी को समाप्त करने का निर्णय लिया था। बहरहाल, हुई सहमति के अनुसार, सी एंड एजी के साथ चर्चा के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि उक्त मामले को विशेषज्ञ राय के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को भेजा जाए। ईएसी, आईसीएआई ने तब अपनी राय प्रस्तुत की और 'पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवसंरचना की परिसंपत्तियों के समक्ष अग्रिम' के लेखांकन वर्गीकरण को वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा वर्तमान में दर्शाई जा रही अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखा है।

टिप्पणी 43:

i वित्त अधिनियम, 2001 में 16 जुलाई 2001 को या उसके बाद दर्ज वित्तीय पट्टों पर पट्टा किराया किस्तों के माध्यम से वसूल किए गए वित्त और ब्याज प्रभारों पर सेवा कर लगाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने आदेश संख्या 1/1/2003-एसटी दिनांक 30 अप्रैल 2003 और उसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 15 दिसंबर 2006 के स्पष्टीकरण के तहत कंपनी और रेल मंत्रालय के बीच वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 (2) के तहत सेवा कर लगाने से छूट दी है।

ii जीएसटी परिषद ने 19 मई, 2017 को हुई अपनी बैठक में भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा भारतीय रेल को माल और सेवा कर (जीएसटी), अधिसूचना संख्या 12/2017 (शीर्षक 9973) जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, की उगाही से परिसंपत्ति (वैगन, कोच, लोको सहित चल स्टॉक परिसंपत्तियां) को

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

पट्टे पर देने की सेवाओं को छूट दी है।

iii. कंपनी ने नवंबर 2017 से जून 2018 की अवधि के लिए परियोजनाओं के निर्माण के लिए ठेकेदारों को कंपनी की ओर से भुगतान करने के लिए एमओआर को हस्तांतरित धनराशि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार व्यवस्था के तहत जीएसटी के लिए 14,664.47 मिलियन रु की राशि जमा की थी। कर सलाहकार के विचार अनुसार, उपरोक्त लेनदेन में एमओआर से कंपनी को कोई आपूर्ति शामिल नहीं थी और तदनुसार, कंपनी द्वारा आरसीएम के तहत कोई जीएसटी देय नहीं था, इसलिए, 14,664.47 मिलियन रु की उक्त जमा की वापसी के लिए जीएसटी विभाग के साथ धन-वापसी आवेदन दायर किया गया। बहरहाल, 22 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 के आदेशों के तहत, अतिरिक्त आयुक्त (व्यापार और कर विभाग), दिल्ली द्वारा उक्त धनवापसी आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। कंपनी ने 24 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 को धन-वापसी के आदेशों को अस्वीकार करने के खिलाफ अपने अटार्नी, नई दिल्ली के माध्यम से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 6 अपीलें दाखिल की हैं।

जीएसटी विभाग द्वारा धन-वापसी के दावों को स्वीकार न करने की अंतिम स्थिति में, कंपनी द्वारा भविष्य में एमओआर या अन्य जीएसटी देयता को पट्टे पर देने के लिए अवसंरचना परिसंपत्तियों से पट्टा किराया पर जीएसटी देयता के समक्ष इस राशि को समायोजित किया जाएगा।

इसके अलावा, परियोजनाओं के निर्माण के लिए ठेकेदारों को कंपनी की ओर से भुगतान करने के लिए जुलाई 2018 और मार्च 2021 के बीच 6,32,384.00 मिलियन रु की राशि रेल मंत्रालय को अंतरित की गई थी। इस पर 75,886.08 मिलियन रु के आरसीएम के तहत जीएसटी जमा नहीं किया गया है क्योंकि जीएसटी सलाहकार के विचार के अनुसार एमओआर से धन हस्तांतरण में कोई आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी 44:

पट्टाधारित परिसंपत्तियों की खरीद / अवसंरचना परिसंपत्तियों के सृजन के लिए विदेशी मुद्रा ऋणों पर मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन के कारण देयता में वृद्धि / (कमी) जिसकी राशि (3,009.70 मिलियन रु) (31 मार्च 2020 – 16,784.85 मिलियन रु, 1 अप्रैल, 2019: 2,670.04 मिलियन रु) है, को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित नहीं किया गया है क्योंकि वह पट्टे पर दी जाने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों के वित्त-पोषण के लिए चल स्टॉक परिसंपत्तियों / समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संबंध में पट्टा करार के अनुसार अलग से रेल मंत्रालय (पट्टेदार) से वसूल की जानी है। पट्टे के किराए में अंतर्निर्मित बाहरी वाणिज्यिक उधार में काल्पनिक बचाव लागत जिसकी राशि 8,145.93 मिलियन रु (31 मार्च 2020 – 4,344.84 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 537.35 मिलियन रु) है, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रेल मंत्रालय को वापस की जानी है। इसके अलावा, 106.82 मिलियन रु (31 मार्च 2020 – 92.86 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 2,664.02 मिलियन रु) की राशि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान चुकाए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर क्रिस्टलीकृत मुद्रा-विनिमय दर परिवर्तन के लिए वसूल की गई। अनुमानित हेजिंग लागत और क्रिस्टलीकृत विनिमय दर भिन्नता की निवल विनिमय दर भिन्नता के कारण एमओआर से वसूल करने योग्य राशि 5,796.59 मिलियन रु (31 मार्च 2020: 17,059.04 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 4,711.88 मिलियन रु) है।

नकदी प्रवाह बचाव के रूप में वर्गीकृत 1,273.27 मिलियन रु (मार्च, 2021), (रु. (1441.83) मिलियन) (मार्च 2020), ((501.57) मिलियन रु) (अप्रैल 2019) की राशि की डेरिवेटिव परिसंपत्तियों (बचाव प्रतिभूतियां) के उचित मूल्य में कमी / वृद्धि के कारण (हानि)/लब्धि का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह एमओआर (पट्टेदार) से वसूली योग्य / वापसी योग्य है चूंकि ये डेरिवेटिव एमओआर (पट्टेदार) के वित्तीय जोखिम का बचाव करने के लिए आशयित हैं।

टिप्पणी 45:

रेल मंत्रालय (एमओआर) ने दिनांक 23 जुलाई 2015 के पत्र द्वारा कंपनी को रेलवे के वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई वित्त पट्टा पद्धति के अनुरूप विगत में रेलवे की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एमओआर के परामर्श से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से धन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया था। एलआईसी से जुटाई गई धनराशि के अलावा, कंपनी ने अन्य उधार और आंतरिक उपार्जन से भी एमओआर को वित्त पोषण भी किया है। पट्टा दस्तावेजों का निष्पादन लंबित होने के कारण, कंपनी ने 23 मई 2017 को रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था जिसमें पट्टा लेनदेन की प्रमुख शर्तें शामिल थीं। कंपनी ने अब 2 मार्च 2021 को रेल मंत्रालय के साथ एक नया समझौता ज्ञापन किया है, जो पहले के सभी समझौता ज्ञापनों/व्यवस्थाओं को अधिक्रमित करता है।

31 मार्च 2021 के अंत तक एमओआर को वितरित 11,54,949.70 मिलियन रु की कुल राशि (31 मार्च 2020 – 9,36,552.90 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019 – 5,97,152.90 मिलियन रु) को 'पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवसंरचना परिसंपत्तियों के संबंध में अग्रिम' के रूप में निर्धारित की गई है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, उक्त अग्रिमों का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ उधार ली गई निधियों के ब्याज की लागत के कारण कंपनी द्वारा उपगत 58,203.09 मिलियन रु (31 मार्च 2020: 42,706.88 मिलियन रु, 31 मार्च 2019 - 27,283.86 मिलियन रु) की कुल राशि को पूंजीकृत की गई और एमओआर को 'पट्टे पर देने के लिए अवसंरचना परिसंपत्तियों के संबंध में प्रदत्त अग्रिम' में शामिल की गई।

इसके अलावा, 31 मार्च 2021 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने इसी प्रकार की व्यवस्था के तहत रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपर्युक्त वित्त पट्टा पद्धति के अनुरूप एमओआर को 5,05,509.51 मिलियन रु और 'पट्टे पर ली जाने वाली रेल अवसंरचना परिसंपत्तियों के संबंध में अग्रिम - विशेष' के रूप में निर्धारित किया है। कंपनी ने पूर्वोक्त अग्रिम का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ उधार ली गई निधियों पर ब्याज की लागत के कारण 1,578.88 मिलियन रु की राशि का पूंजीकरण किया।

कंपनी को अब पट्टे पर दी जाने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए एमओआर को अग्रिम के उपयोग के बारे में कुछ जानकारी और विवरण प्राप्त हुए हैं जिसके लिए एमओआर को ऊपर बताए अनुसार अग्रिम वित्त-पोषण किया गया है। इन विवरणों के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा कुछ अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और कुछ पहले ही चालू कर दी गई हैं। एमओआर से पूरी जानकारी/विवरण मांगा जा रहा है। ये अभी प्रतीक्षित हैं। उपरोक्त जानकारी के लंबित होने और उपयोग विवरण के आधार पर, कंपनी ने 13,07,795.17 मिलियन रु 'पट्टे पर ली जाने वाली रेल अवसंरचना ईबीआर-आईएफ परियोजनाओं के संबंध में अग्रिम' और 5,07,088.39 मिलियन रु 'पट्टे पर ली जाने वाली रेल अवसंरचना परिसंपत्तियों के संबंध में अग्रिम - विशेष' को क्रमश: 'पट्टा व्यवस्था ईबीआर-आईएफ के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्ति' और 'पट्टा व्यवस्था ईबीआर विशेष के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्ति' को अंतरित किया है। पट्टा व्यवस्था ईबीआर-आईएफ और ईबीआर-एस के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्ति को पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवंसरचना परियोजना ईबीआर-आईएफ/ईबीआर-एस के समक्ष अग्रिम के लिए अंतरित राशि पर मापा जाता है, जो जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन और एमओआर द्वारा वास्तविक उपयोग के अधीन है।

पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
प्रारंभिक शेष	1,031,195.28	649,088.40	398,250.55
जोड़ें – पट्टे पर दी जाने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों पर प्रदत्त अग्रिम	218,396.80	339,400.00	223,554.00
जोड़ें – उधार पर ली गई निधियों पर पूंजीकृत उधार लागत	58,203.09	42,706.88	27,283.85
कुल	1,307,795.17	**1,031,195.28**	**649,088.40**
घटाएं- पट्टा व्यवस्था के तहत परियोजना अवंसरचना परिसंपत्तियों को अंतरित	1,307,795.17	-	-
कुल	-	**1,031,195.28**	**649,088.40**

पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाओं – विशेष पर अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
प्रारंभिक शेष	-	-	-
जोड़ें – पट्टे पर दी जाने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों पर प्रदत्त अग्रिम	505,509.51	-	-
जोड़ें – उधार पर ली गई निधियों पर पूंजीकृत उधार लागत	1,578.88	-	-
कुल	507,088.39	-	-
घटाएं- पट्टा व्यवस्था के तहत परियोजना अवंसरचना परिसंपत्तियों को अंतरित	507,088.39	-	-
कुल	-	-	-

पूर्वोक्त अवसंरचना परिसंपत्तियों के संबंध में एमओआर और कंपनी के बीच अपेक्षित पट्टा करार अभी निष्पादित किया जाना है क्योंकि अभी कुछ प्रमुख नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना है। भारतीय एएस 116, पट्टा और अन्य लागू भारतीय एएस के अनुसार लेखांकन उक्त पट्टा करार के निष्पादन पर ही किया जा सकता है। भारतीय एएस 116/अन्य लागू मानकों के लागू होने पर, वित्तीय विवरणों में लेखांकन और प्रकटीकरण के निहितार्थ होंगे। ऊपर बताए गए अनुसार पूरी जानकारी/विवरणों के अभाव में, इन वित्तीय विवरणों पर वर्तमान में इसके प्रभाव अभी अभिनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं। कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक करार/दस्तावेजों को निष्पादित करने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय परियोजना के संबंध में, 31 मार्च 2021 के अंत तक वित्त पट्टा पद्धति के तहत एमओआर को वितरित 84,815.82 मिलियन रु की कुल राशि (31 मार्च 2020: 79,884.94 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019 - 50,828.17 मिलियन रु) को 'अग्रिम वित्त पोषण' के रूप में दिखाया गया है जिसमें से 4,930.88 मिलियन

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

रु (31 मार्च 2020: 4,056.77 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 41.17 मिलियन रु) की राशि उक्त अग्रिम का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ उधार ली गई निधियों पर ब्याज की लागत के कारण कंपनी द्वारा उपगत की गई है जिसे पूंजीकृत किया गया और एमओआर को पट्टे पर दी जाने वाली राष्ट्रीय परियोजना के समक्ष अग्रिम में शामिल किया गया है। इसे भविष्य में पट्टे की अवधि के दौरान पट्टे के किराए के माध्यम से पट्टा करार के अनुसार वसूल किया जाएगा। इसके विवरण इस प्रकार हैं –

राष्ट्रीय परियोजनाएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
प्रारंभिक शेष	79,884.94	50,828.17	–
राष्ट्रीय परियोजनाओं पर अग्रिम का वित्त-पोषण	–	25,000.00	50,787.00
जोड़ें – उधार की निधियों पर वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार की लागत	4,930.88	4,056.77	41.17
कुल	84,815.82	**79,884.94**	**50,828.17**

'पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अग्रिम' और पट्टे पर दी जाने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अग्रिम – विशेष' और 'राष्ट्रीय परियोजनाओं' के लिए उधार की लागत निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पूंजीकरण दर–

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
पूंजीकरण की दर	5.95%	**7.47%**	**8.01%**

टिप्पणी 46:

(क) पार्किंग क्षेत्र सहित कार्यालय भवन को कब्जा लेने की तिथि से पूंजीकृत किया गया है। बहरहाल, कंपनी के पक्ष में बिक्री/हस्तांतरण विलेख अभी लंबित है। कार्यालय भवन के पंजीकरण पर देय स्टाम्प शुल्क लगभग 9.15 मिलियन रु (अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित) (31 मार्च 2020: 9.15 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 9.15 मिलियन रु) के बराबर है, जिसे पंजीकरण पर लेखे में लिया जाएगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित ब्याज दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के कारण 72.45 मिलियन रु की राशि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टे की आय को पूर्व अवधि के मद के रूप में निर्धारित करने के बजाय एमओआर को बराबर राशि की कटौती के माध्यम से पारित कर दी गई है। । इसमें शामिल राशि को कंपनी की मौजूदा नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है और तदनुसार, वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में इसके प्रभाव पर विचार किया गया है।

(ग) कंपनी ने पिछले वर्ष में समय-समय पर एमओआर द्वारा डाली गई इक्विटी पूंजी में वृद्धि के कारण स्टाम्प ड्यूटी के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में 118.80 मिलियन रु का प्रावधान किया है। उपरोक्त स्टांप शुल्क की गणना मूल दर पर की गई है। कंपनी स्टांप शुल्क कलेक्टर का अधिनिर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अधिनिर्णय आदेश प्राप्त होने पर वास्तविक देयता का पता चलेगा और अंतर की राशि, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा और न्यायनिर्णयन के वर्ष में भुगतान किया जाएगा।

(घ) कंपनी वित्त पट्टा मॉडल के तहत एमओआर को चल स्टॉक पट्टे पर देती है। विगत वर्षों में कंपनी ने एमओआर के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत रेल अवसंरचना परिसंपत्ति को फिर से एक वित्त पट्टा मॉडल के तहत पट्टे पर दिया जाता है (विवरण के लिए टिप्पणी 45 देखें)। एमओआर के साथ लेन-देन के अलावा पट्टा किराए की प्राप्ति, चल स्टॉक और परियोजना अवसंरचना की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम या प्रतिपूर्ति, मुद्रा-विनियम और एमसीएलआर भिन्नताओं के कारण एमओआर को देय / प्राप्य है। इन राशियों का निपटान वित्त पट्टा किराया समायोजन के माध्यम से आवधिक आधार पर किया जाता है। उपरोक्त लेनदेन समझौता ज्ञापन, पट्टा समझौतों और एमओआर के साथ अन्य औपचारिक पत्राचार पर आधारित हैं। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में इन लेन-देनों का समाधान किया जिसके लिए वित्तीय विवरणों में समायोजन की आवश्यकता थी (टिप्पणी 9 देखें) जो लागू भारतीय एएस के अनुसार किए गए थे। बहरहाल, विस्तारित लॉकडाउन के रूप में कोविड 19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर व्यवधानों के कारण जब कार्यालय बंद थे और समाधान के लिए जिम्मेदार प्रमुख कर्मचारी सदस्य कोविड 19 वायरस से प्रभावित हुए और कोविड 19 के बाद की गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ा था और दुर्भाग्य से सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इनका समाधान नहीं किया जा सका। कंपनी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के भीतर इस यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि समाधान के समापन पर वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण समायोजन नहीं होगा।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वावधि के समायोजन का प्रभाव

कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी लेखा पुस्तकों में रेल मंत्रालय, भारत सरकार (एमओआर) के विभिन्न खाता बहियों का विस्तृत समाधान किया। कोविड 19 से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति और एमओआर से अतिरिक्त जानकारी के अभाव में यह समाधान पहले पूरा नहीं किया जा सका। कंपनी ने ऐसी कुछ मदों को नोट किया जिन्हें भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार वित्तीय विवरणों/पूर्व के वर्षों की जानकारी में समायोजन करने की आवश्यकता है -

विवरण	लाभों में कमी के कारण कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जे बी के तहत प्रभाव	31 मार्च 2020 तक अन्य इक्विटी पर प्रभाव
1 अप्रैल 2019 तक	(2,067.90)	444.36	(1,623.54)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	(5,003.28)	शून्य*	(5,003.28)
सकल योग	**(7,071.18)**	**444.36**	**(6,626.82)**

* आईआरएफसी ने वित्तीय वर्ष 2019 - 20 और उसके बाद के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत कराधान का विकल्प चुना है। इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान अब कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) वैश्विक स्वास्थ्य महामारी कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितता का अनुमान

वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी का प्रकोप अत्यधिक विक्षोभ और आर्थिक गतिविधियों में मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और न्यूनतम व्यवधान के साथ व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों को अपनाया है।

कंपनी ने अपने व्यवसाय के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और इसकी समीक्षा और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। बहरहाल, कोविड-19 का प्रभाव मूल्यांकन इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए एक सतत प्रक्रिया है और तदनुसार इसका प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में इसके किसी तात्विक परिवर्तन की निगरानी करती रहेगी।

टिप्पणी 47:

(क) कंपनी नामित बैंक खातों में संबंधित राशि जमा करते हुए, ब्याज के भुगतान और बांड के मोचन, जिसके लिए वारंट जारी किए जाते हैं, के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करती है । ऐसे खातों का समाधान एक सतत प्रक्रिया है और इसे 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लिया गया है। कंपनी इसके कारण किसी अतिरिक्त देयता की उम्मीद नहीं करती है। 31 मार्च 2021 को ऐसे निर्दिष्ट बैंक खातों में जमा शेष राशि 86.90 मिलियन रु (31 मार्च 2020: 96.82 मिलियन रु, 1 अप्रैल, 2019: 80.91 मिलियन रु) है।

(ख) कंपनी को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में 7 साल पूरा होने के बाद ऐसे ब्याज और मोचन खातों में शेष बेदावा और अदत्त राशि को अंतरित करने की आवश्यकता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, 0.15 मिलियन रु की राशि आईईपीएफ (31 मार्च 2020: शून्य मिलियन रु, 1 अप्रैल, 2019: 0.07 मिलियन रु) में जमा की गई ।

टिप्पणी 48:

कंपनी ने, पूर्ववर्ती वर्षों में, रेल मंत्रालय को पट्टे पर दी गई अपनी परिसंपत्तियों से उत्पन्न होनेवाले भविष्य के पट्टे के किराये के एक पहचाने गए हिस्से को सुरक्षित करके परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण लेनदेन निष्पादित किया था। प्रतिभूतिकरण लेनदेन के अंश के रूप में,भविष्य के पट्टे के किराये को एक दिवालिएपन सुदूर विशिष्ट प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो बदले में निवेशकों को प्रभाव अंतरण प्रमाण पत्र (पीटीसी) जारी करता था। तद्नुसार, प्राप्य पट्टे को कंपनी के खाते की पुस्तकों में अमान्य कर दिया गया था।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी एक प्रवर्तक होने के नाते, प्राप्तियों का बही मूल्य प्रतिभूतिकृत किए जाने का न्यूनतम 5% को बनाए रखने का विकल्प चुना था। तदनुसार, कंपनी ने न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता की ओर विशिष्ट प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा जारी प्रभाव अंतरण प्रमाण पत्र (पीटीसी) में 169.77 मिलियन रु निवेश किया था। प्रभाव

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

अंतरण प्रमाण पत्र (पीटीसी) में निवेश की गई राशि में से 157.63 मिलियन रु दि.31 मार्च 2021 तक परिपक्व हो गए हैं (31 मार्च 2020: 147.54 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 136.48 मिलियन रु) शेष राशि 12.14 मिलियन रु (31 मार्च 2020 : 22.23 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 33.30 मिलियन रु)। प्रभाव अंतरण प्रमाण पत्र (पीटीसी) में निवेश की गई राशि और 31 मार्च, 2021 को बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है:

31 मार्च 2021 के अनुसार

सीरीज़	परिपक्वता की तारीख	पीटीसी की संख्या	प्रति पीटीसी अंकित मूल्य	कुल राशि
यू	15 अप्रैल 2021	5	0.94	4.71
वी	15 अक्तूबर 2021	5	0.90	4.50
डब्ल्यू	15 अप्रैल 2022	5	0.59	2.93
कुल*		15		12.14

* इंड ए एस 109 के अनुसार 0.05 मिलियन रु की राशि के लिए क्षति हानि की गई है

31 मार्च 2020 के अनुसार

सीरीज़	परिपक्वता की तारीख	पीटीसी की संख्या	प्रति पीटीसी अंकित मूल्य	कुल राशि
एस	15 अप्रैल 2020	5	1.03	5.16
टी	15 अक्तूबर 2020	5	0.99	4.93
यू	15 अप्रैल 2021	5	0.94	4.71
वी	15 अक्तूबर 2021	5	0.90	4.50
डब्ल्यू	15 अप्रैल 2022	5	0.59	2.93
कुल*		25		22.23

* इंड ए एस 109 के अनुसार 0.09 मिलियन रु की राशि के लिए क्षति हानि की गई है

1 अप्रैल 2019 के अनुसार

सीरीज़	परिपक्वता की तारीख	पीटीसी की संख्या	प्रति पीटीसी अंकित मूल्य	कुल राशि
क्यू	15 अप्रैल 2019	5	1.13	5.67
आर	15 अक्तूबर 2019	5	1.08	5.40
एस	15 अप्रैल 2020	5	1.03	5.16
टी	15 अक्तूबर 2020	5	0.99	4.93
यू	15 अप्रैल 2021	5	0.94	4.71
वी	15 अक्तूबर 2021	5	0.90	4.50
डब्ल्यू	15 अप्रैल 2022	5	0.59	2.93
कुल		35		33.30

टिप्पणी 49: निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी द्वारा एक निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों को प्रारम्भ किया है।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 (संशोधन) को अधिसूचित किया है और कंपनियों की धारा 135 के संशोधनों के लिए प्रभावी तिथि 22.01.2021 के रूप में भी अधिसूचित किया है, जिसके लिए कंपनी संशोधन अधिनियम, 2019 और कंपनी संशोधन अधिनियम, 2020 के तहत अधिनियम बनाया गया।

उक्त अधिसूचनाओं के अधीन संशोधन के अनुसार, किसी भी चालू परियोजना के इतर किसी भी सीएसआर राशि को खर्च नहीं किया गया, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अंदर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में खर्च नहीं की गई राशि को वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के अंदर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के अंदर किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर उसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों के अंदर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कंपनी क़ानून के तहत आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को खर्च की जाने वाली राशि के विरुद्ध अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए समायोजित किया जा सकता है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

चूंकि उक्त अधिसूचना को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रभावी बनाया गया है, कंपनी चालू वित्त वर्ष से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। तदनुसार, कंपनी ने चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित राशि के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 197.71 मिलियन रु की राशि का प्रावधान सृजित किया है

i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई सकल राशि 729.18 मिलियन रु है (314.06 मिलियन रु पूर्व वर्षों से संबंधित है); 31 मार्च 2020 : 454.44 मिलियन रु (113.39 मिलियन रु पूर्व वर्षों से संबंधित है); 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि 612.30 मिलियन रु है, जिसके संबंध में बोर्ड ने सीएसआर परियोजनाओं के लिए कुल 612.83 मिलियन रु (31 मार्च, 2020 तक, कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि 505.24 मिलियन रु थी, जिसके संबंध में बोर्ड ने सीएसआर परियोजनाओं के लिए कुल 505.29 मिलियन रु की राशि की मंजूरी दी)। 31 मार्च 2021 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए सीएसआर अव्ययित राशि क्रमशः 203 मिलियन रु, 178.94 मिलियन रु, 96.12 मिलियन रु, और 197.71 मिलियन रु है।

ii) निम्नलिखितों पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

31 मार्च 2021 के अनुसार

क्रम सं.	विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
i)	**किसी परिसंपत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण**			**–**
ii)	**उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर**	**720.09**	**214.36**	**934.45**
iiक)	स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल (अनुसूची – VII की मद संख्या (i))	–	–	–
iiख)	स्वास्थ्य देखभाल (अनुसूची – VII की मद संख्या (i))	25.87	50.93	76.80
iiग)	शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची – VII की मद संख्या (ii))	13.84	0.12	13.96
iiघ)	समाज कल्याण (अनुसूची – VII की मद संख्या (iii))	–	–	–
iiङ)	वन और पर्यावरण, पशु कल्याण आदि। (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	232.63	163.30	395.93
iiच)	'स्वच्छ गंगा कोष' में योगदान (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	–	–	–
iiछ)	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	–	–	–
iiज)	सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्तों के लिए उपाय, (अनुसूची – VII की मद संख्या (vi))	10.00	–	10.00
iii)	प्रधानमंत्री केयर फंड में योगदान (अनुसूची – VII की मद संख्या (viii))*	437.75	–	437.75
	सकल कुल (i+ii)	720.09	214.36	934.45

* कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 9.09 मिलियन रु लौटाए गए, जिसके संबंध में पहले के वर्षों में बुक किए गए खर्च को पीएम केयर्स में अंतरित कर दिया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में जमा राशि के संबंध में विवरण।

प्रारंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के अंदर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	*वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष
शून्य	शून्य	612.30	612.83	शून्य

* सांविधिक आवश्यकता के विरुद्ध खर्च की गई अतिरिक्त राशि 0.53 मिलियन रु है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि के संबंध में विवरण।

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष
शून्य	612.30	612.83	0.53

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के संबंध में विवरण।

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	*कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
शून्य	शून्य	612.30	415.12	शून्य	197.18	शून्य

* 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक सकल राशि 612.30 मिलियन रु जिसके संबंध में बोर्ड ने कुल सीएसआर परियोजनाओं को 612.83 मिलियन रु जिसके संबंध में वित्तीय वर्ष में 415.12 मिलियन रु का भुगतान किया गया और वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के संबंध में 197.71 मिलियन रु सीएसआर अव्ययित राशि को 30 अप्रैल 2021 को अलग बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया।

31 मार्च 2020 के अनुसार

क्रम सं.	विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
i)	**किसी परिसंपत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण**	**–**	**–**	**–**
ii)	**उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर**	**454.44**	**40.04**	**494.48**
iiक)	स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल (अनुसूची – VII की मद संख्या (i))	389.51	22.97	412.48
iiख)	शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची – VII की मद संख्या (ii))	51.19	4.87	56.06
iiग)	समाज कल्याण (अनुसूची – VII की मद संख्या (iii))	–	–	–
iiघ)	वन और पर्यावरण, पशु कल्याण आदि। (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	–	–	–
iiङ)	'स्वच्छ गंगा कोष' में योगदान (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	–	–	–
iiच)	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	13.74	12.20	25.94
iiछ)	सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्तों के लिए उपाय, (अनुसूची – VII की मद संख्या (vi))	–	–	–
iiज)	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान (अनुसूची – VII की मद संख्या (viii))	–	–	–
	सकल कुल (i+ii)	**454.44**	**40.04**	**494.48**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

1 अप्रैल 2019 के अनुसार

क्रम सं.	विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
i)	**किसी परिसंपत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण**	–	–	–
ii)	**उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर**	71.98	12.80	84.78
iiक)	स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल (अनुसूची – VII की मद संख्या (i))	29.54	–	29.54
iiख)	शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची – VII की मद संख्या (ii))	–	–	–
iiग)	समाज कल्याण (अनुसूची – VII की मद संख्या (iii))	–	–	–
iiघ)	वन और पर्यावरण, पशु कल्याण आदि। (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	–	–	–
iiङ)	'स्वच्छ गंगा कोष' में योगदान (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	–	–	–
iiच)	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना (अनुसूची – VII की मद संख्या (iv))	32.44	12.80	45.24
iiछ)	सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्तों के लिए उपाय, (अनुसूची – VII की मद संख्या (vi))	10.00	–	10.00
iiज)	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान (अनुसूची – VII की मद संख्या (viii))	–	–	–
	सकल कुल (i+ii)	71.98	12.80	84.78

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 50 : जमा और निवेश पर ब्याज में स्रोत पर कर कटौती शामिल है, जिसकी राशि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 0.45 मिलियन रु है (31 मार्च 2020: 3.78 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 3.46 मिलियन रु)। रेल मंत्रालय ने भी पट्टे के किराये पर स्रोत पर कर 3,232.85 मिलियन रु (31 मार्च 2020: 4,051.72 मिलियन रु, 1 अप्रैल 2019: 3,705.12 मिलियन रु) की कटौती की है।

टिप्पणी 51 : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण :

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
वर्ष के अंत तक बकाया मूलधन राशि	3.78	0.50	0.08
वर्ष के अंत तक उस पर देय ब्याज बकाया राशि	–	–	–
वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज।	–	–	–
एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और लेकिन ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने योग्य ब्याज।	–	–	–
वर्ष के अंत तक अर्जित ब्याज और बकाया राशि।	–	–	–
आगे के वर्षों में भी देय और देय ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।	–	–	–

टिप्पणी 52 : पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में, रेल मंत्रालय (पट्टेदार) को निर्धारित मानदंडों, प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसार पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को अच्छी कामकाजी स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है, जैसा कि मानक पट्टा समझौते में विस्तारपूर्वक दिया गया है और सहमति दी गई है। प्रबंधन की राय में, उपरोक्त प्रणाली इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संतोषजनक है कि परिसंपत्तियों का अनुरक्षण और संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

53 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

53.1 संबंधित पक्ष और उनके संबंध

i. प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ संव्यवहार
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
संबंध:

31 मार्च 2021 के अनुसार

पदनाम	नाम	अवधि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री अमिताभ बैनर्जी	(12 अक्तूबर 2019 से)*
निदेशक – वित्त	श्री नीरज कुमार	(31 जुलाई 2020 तक)**
निदेशक – वित्त	श्रीमती शैली वर्मा	(1 सितंबर 2020 से)***
कंपनी सचिव	श्री विजय बाबूलाल शिरोडे	(9 मार्च 2018 से)

*श्री अमिताभ बैनर्जी को 12 अक्तूबर, 2019 को आईआरएफसी बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 21 मई, 2020 को आईआरएफसी बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया था।

**श्री नीरज कुमार 31 जुलाई 2020 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

***श्रीमती शैली वर्मा को 1 सितंबर 2020 से निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च 2020 के अनुसार

पदनाम	नाम	अवधि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री अमिताभ बैनर्जी	(12 अक्तूबर 2019 से)*
प्रबंध निदेशक	श्री विजय कुमार	(26 जुलाई 2018 से 11 अक्तूबर 2019 तक)
निदेशक – वित्त	श्री नीरज कुमार	(1 जुलाई 2015 से)
कंपनी सचिव	श्री विजय बाबूलाल शिरोडे	(9 मार्च 2018 से)

*श्री अमिताभ बैनर्जी को 12 अक्तूबर, 2019 को आईआरएफसी बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 21 मई, 2020 को आईआरएफसी बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया था।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

1 अप्रैल 2019 के अनुसार

पदनाम	नाम	अवधि
प्रबंध निदेशक	श्री एस के पट्टनायक	(9 मार्च 2017 से 26 जुलाई 2018 तक
प्रबंध निदेशक	श्री विजय कुमार	(26 जुलाई 2018 से)
निदेशक – वित्त	श्री नीरज कुमार	(1 जुलाई 2015 से)
कंपनी सचिव	श्री विजय बाबूलाल शिरोडे	(9 मार्च 2018 से)

संव्यवहार:

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
वेतन/भत्ते	12.46	9.39	6.46
प्रतिपूर्तियां	0.42	0.26	0.30
प्रोत्साहन राशि	2.54	6.55	1.44
कुल	15.42	16.20	8.20

ii. रेल मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार और बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
प्राप्य पट्टे	1,655,689.91	1,485,798.00	1,250,265.12
वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्ति-ईबीआर-आईएफ	1,314,317.90	–	–
वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत परियोजना अवसंरचना परिसंपत्ति-ईबीआर विशेष	476,267.59	–	–
रेलवे अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए अग्रिम	–	1,031,195.28	649,088.40
राष्ट्रीय परियोजना के लिए अग्रिम	84,815.82	79,884.94	50,828.17
रेलवे परियोजना को पट्टे पर देने के लिए अर्जित ब्याज लेकिन अग्रिम पर बकाया नहीं है	79,282.72	43,945.37	21,340.11
अन्य (देय)	(49,498.30)	(1,956.62)	–
अन्य प्राप्य	5,498.25	18,033.97	7,306.71

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
– पट्टा आय	118,265.62	106,724.27
– पट्टे के प्रारम्भ पूर्व – ब्याज आय	33,290.38	21,599.06

53.2 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संव्यवहार

i. जैसा कि कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयरधारिता रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास है, कंपनी सरकार से संबंधित संस्था है। कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से भी संबंधित है जो सरकार से संबंधित संस्थाएं भी हैं और जिनके साथ कंपनी का लेनदेन किया जाता है। कंपनी सरकार से संबंधित एक संस्था होने के नाते, इंड ए एस 24 के पैरा 25 'संबंधित पार्टी संव्यवहार' में प्रकटीकरण करने से छूट प्राप्त है।

ii. रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ किए गए महत्वपूर्ण संव्यवहार का विवरण

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
– रेल विकास निगम लिमिटेड को दिए गए ऋण की अंतिम शेषराशि	51,518.86	39,879.41	28,426.30
– इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को दिए गए ऋण की अंतिम शेषराशि	18,459.20	24,612.27	30,765.34
– उन पर प्राप्त ब्याज आय	5,956.70	5,548.60	5,251.05
– प्राप्य ब्याज	10,993.24	9,669.86	9,669.11

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 54: कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण

54.1: निवेश

विवरण		31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
1	निवेश का मूल्य			
	i निवेश का सकल मूल्य			
	(क) भारत में	119.87	115.21	131.45
	(ख) भारत के बाहर	–	–	–
	ii मूल्यह्रास के प्रावधान			
	(क) भारत में	0.05	0.09	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–	–
	iii निवेश का निवल मूल्य			
	(क) भारत में	119.82	115.12	131.45
	(ख) भारत के बाहर	–	–	–
2	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन			
	i प्रारंभिक शेष	0.09	–	–
	ii जोड़ें – वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(0.04)	0.09	–
	Iii घटाएं – वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन लिखना	–	–	–
	iv अंतिम शेष	0.05	0.09	–

54.2: डेरिवेटिव्स

54.2.1: फॉरवर्ड दर समझौता/ब्याज दर स्वॉप

विवरण		31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
i	स्वॉप समझौतों के विचारमूलक पूंजी	38,127.76	27,769.33	25,475.35
ii	यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	760.14	–	466.90
iii	स्वॉप करने पर एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	–	–	–
iv	स्वॉप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	–	–	–
v	स्वॉप बुक का उचित मूल्य	(2,841.14)	(4,065.16)	(2,639.05)

54.2.2: डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

कंपनी बचाव व्यवस्था के उद्देश्य से व्युत्पन्नी में प्रवेश करती है न कि ट्रेडिंग/सट्टा उद्देश्यों के लिए।

कंपनी ने अपने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। ईसीबी के संबंध में मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की निगरानी, विश्लेषण और नियंत्रण के लिए प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त को सम्मिलित करके एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

कंपनी अपने बाह्य वाणिज्यिक उधारों से जुड़े जोखिमों की बचाव व्यवस्था के लिए विभिन्न डेरिवेटिव उत्पाद जैसे मुद्रा अग्रेषण, पारस्परिक मुद्रा स्वॉप, ब्याज दर स्वॉप आदि का लाभ उठाती है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

मात्रात्मक प्रकटीकरण

31 मार्च 2021 के अनुसार

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्नी	परस्पर लेनदेन की मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
i	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूलधन राशि)	–	24,607.13	13,520.63
	बचाव व्यवस्था के लिए			
ii	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित			
	क) परिसंपत्ति	–	–	298.34
	ख) देयता	–	3,139.48	–
iii	क्रेडिट एक्सपोज़र	–	3,375.92	534.46
iv	बचाव व्यवस्था के बिना एक्सपोजर	–	–	522,038.52

31 मार्च 2020 के अनुसार

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्नी	परस्पर लेनदेन की मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
i	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूलधन राशि)	–	13,884.67	13,884.67
	बचाव व्यवस्था के लिए			
ii	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित			
	क) परिसंपत्ति	–	–	–
	ख) देयता	–	3,090.22	974.93
iii	क्रेडिट एक्सपोज़र	–	2,082.70	416.54
iv	बचाव व्यवस्था के बिना एक्सपोजर	–	–	240,126.29

01 अप्रैल 2019 के अनुसार

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्नी	परस्पर लेनदेन की मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
i	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूलधन राशि)	–	12,737.67	12,737.67
	बचाव व्यवस्था के लिए			–
ii	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित			–
	क) परिसंपत्ति	–	–	466.90
	ख) देयता	–	3,105.95	–
iii	क्रेडिट एक्सपोज़र	–	1,910.65	849.03
iv	बचाव व्यवस्था के बिना एक्सपोजर	–	–	86,861.05

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

54.2.3. डेरिवेटिव प्रतिभूतियां

मुद्रा और/या ब्याज दर जोखिम की बचाव व्यवस्था करने के लिए कंपनी विवेकपूर्ण तरीके से वित्तीय डेरिवेटिव प्रतिभूतियों का अनुबंध करती है। कंपनी द्वारा अनुबंधित सभी डेरिवेटिव लेनदेन एक परिभाषित अंतर्निहित देयता के साथ बचाव उपकरणों की प्रकृति में हैं। कंपनी सट्टा या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कोई वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग नहीं करती है।

(क) कंपनी अपने बाहरी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से जुड़े अपने जोखिम की बचाव व्यवस्था करने के लिए विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंधों का उपयोग करती है।

कंपनी द्वारा किए गए बकाया विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंध जिनका उपयोग बाह्य वाणिज्यिक उधारों (मुख्य भाग) के पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा जोखिम की बचाव व्यवस्था के लिए किया गया है:

31 मार्च 2021 के अनुसार			31 मार्च 2020 के अनुसार			1 अप्रैल 2019 के अनुसार		
अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार (मिलियन अमरीकी डॉलर)	भारतीय रुपये समतुल्य (मिलियन)	अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार (मिलियन अमरीकी डॉलर)	भारतीय रुपये समतुल्य (मिलियन)	अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार (मिलियन अमरीकी डॉलर)	भारतीय रुपये समतुल्य (मिलियन)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ख) निम्नलिखित बाहरी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में, कंपनी ने बकाया मूल और ब्याज भुगतान दोनों के संबंध में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बचाव व्यवस्था करने के लिए क्रॉस मुद्रा स्वॉप निष्पादित की है और अपनी अंतर्निहित देयता को एक विदेशी मुद्रा से दूसरी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया है :

31 मार्च 2021 के अनुसार			31 मार्च 2020 के अनुसार			1 अप्रैल 2019 के अनुसार			अभ्युक्तियाँ
अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार	काल्पनिक अमरीकी डालर समतुल्य	अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार	काल्पनिक अमरीकी डालर समतुल्य	अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार	काल्पनिक अमरीकी डालर समतुल्य	
1	जेपीवाई 12000 मिलियन	145.90 मिलियन	1	जेपीवाई 12000 मिलियन	145.90 मिलियन	1	जेपीवाई 12000 मिलियन	145.90 मिलियन	रेल मंत्रालय से आईएनआर / यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	जेपीवाई 3000 मिलियन	37.04 मिलियन	1	जेपीवाई 3000 मिलियन	37.04 मिलियन	1	जेपीवाई 3000 मिलियन	37.04 मिलियन	रेल मंत्रालय से आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	यूएसडी 25 मिलियन	25 मिलियन	-	-	-	-	-	-	रेल मंत्रालय से आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	यूएसडी 25 मिलियन	25 मिलियन	-	-	-	-	-	-	रेल मंत्रालय से आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	यूएसडी 25 मिलियन	25 मिलियन	-	-	-	-	-	-	रेल मंत्रालय से आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	यूएसडी 25 मिलियन	25 मिलियन	-	-	-	-	-	-	रेल मंत्रालय से आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	यूएसडी 25 मिलियन	25 मिलियन	-	-	-	-	-	-	रेल मंत्रालय से आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	यूएसडी 25 मिलियन	25 मिलियन	-	-	-	-	-	-	रेल मंत्रालय से आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(ग) विदेशी मुद्रा उधार जिन्हें हेज नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार		1 अप्रैल 2019 के अनुसार		अभ्युक्तियाँ
अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार	अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार	अनुबंधों की संख्या	विदेशी मुद्रा में बकाया उधार	
1	यूएसडी 3 मिलियन	1	यूएसडी 6.00 मिलियन	1	यूएसडी 9.00 मिलियन	रेल मंत्रालय से विनिमय दर भिन्नता की पारस्परिक वसूली।
1	यूएसडी 500 मिलियन	1	यूएसडी 500 मिलियन	1	यूएसडी 500 मिलियन	
1	यूएसडी 500 मिलियन	1	यूएसडी 500 मिलियन	1	यूएसडी 500 मिलियन	
1	जेपीवाई 26,231.25 मिलियन (यूएसडी 250 मिलियन के समतुल्य)	1	जेपीवाई 26,231.25 मिलियन (यूएसडी 250 मिलियन के समतुल्य)	1	जेपीवाई 26,231.25 मिलियन (यूएसडी 250 मिलियन के समतुल्य)	
1	जेपीवाई 32,856 मिलियन (यूएसडी 300 मिलियन के समतुल्य)	1	जेपीवाई 32,856 मिलियन (यूएसडी 250 मिलियन के समतुल्य)			
1	यूएसडी 300 मिलियन	1	यूएसडी 300 मिलियन			
1	यूएसडी 700 मिलियन	1	यूएसडी 700 मिलियन			
1	यूएसडी 150 मिलियन	1	यूएसडी 300 मिलियन			
1	जेपीवाई 33,189 मिलियन (यूएसडी 300 मिलियन के समतुल्य)	1	जेपीवाई 33,189 मिलियन (यूएसडी 300 मिलियन के समतुल्य)			
1	यूएसडी 750 मिलियन					
1	यूएसडी 1 मिलियन					
1	यूएसडी 2 मिलियन					
1	जेपीवाई 35,400.63 मिलियन (यूएसडी 325 मिलियन के समतुल्य)					

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(घ) मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंधों को छोड़कर, कंपनी अपने बाह्य वाणिज्यिक उधारों से जुड़े ब्याज दर जोखिम की बचाव व्यवस्था करने के लिए क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप और ब्याज दर की स्वॉप जैसे ब्याज दर डेरिवेटिव्स का भी सहारा लेती है।

कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में इन डेरिवेटिव्स को उनके उचित मूल्यों पर मान्यता देती है। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये डेरिवेटिव्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) पर अनुबंध हैं, जो अवशिष्ट अवधि और अंतर्निहित देयता के मूल्य से मेल खाने के लिए अनुकूलित हैं, कंपनी सैद्धांतिक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके डेरिवेटिव्स लेनदेन के लिए काउंटर पार्टियों द्वारा किए गए मूल्यांकन पर भरोसा करती है।

लेन–देन की संख्या	डेरिवेटिव का विवरण	काल्पनिक मूलधन	31 मार्च 2021 के अनुसार उचित मूल्य परिसंपत्ति/(देयता)	31 मार्च 2020 के अनुसार उचित मूल्य परिसंपत्ति/(देयता)	1 अप्रैल 2019 के अनुसार उचित मूल्य परिसंपत्ति/(देयता)
2	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (जेपीवाई निश्चित ब्याज दर देयता की यूएसडी अस्थायी दर देयता)	जेपीवाई 12 बिलियन / यूएसडी मियो 145.90; जेपीवाई 3 बिलियन / यूएसडी मियो 37.04	(3,500.36)	(3,090.22)	(3,105.95)
2	विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (अस्थायी दर यूएसडी लिबोर से निश्चित दर पर)	जेपीवाई 12 बिलियन / यूएसडी मियो 145.90; जेपीवाई 3 बिलियन / यूएसडी मियो 37.04	298.34	(974.93)	466.90
1	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (यूएसडी अस्थायी से आईएनआर निश्चित)	यूएसडी 25 मिलियन	66.84	–	–
1	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (यूएसडी अस्थायी से आईएनआर निश्चित)	यूएसडी 25 मिलियन	62.98	–	–
1	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (यूएसडी अस्थायी से आईएनआर निश्चित)	यूएसडी 25 मिलियन	69.51	–	–
1	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (यूएसडी अस्थायी से आईएनआर निश्चित)	यूएसडी 25 मिलियन	62.87	–	–
1	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (यूएसडी अस्थायी से आईएनआर निश्चित	यूएसडी 25 मिलियन	64.88	–	–
1	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वॉप (यूएसडी अस्थायी से आईएनआर निश्चित)	यूएसडी 25 मिलियन	33.80	–	–

54.3: प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेनदेन नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने 25 जनवरी 2010 और 24 मार्च 2011 को रेल मंत्रालय से प्राप्य पट्टे के के संबंध में दो प्रतिभूतिकरण लेनदेन किए थे। इंड ए एस 109, वित्तीय प्रतिभूतियों के अनुसार, इन लेनदेनों पर प्राप्त लाभ को लेन–देन के वर्ष में ही मान्य किया गया था।

54.3.1: अप्रैल 2010 में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मसौदे में निहित न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) के संदर्भ में, कंपनी ने 2011 में निष्पादित अपने दूसरे प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में एमएमआर के लिए कुल प्रतिभूतिकृत राशि का 5% निवेश किया था। 31 मार्च 2021 को प्रतिभूतिकरण लेनदेन के कारण वर्तमान एक्सपोज़र 12.14 मिलियन रु है (31 मार्च 2020: 22.23 मिलियन रु; 1 अप्रैल 2019: 33.30 मिलियन रु)। विवरण नीचे दिए गए हैं :

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण		31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
1	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	2	2	2
2	प्रायोजित एसपीवी की बुक्स के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्ति की कुल राशि	513.88	991.25	1,511.66
3	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए एनबीएफसी द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि*	12.14	22.23	33.30
	क) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर			-
	पहला नुकसान	-	-	-
	अन्य	12.14	22.23	33.30
	ख) तुलन-पत्र के अनुसार एक्सपोजर			-
	पहला नुकसान	-	-	-
	अन्य	-	-	-
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य	शून्य

* इंड ए एस 109 के अनुसार क्षति हानि के लिए वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (0.05 मिलियन रु) की राशि का प्रावधान किया गया है। (31 मार्च 2020 : 0.09 मिलियन रु; 1 अप्रैल, 2019: शून्य)

54.3.2: कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं बेची है। (31 मार्च 2020: शून्य रुपये, 1 अप्रैल 2019: शून्य रुपये)।

54.3.3: कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट लेनदेन नहीं लिया है। (31 मार्च 2020: शून्य रुपये, 1 अप्रैल 2019: शून्य रुपये)।

54.3.4 : कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान न तो कोई गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी है और न ही बेची है। (31 मार्च 2020: शून्य रुपये, 1 अप्रैल 2019: शून्य रुपये)।

54.4 : परिसंपत्ति और देयता की कुछ मदों की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता का पैटर्न

वित्तीय प्रतिभूति टिप्पणी 38.9 देखें।

54.5: एक्सपोजर

54.5.1: रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोज़र

कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

54.5.2: पूंजी बाजार के लिए एक्सपोज़र

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण		31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
i	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनमें विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है (सम्पूर्ण रूप से परिवर्तनीय अधिमान्य शेयरों में निवेश शामिल है)			
	- लागत पर	19.99	19.99	19.99
	- उचित मूल्य पर	107.73	92.98	98.15
ii	अलग अलग व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर अथवा स्पष्ट आधार पर अग्रिम	-	-	-
iii	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	-	-	-
iv	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अलावा मुख्य प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है (उन ऋणों को छोड़कर जो प्रतिभूति सृजन के प्रक्रियाधीन है)	-	-	-
v	स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	-	-	-
vi	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों अथवा स्पष्ट आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण	-	-	-
vii	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों के एवज में कंपनियों को ब्रिज ऋण	-	-	-
viii	उद्यम पूंजी निधि में सभी एक्सपोजर (दोनों पंजीकृत और अपंजीकृत)	-	-	-
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	107.73	92.98	98.15

54.5.4: एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2015 की अधिसूचना सं.डीएनबीआर.009/सीजीएम(सीडीएस)-2015 के अनुसार व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करना या धारण करना) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015 जारी किए हैं। कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके पैराग्राफ 25 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, ये निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

54.5.5: अप्रत्याभूत अग्रिम

अप्रत्याभूत ऋणों, अग्रिमों और प्राप्य पट्टों की बकाया राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
रेल मंत्रालय, भारत सरकार			
- प्राप्य पट्टे	1,655,689.91	1,485,798.00	1,250,265.12
- अन्य प्राप्य/(देय)	-	-	-
रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था	51,518.86	39,879.41	28,426.30
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	18,459.20	24,612.27	30,765.34
उन पर अर्जित ब्याज (आरवीएनएल और इरकॉन)	10,993.24	9,669.86	9,669.11
कुल	1,736,661.21	1,559,959.54	1,319,125.87

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

54.6: विविध

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
54.6.1: अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
54.6.2: आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण	शून्य	शून्य	शून्य

54.6.3: वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग का स्थानांतरण

क. वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग का स्थानांतरण:

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
	दीर्घकालिक रेटिंग			
1	क्रिसिल	क्रिसिल एएए/ स्थिर	क्रिसिल एएए/ स्थिर	क्रिसिल एएए
2	आईसीआरए	आईसीआरए एएए/ स्थिर	आईसीआरए एएए/ स्थिर	आईसीआरए एएए
3	सीएआरई	सीएआरई एएए/ स्थिर	सीएआरई एएए/ स्थिर	सीएआरई एएए
	अल्पावधिक रेटिंग			
1	क्रिसिल	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल ए1+
2	आईसीआरए	आईसीआरए ए1+	आईसीआरए ए1+	आईसीआरए ए1+
3	सी ए आर ई	सीएआरई ए1+	सीएआरई ए1+	सीएआरई ए1+

ख. कंपनी को दी गई दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
	दीर्घकालिक रेटिंग			
1	फिच रेटिंग	बीबीबी-/ ऋणात्मक	बीबीबी-/ स्थिर	बीबीबी-/ स्थिर
2	मानक और अपर्याप्त	बीबीबी-/ स्थिर	बीबीबी-/ स्थिर	बीबीबी-/ स्थिर
3	मूडीज	बीएए3/ ऋणात्मक	बीएए3/ स्थिर	बीएए2/ स्थिर
4	जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	बीबीबी+/ स्थिर	बीबीबी+/ स्थिर	बीबीबी+/ स्थिर

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
54.6.4 (क) : अवधि के लिए निवल लाभ या हानि	(6,626.83)	(5,003.27)	(1,623.56)
54.6.4 (ख) : पूर्व अवधि की मदें (टिप्पणी सं.(घ) देखें)	(6,626.81)	(5,003.27)	(1,623.54)
54.6.4 (ग): लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	-	64,431.40	-

टिप्पणी 54.7

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
54.7.1: प्रावधान और आकस्मिकताएं	टिप्पणी सं.34 देखें	टिप्पणी सं.34 देखें	टिप्पणी सं.34 देखें
54.7.2: आरक्षित से ड्रा-डाउन	शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
54.7.3: जमा राशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण			
54.7.3.1: जमा राशियों का संकेंद्रण (जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए)	कंपनी एक गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है	कंपनी एक गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है	कंपनी एक गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है

54.7.3.2: अग्रिमों का संकेंद्रण

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,810,203.88	2,661,111.93	2,009,136.56
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	100%	100%	100%

54.7.3.3: एक्सपोजर का संकेंद्रण

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	1,810,311.61	2,661,204.91	2,009,234.71
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	100%	100%	100%

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
54.7.3.4: एनपीए का संकेंद्रण	शून्य	शून्य	शून्य
54.7.3.5: क्षेत्र – वार एनपीए	शून्य	शून्य	शून्य
54.7.4: एनपीए का संचलन	शून्य	शून्य	शून्य
54.7.5: विदेश स्थित परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य
54.7.6: तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित	शून्य	शून्य	शून्य

54.8: शिकायतों का प्रकटीकरण

54.8.1: निवेशकों की शिकायतें

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसियां	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
(क)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	–	–	–
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	4,693	1,345	1,073
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4,693	1,345	1,073
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	–	–	–

टिप्पणी : उपरोक्त आंकड़े में कंपनी के सूचिकरण के बाद इक्विटी शेयरधारकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतें भी शामिल हैं।

टिप्पणी 55: चालू और गैर– चालू वर्गीकरण

भारतीय लेखा मानक 1 के पैराग्राफ 61 द्वारा अपेक्षित अनुसार, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं की पंक्ति मद की चालू और गैर–चालू में वर्गीकरण निम्नानुसार है:

क) 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र का वर्गीकरण

विवरण / पंक्ति मद	31 मार्च 2021 के अनुसार		
	राशि	चालू	गैर – चालू
परिसंपत्तियाँ			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		
पंक्ति मद	राशि	चालू	गैर – चालू
नकद और नकद समतुल्य	2,971.91	2,971.91	–
उपरोक्त (क) के इतर अन्य बैंक शेष राशि	1,617.33	1,617.33	–
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	760.14	–	760.14
प्राप्य			–
- प्राप्य व्यापार	–	–	–
- प्राप्य पट्टे	1,655,689.91	129,055.37	1,526,634.54
ऋण	69,698.15	8,422.10	61,276.05
निवेश	119.82	9.17	110.65
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,971,282.49	3,821.36	1,967,461.13
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,702,139.75	145,897.24	3,556,242.51
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	9,303.25	9,303.25	–
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	–	–	–
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	453.16	–	453.16
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.41	–	0.41
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	68,620.61	68,586.60	34.01
कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	78,377.43	77,889.85	487.58
कुल परिसंपत्तियाँ	3,780,517.18	223,787.09	3,556,730.09
देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	3,601.28	–	3,601.28
प्राप्य व्यापार	507.61	507.61	–
ऋण प्रतिभूतियाँ	1,785,747.89	136,119.71	1,649,628.18
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के इतर)	1,445,358.90	77,201.36	1,368,157.54
अन्य वित्तीय देयताएं	172,076.86	112,987.86	59,089.00
कुल वित्तीय देयताएं	3,407,292.54	326,816.54	3,080,476.00
गैर-वित्तीय देयताएं			
चालू कर देयताएं (निवल)	–	–	–
प्रावधान	291.22	288.13	3.09
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	–	–	–
अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	13,799.60	13,799.60	–
कुल गैर-वित्तीय देयताएं	14,090.82	14,087.73	3.09
कुल देयताएं	3,421,383.36	340,904.27	3,080,479.09
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	130,685.06	–	130,685.06
अन्य इक्विटी	228,448.76	–	228,448.76
कुल इक्विटी	359,133.82	–	359,133.82
कुल देयताएं और इक्विटी	3,780,517.18	340,904.27	3,439,612.91

ख) 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र का वर्गीकरण

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार		
पंक्ति मद	राशि	चालू	गैर – चालू
परिसंपत्तियाँ			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
नकद और नकद समतुल्य	13.80	13.80	–

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार		
पंक्ति मद	राशि	चालू	गैर – चालू
उपरोक्त (क) के इतर अन्य बैंक शेष राशि	993.83	993.83	–
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	–	–	–
प्राप्य	–		–
- प्राप्य पट्टे	1,485,798.00	112,525.68	1,373,272.32
ऋण	64,233.71	8,810.51	55,423.20
निवेश	115.12	10.05	105.07
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,182,742.54	4,599.95	1,178,142.59
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,733,897.00	126,953.82	2,606,943.18
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	6,308.41	6,308.41	–
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	–	–	–
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	110.04	–	110.04
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.43	–	0.43
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14,725.41	14,700.11	25.30
कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	21,144.29	21,008.52	135.77
कुल परिसंपत्तियाँ	2,755,041.29	147,962.34	2,607,078.95
देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	4,065.15	–	4,065.15
प्राप्य व्यापार	377.52	377.52	–
ऋण प्रतिभूतियाँ	1,552,904.56	112,291.99	1,440,612.57
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के इतर)	790,862.65	154,346.29	636,516.36
अन्य वित्तीय देयताएं	103,373.67	53,519.21	49,854.46
कुल वित्तीय देयताएं	2,451,583.55	320,535.01	2,131,048.54
गैर–वित्तीय देयताएं			
चालू कर देयताएं (निवल)	–	–	–
प्रावधान	138.03	121.14	16.89
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	–	–	–
अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	322.19	322.19	–
कुल गैर–वित्तीय देयताएं	460.22	443.33	16.89
कुल देयताएं	2,452,043.77	320,978.34	2,131,065.43
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	118,804.60	–	118,804.60
अन्य इक्विटी	184,192.92	–	184,192.92
कुल इक्विटी	302,997.52	–	302,997.52
कुल देयताएं और इक्विटी	2,755,041.29	320,978.34	2,434,062.95

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ग) 1 अप्रैल 2019 को तुलन पत्र का वर्गीकरण

विवरण	1 अप्रैल 2019 के अनुसार		
पंक्ति मद	राशि	चालू	गैर – चालू
परिसंपत्तियाँ			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
नकद और नकद समतुल्य	37.07	37.07	–
उपरोक्त (क) के इतर अन्य बैंक शेषराशि	773.59	773.59	–
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	466.90	–	466.90
प्राप्य		–	–
- प्राप्य पट्टे	1,250,265.12	95,104.40	1,155,160.72
ऋण	58,954.87	8,779.57	50,175.30
निवेश	131.45	11.06	120.39
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	738,239.44	8,599.99	729,639.45
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,048,868.44	113,305.68	1,935,562.76
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	414.67	414.67	–
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	–	–	–
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	112.25	–	112.25
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.50	–	0.50
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14,987.09	14,961.79	25.30
कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	15,514.51	15,376.46	138.05
कुल परिसंपत्तियाँ	2,064,382.95	128,682.14	1,935,700.81
देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रतिभूतियां	3,105.95	–	3,105.95
प्राप्य व्यापार	121.73	121.73	–
ऋण प्रतिभूतियाँ	1,235,978.99	106,011.36	1,129,967.63
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के इतर)	503,347.76	124,312.45	379,035.31
अन्य वित्तीय देयताएं	72,999.42	38,511.05	34,488.37
कुल वित्तीय देयताएं	1,815,553.85	268,956.59	1,546,597.26
गैर-वित्तीय देयताएं			
चालू कर देयताएं (निवल)	–	–	–
प्रावधान	117.96	80.98	36.98
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	–	–	–
अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	48.15	48.15	–
कुल गैर-वित्तीय देयताएं	166.11	129.13	36.98
कुल देयताएं	1,815,719.96	269,085.72	1,546,634.24
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	93,804.60	–	93,804.60
अन्य इक्विटी	154,858.39	–	154,858.39
कुल इक्विटी	248,662.99	–	248,662.99
कुल देयताएं और इक्विटी	2,064,382.95	269,085.72	1,795,297.23

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

इस टिप्पणी के उद्देश्य के लिए :-

i) कंपनी किसी संपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत करती है जब,

- यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति प्राप्त करने की उम्मीद करती है, या इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखती है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से परिसंपत्ति रखती है;
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर परिसंपत्ति प्राप्त करने की उम्मीद करती है या;
- परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है (जैसा कि इंड ए एस 7 में परिभाषित किया गया है) बशर्ते कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए परिसंपत्ति के आदान-प्रदान से प्रतिबंधित या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) कंपनी एक दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत करती है जब,

- यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की अपेक्षा करता है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए देयता रखता है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर देयता का निपटान किया जाना है या;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का उसके पास बिना शर्त के कोई अधिकार नहीं है (पैराग्राफ 73 देखें)। देयता की शर्तें जो प्रतिपक्षकार के विकल्प पर, इक्विटी साधनों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 56 : मास्टर निर्देश के तहत आवश्यक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलन पत्र की अनुसूची – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर निक्षेप अभिग्रहण कंपनी तथा निक्षेप अभिग्रहण कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार		1 अप्रैल 2019 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष :							
1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**						
	(क) डिबेंचर्स/बांड :						
	– प्रत्याभूत	1,339,542.75	–	1,157,742.13	–	974,691.31	–
	– अप्रत्याभूत	417,234.87	–	356,528.34	–	231,427.91	–
	(ख) आस्थगित क्रेडिट	–	–	–	–		–
	(ग) सावधि ऋण	1,445,358.90	–	790,862.65	–	503,347.76	–
	(घ) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और अन्य उधार	–	–	–	–		–
	(ङ) वाणिज्यिक पत्र	28,970.27	–	38,634.09	–	29,859.77	–
	(च) सार्वजनिक जमाराशि	–	–	–	–	–	–
	(छ) कॉर्पोरेट्स से स्वीकृत सावधि जमा		–	–	–	–	–
	(ज) एफसीएनआर ऋण	–	–	–	–	–	–
	(झ) बाह्य वाणिज्यिक उधार	–	–	–	–	–	–
	(ञ) प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में संबद्ध देयताएं	–	–	–	–	–	–
	(ट) अधीनस्थ ऋण (सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी एनसीडी सहित)	–	–	–	–	–	–
	(ठ) बैंकों से अन्य अल्पावधि ऋण और ऋण सुविधाएं	–	–	–	–	–	–
2)	**उपरोक्त (1)(च) का ब्रेक-अप (बकाया सार्वजनिक जमाराशि, जिस पर अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन भुगतान नहीं किया गया):**						
	(क) अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में –	–	–	–	–	–	–
	(ख) आंशिक रूप से प्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में अर्थात डिबेंचर जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी होती है	–	–	–	–	–	–
	(ग) अन्य सार्वजनिक जमाराशि	–	–	–	–	–	–
परिसंपत्ति पक्ष :							
3)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का विवरण नीचे (4) में सम्मिलित को छोड़कर :**						
	(क) प्रत्याभूत	–	–	–	–	–	–
	(ख) अप्रत्याभूत	250,244.21	–	1,246,924.45	–	797,148.70	–
4)	**पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और भाड़े पर स्टॉक तथा एएफसी गतिविधियों की गणना के लिए दृष्टिबंधक ऋणों का ब्रेक-अप :**						
	(i) फुटकर देनदारों के अधीन पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां :						
	(क) वित्तीय पट्टा	1,655,689.91	–	1,485,798.00	–	1,250,265.12	–

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार		1 अप्रैल 2019 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	(ख) परिचालन पट्टा	–	–	–	–	–	–
	(ii) फुटकर देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक :						
	(क) किराए पर परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–	–	–
	(ख) पुनः अधिग्रहण की गई परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–	–	–
	(iii) एएफसी गतिविधियों की ओर गिने जानेवाले अन्य ऋण:					–	–
	(क) ऋण जहां परिसम्पत्तियों का पुनः अधिग्रहण कर लिया गया है	–	–	–	–	–	–
	(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	–	–	–	–	–	–
5)	**निवेश का ब्रेक-अप:**						
	चालू निवेश:						
	1. उद्धृत:						
	(i) शेयर : (क) इक्विटी	–	–	–	–	–	–
	(ख) अधिमान्य	–	–	–	–	–	–
	(ii) डिबेंचर और बांड	–	–	–	–	–	–
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिट	–	–	–	–	–	–
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	–	–	–	–	–	–
	2. गैर-उद्धृत:						
	(i) शेयर : (क) इक्विटी	–	–	–	–	–	–
	(ख) अधिमान्य	–	–	–	–	–	–
	(ii) डिबेंचर और बांड	–	–	–	–	–	–
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिट	–	–	–	–	–	–
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	–	–	–	–	–	–
	(v) प्रतिभूतिकरण लेनदेन के तहत पास थ्रू प्रमाण पत्र में निवेश	–	–	–	–	–	–
	(vi) वाणिज्यिक दस्तावेज़	–	–	–	–	–	–
	(vii) प्रतिभूतिकरण लेनदेन के तहत पास थ्रू प्रमाण पत्र में निवेश	–	–	–	–	–	–
	दीर्घावधि निवेश-						
	1. उद्धृत-						
	(i) शेयर - (क) इक्विटी	107.73	–	92.98	–	98.15	–
	(ख) अधिमान्य	–	–	–	–	–	–
	(ii) डिबेंचर और बांड	–	–	–	–	–	–
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिट	–	–	–	–	–	–
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	–	–	–	–	–	–
	2. गैर-उद्धृत -						
	(i) शेयर - (क) इक्विटी	–	–	–	–	–	–
	(ख) अधिमान्य	–	–	–	–	–	–
	(ii) डिबेंचर और बांड	–	–	–	–	–	–
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिट	–	–	–	–	–	–
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	–	–	–	–	–	–
	(v) प्रतिभूतिकरण लेनदेन के तहत पास थ्रू प्रमाण पत्र में निवेश	12.14	–	22.23	–	33.30	–

6) ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण :

संवर्ग	31 मार्च 2021 के अनुसार निवल प्रावधान की राशि			31 मार्च 2020 के अनुसार निवल प्रावधान की राशि			1 अप्रैल 2019 के अनुसार निवल प्रावधान की राशि		
	प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल	प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल	प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार									
(क) सहायक कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) समान समूह में कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	–	1,905,934.12	1,905,934.12	–	2,732,722.45	2,732,722.45	–	2,047,413.82	2,047,413.82
2. संबंधित पक्षकारों के इतर	–	–	–	–	–		–	–	–
कुल	–	1,905,934.12	1,905,934.12	–	2,732,722.45	2,732,722.45	–	2,047,413.82	2,047,413.82

7) शेयरों और प्रतिभूतियों (दोनों उद्धृत और गैर-उद्धृत) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण :

संवर्ग	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार		1 अप्रैल 2019 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/ब्रेक अप/या एनएवी का उचित मूल्य	खाता मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ब्रेक अप/या एनएवी का उचित मूल्य	खाता मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ब्रेक अप/या एनएवी का उचित मूल्य	खाता मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार						
(क) सहायक कंपनियां	–	–	–	–	–	–
(ख) समान समूह में कंपनियां	–	–	–	–	–	–
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	107.73	107.73	92.98	92.98	98.15	98.15
2. संबंधित पक्षकारों के इतर	12.14	12.09	22.23	22.14	33.30	33.30
कुल	119.87	119.82	115.21	115.12	131.45	131.45

8) अन्य सूचना:

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
i) सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां:			
(क) संबंधित पक्षकार	–	–	–
(ख) संबंधित पक्षकारों के इतर	–	–	–
ii) निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां:			
(क) संबंधित पक्षकार	–	–	–
(ख) संबंधित पक्षकारों के इतर	–	–	–
iii) कर्ज की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियां:	–	–	–

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 57 : भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर आरबीआई की अधिसूचना सं. आरबीआई/2019-20/170 डीओआर(एनबीएफ़सी).सीसी.पीडी. सं.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च 2020 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण।

(i) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन आवश्यक प्रावधानों और इंड ए एस 109 के अधीन किए गए हानि भत्ते के बीच तुलना।

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड ए एस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड ए एस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड ए एस 109 के अधीन अपेक्षित आवश्यक हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड ए एस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
अर्जक परिसंपत्तियां						
मानक*	चरण 1	1,736,799.30	324.00	1,736,475.30	324.00	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
मानक के लिए उप-जोड़		**1,736,799.30**	**324.00**	**1,736,475.30**	**324.00**	**-**
अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3					
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध के लिए उप-जोड़						
हानि	चरण 3					
एनपीए के लिए उप-जोड़		-	-	-	-	-
अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड ए एस 109 के दायरे में हैं लेकिन चालू आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2					
	चरण 3					
उप जोड़		-	-	-	-	-
कुल	चरण 1	1,736,799.30	324.00	1,736,475.30	324.00	-
	चरण 2	-	-	-	-	
	चरण 3	-	-	-	-	-
कुल		1,736,799.30	324.00	1,736,475.30	324.00	-

*मानक परिसंपत्तियों में रेलवे मंत्रालय से संप्रभु से देय होने वाली राशि शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी को परिसंपत्ति के वर्गीकरण, प्रावधानीकरण मानदंडों और क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों के संबंध में संप्रभु के प्रत्यक्ष जोखिम की सीमा तक छूट प्रदान की है। (टिप्पणी सं. 42(क) (i) देखें)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(ii) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधानों और इंड ए एस 109 के अधीन किए गए हानि भत्ते के बीच तुलना।

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड ए एस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड ए एस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड ए एस 109 के अधीन अपेक्षित आवश्यक हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड ए एस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
अर्जक परिसंपत्तियां						
मानक*	चरण 1	1,560,103.26	296.85	1,559,806.41	296.85	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
मानक के लिए उप-जोड़		**1,560,103.26**	**296.85**	**1,559,806.41**	**296.85**	**-**
अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3					
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध के लिए उप-जोड़						
हानि	चरण 3					
एनपीए के लिए उप-जोड़		-	-	-	-	-
अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड ए एस 109 के दायरे में हैं लेकिन चालू आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2					
	चरण 3					
उप जोड़		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल	चरण 1	**1,560,103.26**	**296.85**	**1,559,806.41**	**296.85**	**-**
	चरण 2	-	-	-	-	
	चरण 3	-	-	-	-	-
कुल		**1,560,103.26**	**296.85**	**1,559,806.41**	**296.85**	**-**

*मानक परिसंपत्तियों में रेलवे मंत्रालय से संप्रभु से देय होने वाली राशि शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी को परिसंपत्ति के वर्गीकरण, प्रावधानीकरण मानदंडों और क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों के संबंध में संप्रभु के प्रत्यक्ष जोखिम की सीमा तक छूट प्रदान की है। (टिप्पणी सं.42(क) (i) देखें)

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(iii) 1 अप्रैल 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन आवश्यक प्रावधानों और इंड ए एस 109 के तहत किए गए हानि भत्ते के बीच तुलना।

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड ए एस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड ए एस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड ए एस 109 के अधीन अपेक्षित आवश्यक हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड ए एस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
अर्जक परिसंपत्तियां						
मानक*	चरण 1	1,319,293.36	275.44	1,319,017.92	275.44	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
मानक के लिए उप-जोड़		**1,319,293.36**	**275.44**	**1,319,017.92**	**275.44**	**-**
अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3					
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध के लिए उप-जोड़						
हानि	चरण 3					
एनपीए के लिए उप-जोड़		-	-	-	-	-
अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड ए एस 109 के दायरे में हैं लेकिन चालू आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2					
	चरण 3					
उप जोड़		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल	चरण 1	**1,319,293.36**	**275.44**	**1,319,017.92**	**275.44**	**-**
	चरण 2	-	-	-	-	
	चरण 3	-	-	-	-	-
कुल		**1,319,293.36**	**275.44**	**1,319,017.92**	**275.44**	**-**

*मानक परिसंपत्तियों में रेलवे मंत्रालय से संप्रभु से देय होने वाली राशि शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी को परिसंपत्ति के वर्गीकरण, प्रावधानीकरण मानदंडों और क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों के संबंध में संप्रभु के प्रत्यक्ष जोखिम की सीमा तक छूट प्रदान की है। (टिप्पणी सं.42(क) (i) देखें)

चूंकि इंड एएस 109 के अंतर्गत कुल हानि भत्ता 31 मार्च 2021 को आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक कुल प्रावधान के समान है, अतः किसी भी राशि को 'क्षति रिजर्व' में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि और उस पर हानि भत्ते (प्रावधान) में इंड एएस 109 के तहत अनुमत चरण - 3 परिसंपत्तियों के निवल वहन मूल्य पर ब्याज प्रोद्भवन शामिल है। जबकि, आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों में ऐसा कोई ब्याज शामिल नहीं है क्योंकि आईआरएसीपी मानदंडों के तहत एनपीए पर ब्याज प्रोद्भवन की अनुमति नहीं है।

'क्षति आरक्षित' (जब कभी बनाई जाती है) में शेष राशि को नियामक पूंजी के लिए नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित से किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

(ii) उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के अनुसार सिफारिशों के संदर्भ में, कंपनी ने नियामक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा द्वारा निर्देशित अनुसार लेखांकन उद्देश्यों के लिए चूक की वही परिभाषा अपनाई है।

31 मार्च 2021 के अनुसार, ऐसा कोई ऋण खाता नहीं है जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है, लेकिन क्षति नहीं माना गया है।

टिप्पणी 58 : आरबीआई की अधिसूचना सं. आरबीआई/2019-20/220 डीओआर सं.बीओ.बीसी.63/21/04.048/2019 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अंतर्गत जारी कोविड 19 विनियामक पैकेज – परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के अधीन अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण।

क्रम सं.	विवरण	राशि
i	एसएमए / अतिदेय कोटियों में संबंधित राशि, जहां उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 2 और 3 के संदर्भ में अधिस्थगन / आस्थगन बढ़ाया गया था	शून्य
ii	संबंधित राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया है	शून्य
iii	वित्तीय वर्ष 2020-21 की तिमाही 4 के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य
iv.	उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसार संबंधित लेखा अवधि के दौरान स्लीपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के लिए समायोजित प्रावधान	शून्य

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

टिप्पणी 59 : आरबीआई की अधिसूचना सं. आरबीआई/2019-20/88 डीओआर.एनबीएफ़सी (पीडी) सीसी.सं.102/03.10.001/2019- दिनांक 4 नवंबर 2019 के अंतर्गत जारी एनबीएफ़सी के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण।

तरलता जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण:

क. महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर निधिकरण एकाग्रता

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	-	-	-
राशि (मिलियन में)	-	-	-
कुल जमाराशियों की निधिकरण एकाग्रता का प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल देनदारियों के वित्तपोषण एकाग्रता का प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल देयताएं	3,421,383.36	2,452,043.77	1,815,719.96

आरबीआई की अधिसूचना सं. आरबीआई/2019-20/88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी सं. 102 /03.10.001/2019-20 दिनांक 4 नवंबर 2019 के अनुसार एक 'महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष' को एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी-एनडीएसआई, एनबीएफसी-डी की कुल देयताओं के 1% से अधिक और अन्य जमा न लेने वाली एनबीएफसी के लिए 10% से अधिक के लिए लेखांकन है।

ख. शीर्ष 10 उधार

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार	1 अप्रैल 2019 के अनुसार
शीर्ष 10 उधार की कुल राशि	973,584.08	608,608.43	561,965.15
कुल उधार में शीर्ष 10 उधार की राशि का प्रतिशत (%)	30.13%	25.97%	32.31%
कुल उधार	3,231,106.79	2,343,767.21	1,739,326.75

ग. महत्वपूर्ण प्रतिभूति/उत्पाद पर आधारित निधिकरण एकाग्रता

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	कुल देयताओं का प्रतिशत (%)	31 मार्च 2020 के अनुसार	कुल देयताओं का प्रतिशत (%)	1 अप्रैल 2019 के अनुसार	कुल देयताओं का प्रतिशत (%)
महत्वपूर्ण प्रतिभूति / उत्पाद						
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	1,553,752.18	45.41%	1,362,599.36	55.57%	1,136,548.03	62.59%
बैंकों से सावधि ऋण (एफसीएनआर ऋण सहित)	888,268.00	25.96%	496,250.00	20.24%	277,905.00	15.31%
बाह्य वाणिज्यिक उधार	537,916.30	15.72%	248,664.76	10.14%	95,814.98	5.28%
प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में संबद्ध देयताएं	-	-	-	-	-	-
सार्वजनिक जमाराशि	-	-	-	-	-	-
गौण प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	-	-	-	-	-	-

आरबीआई की अधिसूचना सं.आरबीआई/2019-20/88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी.सं.102 /03.10.001/2019-20 दिनांक 4 नवंबर 2019 के अनुसार एक महत्वपूर्ण प्रतिभूति/उत्पाद को समान साधनों/उत्पादों के समूह की एकल प्रतिभूति/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी-एनडीएसआई, एनबीएफसी-डी की कुल देयताओं के 1% से अधिक और एनबीएफसी ले रहे अन्य गैर-जमा के लिए 10% से अधिक है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

घ. स्टॉक अनुपात

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	कुल सार्वजनिक निधि का प्रतिशत(%)	कुल परिसंपत्तियों का प्रतिशत (%)	कुल देयताओं का प्रतिशत (%)
वाणिज्यिक पत्र (सीपी)	28,970.27	लागू नहीं	0.77%	0.85%
एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य अल्पकालिक देयताएं	47,200.04	लागू नहीं	1.25%	1.38%

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	कुल सार्वजनिक निधि का प्रतिशत(%)	कुल परिसंपत्तियों का प्रतिशत (%)	कुल देयताओं का प्रतिशत (%)
वाणिज्यिक पत्र (सीपी)	38,634.09	लागू नहीं	1.40%	1.58%
एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य अल्पकालिक देयताएं	22,619.00	लागू नहीं	0.82%	0.92%

विवरण	1 अप्रैल 2019 के अनुसार	कुल सार्वजनिक निधि का प्रतिशत(%)	कुल परिसंपत्तियों का प्रतिशत (%)	कुल देयताओं का प्रतिशत (%)
वाणिज्यिक पत्र (सीपी)	29,859.77	लागू नहीं	1.45%	1.64%
एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य अल्पकालिक देयताएं	24,198.97	लागू नहीं	1.17%	1.33%

आरबीआई की अधिसूचना सं.आरबीआई/2019-20/88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी सं.102 /03.10.001/2019-20 दिनांक 4 नवंबर 2019 के अनुसार एक अन्य अल्पकालिक देयताओं को सीपी और एनसीडी के अलावा सभी अल्पकालिक उधार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी मूल परिपक्वता 12 महीने से कम है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि भारतीय रुपयों में मिलियन में है, बशर्ते अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।)

ङ. तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

कृपया टिप्पणी सं.38.9 को देखें।

टिप्पणी 60:

क) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी 61: वित्तीय विवरणों की स्वीकृति

क) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को 29 जून 2021 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

कृते मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफ़आरएन 323288E)

ह/-
(दशरथ कुमार सिंह)
(भागीदार)
एम.सं.060030
यूडीआईएन : 21060030AAAAEK2554

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जून 2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

ह/-	ह/-	ह/-
(विजय बाबूलाल शिरोडे)	(शैली वर्मा)	(अमिताभ बैनर्जी)
कंपनी सचिव	निदेशक वित्त	अध्यक्ष एवं
और जेजीएम (विधि)		प्रबंध निदेशक
एफ़सीएस : 6876	डीआईएन : 07935630	डीआईएन : 03315975

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल,
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड ('कंपनी') के संगत संलग्न एकल वित्तीय विवरणों, जिसके अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक के तुलन पत्र, तथा उसी समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरणी और (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, नकदी प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा वादित जानकारी देता है और 31 मार्च, 2021 तक के कंपनी के कार्य व्यवहारों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उनके लाभ, और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकद प्रवाह का अधिनियम द्वारा अपेक्षित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार :

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अधीन स्वतंत्रता की आवश्यकताएं जो वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और अचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखा परीक्षा के राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का महत्व

हम वित्तीय विवरण के लेन-देन के लिए देयताओं और परिसंपत्तियों के संबंध में रेल मंत्रालय को देय या प्राप्य राशि की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा मिलान और पुष्टि के अधीन हैं। कृपया टिप्पणी 46(घ) देखें।

हमने नीचे वर्णित मामलों को संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है: –

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, लेखापरीक्षा अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्रम सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक का उत्तर
1	सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा नई धारा 115बीएए पेश की है, जो किसी भी घरेलू कंपनी द्वारा 22% की आयकर दर, 10% अधिभार और 4%स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का विकल्प चुनने का विकल्प प्रदान करती है। इसे अपनाने से कुल प्रभावी कर दर 25.17% (आयकर के सामान्य प्रावधान के तहत) होगी, जबकि पहले प्रभावी कर दर 34.95% (आयकर के सामान्य प्रावधान के तहत) थी। हालांकि, मैट के तहत पहले प्रभावी कर की दर 21.55% थी जो कंपनी पर लागू थी।	धारा 115बीएए को अपनाने के बाद, सामान्य प्रावधान आयकर के तहत कर योग्य आय शून्य हो सकती है। इसके अलावा धारा 115 बीएए को अपनाने के बाद, कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के तहत मैट प्रावधान के दायरे और प्रयोज्यता से बाहर हो जाएगी। अतः कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोई कर देयता नहीं हो सकती है। अतः 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोई कर प्रावधान सृजित नहीं किया गया है।

2	रेल मंत्रालय के साथ संशोधित व्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय रेलवे को पट्टे पर देने के लिए कंपनी द्वारा वित्त पोषित रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नियुक्त ठेकेदारों ने 1 मई, 2020 से उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा किए गए व्यय/आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को किए गए भुगतान के लिए कंपनी के नाम पर चालान बनाना शुरू कर दिया है। तदनुसार, कंपनी 1 मई, 2020 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की हकदार है। इससे पहले रेलवे परियोजनाओं पर आईआरएफसी लिमिटेड द्वारा आईटीसी क्रेडिट का दावा और लाभ नहीं लिया गया था।	• 1 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान रेल मंत्रालय से प्राप्त विवरण के अनुसार रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को किए गए व्यय/भुगतान के लिए 5,05,509.51 मिलियन रु की कुल राशि खर्च की गई है। • कंपनी रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं पर किए गए उपरोक्त व्यय पर 53,770.59 मिलियन रु के जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की हकदार है। कृपया टिप्पणी 13 देखें।
3	सितंबर 2020 को समाप्त वित्तीय अवधि के दौरान पिछले वर्षों के लेनदेन के कारण 7071.18 मिलियन रु तक पूर्व अवधि समायोजन किए गए है।	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान उत्पन्न होनेवाले 7071.18 मिलियन रु की पूर्व अवधि समायोजन को उन वर्षों में विधिवत समायोजित किया गया है जिनसे यह संबंधित है। 7071.18 मिलियन रु की कुल राशि में से, 605.49 मिलियन रु, 1462.42 मिलियन रु, 844.02 मिलियन रु और 5003.27 मिलियन रु क्रमशः 31 मार्च, 2018, 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्षों से संबंधित हैं। पूर्वोक्त समायोजन के परिणामस्वरूप, 'प्रतिधारित आय' में 6,626.82 मिलियन रु की कमी आई है। तदनुसार, 'विनिमय दर भिन्नता के कारण रेल मंत्रालय से वसूली योग्य राशि' में 6,242.29 मिलियन रु की कमी हुई है, 'प्राप्य कर वापसी' में 444.36 मिलियन रु की वृद्धि हुई है, अर्जित ब्याज, लेकिन उधार पर देय नहीं में 828.95 मिलियन रु की वृद्धि हुई है और अन्य देय राशि में 0.06 मिलियन रु की कमी हुई है।
4	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम के संबंध में अनुपालन	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के रूप में हो, जो दो स्वतंत्र निदेशकों के रूप में है। लेकिन वर्तमान में, निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के साथ प्रभारित व्यक्तियों की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जवाबदेह हैं, जो कि भारत में सामान्य रूप में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का सही और स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस जवाबदेही में, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों का पर्याप्त रख-रखाव तथा धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं विनियोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना और आकलन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही प्रभावशाली रहा हो, एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबद्ध जो सही और स्पष्ट चित्रण देता है एवं विषयों के गलत विवरण से मुक्त रहता है, चाहे वह जालसाजी या गलती के कारण हो, शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन, विद्यमान व्यवसाय (गोइंग कंसर्न) को जारी रखने, प्रकटीकरण, यथा लागू, विद्यमान व्यवसाय (गोइंग कंसर्न) से संबंधित मामलों और लेखांकन के विद्यमान आधार पर कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है बशर्ते कि प्रबंधन या तो कंपनी को परिसमाप्त या इसका संचालन बंद करने का इरादा नहीं करता, या ऐसा करने के लिए इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर की गई हो, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

लेखा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखा परीक्षा की पूरी अवधि में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करेंगे कि:

- वित्तीय विवरणों के तात्विक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करेंगे कि क्या ये जोखिम धोखाधड़ी या त्रुटि या डिज़ाइन के कारण हैं, तथा इन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखा प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरुप सामग्री के गलत बयान का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूकें, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने का लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के विद्यमान व्यवसाय (गोइंग कंसर्न) आधार पर अथवा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्ततता पर निष्कर्ष निकलते हैं कि क्या घटनाओं अथवा परिस्थितियों से सम्बंधित तात्विक अनिश्चितता है जिसके कारण विद्यमान व्यवसाय (गोइंग कंसर्न) के रूप में कार्य करते रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो अपनी राय को संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं, हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने के लिए बंद हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को उचित प्रस्तुति प्राप्त करने वाले तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं।

तात्विकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का परिमाण है जो वैयक्तिक रूप से अथवा समग्र रूप से यह संभाव्य बना देती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिनकी हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारित उन व्यक्तियों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं।

हम उन व्यक्तियों को यह भी प्रदान करते हैं जिनपर अभिशासन का प्रभार सौंपा गया है जिसमें वक्तव्य दिया गया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्कताओं का अनुपालन किया है, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपायों और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सकता है। अभिशासन के साथ आरोप लगाने वालों के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए ये प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को पहले से नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्यों कि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से ऐसे संचार के जनहित लाभों से अतिभार होने की उम्मीद होगी।

अन्य सांविधिक एवं नियामक आवश्यकताओं से सम्बंधित रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा

यथा अपेक्षित, हम आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण 'अनुबंध क' में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए, जो भी आवश्यक था वह सारी सूचना एवं स्पष्टीकरण हमने अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगा व प्राप्त किया है, सिवाय इसके कि ऊपर आधार के लिए राय के शीर्ष के तहत उल्लेख किया गया है।

ख) हमारी राय में, कंपनी के द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका अनुरक्षित किया गया है जैसा कि उन पुस्तिकाओं की हमारी जानकारी से प्रतीत होता है तथा उचित विवरण जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

ग) कंपनी का कोई शाखा कार्यालय नहीं है।

घ) तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरणी और नकद प्रवाह विवरण जो इस रिपोर्ट में व्यवहार में लाया गया है, वे लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।

ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 1924 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 सहपठित संबंधित नियम के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में है।

च) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा 2 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के साथ और ऐसे नियंत्रणों परिचालनीय प्रभावीकता के संबंध में कृपया 'अनुबंध ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखे;

ज) कंपनी पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, अतः अधिसूचना सं.जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (16) कंपनी पर लागू नहीं होगी।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम,2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है

i. कंपनी ने अपनी एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे को प्रकट/स्पष्ट किया है - वित्तीय विवरण में टिप्पणी सं. 34 देखें।

ii. कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर महत्वपूर्ण संभावित नुकसान के लिए, यदि कोई हो, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत अपेक्षित अनुसार, प्रावधान किया है - वित्तीय विवरण में टिप्पणी सं. 38 देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

कृते मैसर्स केबीडीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.: 323288ई

ह/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम.सं. - 060030
यूडीआईएन: 21060030एएएएईके2554
तारीख: 29.06.2021
स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैरा 1 में संदर्भित)

1. क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

हालांकि, इन अभिलेखों में रेल मंत्रालय को पट्टे पर दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विवरण शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें खाता बहियों में लीज प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

(ब) कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाकर रख रही है लेकिन यह सत्यापन के अधीन है।

ख) कंपनी के पास अपने संयंत्र, संपत्ति और उपस्कर के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा पट्टे पर दी गई अचल संपत्तियों को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों का सत्यापन किया जाता है लेकिन इसे हमें सत्यापन के लिए प्रदान नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन उचित है।

हालांकि, पट्टे पर दी गई परिस्थितियों को पट्टेदार (रेल मंत्रालय) द्वारा उनके भौतिक अस्तित्व और बेहतर कार्यकारी परिस्थितियों के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कार्यालय भवन के स्वत्व विलेख, जिसे कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है,को छोड़कर वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख (उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित किया गया है), कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, इसका खुलासा वित्तीय विवरणों के नोट 46 में भी किया गया है।.

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर आयोजित	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
एनबीसीसी प्लेस में कार्यालय भवन पार्किंग क्षेत्र सहित	112.32 मिलियन (बही मूल्य के अनुसार)	एनबीसीसी लिमिटेड से पट्टाधारिता के तहत बिक्री के समझौते के आधार पर आईआरएफसी लिमिटेड द्वारा अधिकृत	लागू नहीं	2000-01 से	डीडीए से पट्टाधारिता समझौते के तहत संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा धारित है। इसके बाद, डीडीए ने भवन का निर्माण किया और बिक्री/हस्तांतरण के समझौते के तहत पट्टे के आधार पर आईआरएफसी लिमिटेड को दिया। यह जब भी एनबीसीसी लिमिटेड के पास फ्रीहोल्ड के रूप में होगी, इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (परिसंपति उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है, यदि ऐसा है तो, क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ब्यौरों का उचित रूप से खुलासा किया है;

च) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 726404.30 मिलियन रु (पिछले वर्ष- 364300.00 मिलियन रु) की राशि रेलवे बुनियादी ढांचा/संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पट्टे पर देने की व्यवस्था के तहत रेल मंत्रालय को दिए हैं। हालांकि, इसके लिए अनुबंध अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है और वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची रेल मंत्रालय से अभी प्राप्त नहीं हुई है। (नोट संख्या 45 देखें)

2. (क) कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और किसी भी व्यापार, निर्माण, खनन या प्रसंस्करण के कारोबार में कार्यरत नहीं है। तदनुसार, यह कोई मालसूची नहीं रखती है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (ii)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी को वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या कोई अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा या ऋण प्रदान नहीं किया है, प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत, ऋण की प्रकृति में किसी अग्रिम, में निवेश नहीं किया है। इसलिए, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के पैरा 3 (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में अनुपालन किया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों में उल्लिखित और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) के नियम, 2015 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के खंड 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

7. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि के संबंध में बहीखातों में कटौती/उपार्जित राशि सामान्यतया कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है। (वित्तीय विवरण का नोट 34 देखें)

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया के रूप में नहीं थी।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई विवादित वैधानिक देय राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है। हालांकि, आयकर की मांगें जो कंपनी द्वारा विवाद के कारण जमा नहीं की गई हैं क्योंकि कंपनी को विश्वास है कि मांगों को या तो हटा दिया जाएगा या काफी हद तक कम कर दिया जाएगा और इसके बारे में उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 में दिया गया है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान खाता बहियों में दर्ज किसी भी लेनदेन को समर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

9. क) हमारी राय में, और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख के अनुसार किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों या डिबेंचर धारकों / बांड धारकों या सरकार को देय ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता/दोषी घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए आवेदित किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ड) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। इसलिए, पैराग्राफ 3 (ix) (ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं लिया है। इसलिए, पैराग्राफ 3 (ix) (ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. क) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई इक्विटी पूंजी और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से जुटाई गई धनराशि उन्ही उद्देश्यों के लिए लागू की गई थी जिनके लिए उन्हें जुटाया गया था।

ख) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने बीते वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय से इक्विटी शेयरों के निजी स्थानन के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान परिवर्तनीय ऋणपत्र/ डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमानी या निजी स्थानन नहीं किया है।

11. क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या नहीं दर्ज की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की उप-धारा 143 के तहत हमारे द्वारा कंपनी नियम (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम), 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान व्हिसल-ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं की गई हैं।

12. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii)(ए) लागू नहीं होता है।

13. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और विवरणों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक है।

14. क) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास तिमाही के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

ख) जून, 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 और मार्च 2021 तिमाही को समाप्त तिमाही की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सांविधिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के दौरान विचार-विमर्श किया गया है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 192 के तहत कवर किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है;

16. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और तदनुसार, पंजीकरण प्राप्त किया गया है;

ख) उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है;

ग) चूंकि कंपनी कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया है। अतः यह खंड लागू नहीं होता।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी, कोई नकदी घाटा नहीं हुआ है।

18. हमें प्राप्त हुई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं मिला है।।

19. हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय देनदारियों के भुगतान और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की सीमा और अपेक्षित तिथियां बढ़ने, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं की हमारी जांच के आधार पर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।

20. क) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि/फंड में अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया है;

ख) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की उप-धारा (5) के तहत, किसी भी चालू परियोजना के अनुसार, शेष अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई के2554
दिनांक: 29.06.2021
स्थान : दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैरा 2 (जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 तक और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टिट्यूट ऑफ़चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक, कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, मार्गदर्शी नोट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण के लिए लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और इस प्रकार लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए और बनाकर रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक मामलों में प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक तात्विक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया, वित्तीय विवरणों के तात्विक गलत विवरण के जोखिमों के आकलन, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती है;

(2) इस आशय का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिरोहण/ओवरराइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तात्विक गलत बयानी/विवरण हो सकते हैं, शामिल होते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान ऐसे जोखिम के अधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन स्तर में गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी तात्विक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रूप से काम कर

रहे थे, निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है:

वित्तीय विवरण के लेन-देन के प्रति देयताओं और परिसंपत्तियों के संबंध में रेल मंत्रालय को देय या प्राप्य राशि रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा समाधान और पुष्टि के अधीन है। कृपया नोट 46(डी) देखें।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई2554
दिनांक: 29.06.2021
स्थान : दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली उपलब्ध है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की सम्पूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ का उल्लेख किया जाए।	कंपनी के पास अपने लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक आईटी प्रणाली उपलब्ध है। कंपनी अपने लेखांकन लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली का अनुसरण करती है।
2	यदि कोई मौजूदा ऋण या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं, तो क्या कोई पुनर्संरचना है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए किसी कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी को केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, कंपनी के पास लंबित अप्रयुक्त निधियों का उपयोग अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई2554
दिनांक: 29.06.2021
स्थान : दिल्ली

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल,
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

महोदय/महोदया जी,

निगम के लिए लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके पास बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22.11.2010 को जारी किया गया पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र संख्या बी-14.00013 है। इसके अलावा, कंपनी 31.03.2021 तक अपनी संपत्ति / आय पैटर्न के संदर्भ में इस तरह के पंजीकरण को जारी रखने की हकदार है।

2. कंपनी मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर निक्षेप ग्राही कंपनी तथा निक्षेप ग्राही कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशन 2016 में निहित बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा के संबंध में आरबीआई के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा की गैर-स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर निक्षेप ग्राही कंपनी और निक्षेप ग्राही कंपनी (रिज़र्व बैंक) के रूप में दिनांक 1 सितंबर 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.008/03.10.119/2016-17 के माध्यम से निदेश, 2016 पर आरबीआई मास्टर निदेश के अनुसार लेखा मानकों, आय पहचान मानदंडों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के तहत परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते, आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानकों, मानक संपत्ति प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके पत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीओ. संख्या 1271/03.10.001/2018-19 दिनांक 21.12.2018 के माध्यम से रेल मंत्रालय, भारत सरकार के एक्सपोजर मानदंडों को छोड़कर, लेखा मानकों, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों का पालन किया है।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अस्थायी वित्तीय परिणामों के आधार पर दिनांक 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के लिए पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम अनुपात (डीएनबीएस-03 रिटर्न) का विवरण दाखिल किया गया है।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई2554
दिनांक: 29.06.2021
स्थान : दिल्ली

संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल,
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र और लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन, और उसके नकदी प्रवाह के बारे में, आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप इस रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत दिनांक 29 जून, 2021 की हमारी पिछली रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संयोजित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बने नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का महत्व

हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि वित्तीय विवरण के लेन-देन के प्रति देयताओं और परिसंपत्तियों के संबंध में रेल मंत्रालय को देय या प्राप्य राशि रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा मिलान और पुष्टि के अधीन हैं। कृपया नोट 46(घ) देखें।

हमने नीचे वर्णित मामलों को संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है: -

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, लेखापरीक्षा अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 से कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा नई धारा 115बीएए पेश की है, जो किसी भी घरेलू कंपनी को 22% की आयकर दर, 10% अधिभार और 4% पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर चुनने का विकल्प प्रदान करती है। इसे चुनने पर कुल प्रभावी कर दर 25.17% (आयकर के सामान्य प्रावधान के तहत) होगी, जबकि पहले प्रभावी कर दर 34.95% (आयकर के सामान्य प्रावधान के तहत) थी। हालांकि, मैट के तहत पहले प्रभावी कर की दर 21.55% थी जो कंपनी पर लागू थी।	धारा 115बीएए को अपनाने के बाद, सामान्य आयकर प्रावधान के तहत कर योग्य आय शून्य हो सकती है। इसके अलावा धारा 115बीएए को अपनाने के बाद, कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के तहत एमएटी प्रावधान के दायरे और प्रयोज्यता से बाहर हो जाएगी। इसलिए, कंपनी पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई कर देयता नहीं हो सकती है। इसलिए, दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोई कर प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

2	रेल मंत्रालय के साथ संशोधित व्यवस्था के अनुसार, भारतीय रेलवे को लीज पर देने के लिए कंपनी द्वारा वित्त पोषित रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नियुक्त ठेकेदारों ने दिनांक 1 मई, 2020 से उपरोक्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा आपूर्तिकर्ता और विक्रेता कंपनी के नाम पर किए गए व्यय / किए गए भुगतान के लिए चालान बनाना शुरू कर दिया है। तदनुसार, कंपनी 1 मई, 2020 से माल और सेवा कर (जीएसटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की हकदार है। इससे पहले रेलवे परियोजनाओं पर आईआरएफसी लिमिटेड द्वारा आईटीसी क्रेडिट का दावा और लाभ नहीं लिया गया था।	• रेल मंत्रालय से प्राप्त विवरण के अनुसार दिनांक 1 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को किए गए व्यय/भुगतान के रूप में कुल 5,05,509.51 मिलियन रु राशि खर्च की गई हैं। • कंपनी रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर किए गए उपरोक्त व्यय पर 53,770.59 मिलियन रु के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की हकदार है। कृपया नोट 13 देखें।
3	सितंबर 2020 को समाप्त वित्तीय अवधि के दौरान पिछले वर्षों के लेनदेन के कारण 7071.18 मिलियन रु तक का पूर्व अवधि समायोजन किया गया है।	दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूर्व अवधि समायोजन के रूप में उत्पन्न होने वाले 7071.18 मिलियन रु को उन वर्षों में विधिवत समायोजित किया गया है जिनसे यह संबंधित हैं। 7071.18 मिलियन रु की कुल राशि में से, 605.49 मिलियन रु, 1462.42 मिलियन रु, 844.02 मिलियन रु और 5003.27 मिलियन रु क्रमशः 31 मार्च, 2018, 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्षों से संबंधित हैं। पूर्वोक्त समायोजन के परिणामस्वरूप, प्रतिधारित आय में 6,626.82 मिलियन रु की कमी आई है। तद्नुसार, 'विनिमय दर भिन्नता के कारण रेल मंत्रालय से वसूली योग्य राशि' में 6,242.29 मिलियन रु की कमी आई है, 'कर पुनर्भुगतान प्राप्य' में 444.36 मिलियन रु की वृद्धि, उपार्जित ब्याज में वृद्धि लेकिन उधार पर देय नहीं पर 828.95 मिलियन रु की राशि और अन्य देय राशि में 0.06 मिलियन रु की कमी आई है।
4	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम के संबंध में अनुपालन	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा 4 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक तिहाई होना आवश्यक है जो दो स्वतंत्र निदेशकों के रूप में आता है। लेकिन वर्तमान में, निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और उन पर शासन के लगे आरोप

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उपयुक्त कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए है, तात्विक गलत बयानी/विवरण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, तब तक कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं रहता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की समग्र देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण तात्विक गलत बयानी/विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा कर सकते है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी कि:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अधिरोहण शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, क्या ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी कार्यशील संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

तात्विकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में: और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के प्रभारी लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनसे सभी रिश्तों और अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर तार्किक माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए संवाद करते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में ऐसे किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की तार्किक रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार, हम अनुबंध ए, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, एक विवरण देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने उपरोक्त राय के आधार के शीर्ष के तहत उल्लिखित को छोड़कर, सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाते रखे गए है, जैसा कि उन बहीखातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) कंपनी का कोई शाखा कार्यालय नहीं है।

घ) तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी के परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण बहीखातों के अनुरूप है।

ड़) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

च) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा 2 के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, जैसा कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट के ''**अनुलग्नक ख**'' में संदर्भित है।

ज) कंपनी पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, इसलिए अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (16) लागू नहीं होगी।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 34 देखें;

ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, डेरिवेटिव अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, तात्विक पूर्वाभास योग्य नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 देखें;

iii. कंपनी द्वारा निवेशक, शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई2554
दिनांक: 29.06.2021
स्थान : दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैरा 1 में संदर्भित)

1. क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

   हालांकि, इन अभिलेखों में रेल मंत्रालय को पट्टे पर दी गई अचल परिसंपत्तियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि इसे बही खातों में पट्टा प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

   ख) कंपनी के पास अपनी अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा पट्टे पर दी गई अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन उचित है।

   हालांकि, पट्टे पर दी गई संपत्ति को पट्टेदार (रेल मंत्रालय) द्वारा उनके भौतिक अस्तित्व और बेहतर कार्यकारी परिस्थिति के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है।

   ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए सभी अचल परिसंपत्तियों (उन परिसंपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वत्व विलेख को कंपनी के नाम पर रखा गया हैं, सिवाय कार्यालय भवन के स्वत्व विलेख, जिसे कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है, इसका खुलासा वित्तीय विवरणों के नोट 46 में भी किया गया है।

   घ) कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पट्टे पर देने की व्यवस्था के तहत 726404.30 मिलियन रु की राशि (पिछले वर्ष- 364300.00 मिलियन रु) रेल मंत्रालय को दी है। हालांकि, इसके लिए अनुबंध अभी तक निष्पादित किया जाना बाकी है और वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची रेल मंत्रालय से अभी प्राप्त नहीं हुई है। (नोट संख्या 45 देखें)

2. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और किसी भी व्यापार, निर्माण, खनन या प्रसंस्करण के व्यवसाय में कार्यरत नहीं है। तदनुसार, यह कोई मालसूची नहीं रखता है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी या कोई अन्य पक्ष के साथ कोई भी निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा नहीं दी है या प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं प्रदान किया है। इसलिए, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैराग्राफ 3 (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 का अनुपालन किया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 और उसके अधीन बनाए गए नियम के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के खंड 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

7. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि के संबंध में बही खातों में कटौती/उपार्जित राशि, आमतौर पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है। (वित्तीय विवरण का नोट 34 देखें)

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया के रूप में नहीं थी।

   ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खंड (क) में निर्दिष्ट कोई विवादित वैधानिक देय/बकाया उचित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है। हालांकि, आयकर की मांगें जो कंपनी द्वारा विवाद के कारण जमा नहीं की गई हैं क्योंकि कंपनी को विश्वास है कि मांगों को या तो हटा दिया जाएगा या काफी हद तक कम कर दिया जाएगा और इसके बारे में उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के नोट संख्या 34 में दिया गया है।

8. हमारी राय में, और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख के अनुसार किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों या डिबेंचर धारकों / बांड धारकों या सरकार को देय ऋणों की या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है।

9. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई इक्विटी पूंजी और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से जुटाई गई धनराशि उन्हीं उद्देश्यों के लिए लागू की गई थी जिनके लिए ये फंड जुटाए गए थे।

10. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

11. कंपनी पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के तहत लागू नहीं होगी।

12. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।

13. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां भी लागू हो और विवरणों को वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक है।

14. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय से इक्विटी शेयरों के निजी स्थानन के माध्यम से धन जुटाया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी या निजी स्थानन नहीं किया है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत कवर किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं है।

16. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और तदनुसार, पंजीकरण प्राप्त किया गया है;

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई2554
दिनांक: 27.08.2021
स्थान : दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ''ख''

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैरा 2 (जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 तक और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टिट्यूट ऑफ़चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक, कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, मार्गदर्शी नोट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण के लिए लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और इस प्रकार लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए और बनाकर रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक तात्विक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के आकलन, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं;

(2) इस आशय का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिरोहण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत बयानी/विवरण हो सकते हैं, शामिल होते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान ऐसे जोखिम के अधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी तात्विक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है:

वित्तीय विवरण के लेन-देन के प्रति देयताओं और परिसंपत्तियों के संबंध में रेल मंत्रालय को देय या प्राप्य राशि रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा समाधान और पुष्टि के अधीन है। कृपया नोट 46(डी) देखें।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई2554
दिनांक: 27.08.2021
स्थान : दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्रमांक	विवरण	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली उपलब्ध है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ का उल्लेख किया जाए	कंपनी के पास अपने लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक आईटी प्रणाली उपलब्ध है। कंपनी अपने लेखांकन लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली का अनुसरण करती है।
2	यदि कोई मौजूदा ऋण या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं, तो क्या कोई पुनर्संरचना है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए	ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए किसी कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी को केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, कंपनी के पास लंबित अप्रयुक्त निधियों का उपयोग अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288ई

हस्ताक्षरित/-
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. - 060030
यूडीआईएन : 21060030एएएएई2554
दिनांक: 27.08.2021
स्थान : दिल्ली

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल,

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

महोदय/महोदया जी,

निगम के लिए लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके पास बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22.11.2010 को जारी किया गया पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र संख्या बी–14.00013 है। इसके अलावा, कंपनी 31.03.2021 तक अपनी संपत्ति / आय पैटर्न के संदर्भ में इस तरह के पंजीकरण को जारी रखने की हकदार है।

2. कंपनी मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी–प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर निक्षेप ग्राही कंपनी तथा निक्षेप ग्राही कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशन 2016 में निहित बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा के संबंध में आरबीआई के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा की गैर–स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) के रूप में दिनांक 1 सितंबर 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.008/03.10.119/2016–17 के माध्यम से निदेश, 2016 पर आरबीआई मास्टर निदेश के अनुसार लेखा मानकों, आय पहचान मानदंडों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के तहत परिभाषित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते, आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानकों, मानक संपत्ति प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके पत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीओ. संख्या 1271/03.10.001/2018–19 दिनांक 21.12.2018 के माध्यम से रेल मंत्रालय, भारत सरकार के एक्सपोजर मानदंडों को छोड़कर, लेखा मानकों, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का पालन किया है।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अस्थायी वित्तीय परिणामों के आधार पर दिनांक 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के लिए पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम अनुपात (डीएनबीएस–03 रिटर्न) का विवरण दाखिल किया गया है।

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या : 323288E

हस्ताक्षरित/–
(सीए दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
एम. नं. – 060030
यूडीआईएन : 21060030AAAAAE2554
दिनांक: 27.08.2021
स्थान : दिल्ली

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए **भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत, वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 27.08.2021 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया/बताया गया है जो दिनांक 29.06.2021 की उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अधिक्रमित/लंघित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए **भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात की छानबीन के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के पदाधिकारियों से की गई पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिस पर अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी की जाए अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ और कहा जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरित/-
(के.एस. रामूवालिया)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.09.2021

स्वतंत्रता दिवस

संविधान दिवस

सतर्कता दिवस

34वें वार्षिक दिवस का समारोह

गिफ्ट सिटी कार्यालय का उद्घाटन

अशोक में नए कार्यालय का उद्घाटन

आईपीओ सूचीकरण समारोह

आईपीओ उत्सव

आईपीओ सूचीकरण समारोह

इंडियन
रेलवे
फाईनेंस
कार्पोरेशन
लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन- एल65910डीएल1986जीओआई026363

कमरा नम्बर: 1316-1349, तीसरी मंजिल, होटल दि अशोक,
डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-110002

फोन: +91 011 - 24100385

ईमेल: investors@irfc.nic.in

वेबसाइट: www.irfc.nic.in

a K&A creation | www.kalolwala.co.in